बी.ए. तृतीय वर्ष
इतिहास, द्वितीय प्रश्नपत्र

भारत का इतिहास
1858 ई. से 1950 ई. तक
(History of India From 1858 A.D. to 1950 A.D.)

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल
MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY-BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Ajay Khare
   Professor,
   Institute for Excellence in Higher Education (IEHE), Bhopal (MP).
2. Dr. Manisha Sharma
   Associate Professor,
   Govt. PG College, Beena (MP).
3. Dr. Mamta Chansoria
   Professor,
   Govt. MLB College, Bhopal (MP).

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
   Hon'ble Vice Chancellor,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (MP).
2. Dr. L.S. Solanki
   Registrar,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (MP).
3. Dr. L.P. Jharia
   Director DME,
   Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.
4. Dr. Ajay Khare
   Professor,
   Institute for Excellence in Higher Education (IEHE), Bhopal (MP).
5. Dr. Mamta Chansoria
   Professor,
   Govt. MLB College, Bhopal (MP).
6. Dr. Manisha Sharma
   Associate Professor,
   Govt. PG College, Beena (MP).

COURSE WRITER

Dr. Manju Maria Solomon, Assistant Professor and Head, Department of History, St. Aloysius College (Autonomous), Reaccredited 'A+' by NAAC (CGPA-3.68/4.00) College with Potential for Excellence by UGC DST FIST Supported & Star College Scheme by DBT Jabalpur, (M.P) India.

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. (Developed by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.) and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

भारत का इतिहास 1858 ई. से 1950 ई. तक

Syllabi	Mapping in Book
इकाई–1 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन। राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम।	**इकाई 1** : महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन, राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम **(पृष्ठ 3–27)**
इकाई–2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरमदल, गरमदल एवं क्रांतिकारी, 1909 का अधिनियम, कृषक तथा आदिवासी आंदोलन, होमरुल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन।	**इकाई 2** : लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरमदल गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1909, कृषक तथा आदिवासी आंदोलन, होमरुल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन **(पृष्ठ 28–72)**
इकाई–3 गांधी युग–खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, स्वराज्य दल, साईमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता, भारत छोडो आंदोलन।	**इकाई 3** : गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर कॉंग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता, भारत छोडो आंदोलन **(पृष्ठ 73–109)**
इकाई–4 क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, एवं आजाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलीनीकरण भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ।	**इकाई 4** : क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, एवं आजाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति, एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलीनीकरण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ **(पृष्ठ 110–144)**
इकाई–5 भारतीय कृषि–ब्रिटिश अकाल नीति, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप, ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण, आधुनिक उद्योगों का उदय, व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन–सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल, सोसायटी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास।	**इकाई 5** : भारतीय कृषि– ब्रिटिश अकाल नीति, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप, ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण, आधुनिक उद्योगों का उदय, व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन– सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसायटी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास **(पृष्ठ 145–194)**

विषय–सूची

परिचय **1–2**

इकाई 1 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन, राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम **3–27**

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
 1.2.1 घोषणा पत्र
 1.2.2 घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएँ
1.3 भारत सरकार अधिनियम, 1858
 1.3.1 1858 का अधिनियम
 1.3.2 1858 के अधिनियम की मुख्य धाराएँ
 1.3.3 1858 के अधिनियम का महत्व
1.4 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम
 1.4.1 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
 1.4.2 1861 का अधिनियम पारित किये जाने के कारण
 1.4.3 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 की मुख्य धाराएँ
 1.4.4 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का महत्व
1.5 लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन
 1.5.1 लॉर्ड लिटन
 1.5.2 लॉर्ड रिपन (1880–1884) का आंतरिक प्रशासन
 1.5.3 लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार
1.6 राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
 1.6.1 भूमिका
 1.6.2 राजनैतिक संगठन एवं उनके कार्य
 1.6.3 काँग्रेस की स्थापना
1.7 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम
 1.7.1 भूमिका
 1.7.2 1892 के अधिनियम के प्रमुख उपबंध
1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
1.9 सारांश
1.10 मुख्य शब्दावली
1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.12 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरमदल गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1909, कृषक तथा आदिवासी आंदोलन, होमरुल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन **28—72**

2.0 परिचय

2.1 उद्देश्य

2.2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन

- 2.2.1 भूमिका
- 2.2.2 लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार
- 2.2.3 बंगाल का विभाजन

2.3 स्वदेशी आंदोलन

- 2.3.1 परिचय
- 2.3.2 स्वदेशी आंदोलन के कारण

2.4 नरमदल, गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन

- 2.4.1 उदारवादी (नरमदल)
- 2.4.2 उदारवादियों के सिद्धांत तथा उद्देश्य
- 2.4.3 उदारवादियों का महत्व तथा भारतीय राजनीति में उनका योगदान
- 2.4.4 उग्रवादी (गरम दल)
- 2.4.5 क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण
- 2.4.6 क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण— 1920

2.5 भारत सरकार अधिनियम, 1909

- 2.5.1 अधिनियम पारित होने के कारण
- 2.5.2 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएँ
- 2.5.3 1909 के अधिनियम का मूल्यांकन

2.6 कृषक तथा आदिवासी आंदोलन

- 2.6.1 ब्रिटिश काल में जन—जातियों द्वारा किये गये प्रमुख आंदोलन

2.7 होमरुल आंदोलन

- 2.7.1 होमरूल लीग की स्थापना
- 2.7.2 होमरूल आंदोलन का उद्देश्य

2.8 लखनऊ समझौता

- 2.8.1 लखनऊ समझौते के उपबंध

2.9 रौलेट एक्ट

2.10 जलियांवाला बाग हत्याकांड

- 2.10.1 हण्टर कमेटी
- 2.10.2 काँग्रेस कमेटी

2.11 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन

- 2.11.1 भारत शासन अधिनियम, 1919 के पारित होने के कारण
- 2.11.2 अधिनियम, 1919 की प्रमुख धाराएँ

2.12 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर

2.13 सारांश

2.14 मुख्य शब्दावली

2.15 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास

2.16 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर काँग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता, भारत छोडो आंदोलन 73–109

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन
3.2.1 खिलाफत आंदोलन
3.2.2 खिलाफत आंदोलन की 3 मांगें
3.2.3 असहयोग आंदोलन
3.2.4 असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम
3.2.5 आंदोलन के परिणाम
3.3 स्वराज दल
3.3.1 भूमिका
3.3.2 स्वराज दल की स्थापना
3.3.3 स्वराज दल का पतन एवं मूल्यांकन
3.4 साइमन कमीशन
3.4.1 साइमन कमीशन नियुक्ती के कारण
3.4.2 नेहरू रिपोर्ट
3.5 लाहौर काँग्रेस
3.5.1 पूर्ण स्वाधीनता की मांग
3.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन
3.6.1 कारण
3.6.2 ग्यारह सूत्री योजना
3.6.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ
3.7 गोलमेज सम्मेलन
3.7.1 गांधी–इरविन समझौता
3.7.2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
3.7.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन– द्वितीय चरण, 1932–34
3.7.4 तृतीय गोलमेज सम्मेलन
3.7.5 सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत
3.7.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम या महत्व
3.8 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता
3.8.1 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि
3.8.2 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
3.8.3 अधिनियम के गुण
3.8.4 अधिनियम के दोष
3.9 भारत छोड़ो आंदोलन
3.9.1 आंदोलन के कारण
3.9.2 भारत छोड़ो प्रस्ताव
3.9.3 आंदोलन का प्रारंभ
3.9.4 आंदोलन का महत्व तथा परिणाम
3.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
3.11 सारांश
3.12 मुख्य शब्दावली
3.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.14 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, एवं आजाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति, एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलीनीकरण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ **110—144**

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 ई.
4.2.1 क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के कारण
4.2.2 क्रिप्स का भारत आगमन
4.2.3 क्रिप्स प्रस्तावों के दोष
4.2.4 मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण
4.2.5 क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण
4.3 शिमला सम्मेलन
4.3.1 शिमला सम्मेलन वेवेल योजना
4.3.2 वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान
4.3.3 शिमला सम्मेलन– जून 1945
4.3.4 शिमला सम्मेलन का उद्देश्य
4.3.5 शिमला सम्मेलन के निर्णय
4.4 कैबिनेट मिशन
4.4.1 कैबिनेट मिशन, 1946
4.4.2 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा
4.4.3 कैबिनेट मिशन के कार्य
4.4.4 कैबिनेट मिशन की सिफारिशें
4.4.5 मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना
4.5 सुभाषचन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज
4.5.1 सुभाषचन्द्र बोस
4.5.2 फारवर्ड ब्लाक के सिद्धांत
4.5.3 द्वितीय विश्व युद्ध और सुभाषचन्द्र बोस
4.5.4 आजाद हिंद फौज तथा सुभाषचन्द्र बोस
4.6 सांप्रदायिक राजनीति
4.6.1 सांप्रदायिक राजनीति
4.6.2 भारत का विभाजन
4.7 भारतीय स्वाधीनता
4.7.1 भूमिका
4.7.2 सीमा आयोग
4.8 रियासतों का विलीनीकरण
4.8.1 रियासतों का विलीनीकरण
4.8.2 वल्लभभाई पटेल तथा राज्यों का भारत में प्रवेश
4.9 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
4.9.1 प्रस्तावना
4.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
4.11 सारांश
4.12 मुख्य शब्दावली
4.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.14 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 भारतीय कृषि– ब्रिटिश अकाल नीति, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप, ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण, आधुनिक उद्योगों का उदय, व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन– सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसायटी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास **145—194**

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 भारतीय कृषि
 5.2.1 कृषि का व्यवसायीकरण
 5.2.2 कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव
 5.2.3 भारत में अकाल
 5.2.4 भारत के प्रमुख अकाल
 5.2.5 ब्रिटिश अकालनीति
 5.2.6 अकालों के परिणाम
5.3 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप
5.4 ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण
5.5 आधुनिक उद्योगों का उदय
 5.5.1 कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों का विनाश
 5.5.2 कृषि
 5.5.3 रेलवे का निर्माण
 5.5.4 आधुनिक उद्योगों का विकास
5.6 व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार
 5.6.1 धन का निष्कासन
 5.6.2 धन–निष्कासन के परिणाम
5.7 सामाजिक धार्मिक आंदोलन
 5.7.1 सत्य शोधक समाज
 5.7.2 स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज
 5.7.3 आर्य समाज एवं उसके सिद्धान्त
 5.7.4 रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद
 5.7.5 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, 1893
 5.7.6 प्रार्थना समाज
5.8 थियोसॉफिकल सोसायटी
 5.8.1 थियोसॉफिकल सोसायटी के उद्देश्य
5.9 मुस्लिम सुधार आंदोलन
 5.9.1 अलीगढ़ आंदोलन
 5.9.2 वहाबी आंदोलन
5.10 महिलाओं का उत्थान
 5.10.1 औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की स्थिति
 5.10.2 स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कारण
 5.10.3 समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं का उत्थान
 5.10.4 ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं के उत्थान के कार्य
5.11 शिक्षा का विकास
 5.11.1 वुड का घोषणा पत्र
 5.11.2 वुड्स डिस्पैच की प्रमुख धाराएँ
 5.11.3 हण्टर कमीशन, 1882 (प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग)
 5.11.4 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति

5.11.5 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917—19
5.11.6 अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना, 1925
5.12 भारतीय प्रेस का विकास
5.12.1 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम
5.12.2 समाचार पत्र जाँच समिती, 1947
5.12.3 1947 में स्वतंत्र भारतीय प्रेस की स्थापना
5.12.4 भारतीय प्रेस का विकास 1920 से 1950 तक
5.13 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
5.14 सारांश
5.15 मुख्य शब्दावली
5.16 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.17 सहायक पाठ्य सामग्री

परिचय

टिप्पणी

उच्च शिक्षा के अनेक विषयों पर हिंदीं मे उपयुक्त साहित्य की कमी है। प्रस्तुत पुस्तक द्वारा मैने इस आवश्यकता की आंशिक पूर्ती करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पुस्तक में सन् 1858 ई. से सन् 1950 ई. तक का भारत का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

सन् 1858 ई. आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु था। इस वर्ष भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और भारत का शासन अब इंग्लैण्ड की संसद द्वारा संचालित होने लगा था।

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत का स्वतंत्रता आंदोलन छोटे पैमाने पर धीमे गति से लेकिन एक संगठित रुप में शुरु हुआ था। तथा साल–दर–साल शक्ति ग्रहण करने लगा। सन् 1905 ई. में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरुद्ध समस्त भारतीय जनसमूह आंदोलित हो उठा। सन् 1906 ई. में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में वैचारिक मतभेदों के कारण सन् 1907 ई. में काँग्रेस का नरम–दल एवं गरम–दल रुप में विभाजन हो गया। सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक ओर काँग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ तो दूसरी ओर काँग्रेस में भी एकता स्थापित हो गई।

सन् 1919–1947 के इस काल में काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में एक विशिष्ट अहिंसात्मक, असहयोगी रास्ता अपनाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं 1942 ई. में भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन का रुप दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनियंत्रित एवं अंर्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अब ब्रिटेन भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य हो गया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। उसके कारण भारत को सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। माउण्टबेटन योजना एवं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, 15 अगस्त 1947 ई. को भारत स्वतंत्र हो गया, और भारत में लगभग 200 वर्ष पुराना अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया।

उक्त समस्त घटनाक्रम की विस्तृत एवं तथ्य परक विवेचना पुस्तक में की गई है। पुस्तक की अन्य विशेषताएँ निम्नवत हैं–

- भारत के प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन की विवेचना प्रस्तुत की गई है।
- सुभाषचंद्र बोस जी का भारत की स्वतंत्रता में योगदान को दर्शाया गया है।
- भारत के कृषक एवं आदिवासी आंदोलनों की विवेचना प्रस्तुत की गई है।
- ब्रिटेन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण एवं धन के निष्कासन को सरलतम ढंग से समझाया गया है।

टिप्पणी

- स्वतंत्रता उपरांत सरदार वल्लभभाई पटेल का भारतीय रियासतों के एकीकरण में योगदान को भी सरलतम ढंग से समझाया गया है।

पुस्तक की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह एक विशेष स्वरुप में लिखी गई है तथा यह पाँच ईकाईयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में 'परिचय' के साथ ही 'उद्देश्यों' पर भी प्रकाश डाला गया है। 'अपनी प्रगति जाँचिए' के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं का मुल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक इकाई के अंत में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश किया गया है। 'सारांश' एवं 'मुख्य शब्दावली' की आवृत्ती विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में उपयोगी उपकरण सिद्ध हो सकते हैं।

सर्वशक्तीमान ईश्वर के आशीर्वाद, पति श्री. ज्ञानप्रकाश सालोमनजी, पुत्रियों का सहयोग तथा मेरे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. फा. वलन अरासु जी के प्रेरणा से अपना लेखन कार्य आप तक पहुँचाने में सफल हुई।

पुस्तक को सब प्रकार से उपादेय बनाने का प्रयास तो मैने पूरा किया परंतु विषय विशद्ता, सीमित आकार एवं प्रिटिंग में, शब्दों में त्रुटीयां रह जाना संभव है। यदि त्रुटियों की सूचना मुझे प्राप्त हुईं तो मैं अगले संस्करण में उन्हें दूर करने का प्रयत्न करुंगी। एक शिक्षक के लिए छात्रों के संतोष से अधिक मूल्यवान कोई अन्य पुरस्कार नहीं हो सकता। आशा है, मुझे यह पुरस्कार प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. मंजु मारिया सालोमन

एम.ए. इतिहास, एम.ए. राजनीति विज्ञान,
बी.एड., एम.फिल., पीएच.डी.,
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, सेंट अलॉयसियस स्वशासी महाविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.).

सद्भावना सहित्......

टिप्पणी

इकाई 1 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन, राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम

संरचना (Structure)

1.0 परिचय
1.1 उद्देश्य
1.2 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र
   1.2.1 घोषणा पत्र
   1.2.2 घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएँ
1.3 भारत सरकार अधिनियम, 1858
   1.3.1 1858 का अधिनियम
   1.3.2 1858 के अधिनियम की मुख्य धाराएँ
   1.3.3 1858 के अधिनियम का महत्व
1.4 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम
   1.4.1 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
   1.4.2 1861 का अधिनियम पारित किये जाने के कारण
   1.4.3 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 की मुख्य धाराएँ
   1.4.4 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का महत्व
1.5 लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन
   1.5.1 लॉर्ड लिटन
   1.5.2 लॉर्ड रिपन (1880–1884) का आंतरिक प्रशासन
   1.5.3 लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार
1.6 राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
   1.6.1 भूमिका
   1.6.2 राजनैतिक संगठन एवं उनके कार्य
   1.6.3 काँग्रेस की स्थापना
1.7 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम
   1.7.1 भूमिका
   1.7.2 1892 के अधिनियम के प्रमुख उपबंध
1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
1.9 सारांश
1.10 मुख्य शब्दावली
1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
1.12 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय (Introduction)

प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के वीरों ने अपना बलिदान देते हुए, भारत में अंग्रेजी शासन पर प्रहार करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरूद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1858 ई. में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 ई. का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 01 नवम्बर 1858 को इंग्लैन्ड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की जिसे भारत में लॉर्ड केनिंग, भारत के प्रथम वायसराय ने इलाहाबाद में एक दरबार में पढ़कर सुनाया।

1876 ई. में लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आये थे। उनकी भेदभाव पूर्ण एवं प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 ई. तक वायसराय के पद पर कार्य किया। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के कल्याण के लिये तत्परता से कार्य किया। वे एक लोकप्रिय वायसराय थे।

सन 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी अतः भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के नेतृत्व में ही 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1861 का अधिनियम पारित किया इनकी त्रुटियाँ शीघ्र ही सामने आ गई थीं। 1892 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के असंतोष का दमन करने के लिये एक अधिनियम पारित किया। इसे 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम कहा जाता है।

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इतिहास के निम्न घटनाओं से परिचित होंगे एवं ज्ञान प्राप्त करेंगे–

- सम्राज्ञी विक्टोरिया की उद्घोषणा
- 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश ताज के अधीन होना
- भारत के आंतरिक प्रशासन में लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन के महत्वपूर्ण सुधार
- राजनैतिक संगठन तथा राष्ट्रीय कॉंग्रेस की स्थापना

1.2 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र (Queen Victoria's Proclamation)

1.2.1 घोषणा पत्र (Proclamation)

1857 के विद्रोह का बवण्डर बैठ जाने के बाद कंपनी से सत्ता ताज के हाथों में आ जाने पर, महारानी विक्टोरिया ने 01 नवम्बर 1858 को शाही घोषणा की। यह घोषणा पत्र बड़ी सावधानी से सोच विचार कर तैयार किया गया था। इस से उदारता, क्षमा, मित्रता और न्याय की भावना परिलक्षित होती थी।

महारानी विक्टोरिया की घोषणा में अंग्रेजी राज ने भारत के शासन का सीधा उत्तरदायित्व सम्भाला था। इसमें न केवल अपने वक्त के देशी राजाओं के संबंधों को स्पष्ट किया गया था, वरन अनेक प्रतिज्ञाओं और आश्वासनों का समावेश भी था।

भारत का प्रशासन औपचारिक रुप से 1 नवम्बर 1858 ई. को ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। 1857 के विद्रोह तक भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था।

गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और इसमें रानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया। घोषणा मे सबसे पहले कहा गया कि रानी ने इंग्लैन्ड की संसद की सलाह से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया है।

इस घोषणा के द्वारा लॉर्ड केनिंग को भारतीय प्रदेशों के शासन के लिये प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल रानी के नाम से और उसकी ओर से शासन का संचालन करेगा। उन आदेशों और नियमों के अनुसार करेगा जो रानी की ओर से राज्य के एक प्रमुख सचिव (भारत मंत्री) के द्वारा प्राप्त होंगे।

चित्र क्र. 1.1: महारानी विक्टोरिया

टिप्पणी

घोषणा में आगे रानी ने कहा कि भारत के सभी प्रजाजन उस के तथा उसके वंशजों और उत्तराधिकारियों के प्रति भक्ती भाव बनाये रखें। स्वयं को उन लोगों की सत्ता के प्रति समर्पित करें जिन्हें रानी उन पर शासन करने के लिये समय–समय पर नियुक्त करें–

(i) घोषणा के द्वारा रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के राजाओं के साथ–साथ सभी संधियों एवं समझौतों को स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि उनका निष्ठा और सावधानी से पालन किया जायेगा, साथ ही साथ रानी ने यह आशा भी व्यक्त की कि देशी राजा भी उन संधियों और समझौतों का उसी भाँति पालन करेंगें।

(ii) बिना भेदभाव व पक्षपात के, योग्यता के आधार पर शासन के उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जायेगा।

(iii) भारत संबंधी कानूनों का निर्माण करते समय भारत की परम्पराओं का भी ध्यान रखा जायेगा।

(iv) भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

(v) शांति की स्थापना होने के पश्चात सार्वजनिक हित के कार्य किये जायेंगे।

1.2.2 घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Proclamation)

यह घोषणा पत्र अनेक दृष्टीकोणों से विशेष महत्व का था क्योंकि इसने भारत में एक नई नीति की नींव डाली। संक्षेप में, साम्राज्ञी की घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी–

1. भारतीय नरेशों को यह आश्वासन दिया गया कि कंपनी के साथ उनके समझौते एवं संधियों का पालन किया जायेगा।
2. भारतीय नरेशों के प्रदेशों को अंग्रेजी सरकार अपने राज्य में नहीं मिलायेगी।
3. भारतीय नरेशों के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा, का आदर ब्रिटिश साम्राज्ञी करेगी।
4. भारतीयों के प्राचीन रीति–रिवाजों, परंपराओं का सम्मान किये जाने का आश्वासन दिया गया।
5. भारतीय जनता के विकास और समृद्धि का आश्वासन दिया गया। भारत में आंतरिक शांति स्थापित होने के पश्चात उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। शासन जनता के हित में होगा।
6. अंत मे घोषणा द्वारा पुराने अपराधों और भूलों के लिये क्षमा मांगी तथा कैदियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया।

मॉर्ले ने महारानी की इस उद्घोषणा को ''स्वतंत्रता का अधिकार पत्र'' बताया है। यह घोषणा 1909 ई. तक भारतीय प्रशासन की आधार बनी रही। इस उद्घोषणा से भारतीयों को सुखद भविष्य की आशा हुई भारतीय नरेशों और ब्रिटिश सरकार के मध्य नये संबंधों की शुरुआत हुई। वास्तव में यह घोषणा पत्र शाब्दिक आडंबर निरुपित हुई। महारानी के घोषणा पत्र में दिये गये आश्वासनो का सही अर्थों में पालन नहीं किया गया। भारतीयों को शासकीय सेवा के उच्च पदों पर

नियुक्त नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार की शोषण, दमन और भेदभाव की नीति यथावत कायम रही।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कब अपने हाथ में लिया?

   (अ) 1 नवंबर 1858 (ब) 1 नवंबर 1859

   (स) 1 नवंबर 1860 (द) 1 नवंबर 1861

2. महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के समय भारत का वायसराय कौन था?

   (अ) लॉर्ड क्लाइव (ब) लॉर्ड केनिंग

   (स) लॉर्ड लिटन (द) लॉर्ड रिपन

1.3 भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

1.3.1 1858 का अधिनियम (Act of 1858)

1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने 1858 ई. में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। भारत के शासन की बागडोर इंग्लैन्ड की सरकार को सौंप दी गई।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने तीन कारणों से प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन लेना आवश्यक किया था–

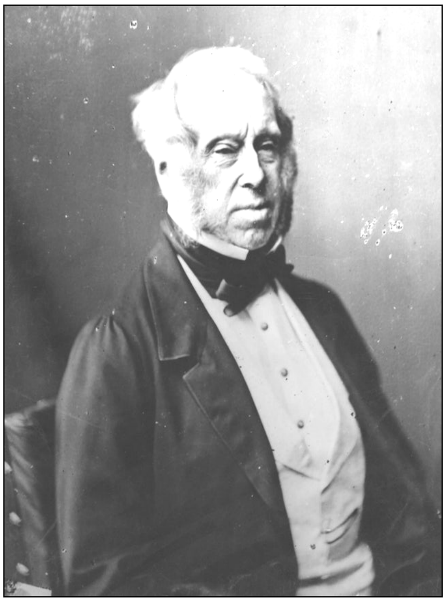

चित्र क्र. 1.2: लॉर्ड पामर्स्टन

1. **प्रशासनिक अक्षमता**— पामर्स्टन का मानना था कि प्रशासन का उत्तरदायित्व निदेशकों, नियंत्रण मंडल तथा गवर्नर जनरल के विभाजित होने के कारण तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत असुविधाजनक है। उसने कहा ''दोहरी शासन व्यवस्था असुविधाजनक, फूहड तथा जटिल है'' अतः इस व्यवस्था को बदल कर एक सुविधाजनक एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की भारत में स्थापना करना आवश्यक था।
2. **प्रजातांत्रिक सिंद्वात**— पामर्स्टन का विचार था कि इंग्लैन्ड एक प्रजातांत्रिक देश है, अतः भारत में भी शासन ऐसी संस्था के द्वारा होना चाहिये जो कि इंग्लैन्ड की संसद के प्रति उत्तरदायी हो। उसने कहा, ''भारतीय शासन की बागडोर एक ऐसी संस्था के हाथ में है जो न तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और न ही ताज के द्वारा नियुक्त।'' पामर्स्टन का विचार था कि भारत में शासन ऐसी संस्था के द्वारा होना चाहिये जो इंग्लैन्ड की संसद के प्रति उत्तरदायी हो।
3. **1857 ई. का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम**— 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया। इस घटना ने इंग्लैन्ड की सरकार की आँखें खोल दी तथा उनको यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारत के संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो भारत उनके हाथ से निकल सकता है।

   इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पामर्स्टन ने 12 फरवरी, 1858 ई. को इंग्लैन्ड की संसद में एक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन करने का प्रस्ताव किया गया।

1.3.2 1858 के अधिनियम की मुख्य धाराएँ (Main Sections of the Act of 1858)

1858 के अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं—

1. **भारत से कंपनी के शासन का अंत**— इस अधिनियम द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तथा भारतीय प्रशासन संबंधी सभी अधिकार पूर्णतः ब्रिटिश ताज को सौंप दिये गये। कंपनी की सेना को इंग्लैन्ड के प्रशासन के अधीन कर दिया गया तथा इस बार ये स्पष्ट घोषणा की गई की अब भारत का प्रशासन साम्राज्ञी के नाम से किया जायेगा।
2. **भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी**— ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी 'गवर्नर जनरल' होता था, उसका पदनाम अब 'गवर्नर जनरल तथा वायसराय' कर दिया गया, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा की जानी थी। प्रांतीय गवर्नरों को गवर्नर—जनरल नियुक्त कर सकता था, किंतु इसके लिये ब्रिटिश ताज की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया।

3. **भारत सचिव**— कंपनी के शासन के अंत के साथ ही निदेशक मंडल एवं नियंत्रण बोर्ड की दोहरी शासन व्यवस्था का अंत हो गया। इनके समस्त अधिकार इंग्लैन्ड के प्रमुख राज्य मंत्री को सौंप दिये गये। इस राज्यमंत्री को भारत सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया) कहा गया, जिनका वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से देय थे। भारत सचिव का कार्यालय लंदन में स्थित था।
4. **भारत परिषद की स्थापना**— भारत सचिव की सहायता के लिये इंग्लैन्ड में एक भारत परिषद की स्थापना की गयी, जिसमे 15 सदस्यों की व्यवस्था थी, इनमें से सात का निर्वाचन पहली बार निदेशकों की साम्राज्ञी द्वारा होना था। परिषद में आधे से अधिक ऐसे सदस्यों का होना आवश्यक था जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक भारत में काम किया है। परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होना अनिवार्य था। भारत सचिव परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता था और उसे निर्णायक मत देने का अधिकार था। भारत सचिव भारत के गवर्नर जनरल से पत्र व्यवहार करता था।
5. **ब्रिटिश संसद का भारत सचिव पर नियंत्रण**— ब्रिटिश संसद भारत सचिव पर नियंत्रण रखती थी। भारत सचिव भारत से प्राप्त राजस्व का वार्षिक लेखा संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारत कि प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन उसे ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करना पड़ता था।
6. **भारत सचिव और परिषद को सिविल सेवा परीक्षा के नियम बनाने का अधिकार**— भारत सचिव और उनकी परिषद को भारतीय सेवा में भर्ती और नियुक्तियों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार दिया गया। सिविल सेवा की नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इन्हीं नियमों के अंतर्गत की जानी थी।
7. **युद्ध के लिए ब्रिटिश संसद से अनुमति**— किसी भी युद्ध के लिये (भारत की सीमा से बाहर) इंग्लैन्ड की संसद से अनुमति लेना आवश्यक था। भारत में भी कोई युद्ध होने पर भारत सचिव का यह दायित्व था कि वह इसकी सूचना तत्काल ब्रिटिश संसद को प्रेषित करें।
8. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वीकार की गई सभी संधियाँ ब्रिटिश क्राउन को मान्य होगी।

1.3.3 1858 के अधिनियम का महत्व (Importance of the Act of 1858)

यद्यपि इस अधिनियम से भारत के प्रशासन में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुए थे, किंतु फिर भी इस अधिनियम के द्वारा सुधारों एवं परिवर्तनों की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिनकी अंततः परिणति 1947 ई. के स्वतंत्रता अधिनियम के रुप में हुई। इस अधिनियम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव हुए—

(i) इससे भारतीय इतिहास में नयी अवधि का सूत्रपात हुआ। कंपनी की सत्ता समाप्त होकर भारतीय सत्ता ताज के हाथ में आ गई। भारत के संवैधानिक इतिहास में नये युग का आरंभ हुआ।

(ii) भारत में दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की समाप्ति हुई।

(iii) भारतीय विषय ब्रिटिश संसद में बहस के स्पष्ट मुद्दे बन गये।

(iv) भारत सचिव व उसकी परिषद की स्थापना किये जाने से भारतीय प्रशासन की सुचारुता में वृद्धि हुई क्योंकी इनको भारत की विस्तृत जानकारी रहती थी।

(v) भारतीय रियासतों व ब्रिटिश सरकार के संबंधों में मधुरता आई क्योंकि अब उन्हें अपने राज्य छिनने का भय न रहा।

(vi) ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचारी शासन समाप्त होने से इस आशा का संचार हुआ कि अब उनकी स्थिति सुधरेगी। भारत सरकार अधिनियम 1858 में धार्मिक सहनशीलता का सिध्दांत रखा गया।

इस प्रकार 1858 ई. के अधिनियम से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। इस संदर्भ में **कूपलैन्ड** ने लिखा है ''परिवर्तन से अत्याधिक महत्वपूर्ण विचार यह है कि, इसने आंग्ल–भारतीयों के इतिहास के एक अध्याय को बंद कर दिया और एक नवीन अध्याय की शुरुआत की''।

1.4 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम (Indian Council Act of 1861)

1.4.1 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Council Act, 1861)

परिचय (Introduction)

1858 ई. के भारत शासन अधिनियम एवं इसी वर्ष ब्रिटेन की महारानी की उद्घोषणा के पश्चात कंपनी सरकार का कार्य ब्रिटिश क्राउन के हाथो में हस्तान्तरित कर दिया गया, परंतु इससे भारतीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विदेशी निरंकुश सत्ता का चरित्र जैसा 1858 के पूर्व था, वैसा ही बना रहा।

1.4.2 1861 का अधिनियम पारित किये जाने के कारण (Reasons of Passing the Act of 1861)

1. 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केवल इंग्लैन्ड से होने वाले निर्देशन व आदेशों में ही परिवर्तन हुआ। इसका भारतीय प्रशासनिक प्रणाली पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, अतः भारतीय असंतुष्ट थे तथा सुधार करना चाहते थे।
2. कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तान्तरित हो जाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया जाना नितांत आवश्यक था।

चित्र क्र. 1.3: सर चार्ल्स वुड

3. प्रांतीय सरकारों के बढ़ते हुए रोष एवं असंतोष को दूर करने के लिये नये अधिनियम की आवश्यकता थी।
4. विधायी शक्तियों का विकेंन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक था जिससे कि प्रेसीडेंसी सरकार कानून बना सके।

उपर्युक्त परिस्थितियों मे लॉर्ड केनिंग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुरुप तत्कालीन भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 6 जून, 1861 ई. में ब्रिटेन की संसद के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया। दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात 1 अगस्त, 1861 ई. में विधेयक को सम्राट ने स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के नाम से जाना गया।

1.4.3 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 की मुख्य धाराएँ (Main Sections of The Indian Council Act, 1861)

1861 ई. के अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थी–

(i) वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर पाँच कर दी गयी। पाँचवा सदस्य विधि विशेषज्ञ होना अनिवार्य था।

(ii) कानून बनाने के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी। इस कौंसिल में अब कम से कम 6 व अधिक से अधिक 12 सदस्य बढ़ाये जा सकते थे। इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था तथा ये सदस्य वायसराय द्वारा नियुक्त किये जाते थे जिनमें भारतीय सदस्य भी हो सकते थे।

(iii) भारत मंत्री कमाण्डर इन चीफ को इस लेजिस्लेटिव कौंसिल का विशेष सदस्य नियुक्त कर सकते थे।

(iv) प्रत्येक प्रांत के गवर्नर को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह अपनी परिषद में कम से कम चार व अधिक से अधिक आठ सदस्यों को नियुक्त कर सकता है परिषद मुख्यतः प्रांत के लिए नियम बना सकती थी, किंतु अंतिम स्वीकृति वायसराय की होती थी।

(iv) वायसराय किसी भी प्रांत का विभाजन कर सकता था। उसकी सीमाएँ घटा एवं बढ़ा सकता था।

(v) लेजिस्लेटिव कौंसिल का कार्य केवल कानून बनाना था, वह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। गवर्नर जनरल कौंसिल के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था तथा उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।

1.4.4 भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का महत्व (Importance of Indian Council Act, 1861)

1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम कुछ दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि इसने भारतीयों को भी संवैधानिक कार्यों में भागीदार बनाया। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रणाली के लागू किये जाने से इसने प्रशासनिक क्षमता को भी बढ़ाया। इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों को भी अपने प्रांत से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इन्हीं कारणोंवश अनेक विद्वानों ने इस अधिनियम की प्रशंसा की है। एम.वी. पायली के अनुसार यह अधिनियम दो दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसने विधायी कार्यों में भारतीयों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया तथा द्वितीय विधायी शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया। इसके परिणामस्वरुप बाद में प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त करने में सफलता मिली।

1.5 लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन (Internal Administration of Lord Lyton and Lord Ripon)

1.5.1 लॉर्ड लिटन (Lord Lyton)

1874 ई. में ब्रिटेन में डिजरैली प्रधानमंत्री बना। उसने 1876 ई. में लॉर्ड लिटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। वह एक महान कूटनीतिज्ञ तथा विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबन्ध लेखक था।

भारत के आंतरिक प्रशासन में लॉर्ड लिटन के महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित थे–

1. **मुक्त व्यापार की व्यवस्था–** लॉर्ड लिटन ने मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। मुक्त व्यापार इंग्लैन्ड के उद्योगों के लिये बड़ा लाभकारी था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी तथा उसके बने हुए माल को अच्छा बाजार प्राप्त होता था। इस कारण भारत में स्वतंत्र

व्यापार की नीति को अपनाना ब्रिटेन के उद्योगो और व्यापार के हित में था। उसने 29 वस्तुओं पर से आयात कर हटा दिया। उसने सूती वस्त्रों पर 5 प्रतिशत का कर हटा दिया। परिणाम स्वरुप समुद्री व्यापार में वृद्धी हुई। उसके आर्थिक सुधारों में वित्त सदस्य सर जान स्ट्रेची ने बहुत सहायता की थी।

चित्र क्र. 1.4: लॉर्ड लिटन

2. **वित्तीय सुधार**— लॉर्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को, भूमिकर, आबकारी, कानून और व्यवस्था तथा साधारण प्रशासन आदि पर व्यय करने का अधिकार दे दिया। देशी रियासतों को नमक बनाने के अपने अधिकारों को छोड़ने को कहा गया। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। सारे देश में नमक कर की दरें एक जैसी कर दी गयी! उसने 'सदर्न इंडिया एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट' पारित किया। लॉर्ड लिटन ने प्रांतों को कुछ विभाग तथा आय के कुछ साधन प्रदान करके आर्थिक विकेन्द्रीयकरण के लिये एक कदम आगे बढ़ाया।
3. **राज उपाधि अधिनियम, 1876 ई.**— ब्रिटिश संसद ने 1876 ई. में 'राज उपाधि अधिनियम' पारित कर महारानी विक्टोरिया को ''कैसर—ए—हिन्द'' की उपाधि दी। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 ई. में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। जिसमें राजाओ तथा जनता के सम्मुख इस उपाधि की घोषणा की गयी। यह दरबार उस समय किया गया जब देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी ओर झूठ आडम्बर तथा वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा था। लिटन के इस कदम की आलोचना की गयी। कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने इस मिथ्या प्रदर्शन और आडम्बर पर लिखा था ''जब रोम जल रहा था, नीरु सारंगी (वंशी) बजा रहा था।''

4. **1876 से 1878 ई. के अकाल के समय नीति**— लॉर्ड लिटन के समय 1876 से 1778 ई. के दो वर्षो में मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्यभारत के कुछ भागों में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 5 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत से गांव उजड़ गये और भूमि के बहुत बड़े भाग में खेती नही हुई। रमेशचन्द्र दत्त का कहना है लगभग 50 लाख लोग एक वर्ष में मर गये। सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता में शिथिलता बरती 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया। जिसने अकाल से बचाव के लिये कुछ सिफारिश की। सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने के लिए आय के अन्य स्त्रोतों का पता लगाने का प्रयत्न किया। सरकार ने राहत कार्य शुरु किये परंतु अकाल पीड़ितों को इससे अधिक लाभ नही पहुंचा। इतना अवश्य था कि अकाल आयोग की सिफारिशें आने वाले समय में अकाल प्रशासन का आधार बनी।
5. **भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 ई.**— 1878 के शस्त्र अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिये बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया। इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने पर तीन वर्ष का कारावास का दंड अथवा जुर्माना या दोनों दंड दिये जा सकते थे। यह भेदभावपूर्ण था क्योंकि यूरोपीय, एंग्लो— इंडियन तथा सरकार के कुछ विशेषाधिकारी इस अधिनियम की परिधि से मुक्त थे।
6. **वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना**— 1878 ई. लॉर्ड लिटन ने 'वैधानिक नागरिक सेवा' की स्थापना की। इस कार्य के लिये उनकी कटु आलोचना की गई। इस नियम के अंतर्गत निश्चित किया गया कि भारतीय नागरिक सेवा 1/6 भाग उन लोगों को दिये जाऐंगें जिनका जन्म भारत में हुआ हो और नियुक्ति प्रांतीय सरकार की सिफारिश पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद भारत सचिव की स्वीकृति से करेगी। परीक्षा देने के लिये परीक्षार्थियों को लंदन जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1877—88 ई. में सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिये अनेक स्थानों पर जोरदार आंदोलन हुआ। सुरेंन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा कि, यह भारतीयों के अवसरों को समाप्त करने का एक प्रयत्न था।
7. **भारतीय भाषा समाचार—पत्र अधिनियम 1878 (वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट)**— लॉर्ड लिटन ने 14 मार्च, 1878 ई. में भारतीय भाषा के समाचार पत्रो पर अंकुश लगाने के लिये 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' लागू किया। उन दिनो समाचार पत्र ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना कर रहे थे। इनकी 'विद्रोह भावना' पर अंकुश लगाने के लिये इस एक्ट को लिटन ने अचानक प्रस्तुत किया और पारित करवाया। इस कानून में यह प्रावधान था कि सरकार यदि यह समझती है कि कोई समाचार पत्र राजद्रोहात्मक सामग्री का मुद्रण कर रहा है या उसने सरकारी चेतावनी का उल्लंघन किया है तो सरकार उस समाचार पत्र, उसके प्रेस एवं अन्य सामग्री को जब्त कर सकती है। मजिस्ट्रेट मुद्रक तथा प्रकाशक को बंध—पत्र लिखने तथा

जमानत जमा करने की आज्ञा दे सकता था और सरकार के प्रति विद्रोह की भावना का प्रकाशन होने पर उसकी जमानत जब्त की जा सकती थी।

भारतीयों ने इस अधिनियम की निंदा की। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसे ''आकाश से व्रजपात' की संज्ञा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषायी समाचार पत्रो में आलोचना बंद हो गयी परंतू अंग्रेजी समाचार पत्रों में आलोचना होने लगी। यह भारतीयों के अवसरों को समाप्त करने का एक प्रयत्न था।''

मूल्यांकन (Evaluation)

लिटन की आलोचना भारतीयों के अतिरिक्त इंग्लैन्ड के उदारवादी राजनीतिज्ञों ने भी की है। उसकी आकाल–नीति, महारानी विक्टोरिया को उपाधि प्रदान करने के लिये दिल्ली में दरबार का आयोजन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम आदि के कारण वो भारतीय जनता में लोकप्रिय नहीं हो सका। उसकी प्रतिक्रियावादी शासन नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। **बुफरक** का मत है कि, ''लिटन की दमनकारी नीति के कारण ही भारतीय समाज में एक नयी जागरूकता आयी''।

1.5.2 लॉर्ड रिपन (1880–1884 ई.) का आंतरिक प्रशासन (Internal Administration of Lord Ripon (1880-1884 AD)

लॉर्ड लिटन के पश्चात लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त हुआ। 1880 से 1884 ई. तक वह भारत का सचिव रहा था और भारतीय मामलों से पूर्णतः परिचित था।

लॉर्ड रिपन के कार्यभार ग्रहण के समय भारतीय जनता लिटन की दमनकारी एवं प्रतिगामी नीतियों से आहत थी और विद्रोह की स्थिति निर्मित हो गई थी।

चित्र क्र. 1.5: लॉर्ड रिपन

लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के घावों को भरने का प्रयत्न किया। वह प्रथम वायसराय था जिसने भारतीयों तथा अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं समझा तथा भारतीयों को अंग्रेजों के समान ही अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उसे भारतीयों से सहानुभूति थी तथा वह यथार्थ में उनका कल्याण चाहता था। इसी कारण वह भारत में अत्यंत लोकप्रिय हो गया।

1.5.3 लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार (Major Reforms of Lord Ripon)

लॉर्ड रिपन भारतीयों का सच्चा हितैशी, शुभचिंतक एवं सुधारवादी वायसराय था। उन्होंने अनेक ऐसे सुधार किये जिससे भारतीय जनता का बड़ा कल्याण हुआ–

1. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना– लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अत्याधिक दमनकारी एवं कुटिलता पर आधारित था। इससे भारतीय अत्यंत आहत थे। 1882 ई. में लॉर्ड रिपन ने इस घोषित अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता प्रदान की। परिणाम स्वरुप वह भारतीयों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया।

2. स्थानीय स्वशासन– लॉर्ड रिपन भारत के लोगों को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने 1881 ई. में स्थानीय स्वायत शासन संबंधी एक प्रस्ताव पास कराया। प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया कि वे अपनी आय का एक निश्चित भाग स्थानीय बोर्डों को हस्तांतरित करें। उसने बोर्डों को आदेश दिया कि वे इस धन की सहायता से स्थानीय समस्याओं को स्वयं हल करें। स्थानीय बोर्डों को वे विषय ही हस्तांतरित किये जाने थे जिन्हें वे समझ सकें और सुचारु रूप से उचित कार्यवाही कर सके। 1882 में लॉर्ड रिपन ने अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया और यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा का आरंभ करने के लिये यह आवश्यक है।

रिपन का मानना था कि यदि स्थानीय संस्था में सार्वजनिक रुचि के लोग भाग लेंगे और उन्हें सरकारी अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलेंगा तो स्थानीय संस्थाएँ सफल होंगी।

रिपन ने प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया के वे जिलों में स्थानीय बोर्डों को गठित करें। जिले के उपविभागों में स्थानीय बोर्ड बनाने की आज्ञा दी गयी। नगरों में नगरपालिकाएँ स्थापित की गयीं। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रखी गयी। सरकार का हस्तक्षेप कम किया गया और उसका काम मार्ग निर्देशन का हो गया। इन बोर्डों के अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। कुछ कार्यों के लिये सरकारी अनुमति आवश्यक होती थी, जैसे– ऋण लेना, निश्चित राशि से अधिक व्यय करने वाले कार्य, अधिकृत मदों से भिन्न पर कर लगाना, नगरपालिका की संपत्ति को बेचना आदि। सरकारी अधिकारियों का काम स्थानीय संस्थाओं का निरीक्षण करना था। सरकार स्थानीय बोर्डों की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार रखती थी।

टिप्पणी

रिपन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुपालन में 1883 से 1885 के मध्य अनेक स्थानों पर स्वशासन अधिनियम पारित किये गये। इस लिये लॉर्ड रिपन को ''स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता'' कहा जाता है।

3. शिक्षा में सुधार, हण्टर आयोग– लॉर्ड रिपन को भली–भाँति ज्ञात था कि बड़ी संख्या में शिक्षित होने पर ही भारतीयों का उत्थान हो सकता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करने के उद्देश्य से ही उसने 1882 ई. में सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। 1883 में हण्टर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की–

(i) नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों को प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिये। संस्थाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहना चाहिए।

(ii) माध्यमिक शिक्षा के लिये दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये। एक तो साधारण साहित्यक शिक्षा की पद्धती तथा दूसरी व्यवहारिक शिक्षा, जिसमें विद्यार्थियों को वाणिज्यिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाये। सभी माध्यमिक स्कूलों को यथासंभव निजी प्रबंध में सौंपा जाना चाहिये।

(iii) आयोग ने बड़े महाविद्यालयों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया।

(iv) उच्च शिक्षा का कार्य यथासंभव प्राइवेट संस्थाओं को दे देना चाहिये तथा सरकार उन्हें अनुदान दे।

(v) प्रांतीय आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। सरकार ने हण्टर आयोग की अनेक सिफारश को स्वीकार कर लिया फलस्वरुप विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में असाधारण वृद्धी हो गयी। पंजाब में 1882 ई. में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

4. आर्थिक सुधार– लॉर्ड रिपन ने समस्त राजस्व को 'इम्पीरियल, प्रांतीय तथा विभाजित, तीन वर्गो में विभाजित कर दिया। इम्पीरियल भाग पर केन्द्र का अधिकार था जबकि प्रांतीय भाग पर प्रांतों का अधिकार तथा विभाजित भाग का केन्द्र तथा प्रांतों के बीच विभाजन हो जाता था। प्रांतीय सरकार के घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने उन्हें भू–राजस्व का कुछ भाग देना भी स्वीकार कर लिया। आरंभ में यह व्यवस्था 5 वर्ष के लिये की गयी थी परंतु आगे इसकी अवधि में निरंतर वृद्धि की गयी। रिपन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का और भी विकास किया। अनेक वस्तुओं से 8 प्रतिशत कर समाप्त कर दिया गया। केवल राजनीतिक कारणों से शराब, शस्त्रों एवं बारुद आदि वस्तुओं पर ही यह कर रहने दिया गया। नमक कर में भी कमी की गयी थी।

5. नागरिक सेवाओं में सुधार– लॉर्ड रिपन नागरिक सेवा नियमों में सुधार करना चाहता था। लॉर्ड लिटन ने इसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 19 वर्ष निश्चित की थी। लॉर्ड रिपन ने इंग्लैन्ड के उच्च अधिकारियों से परामर्श किया और परीक्षार्थियों की आयु में वृद्धि कराने में सफलता प्राप्त कर ली थी।

6. जनगणना– रिपन के पूर्व किसी भी वाइसराय ने जनगणना का कार्य नहीं कराया था। रिपन ने भारतीय जनसंख्या, व्यवसाय आदि के बारे में

सूचनाएँ एकत्र कराने के लिये जनगणना कराना आवश्यक समझा। 1881 ई. में प्रथम बार भारत में जनगणना करायी गयी।

7. फैक्टरी एक्ट– लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ई. में प्रथम फैक्टरी एक्ट पारित किया गया, इसके अंतर्गत सात से बारह वर्ष तक की आयु के बच्चों के काम करने के घण्टे निश्चित कर दिये गये तथा अब उनसे अधिक से अधिक नौ घंटे काम लिया जा सकता था। इस अधिनियम को लागू करवाने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति भी की गयी।

8. इल्बर्ट–बिल विवाद– सर सी.पी. इल्बर्ट वायसराय रिपन की विधि परिषद का सदस्य था। उस समय भारत में फौजदारी दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी भारतीय न्यायधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से इल्बर्ट की सहायता के लिये बिल पारित कराने का प्रयास किया अतः 2 फरवरी 1883 ई. को एक बिल प्रस्तुत किया गया। बिल के द्वारा भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों को शक्तियाँ समान करने का प्रयास किया गया था। यूरोपीय लोगों ने इस बिल का घोर विरोध किया, क्योंकि वे इसे अपने विशेषाधिकारों पर कठोराघात मानते थे।

यूरोपीय समुदाय ने अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये एक संघ बनाया। बिल का विरोध इतना जबरदस्त था कि रिपन को झुकना पड़ा और बिल में परिवर्तन करना पड़ा। 26 जनवरी 1884 ई. को नया विधेयक पारित किया गया, इस बिल के द्वारा भारतीयों में एक राजनीतिक चेतना का संचार हुआ।

मूल्यांकन

लॉर्ड रिपन सबसे अधिक लोकप्रिय वायसराय था। **पं. मदन मोहन मालवीय** ने लिखा है, ''रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान और प्रिय था।'' **फ्लोरेंस नाइटिंगेल** ने रिपन को ''भारत के स्वर्णयुग का आरंभ कहा, एक इतिहासकार ने लिखा है किसी वायसराय ने लाखों व्यक्तियों के कल्याण के लिये इतनी तत्परता तथा निरंतरता के साथ कार्य नहीं किया, जितना लॉर्ड रिपन ने किया। उसकी लोकप्रियता के कारण ही 1884 में जब उसने त्यागपत्र दे दिया, भारतीय जनता ने उसके प्रति अत्यंत सौहार्दपूर्ण प्रदर्शन किया तथा अभिनंदन पत्रों से उसे लाद दिया।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया?

(अ) 1875 ई. (ब) 1876 ई.

(स) 1877 ई (द) 1878 ई.

4. दिल्ली में वैभवशाली दरबार का आयोजन कब किया गया?

   (अ) 1 जनवरी 1876 (ब) 1 जनवरी 1877

   (स) 1 जनवरी 1878 (द) 1 जनवरी 1879

5. महारानी विक्टोरिया को कैसर–ए–हिंद की उपाधि किस एक्ट द्वारा दी गयी?

   (अ) भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम

   (ब) राज उपाधि अधिनियम 1876

   (स) भारतीय शस्त्र अधिनियम

   (द) वैधानिक सिविल सर्विस योजना

6. लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया?

   (अ) 1880 ई. (ब) 1881 ई.

   (स) 1882 ई. (द) 1883 ई.

7. ''स्थानीय स्वशासन राजनीतिक तथा सार्वजनिक शिक्षा का साधन था'' यह कथन किसका था?

   (अ) लॉर्ड लिटन (ब) लॉर्ड कर्जन

   (स) लॉर्ड रिपन (द) लॉर्ड डलहौजी

8. सी. पी. इल्बर्ट कौन थे?

   (अ) कलकत्ता के गवर्नर

   (ब) कलकत्ता के दण्डनायक

   (स) वायसराय की परिषद के विधि सदस्य

   (द) भारत सचिव

1.6 राजनैतिक संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Political Organization and Indian National Congress)

1.6.1 भूमिका (Introduction)

सर जॉन सीले का विचार था कि भारतवर्ष एक 'भौगोलिक इकाई' मात्र है। भाषा, धर्म और जाति के आधार पर यह देश अनेक भागं में विभाजित था और भारतीय

जनता में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत दुर्बल थी। 1837 से 1857 ई. के मध्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिये निरंतर विद्रोह होते रहे और भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता रहा। 1885 ई. के आते–आते भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत प्रबल हो गयी।

1857 की क्रांति के पश्चात् भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो अवश्य हुआ लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी, जब तक इसका नेतृत्व और संचालन करने के लिये एक संस्था मूर्त रूप में भारतीयों के बीच नहीं स्थापित होती। सौभाग्य से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रूप में ऐसी संस्था मिली।

1.6.2 राजनैतिक संगठन एवं उनके कार्य (Political Organizations and their Work)

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 1885 ई. में हुई थी; किंतु उससे पूर्व भी भारत के अनेक भागों में विभिन्न संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। भारत में एक ऐसी संस्था की कमी का अनुभव सभी भारतीय करने लगे जो उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके तथा भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएँ सशक्त बना सके। अतः धीरे धीरे अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ जिनका वर्णन इस प्रकार है–

1. **बंग भाषा प्रकाशिका सभा**– 1836 में स्थापित यह संगठन, सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती थी। यह बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था।
2. **लैन्ड होल्डर्स सोसायटी**– (जमींदारी सभा) 1838 मे स्थापित हुई। इसने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिये संवैधानिक आंदोलन की शुरुआत की थी।
3. **बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी**– 1842 में एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी द्वारकानाथ ने इंग्लैन्ड से जार्ज टामसन को भारत में राजनीतिक संगठन स्थापित करने के लिये बुलाया। इनके प्रयत्नों के परिणामस्वरुप 1843 ई. में बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसायटी की स्थापना हुई। इसके सचिव प्यारी चन्द्र मित्र थे।
4. **पूना सार्वजनिक सभा**– महादेव गोविन्द रानाडे ने इसकी स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में की थी। पूना सार्वजनिक सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिये बनाई गई थी।
5. **मद्रास नेटिव एसोसिएशन**– 1853 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था ने मद्रास प्रांत के निवासियों की समस्याओं की और इंग्लैन्ड की संसद का ध्यान आकर्षित किया। सी. वार्ड मुदलियार इसके अध्यक्ष और वी. रामानुजाचारी इसके सचिव थे।
6. **इण्डिया लीग**– 1875 में बंगाल में इंडिया–लीग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक चेतना जाग्रत करना तथा राष्ट्रवादी भावनाओं का व्यापक प्रचार करना था।

7. **इण्डियन एसोसिएशन**– सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 में कलकत्ता में ही 'इण्डिया लीग' के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की।
8. **महाजन सभा**– महाजन सभा की स्थापना 1884 में 'हिंदु' समाचार पत्र के संस्थापकों द्वारा मद्रास में भी की गई।
9. **बाम्बे प्रेसीडेन्सी ऐसोसिएशन**– 1885 में फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व के.टी. तैलंग ने 'बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन' की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य सरकार तक जनता के विचारों को पहुँचाना तथा राजनीतिक अधिकारों के लिये संघर्ष करना था।

ये सभी संस्थाएँ या तो क्षेत्रीय थीं अथवा प्रांतीय। शीघ्र ही भारतीयों को यह अनुभव होने लगा कि अपनी मांगें की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का होना आवश्यक है। अतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई।

1.6.3 काँग्रेस की स्थापना (Establishment of Congress)

बंगाल, मद्रास तथा बंबई में विभिन्न एसोसिएशनों की स्थापना से अंग्रेज अधिकारी अत्यंत चिन्तित थे। देश के विभिन्न प्रांतों और अनेक नगरों में राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, परंतु फिर भी एक अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना एक सेवानिवत्त ब्रिटिश अधिकारी ऐलेन ऑक्टवियन ह्यूम ने 1885 में की, इसलिये ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय काँगेस का जन्मदाता कहा जाता है। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व मार्च 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पत्र में देश के शिक्षित नवयुवकों को मातृभूमि की उन्नति के लिये आगे आने की अपील की, जिससे राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके। 1885 के प्रारंभिक दिनों में ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष सारी बातों पर विचार–विमर्श किया। इसके पश्चात शिमला में ''इंडियन नेशनल यूनियन'' की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मलेन पूना में होना निश्चित था, परंतु वहाँ हैजा हो जाने के कारण यह सम्मेलन 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से आये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के कुछ दिन पूर्व ह्यूम के सुझाव पर इसका नाम' ''इंडियन नेशनल काँग्रेस'' कर दिया गया। काँग्रेस के प्रथम सम्मेलन के सभापति व्योमेश चन्द्र बनर्जी थे।

काँग्रेस की स्थापना के कारण (Reasons for Establishment of Congress)

ह्यूम ने काँग्रेस की स्थापना क्यों की? इस प्रश्न पर मतभेद है। कुछ लोग काँग्रेस को ब्रिटिश राज के सुरक्षा कपाट (Safety Valve) के रुप में देखते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोगो की भी कमी नहीं है जो इसे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु स्थापित एक गौरवशाली संस्था मानते हैं।

1. सुरक्षा कपाट की धारणा— इसके अनुसार लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने काँग्रेस की स्थापना इसलिये की थी ताकि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता में उपज रहे असंतोष का पता लगाकर उसे समाप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

लाला लाजपतराय ने इस मत के समर्थन में 'यंग इंडिया' में लिखा था— ''भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको छिन्न—भिन्न होने से बचाना चाहते थें।

2. राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक— अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि 1885 ई. के पूर्व के कुछ वर्षों में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर जागरुक हो गयी थी। बिपिन चन्द्र के अनुसार 1885 आते—आते एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म आवश्यक हो गया।

आधुनिक शोधकार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि ए.ओ. ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे। उनका विचार था कि भारतीयों की निर्धनता व कष्ट सभी दूर हो सकते हैं जबकी वे राजनीतिक रुप से संगठित हों तथा कोई ऐसी संस्था हो जो सरकार तक जनसाधारण की समस्याओं को पहुंचा सके। जकारिया के अनुसार ''लोकतंत्रवादी भारतीय एवं अंग्रेज समर्थकों के संयुक्त प्रयत्नों से इस महान राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ। इस कार्य में उन्हें प्रेरणा संकीर्ण भावों से नहीं वरन सत्य और न्याय के विचारों के प्रति सच्ची लगन और शक्ति से मिली।''

काँग्रेस के उद्देश्य, व्योमेश चन्द्र बनर्जी के अनुसार इस प्रकार थे—

(i) राष्ट्रवादियों में परस्पर सौहार्द बढ़ाना।

(ii) पारस्परिक वैमनस्य समाप्त कर, एकता को बढ़ावा देना।

(iii) महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न करना, आदि।

अतः स्पष्ट है कि अपने स्थापना के समय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य सामाजिक थे न कि राजनीतिक, कुछ समय बाद ही काँग्रेस के उद्देश्य राजनीतिक हुए थे। काँग्रेस की स्थापना के बड़े दूरगामी परिणाम हुए व भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रो. मजूमदार ने लिखा है ''यह वह धुरी थी जिसके चारों ओर स्वतंत्रता की महान गाथा की विविध घटनाएँ घटित हुई''।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

9. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का संस्थापक निम्न में से कौन था?

(अ) व्योमेश चन्द्र बनर्जी (ब) ए.ओ. ह्यूम

(स) बाल गंगाधर तिलक (द) दादाभाई नौरोजी

टिप्पणी

10. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना कब की गयी?

(अ) 1884	(ब) 1885
(स) 1886	(द) 1887

11. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?

(अ) ए.ओ. ह्यूम	(ब) दादाभाई नौरोजी
(स) व्योमेश चन्द्र बनर्जी	(द) काशीनाथ तैलंग

1.7 1892 का भारतीय कौंसिल अधिनियम (Indian Council Act of 1892)

1.7.1 भूमिका (Introduction)

भारतीयों में आक्रोश की भावनाओं को दबाने के लिये अंग्रेजी सरकार ने 1861 ई. का अधिनियम पारित किया किंतू वह भी भारतीयों की आशाओं पर खरा न उतर सका, अतः ब्रिटिश शासन ने 1892 ई. मे एक अधिनियम पारित किया

इस अधिनियम को पारित करने के निम्नलिखीत कारण थे–

1. **1861 ई. का अधिनियम**– 1861 के अधिनियम से भारतीयों की बहुत अपेक्षाएँ थी। भारतीयों को जो इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था वे इससे संतुष्ट नहीं थे। भारतीयों में पुनः सुधारों की मांग प्रबल हो रही थी।
2. **राष्ट्रीयता की भावना प्रबल**– 1870 के पश्चात धार्मिक आंदोलनों, पश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, आर्थिक शोषण तथा अंग्रेजों की निरंकुश नीतियों के परिणामस्वरुप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना अत्यंत प्रबल हो गयी थी। अतः भारत में फिर से एक बार विद्रोह उत्पन्न न हो जाये इस भय से अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिये इस अधिनियम को पारित किया।
3. **भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना**– 1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई जिसने भारतीयों कों संघर्ष करने के लिये एक आधार प्रदान किया। काँग्रेस ने सरकार के समक्ष–कुछ प्रमुख मांगें रखीं वे निम्नलिखित थी–

   (अ) वायसराय की कार्यपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये।

   (ब) सभी प्रांतों में इसी प्रकार की परिषदों की स्थापना की जाये।

   (स) बजट पर बहस करने का अधिकार इन कौंसिलों को दिया जाये।

   (द) कौंसिलों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाये।

इस प्रकार काँग्रेस ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना प्रारंभ किया। जी.एन. सिंह ने लिखा है ''1892 ई. का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कार्यों का प्रथम परिणाम था''।

1.7.2 1892 के अधिनियम के प्रमुख उपबंध (Main Provisions of the act of 1892)

1. **केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धी–** इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केन्द्रीय विधान मंडल में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई।
2. **परिषदों की शक्तियों में वृद्धि–** इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गयी कुछ प्रतिबंधों के साथ परिषदों को वार्षिक वित्तीय बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया।
3. **विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित में प्रश्न पूछने का अधिकार–** विधान परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नरों द्वारा समय–समय पर निर्मित नियमों तथा प्रतिबंधों के अधीन सार्वजनिक हित में प्रश्न पूछ सकते थे।
4. **अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धती लागू होना–** अधिनियम के द्वारा परिषदों में चुनाव प्रणाली को सावधानी से लागू किया गया। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अनुशंसित व्यक्तियों की सूची में से मनोनीत किया जाना था। केन्द्रीय विधानपरिषद के 10 गैर सरकारी सदस्यों में से पाँच अतिरिक्त सदस्यों को मद्रास, बंबई, बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत मे से चुनकर अनुशंसित किया जाना था।

महत्व एवं मूल्यांकन (Importance and Evaluation)

1892 ई. का भारतीय कौन्सिल अधिनियम एक प्रगतिशील कदम था। अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू करके भारतीयों में व्याप्त असंतोष को दूर करने का प्रयास किया गया। केन्द्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या नगण्य थी, परंतु सरकार को उनकी भावनाओं और विचारों पर ध्यान देना आवश्यक हो गया।

इस अधिनियम में बहुत दोष थे। यह अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका। विधान परिषदों की शक्तियाँ सीमित थी, परिषदों में सीटों का विभाजन न्यायपूर्ण नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अपना असंतोष प्रकट किया।

उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। यह अधिनियम काँग्रेस के उदारवादियों की पहली विजय थी।

1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (अ)	5. (अ)	9. (ब)
2. (ब)	6. (अ)	10. (ब)
3. (ब)	7. (स)	11. (स)
4. (ब)	8. (स)	

1.9 सारांश (Summary)

सन 1858 ई. आधुनिक भारतीय इतिहास का एक परिवर्तन बिंदु था। 1858 ई. के एक्ट द्वारा भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। सन 1858 ई. में महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक कलापों में हस्तक्षेप कम कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के पारित होने के बाद 1876 में लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। लॉर्ड लिटन के आंतरिक प्रशासन ने भारतीयों में असंतोष को उत्पन्न कर दिया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के लिए अनेक कल्याणकारी सुधार कार्य किये। 1885 में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने 1892 में भारतीय कौंसिल अधिनियम पारित किया। इस 1892 के अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य भारतीयों को संतुष्ट करना था।

1.10 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **ब्रिटिश क्राउनः** ब्रिटिश सरकार के अधीन
- **एक्टः** अधिनियम
- **नागरिक सेवाः** भारतीय सिविल सेवा परीक्षा
- **सुरक्षा कपाटः** सेफ्टी वाल्व

1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Question and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)

1. महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
2. 1858 का अधिनियम क्यों लागू किया गया?
3. 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लागू किया गया?
4. 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिये।

5. 1861 के अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालिये।
6. लॉर्ड लिटन की अकाल नीति पर प्रकाश डालिये।
7. राज उपाधि अधिनियम 1876 से आप क्या समझते है?
8. भारतीय भाषा समाचार–पत्र अधिनियम 1876 पर प्रकाश डालिये।
9. रिपन द्वारा लागू स्थानी स्वशासन पर प्रकाश डालिये।
10. इल्बर्ट बिल विवाद से आप क्या समझते हैं।
11. लॉर्ड रिपन के कोई चार सुधार लिखिये।
12. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना संबंधी–सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का वर्णन कीजिये।
13. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना किसने और क्यों की?
14. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के दो कारण लिखिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)

1. महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्या थी? इसके प्रमुख प्रावधानों का परिचय दीजिये।
2. महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की समीक्षा कीजिये।
3. 1858 के अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वर्णन करते हुए उसके महत्व को समझाइये।
4. 1858 के अधिनियम पर प्रकाश डालिये।
5. 1858 की महारानी की घोषणा द्वारा भारत में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिये।
6. लॉर्ड लिटन के आंतरिक प्रशासन का वर्णन कीजिये।
7. लॉर्ड रिपन के आंतरिक प्रशासन का वर्णन कीजिये।
8. लॉर्ड रिपन के सुधारों की व्याख्या कीजिये।
9. लॉर्ड लिटन के सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
10. लॉर्ड रिपन के आंतरिक प्रशासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिये।
11. 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिये।
12. 1892 का अधिनियम पर एक निबंध लिखिये।
13. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे?
14. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम एवं लॉर्ड डफरिन की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये।
15. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना करिये।

1.12 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

टिप्पणी

1. Bipan Chandra “History of Modern India, 2016
2. डॉ. ए. के. चतुर्वेदी– एच. बी. पी. डी. पब्लिकेशन, आगरा
3. ग्रोवर बी.एल. मेहता अलका यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास–एक नवीन मूल्यांकन
4. डॉ. ए.के. मित्तल– भारत का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा
5. भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण 1947 से 1977 तक– डॉ मंजु मारिया सोलमन, होराइजन बुक, न्यू दिल्ली, 2017

टिप्पणी

इकाई 2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरमदल गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1909, कृषक तथा आदिवासी आंदोलन, होमरुल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन

संरचना (Structure)

2.0 परिचय
2.1 उद्देश्य
2.2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन
 2.2.1 भूमिका
 2.2.2 लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार
 2.2.3 बंगाल का विभाजन
2.3 स्वदेशी आंदोलन
 2.3.1 परिचय
 2.3.2 स्वदेशी आंदोलन के कारण
2.4 नरमदल, गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन
 2.4.1 उदारवादी (नरमदल)
 2.4.2 उदारवादियों के सिद्धांत तथा उद्देश्य
 2.4.3 उदारवादियों का महत्व तथा भारतीय राजनीति में उनका योगदान
 2.4.4 उग्रवादी (गरम दल)
 2.4.5 क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण
 2.4.6 क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण– 1920
2.5 भारत सरकार अधिनियम, 1909
 2.5.1 अधिनियम पारित होने के कारण
 2.5.2 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएँ
 2.5.3 1909 के अधिनियम का मूल्यांकन
2.6 कृषक तथा आदिवासी आंदोलन
 2.6.1 ब्रिटिश काल में जन–जातियों द्वारा किये गये प्रमुख आंदोलन
2.7 होमरुल आंदोलन
 2.7.1 होमरूल लीग की स्थापना
 2.7.2 होमरूल आंदोलन का उद्देश्य
2.8 लखनऊ समझौता
 2.8.1 लखनऊ समझौते के उपबंध
2.9 रौलेट एक्ट
2.10 जलियांवाला बाग हत्याकांड
 2.10.1 हण्टर कमेटी
 2.10.2 कॉंग्रेस कमेटी

2.11 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन
2.11.1 भारत शासन अधिनियम, 1919 के पारित होने के कारण
2.11.2 अधिनियम, 1919 की प्रमुख धाराएँ
2.12 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
2.13 सारांश
2.14 मुख्य शब्दावली
2.15 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
2.16 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय (Introduction)

लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसका जन्म 1859 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का स्वप्न भारत का वायसराय बनने का था। वह इसी पद के लिये जन्मा है ऐसा वह समझता था। इसलिए वह कई बार भारत भ्रमण के लिये आता था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासन, न्याय, शिक्षा, सेना एवं सिंचाई सहित अनेक क्षेत्रों में सुधार कार्य किये। कर्जन का वायसराय काल आधुनिक भारत के इतिहास का परिवर्तन काल माना जाता है।

लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, अतः उसने भारत में उठने वाली राष्ट्रवादी लहरों को दबाने के यथासंभव प्रयास किये।

चूंकि बंगाल उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बन चुका था, अतः कर्जन ''फूट डालो एवं राज करो'' की नीति के अंतर्गत बंगाल की क्रांतिकारी चेतना को कमजोर करना चाहता था। कर्जन का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत होने के कारण प्रशासन सुचारु रुप से चलाना कठिन है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल का विभाजन आवश्यक है। 19 जुलाई, 1905 को कर्जन ने बंगाल के राष्ट्रवादियों को अत्यंत आंदोलित कर दिया, पूरे बंगाल में विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गये। सुरेंन्द्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने बंगाल में विभाजन आंदोलन की बागडोर संभाली।

बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1885 से 1905 ई. तक काँग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। काँग्रेस का एक समूह इन उदारवादियों की प्रार्थना, ज्ञापन एवं विरोध (3 P Policy-'Pray, Petition and Protest') की नीति से सहमत नहीं था। यह समूह गरमदल उग्रवादी कहा गया। 1907 ई. में काँग्रेस का नरमदल एवं गरमदल के रुप में विभाजन हो गया। 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन में एक ओर काँग्रेस लीग में समझौता हुआ तो दूसरी ओर काँग्रेस में भी एकता स्थापित हो गई।

अंग्रेजों के आर्थिक शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करने के लिए भारत में किसानों एवं आदिवासियों ने कई आंदोलन किये। इसका वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है।

भारत में क्रांतिकारी देशभक्तों ने महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल आदि प्रदेशों में आंदोलन चलाये। क्रांतिकारियों ने अपने खून से देशभक्ति और राष्ट्रीयता की

भावना का संचार भारतवासियों में किया। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसे मॉर्ले–मिन्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेन्ट के नेतृत्व में होमरुल आंदोलन चलाया गया। रौलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों पर ब्रिटिश अमानवियता को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के समक्ष ला दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित कर प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया।

2.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के माध्यम से निम्नांकित घटनाओं का परिचय प्राप्त होगा–

- लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में किये गये प्रशासनिक एवं न्याय संबंधी सुधारों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना।
- लॉर्ड कर्जन के शिक्षा, सेना, सिंचाई एवं अन्य सुधारों की जानकारी प्राप्त करना।
- भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं के योगदान की जानकारी प्रदान करना।
- किसान एवं आदिवासी आंदोलन के संबंध में ज्ञान प्रदान करना।
- रौलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी प्राप्त करना।

2.2 लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का विभाजन (Lord Curzon and Partition of Bengal)

2.2.1 भूमिका (Introduction)

लॉर्ड कर्जन 1899 ई. में भारत का वायसराय नियुक्त हुआ और सन 1905 तक इस पद पर रहा। वायसराय का पद संभालते ही उसने भारत के प्रशासन में अनेक सुधार किये, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। कर्जन अपनी योग्यता, कार्यकुषलता तथा कार्य दक्षता में असीमित विश्वास रखता था। उसके विचार में भारतीयों का नैतिक स्तर बहुत निम्न कोटि का था। अपनी इस गलत धारणा के कारण वह भारतीयों पर भरोसा नहीं करता था। इतना ही नहीं उसने भारतीयों के प्रति घृणा भी प्रदर्षित की। भारत का वायसराय बनने के पूर्व भी कर्जन चार बार भारत आ चुका था। लॉर्ड कर्जन के विषय में पी. रॉबर्डस ने लिखा है कि, ''भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद सम्भालने में पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था, जितना कि लॉर्ड कर्जन को। कर्जन ने जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णरूप से अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया।'' लॉड कर्जन ने प्रशासन, शिक्षा, एवं आर्थिक क्षेत्र में अनेक सुधार किये। जिसके परिणामस्वरूप भारत में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ।

2.2.2 लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms of Lord Curzon)

टिप्पणी

प्रशासनिक सुधारों द्वारा वह केन्द्रीकरण करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष पाएं। इन दोषों के कारण अनेक महत्वपूर्ण नियम लंबे समय तक तो फाइलों में ही पड़े रहते थे। जिससे किसी भी विषय का निर्णय नहीं हो पाता था लॉर्ड कर्जन नें इन दोषों को दूर किया। राजकीय कर्मचारियों को अवकाश संबंधी अनेक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके वेतन में भी वृद्धि की गयी–

1. अकाल तथा प्लेग– लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बनकर भारत आया था उस समय भारत अकाल तथा प्लेग की महामारी के संकटों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया था। 1899–1900 ई. का अकाल भारत के दक्षिणी, मध्य, पश्चिमी क्षेत्रों के लिये विनाशकारी हुआ था। कर्जन ने स्वयं अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर वहाँ राहत पहुँचाने के आदेश दिये। उसने मैकडोनल की अध्यक्षता में एक 'अकाल आयोग' की नियुक्ति की। अकाल आयोग ने 1901 में अपने रिपोर्ट में अकाल राहत कार्यों का मूल्यांकन किया इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्वस्थ लोगों को काम दिया जाये, पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाये, गैर सरकारी संस्थाओं से राहत कार्यों में सहायता ली जाये। रेलों, कृषी, बैंको तथा सिंचाई के कार्यों में लोगों को लगाया जाये। कर्जन ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया।

चित्र क्र. 2.1ः लॉर्ड कर्जन

2. कृषि सुधार– लॉर्ड कर्जन के शासन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये गये जो निम्नांकित प्रकार से है–

(i) भूमि कर– अकाल के कारणों की जांच के समय कर्जन को यह ज्ञात हुआ कि भूमिकर की दर ऊँची होने तथा उनके दोषपूर्ण संग्रह से कृषि कार्य को हानि होती है। सरकारी कर्मचारी कठोरता से कर वसूल करते थे चाहे फसल अच्छी हो या खराब।

(ii) पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम– लॉर्ड कर्जन ने 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित करके यह निश्चित किया कि कोई गैर किसान व्यक्ति, किसी किसान की भूमि को खरीद नहीं सकता। किसान वर्ग अपनी भूमि को 20 वर्ष से अधिक रहन (गिरवी) नहीं रख सकता था।

(iii) कृषि बैंक– किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से कृषि बैंक स्थापित किये गये ताकि किसानों को कम व्याज पर धन ऋण के रूप में मिल सके।

(iv) सहकारी ऋण समितियां– किसानों के लिये सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 1904 ई. में सहकारी ऋण समिति कानून का एक विशेष अधिनियम पारित कर के गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई।

(v) कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना– लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में 'पूसा' नामक स्थान पर एक 'कृषि अनुसंधान संस्थान' को स्थापित किया।

(vi) सिंचाई सुविधाएं– भारतीय सिंचाई समस्याओं पर विचार करने हेतु 1901 ई. में एक आयोग नियुक्त किया गया। 1903 ई. में इस आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की इसके अनुसार आगामी 20 वर्षों में सिंचाई पर लगभग 44 करोड़ रुपया व्यय किया जाये।

फ्रेजर के अनुसार ''उपर्युक्त सुधारों के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारतीय कृषकों की दशा में पर्याप्त सुधार किया''।

3. रेलवे व्यवस्था में सुधार – रेलवे के क्षेत्र में सुधार के लिये कर्जन ने राबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की नियुक्ति की। उसने 1903 में अपनी रिर्पोट में संपूर्ण पद्धती में परिर्वतन का सुझाव दिया। विद्यमान रेलवे लाइनों की कार्यकुषलता में वृद्धि की गयी तथा नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। कर्जन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग 98,150 मील लंबी रेलवे लाइन बिछायी गयी।

4. प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम– लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा प्राचीन स्मारकों को हानि पहुँचाना कानूनी अपराध घोषित किया गया। इस कार्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिये 1904 ई. में 'पुरातत्व विभाग' स्थापित किया गया। इस विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरुप प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा हो सकी तथा वे नष्ट होने से बच सके।

5. पुलिस सुधार– लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1902 ई. में फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया। इस आयोग ने पुलिस व्यवस्था में अनेक दोष पाए और कहा कि ''पुलिस बल में कार्य कुशलता बिल्कुल नहीं है। इसे प्रायः भ्रष्ट तथा अन्यायी समझा जाता है तथा यह

टिप्पणी

जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने मे पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है।'' पुलिस व्यवस्था में सुधार करने हेतु इस आयोग के सुझावों को स्वीकार कर पुलिस व्यवस्था में अनेक सुधार किये गये।

पुलिस विभाग में सुधार–

(i) उसने सिपाहियों का वेतन बढ़ाया।

(ii) प्रत्येक प्रांत में एक खुफिया विभाग खोला।

(iii) सिपाहियों एवं अफसरों के प्रशिक्षण के लिये ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की

(iv) पुलिस विभाग पर 27 लाख पौण्ड का व्यय करने का निर्णय किया।

6. सैन्य सुधार– लॉर्ड कर्जन ने सेना में भी अनेक सुधार किये। तोपखाने के सैनिकों को अधिक अच्छी बंदूकें देने की व्यवस्था की गयी। 1901 ई. में कर्जन ने 'इम्पीरियल कैडेट कोर' की स्थापना की। यह देशी राजकुमारों तथा कुलीन वंशीय सैनिकों की सेना थी। उसने अच्छी तोपों की व्यवस्था की और सैनिकों को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया।

7. व्यापार तथा व्यापारिक सुधार– जहाँ एक ओर व्यापार तथा उद्योगों के विकास के लिये रेलों का जाल बिछाया गया वहीं दूसरी ओर ''व्यापार तथा उद्योग विभाग'' की भी स्थापना की गयी। वायसराय की परिषद के छः वरिष्ठ सदस्य इस विभाग की देखभाल करते थे।

8. शैक्षिक सुधार– लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टामस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।

1904 ई. में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के नियमों को और कठोर बना दिया गया। विश्वविद्यालय अब केवल परीक्षा लेनी वाली संस्थाए न रहकर अब शिक्षा के केन्द्र भी बन गये।

9. कलकत्ता निगम पर राजकीय नियंत्रण– 1899 ई. में 'कलकत्ता निगम अधिनियम' पारित कर निगम पर राजकीय नियंत्रण बढ़ाया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसका संबंध कलकत्ता के युरोपीय व्यापारिक समुदाय के हितों से जुड़ा हुआ था।

2.2.3 बंगाल का विभाजन (Partition of Bengal)

लॉर्ड कर्जन का अंतिम प्रमुख कार्य बंगाल का विभाजन करने का प्रयत्न करना था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। जिसका क्षेत्रफल एक लाख 89 हजार वर्गमील और जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसके अनुसार–

1. पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका के तीनों क्षेत्र सम्मिलित थे। इसका क्षेत्रफल 1 लाख 6 हजार वर्गमील से अधिकतम और जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। इसमें

मुसलमानों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख एवं हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 20 लाख थी। इसकी राजधानी ढाका थी।

टिप्पणी

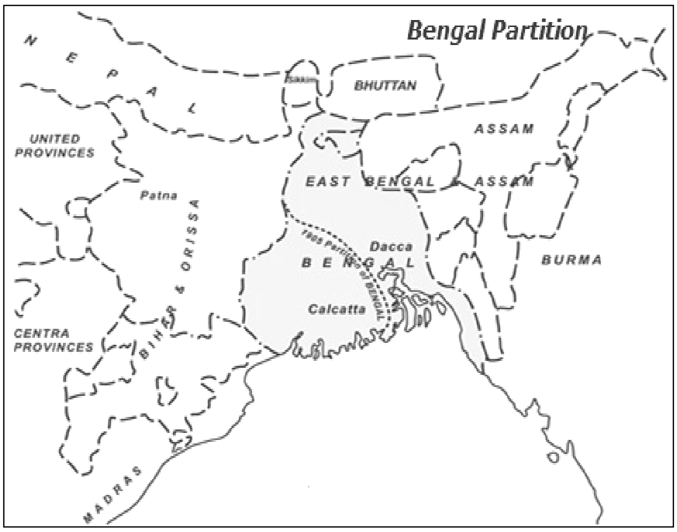

चित्र क्र. 2.2: 1905 का बंगाल विभाजन

2. बंगाल का शेष भाग जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया। इसका क्षेत्रफल 1 लाख 41 हजार वर्गमील से अधिक था। इसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे।

बंगाल विभाजन के प्रश्न पर कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन संभव नहीं है। परंतु वास्तव में यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं; बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। इन दिनों बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र था। अंग्रेज चेतना पर आघात कर एक ऐसे केन्द्र को समाप्त करना चाहते थे, जहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन संचालित किया जाता था।

बंगाल विभाजन का विरोध (Opposition of the Partition of Bengal)

बंगाल राजनीतिक दृष्टि से जागरूक प्रांत था बंगाल विभाजन के प्रस्ताव ने बंगाली जनता को झकझोर कर रख दिया। यद्यपि सरकारी तौर पर यह घोषणा की गयी थी कि बंगाल का विभाजन प्रशासकिय सुविधा के लिये किया जा रहा है, परंतू बंगाल के नेता कर्जन के कुटिल उद्देश्य को पहचानते थे। कर्जन ने वहाँ के हिंदूओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने के उद्देश्य से यह कुटिल षडयंत्र रचा था।

कर्जन ने पूर्वी बंगाल का दौरा करते समय जो भाषण दिये थे, इसमे उनका घिनौना प्रयोजन सिद्ध होता था। कर्जन ने "फूट डालो और राज करों" की कुटिल राजनीति का प्रयोग किया था। इस प्रकार हिंदू व मुसलमानों में फूट डालने वाली इस योजना का संपूर्ण भारत में घोर विरोध किया गया। ब्रिटिश समाचार पत्रों तक ने इस योजना को आपत्तिजनक बताया किंतु तमाम विरोधों के पश्चात् भी

16 अक्टूबर 1905 ई. को इस योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल के विभाजन की खबर से संपूर्ण भारत में शोक छा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, "बंगाल का विभाजन हमारे उपर बम की तरह गिरा। हमने समझा हमारा घोर अपमान किया गया है"। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने देश भर में दौरा कर लोगों को जागरूक किया। यह कोई स्थानीय मुद्दा नहीं था वास्तव में भारतीय जनता की अस्मिता पर आघात था। उस आंदोलन का नेतृत्व लाल, बाल, पाल ने किया।

आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी उसने राष्ट्रव्यापी रूप धारण किया, सरकार ने 1907 में लाला लाजपतराय और अजित सिंह को देश से निष्कासित कर दिया, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम, पिल्ले आदि नेता बंदी बनाये गये। सरकार ने समाचार पत्र की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। बंगाल विभाजन की उग्रता से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी, अतः 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी।

लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन (Evaluation of Lord Curzon)

लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल उसके प्रशासनिक सुधारों के लिये जाना जाता है। वह अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति था परंतु वह अहंकारी तथा स्वेच्छाधारी था।

वह भारतीयों की योजना एवं क्षमता पर विश्वास नहीं करता था। उसके कार्यों से वह अ–लोकप्रिय हुआ।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया?

   (अ) 1887 ई. में (ब) 1888 ई. में

   (स) 1899 ई. में (द) 1905 ई. मे।

2. बंगाल में बंग–भंग विरोधी आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ?

   (अ) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (ब) गोपाल कृष्ण गोखले

   (स) बाल गंगाधर तिलक (द) लाला लाजपत राय।

3. बंबई एवं पूना के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?

   (अ) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (ब) बाल गंगाधर तिलक

   (स) गोपाल कृष्ण गोखले (द) एम.जी. रानाडे।

4. लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया?

   (अ) 1905 ई. में (ब) 1906 ई. में

   (स) 1907 ई. में (द) 1908 ई. में।

टिप्पणी

2.3 स्वदेशी आंदोलन (Swadeshi Movement)

2.3.1 परिचय (Introduction)

भारत में 1905 बंगाल विभाजन के परिणामस्वरुप एक और देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। 1906 में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिये अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। इसमें बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के समर्थन की बात भी कही गयी।

2.3.2 स्वदेशी आंदोलन के कारण (Reasons for Swadeshi Movement)

1. **स्वराज्य की भावना**– 1906 ई. में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 'स्वराज्य' शब्द का पहली बार अध्यक्षीय भाषण में प्रयोग किया गया। कांग्रेस के नेता स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे।
2. **राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना**– कांग्रेस के नेताओं ने स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया। विदेशी विद्यालयों को बहिष्कार करने का आव्हान दिया।
3. **ग्राम समितियाँ**– स्वदेशी आंदोलन का एक कारण यह था कि कांग्रेस ग्रामों के संगठन मे सुधार करना चाहती थी। कई ग्राम समितियाँ बंगाल में स्थापित की जिसका कार्य ग्रामीण विवादों का समाधान करना था।
4. **धन के निष्कासन पर रोक**– ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार के द्वारा भारत से धन को लूटा और उस धन को इंग्लैण्ड भेजा। देश से धन निष्कासन रोकने पर बढ़ाई हुई गरीबी को रोकने के लिये स्वदेशी वस्तुओं का निर्यात करना आवश्यक था।

स्वदेशी आंदोलन की प्रगति (Progress of Swadeshi Movement)

बंगाल विभाजन का निर्णय लिये जाने के पूर्व ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। 9 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउनहॉल में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि, जब तक विभाजन का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता, तब तक ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएँ नही खरीदी जायेंगी।

स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम (Programme of Swadeshi Movement)

इसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार थे–

1. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।
2. शराब की दुकानों पर धरना।
3. विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार।
4. न्याय संस्थाओं तथा प्रशासन का बहिष्कार।

5. स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना।
6. गांवों में ग्राम समितियों की स्थापना करना।
7. हड़ताल तथा उपवास रखना।

इस आंदोलन के दो पक्ष थे पहला स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर देना, यह सकारात्मक प्लान था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यह निषेधात्मक पक्ष था। इस आंदोलन में गावों एवं महिलाओं ने खुलकर भाग लिया। सुरेंन्द्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने इसका प्रसार किया। बाल, पाल ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य, को जनता के मध्य प्रसारित किया, आंदोलन को एक नयी दिशा प्रदान की। अनेक राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना की गयी। इस आंदोलन में पत्रकारों और शिक्षकों तथा वकीलों और छात्रों का विशेष योगदान था। नाइयों तथा मोचियों ने विदेशियों को अपनी सेवायें देना बंद कर दिया था।

पुरोहितों तथा साधुओं ने आंदोलन का साथ दिया। 1906 में कलकत्ता में एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया। इसका उद्घाटन बाल गंगाधर ने किया। संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की लहर पैदा हो गयी उत्तर प्रदेश में हर जिले में स्वदेशी का प्रचार हुआ और सार्वजनिक सभाएं की गई। पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी का प्रचार किया। छात्रों ने हड़तालें की।

स्वदेशी आंदोलन के परिणाम (Outcomes of Swadeshi Movement)

स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए–

1. **स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन**– स्वदेशी आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों ने भी भारत में ही बनी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योगों का विकास हुआ।
2. **घरेलू उद्योगों का विकास**– स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप, स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी अतः धीरे–धीरे घरेलू उद्योग पुनः विकसित होने लगे। कई जगहों पर स्वदेशी वस्तुओं के विक्रय केंद्र खोले गये।
3. **राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन**– घर–घर तक राष्ट्रवादी भावनाओं को पहुँचाने व उन्हें सशक्त बनाने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसी समय कई कवियों ने जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर, रवीकांत सेन व मुकलदास आदि ने अपनी रचनाओं के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन का काल बंगला साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक तथा ''संकीर्तण मण्डलियाँ'' निकालने पर प्रतिबंध लगाया। स्वदेशी आंदोलन निःसंदेह उपनिवेशवाद के विरूद्ध प्रथम सशक्त आंदोलन था। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव सिद्ध हुआ।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, तथा स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ?

   (अ) 1885 के अधिवेशन में (ब) 1903 के अधिवेशन में

   (स) 1905 के अधिवेशन में (द) 1906 के अधिवेशन में

6. सरकार ने बंगाल का विभाजन कब वापस लिया?

   (अ) 1911 (ब) 1914

   (स) 1916 (द) 1919

2.4 नरमदल, गरमदल एवं क्रांतिकारी आंदोलन (Moderate and Radical Factions, Revolutionary Movement)

2.4.1 उदारवादी (नरमदल) (Moderates)

1885–1905 ई. का समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादियों के प्रमुख नेता व्योमेश चन्द्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंन्द्र नाथ बनर्जी तथा फिरोजशाह मेहता आदि थे।

चित्र क्र. 2.3: गोपाल कृष्ण गोखले

2.4.2 उदारवादियों के सिद्धांत तथा उद्देश्य (Principles and Objectives of Moderates)

टिप्पणी

1. **ब्रिटिश शासन स्थायी रहना चाहिये**– दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि, कांग्रेस राजद्रोह अथवा विद्रोह की पक्षधर में नहीं है, बल्कि सरकार की स्थिरता की नींव में एक अतिरिक्त पत्थर हैं। उदारवादी यह मानते थे कि देश की भावी प्रगति और सुरक्षा भी इस बात पर निर्भर है कि ब्रिटिश शासन स्थायी रूप से बना रहे।
2. **अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास**– उदारवादियों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अडिग विश्वास था। यद्यपि वे भारत की अधिक से अधिक उन्नति चाहते थे, परंतु यह केवल ब्रिटिश राज के अंतर्गत ही संभव है।
3. **उदारवादियों का उद्देश स्वशासन की प्राप्ती था**– उदारवादियों का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन प्राप्त करना था। गोपाल कृष्ण गोखले जी का विचार था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ''पूर्ण स्वराज्य'' प्राप्त करना संभव नहीं है। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के अधीन 'स्वशासन' की मांग प्रस्तुत की थी।
4. **संवैधानिक उपायों में विश्वास**– उदारवादी संवैधानिक उपायों पर अधिक विश्वास करते थे। संवैधानिक उपायों से उनका यह अभिप्राय था कि ब्रिटिश सरकार को अपने कपटों को दूर करने के लिये आवेदन पत्र दिये जाये और भारतीय जनता को कष्टों से उनकी भली–भाँति परिचित कराया जाये गोपाल कृष्ण गोखलेजी का सरकार की रचनात्मक आलोचना और निष्क्रिय प्रतिरोध में पूर्ण विश्वास था।
5. **ब्रिटेन के साथ अटूट संबंध में विश्वास**– उदारवादी ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ संबध में अधिक विश्वास रखते थे। फिरोजशाह मेहताजी का विश्वास था, भारत का ब्रिटिश के साथ संबंध भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिये एक वरदान सिद्ध होगा। उदारवादी यह विश्वास रखते थे कि भारत में केवल अंग्रेज ही व्यवस्था को बनाये रखने में सक्षम हैं तथा व्यवस्था के बिना उन्नति संभव नही है।
6. **हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास**– उदारवादी हिंदू और मुसलमानों दोनों को परामर्श देते थे कि उन्हें सहिष्णुता तथा संयम से काम लेना चाहिये। उनका मानना था कि यदि भारत के इन दो महान जातियों में अनेक प्रकार के मतभेद बने रहे, तो भारत का भविष्य अंधकारमय है। उदारवादी कहते थे कि कोई भी धर्म एक दूसरे से बैर नहीं सिखता है, इसलिये दोनो धर्मो के अनुयायियों ने एक दूसरे से प्रेम करना चाहिये।

टिप्पणी

2.4.3 उदारवादियों का महत्व तथा भारतीय राजनीति में उनका योगदान (Importance of Moderates and Their Contribution to Indian Politics)

1. **यथार्थवादी राजनीति–** 1885 से लेकर 1905 ई. तक काँग्रेस अपने प्रारंभिक दौर में एक सुदृढ और विशाल संस्था नहीं थी। इस कारण काँग्रेस ने परिस्थितियों के अनुसार यथार्थवादी नीतियों को अपनाया। 1857 के संघर्ष को ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया था। 1905 तक काँग्रेस पढ़े–लिखे लोगों तक सीमीत थी। सामान्य जनता तक काँग्रेस की जड़े नहीं जमी थीं। अतः ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध किसी जन आंदोलन की बात सोची नहीं जा सकती थी।
2. **राजनीतिक जागरूकता–** उदारवादियों ने भारतीयों के लिये स्वशासन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आदि अनेक मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। काँग्रेस के अधिवेशनों, और बजट के समय दिये गये उदारवादी नेताओं के भाषण समाचार पत्रों में छपते थे। इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई।

   गुरूमुख निहालसिंह ने लिखा है कि प्रारंभिक काँग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरमनीति, आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षावृत्ति के बावजूद उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने तथा उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया था।
3. **भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बुनियाद तैयार करना–** उदारवादियों ने बाद के भारतीयों की स्वतंत्रता संघर्ष के लिये एक आधार तैयार करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। समय समय पर काँग्रेस के द्वारा जो मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई, काँग्रेस के अधिवेशनो में जो भाषण दिये जाते थे उनसे भारी राष्ट्रवाद की प्रगति हुई।
4. **विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार–** गोपाल कृष्ण गोखलेजी ने बनारस अधिवेशन में काँग्रेस के मंच से स्वदेशी का नारा लगाया था। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों के बहिष्कार के विषय में गोखले जी ने कहा इस शस्त्र का प्रयोग और कोई चारा न रहने पर ही किया जाना चाहिये। शासितों की शिकायतों की ओर शासकों का ध्यान खींचने का वह एक उपयोगी साधन है।

उदारवादी नेताओं ने न केवल राष्ट्रवाद की नींव डाली वरन राष्ट्रीय आंदोलन के पथ निर्माण का कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

2.4.4 उग्रवादी (गरम दल) (Radicals)

परिचय (Introduction)

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय जनता की कठिनाईयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। देश की नई पीढ़ी याचनाओं की राजनीति से ऊब गई थी। वह राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा देना चाहती थी, ताकि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के राजनीतिक अधिकार देने के लिये विवश किया जा सके। भारतीय इतिहास में ये 'उग्रवादी' या 'गरम दल' कहलाये। उग्रवादियों के राजनीति में प्रार्दुभाव के कारण निम्नलिखित थे–

1. उदारवादियों की कार्यपद्धति के प्रति असंतोष– काँग्रेस के अनेक नेताओं का मत था कि, ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना एवं याचिकाओं को प्रस्तुत करने की नीति के द्वारा स्वशासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंग्रेज आसानी से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने वाले नहीं है। इसके लिये उन्हें संघर्ष के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। लोकमान्य बालगंगाधर तिलकजी ने कहा था ''स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जायेंगी।'' 1892 ई. के कौंसिल अधिनियम के पारित होने पर उसकी धाराओं को देखकर भारतीयों को अत्यधिक निराशा हुई। इस अधिनियम के बाद काँग्रेस ने संवैधानिक तरीकों के माध्यम द्वारा सरकार से पुनः संवैधानिक सुधार करने की मांग की, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। काँग्रेस के अंदर ही एक ऐसा वर्ग था जों भिक्षावृत्ति में विश्वास नहीं करता था और जो अंग्रेजों के विरूद्ध एक सशक्त जन–आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे।

2. आर्थिक शोषण– ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति भी उग्रवादियों के उदय का कारण थी। सरकार की आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि और उद्योग धंधों को अत्याधिक क्षति का सामना करना पड़ा। हजारों भारतीय बेकार हो गये तथा भारत निर्धन होता गया। शिक्षित भारतीयों के लिये जीविकोपार्जन के लिये नाम मात्र के साधन उपलब्ध थे। अनेक भारतीय विद्वानों सुरेंन्द्रनाथ बनर्जी, महादेव गोंविंद रानाडे, दादाभाई नौरोजी आदि ने जनता को अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे शोषण से अवगत कराया।

3. विदेशी घटनाएँ– अनेक अंर्तराष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया। इस काल में अनेक छोटे–छोटे देशो ने अपने से विशाल व शक्तिशाली देशों को पराजित किया।

1895–96 ई. का इटली–आबीजीनिया का युद्ध, बोअर युद्ध, 1899–1902, 1905 की रूसी क्रांति, जापान की रूस पर विजय 1905 ई. की घटनाओं से भारतीयों को मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि वे भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। आयरलैण्डवासियों के संघर्ष ने भारतीयों को त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी।

4. अकाल एवं प्लेग– 19 वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीयों को अनेक प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा। देश में 18 बार अकाल पड़ा 1896–97

टिप्पणी

में सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 7 करोड़ भारतीय तथा 17 हजार वर्गमील का क्षेत्र प्रभावित हुआ, ब्रिटिश सरकार ने शीघ्रता से राहत कार्य नहीं किया जिसकी वजह से सरकार के विरूद्ध घोर असंतोष उत्पन्न हुआ।

1896 ई. में बम्बई में प्लेग की महामारी फैलने पर भारतीयों के साथ क्रूर एवं अमानुषिक व्यवहार किया गया। सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के प्रति भारतीयों में घोर असंतोष था। भारतीयों के आक्रोश के परिणामस्वरूप ही प्लेग कमिशनर मि. रैंड और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी हुई। अकाल और प्लेग की दोहरी मार ने भारतीयों को उग्रवाद की ओर अग्रसर किया।

5. भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव– कॉंग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता पर अटूट विश्वास था। वे इसे एक ईश्वरीय वरदान समझते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद ने 1893 ई. में शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता को प्रतिपादित किया। धार्मिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप भारतीय नवयुवक स्वतंत्रता की प्राप्ती अपना परम धार्मिक कर्तव्य समझने लगे थे। अरविंद घोष के शब्दों में ''राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है।'' स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्राचीन धर्म और संस्कृति के आधार पर संगठित होने के लिये प्रेरीत किया।

6. योग्य नेताओं का अविर्भाव– कॉंग्रेस में अनेक ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो उग्रवादी विचाराधारा के समर्थक थे। इनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल थे। तिलकजी ने ''केसरी'' के द्वारा अंग्रेज सरकार की कटु आलोचना कर जनता को सरकारी अत्याचारों से अवगत कराया। उनका नारा था, ''स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उदारवादी नेताओं की नीतियों से असंतुष्ट रहने के कारण इन नेताओं ने राष्ट्रवाद को एक नई दिशा प्रदान की, जिसे उग्रवाद कहा गया।''

7. प्रजातीय भेदभाव की नीति– ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण एवं निरंकुश नीतियों के कारण भारतीयों में घोर असंतोष था। यूरोपीय भारतीयों के साथ अमानवीय और अभद्र व्यवहार करते थे, और भारतीयों के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। आंग्ल–भारतीय समाचार–पत्र प्रजातिय भेदभाव की नीति को प्रोत्साहित करते थे।

8. बंगाल का विभाजन– लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन करते हुए बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया उसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमन्स्य उत्पन्न करके राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। परंतु इससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंन्द्रनाथ बैनर्जी ने लिखा, ''बंगाल विभाजन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्ररूप धारण कर लिया।''

टिप्पणी

चित्र क्र. 2.4: बिपिन चंद्र पाल

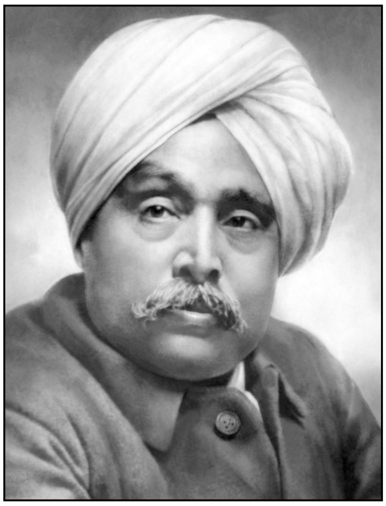

चित्र क्र. 2.5: लाला लाजपतराय

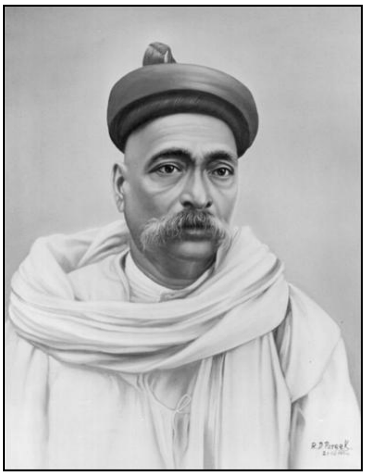

चित्र क्र. 2.6: बाल गंगाधर तिलक

आंदोलन प्रारंभ (Beginning of the Movement)

संपूर्ण भारत में उग्रवादी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना के साथ प्रारंभ हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में लगभग 200 से ज्यादा जन सभाएँ आयोजित की गईं। जूलूस निकाले गये, हडतालें हुई जिनमें विद्यार्थियों तथा जनता के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया।

बहिष्कार (Boycott)– इस आंदोलन को और तेजी से फैलाने के लिये स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की अपील उग्रवादियों ने भारतीय जनता से की। उस समय भारत में लॉर्ड मार्ले भारतमंत्री व लॉर्ड मिण्टो वायसराय बने। ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता की भावना बढ़ाने के कारण 1906 ई. में हिंदू–मुसलमान के बीच दंगे प्रारंभ हो गये। पंजाब में जनता को भड़काने के आरोप में लाला लाजपतराय, बिपिन चन्द्र पाल व अरविंद घोष को बंदी बनाया गया व लंबी–लंबी सजाएँ दी गईं। तिलक जी को 'केसरी में लेख' लिखने के कारण 6 वर्ष की सजा दी गई। जनता ने इन गिरफ्तारियों का घोर विरोध किया। सरकार की दमन–नीति के परिणामस्वरूप क्रांतिकारी व आतंकवादी आंदोलन का प्रार्दुभाव हुआ।

महत्व (Importance)

उग्रवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उनके प्रयत्नों से भारत की स्वतंत्रता की मांग विश्व की राजनीति का प्रमुख प्रश्न बन गयी थी। भारत को आर्थिक शोषण एवं प्रशासनिक उत्पीडनों से मुक्त करने के लिये उग्रवादियों ने स्वराज्य, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाया था, जिनको कांग्रेस के उदारवादी नेता स्वीकार करने को तैयार न थे। इसी कारण 1907 ई. में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1916 को कॉंग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल एक हो गये थे।

सूरत में कॉंग्रेस का विभाजन 1907 ई. (Spliting of Congress in Surat, 1907)

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन का कॉंग्रेस की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस का विरोध करने के लिये बहिष्कार और स्वदेशी को आंदोलनकारियों ने अपना अस्त्र बनाया। कॉंग्रेस के उदारवादी नेता अभी भी कोई कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे। इन्ही परिस्थितियों मे कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपालकृष्ण गोखले जी थे। इस में पहली बार उग्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृति नीति की कटु आलोचना की थी।

सूरत कांग्रेस 1907 (Surat Congress, 1907)

भारतीय राजनीति में उग्रवादी विचारधारा में तीव्रता आ गई थी। 1906 के कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने उग्रवादी आंदोलन की लोकप्रियता देखकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया था।

1907 में काँग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना तय हुआ था, परंतु इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। उग्रवादी इससे असंतुष्ट थे, क्योंकि सूरत में उदारवादियों का वर्चस्व था। उग्रवादी सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया। विरोध के कारण पहले दिन की सभा स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन तिलकजी ने रास बिहारी बोस की अध्यक्षता का विरोध छोड़ने की बात कही लेकिन उनकी शर्त यह थी कि काँग्रेस स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को पुष्ट करे। उदारवादी इन प्रस्तावों को मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था और अशांति फैल गयी। मंच पर अशोभनीय वातावरण निर्मित हुआ।

झगड़ा इतना बढ़ा के दूसरे दिन उदारवादियों ने काँग्रेस से उग्रवादियों को निष्कासित कर दिया। जो कुछ सूरत अधिवेशन में घटा, उससे दोनों ही पक्ष के नेता हतप्रभ थे, परंतु दोनों पक्ष मतभेदों को समाप्त करने को तैयार नहीं थे, अतः विभाजन रूक नहीं पाया। काँग्रेस का विभाजन दोनों गुटों के लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादी आंदोलन दमन के लिये कड़े कदम उठाये।

2.4.5 क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण (First Step of Revolutionary Movement)

भूमिका (Introduction)

भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रियता का प्रार्दुभाव 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ। क्रांतिकारी देशभक्तों को अहिंसा और वैधानिक संसाधनों द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य की पराधीनता से भारत को मुक्त कराने में विश्वास नहीं था। उन्होंने हिंसात्मक साधनों एवं उपायों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास किये।

काँग्रेस के दोनों उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा के लोग अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार से सुधारों की अपेक्षा रखते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि निवेदन करने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उनके अधिकार प्रदान नहीं करेगी। अतः छल व हिंसा का प्रयोग करके अंग्रेजों में आतंक उत्पन्न किया जाये। ताकि अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करने से डरें व परेशान होकर भारत छोड़कर चले जाये। इस विचारधारा के लोग को क्रांतिकारी कहा गया तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया।

क्रांतिकारियों के उद्देश्य एवं कार्यक्रम (Objectives and Programmes of Revolutionaries)

क्रांतिकारी तत्काल भारतमाता को ब्रिटिश साम्राज्य के बंधन से मुक्त कराना चाहते थे। ब्रिटिश सत्ता के उन्मूलन के लिए वे हिंसात्मक संघर्ष को आवश्यक मानते थे। अतः एवं उन्होनें पिस्तौल और बंदूक का रास्ता अपनाया। राजनीतिक हत्या और डकैती को वे जघन्य अपराध नहीं मानते थे। उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का संगठन किया, अनुशीलन समितियों की भी स्थापना की। भारत के

क्रांतिकारियों ने इटली, आयरलैंन्ड और रूस के क्रांतिकारियों से प्रेरणा प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय युवकों को संगठित, प्रशिक्षित और अनुशासित किया। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिये क्रांतिकारियों की 6 प्रमुख मांगें थी–

1. प्रेस की सहायता से अंग्रेजों के विरूद्ध तीव्र प्रचार करना।
2. शहीदों के जीवन पर आधारित संगीत व नाटक के द्वारा लोगों में देशप्रेम की भावना जगाना।
3. हडताल व जुलूस आदि को आयोजित करना।
4. सैनिक शिक्षा, शक्ती पूजा, व धार्मिक कार्यक्रम के लिये युवकों को तैयार करना।
5. बम बनाना व हथियार प्राप्त करना।
6. चंदे व लूट के द्वारा धन एकत्र करना।

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement in Maharashtra)

महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचार 1876 ई. के पूना के भयंकर अकाल के बाद जन्म लेने लगे थे। **वासुदेव बलवन्त फड़के** पहले व्यक्ति थे जिन्होने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेकने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने कहा था कि, "मैं अंग्रेजों को मारकर जनता का राज्य कायम करूंगा।" ब्रिटिश सरकार ने 31 अगस्त 1879 ई. को उन्हें गिरफ्तार कर देश निर्वासन का दंड देकर अदन की जेल में डाल दिया। फरवरी 1883 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

चापेकर बंधू (Chapekar Brothers)

चापेकर बंधू तीन भाई थे। उन्होने महाराष्ट्र के युवकों को संगठित किया और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिये विवश किया जाये। प्लेग के प्रकोप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये कमिश्नर रेंड ने पूना की जनता पर भयानक अत्याचार किया। रैंड एक ऐसा अफसर था, जिसने पूणे के प्लेग पिड़ितों को राहत देने के बजाय उनका अपमान किया था। चापेकर बंधूओं ने इस अत्याचार और अपमान का बदला लेने के लिये कमिश्नर रैंड एवं 22 जून 1897 को लेफ्टिनंट एम्र्स्ट को गोली मार दी। एक परिवार के तीन युवकों को फांसी दिये जाने से देश में भारी उत्तेजना फैली

विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar)

विनायक दामोदर सावरकर प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचार के थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में क्रांतिकारी विचार के प्रचार के लिये उन्होंने "अभिनव भारत" संगठन बनाया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वे कॉलेज से निकाल दिये गये। उच्च शिक्षा के लिये वे लंदन गये और 1906 ई. में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संचालित क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गये।

टिप्पणी

चित्र क्र. 2.7: विनायक दामोदर सावरकर

नासिक षडयंत्र (Nasik Conspiracy)

1909 ई. मे नासिक के सेशन जज ने गणेश सावरकर को बंदी बनाया तथा उन्हें देश से निष्कासन का दंड दिया। भारतीय क्रांतिकारियों ने नासिक के सेशन जज मि. जैक्सन और भारत सचिव के प्रमुख सर बायली की हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारीयों को दंड देने के लिये नासिक षडयंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा दी। विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया तथा उन्हें काले पानी की सजा दी गई।

पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement in Punjab)

पंजाब में अजीतसिंह और सैय्यद हैदर रजा क्रांतिकारियों के नेता थे। उन्होंने "भारतीय देशभक्तों की सभा" स्थापित की थी। 1907 में पंजाब के किसानों में क्रांतिकारी भावनाओं का तेजी से विकास हुआ। क्रांतिकारियों ने "भारत माता", तथा ''इंडिया सोसायटी'' की स्थापना की। पंजाब में भाई परमानंद, लाला हरदयाल आदि क्रांतिकारी नेता थे। क्रांतिकारियों ने भारतमाता तथा इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया।

बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement in Bengal)

बंगाल में बारीन्द्र कुमार घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त जी ने 'युगान्तर" तथा "संध्या" नामक समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा का बहुत प्रचार किया। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन ''अनुशीलन समिती" था जिसकी स्थापना सतीशचंद्र बासु व उनके साथियों ने 1903 में की थी। बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारियों ने जगह–जगह "अनुशीलन समितियाँ" स्थापित कीं ताकि नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

ढाका अनुशीलन समिती सबसे प्रमुख थी। बंगाल विभाजन को रद्द करवाने के बाद शीघ्र ही क्रांतिकारियों ने "स्वराज" को अपना लक्ष्य बना लिया था। जब ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र तेज हुआ तो वे भूमिगत हो गये तथा गुप्त रूप से सरकार के विरूद्ध योजनायें बनाते रहे।

टिप्पणी

खुदीराम बोस (Khudiram Bose)

बंगाल में 1907 में बंगाल का गवर्नर जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, उसे मिदनापूर के पास बम से उड़ा देने की कोशिश की गई किंतु गवर्नर सौभाग्य से बच गया। ढाका के जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाई गई, पर वह भी बच गया 1908 में मुज्जफरपूर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की भी योजना बनायी गई। क्रांतिकारियों ने किग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर उस पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्यवश वह गाड़ी किंग्सफोर्ड की न होकर किसी कनैड़ी दम्पति की थी। गाड़ी में संवार दो अंग्रेज महिलाओं की तत्काल मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गयी। प्रफूल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिये स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

चित्र क्र. 2.8: खुदीराम बोस

अलिपुर केस (Alipore Case)

बम फेकने की घटना से क्रोधित होकर पुलिस ने कलकत्ता में अनेक स्थानों पर छापे मारे और 31 लोगों को अलीपुर की अदालत में पेश किया। यह मुकदमा "अलिपुर केस" के नाम से विख्यात है। अनेक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। वारीन्द्र कुमार घोष को अंदमान निकोबार निर्वासित कर दिया गया। हेमचंद्र, उपेन्द्रनाथ बनर्जी व उल्लासकर दत्त को काला पानी की व लंबी–लंबी कठोर सजाएँ दी गई। 1910 ई. के "हावडा षडयंत्र" एवं "ढाका षडयंत्र" के सबंध में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1911 ई. में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनायी। 23 दिसंम्बर 1919 ई. को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भारी जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश किया तो रासबिहारी बोस ने वायसराय पर बम फेका। रासबिहारी बोस को पुलिस ने पकड़ने के बहुत प्रयास किये किंतु वे भाग निकले।

टिप्पणी

विदेशो में भारतीय क्रांतिकारी (Indian Revolutionaries in Foreign Lands)

क्रांतिकारी विदेशों में रहकर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत सरकार के निरंतर बढ़ते हुये दबाव से तंग आकर लंदन चले गये। वहां उन्होंने 1905 में "इण्डियन सोशियोलिस्ट" संस्था एवं" ''इंडिया हाऊस'' नामक होस्टल की स्थापना की थी। उन्होंने क्रांतिकारी विचार, भारतीय नवयुवकों में प्रचार के लिये छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था की। विनायक दामोदर सावरकर को इस योजना के तहत प्रदान की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन से निष्कासित कर दिया गया, इसके बाद उन्होंने पेरिस और जिनेवा को क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र बनाया।

पेरिस में मॅडम कामा, लाला हरदयाल और सरदार सिंह राणा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया। सरदार सिंह राणा ने भारतीयों को बम बनाने का तरीका सीखने के लिये प्रोत्साहीत किया और 1909 में 20 पिस्तौल भारत भेजी। मॅडम कामा ने इंग्लैंड और पेरिस में लगातार कार्य किया। 1914 में लाला हरदयाल जर्मनी पहुँचे और उन्होंने बर्लिन में "इंडियन रिवोल्यूशनरी सोसायटी" की स्थापना की।

कामागाटामारू घटना (Komagatamaru Incident)

कनाडा की सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखे थे। कनाडा के एक कानून के अनुसार वही भारतीय कनाडा में प्रवेश कर सकता था, जिसने किसी जहाज से सीधे कनाडा की यात्रा की हो। अमृतसर के अमीर व्यापारी बाबा 'गुरूदत्त सिंह' ने जापान से "कामागाटामारू" नामक एक जहाज खरीदा और कनाडा जाने वाले भारतीयों को उस पर बैठाकर सीधा कनाडा भेज दिया। परंतु कनाडा की सरकार ने भारतीयों को उतरने नही दिया और उन्हें पुनः भारत वापस भेज दिया। मार्ग में इस जहाज को किसी भी बंदरगाह में रूकने की इजाजत नहीं मिली। जब यह जहाज कलकत्ता पहुँचा तो भारत सरकार ने समस्त यात्रियों को पंजाब जाने का आदेश दिया। ब्रिटिश सरकार ने बाबा गुरूदत्त सिंह व जहाज के अन्य यात्रियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिससे दोनो पक्षों में संघर्ष हुआ गुरूदत्त सिंह भाग निकले। भारतीय इतिहास में यह घटना "कामागाटामारू" की घटना के नाम से विख्यात है।

2.4.6 क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण– 1920 (Second Step of Revolutionary Movement -1920)

जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 एवं असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्रांतिकारी पुनः संगठित होने लगे।

उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement in Uttar Pradesh)

शचीन्द्रनाथ सन्याल ने 1920 में ''हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक दल'' नामक एक नया दल बनाया। क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिये धन की आवश्यकता थी,

अतः उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 ई. को क्रांतिकारियों ने ''काकोरी'' नामक जगह पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। ब्रिटिश पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा काकोरी षडयंत्र केस के नाम से विख्यात है। अंत में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी गई।

चित्र क्र. 2.9: रामप्रसाद बिस्मिल

पंजाब तथा दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionary Movement in Punjab and Delhi)

1925–26 में एक ऐसे क्रांतिकारी का उदय हुआ जिसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। यह महान नौजवान क्रांतिकारी भगतसिंह था। भगतसिंह का जन्म 1907 में सरदार किरन सिंह के घर में हुआ था। 1926 में भगतसिंह ने यशपाल व छबीलदास, आदि के साथ मिलकर ''नौजवान सभा'' की स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों की एक बैठक में केन्द्रीय क्रांतिकारी संगठन ''हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी'' या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना बनाई गई। इसकी शाखाएं पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजपूताना तथा बिहार में स्थापित की गईं। क्रांतिकारियों ने साईमन कमीशन का स्वागत बम से करने का निश्चय किया। उस योजना के लिये हरेन्द्र एवं मनमोहन गुप्त को बम्बई भेजा गया परंतु बम मनमाड़ में ही फट गया इस कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी।

साण्डर्स की हत्या (Sander's Assassination)

साईमन कमीशन का विरोध करने का नेतृत्व लाहौर में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय ने किया। 29 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा। लाला लाजपतराय के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। ब्रिटिश पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लाला लाजपतराय एवं प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसायी। 17 नवंबर

1928 ई. को लाला लाजपतराय की मुत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से संपूर्ण भारत में शोक की लहर दौड़ गयी। क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्रीय अपमान का बदला पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या करके लिया।

केन्द्रीय असेम्बली बम कांड (Central Assembly Bomb Blast Case)

ब्रिटिश सरकार जनता की इच्छा के विरूद्ध, केन्द्रीय असेम्बली से 'ट्रेंड डिस्प्यूटस बिल' पारित कराने के बाद ''पब्लिक सेफ्टी बिल'' पास करवाना चाहती थी। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रूकवाने और जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिये केन्द्रीय असेम्बली में बम फेकने की योजना बनाई।

9 अप्रैल 1929 ई. को 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पर केन्द्रीय असेम्बली में बहुत बहस चल रही थी। भगतसिंह ने केन्द्रीय असेम्बली में एक बम फेका, बम फेकते ही असेम्बली हाल में भगदड़ मच गई। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। बम के साथ एक पर्चा भी फेका गया जिसमें लिखा था ''बहरों को सुनाने के लिये बमों की आवश्यकता है। सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार करवा लिया।

चित्र क्र. 2.10: बटुकेश्वर दत्त

चित्र क्र. 2.11: भगतसिंह

टिप्पणी

सरदार भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। क्रांतिकारियों ने जेल में भी अपना संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार को पता चला कि सांडर्स हत्याकांड में भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव भी शामिल थे। भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च, 1931 ई. को फांसी के तख्त पर लटका दिया। महात्मा गांधी जी ने लार्ड इरविन से भगतसिंह व उसके साथियों की सजा को कम करने की अपील की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। पूरे देश में शोक की लहर फैल गयी।

चन्द्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी (Chandrashekhar Azad and Other Revolutionaries)

उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन का उत्तरदायित्व चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल एवं भगवतीचरण के कंधों पर आ गया। श्रीमती दुर्गादेवी, सुशीला देवी, प्रेमवती आदि नारियों ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनायी। बम विस्फोट हुआ परंतु वायसराय बच गये। हरिकिशन नामक क्रांतिकारी ने पंजाब के गवर्नर पर गोली चलायी। हरीकिशन को मृत्युदंड दिया गया।

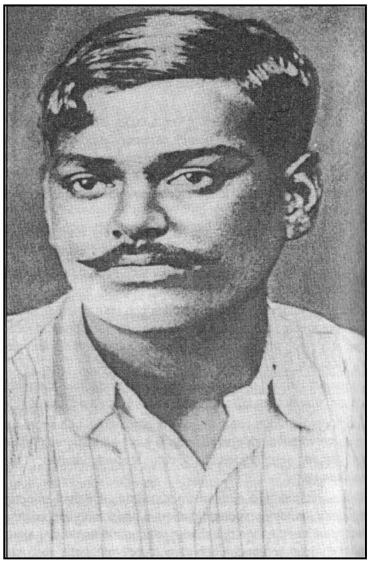

चित्र क्र. 2.12: चन्द्रशेखर आजाद

27 फरवरी, 1831 में जब चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बना रहे थे, पुलिस ने उन्हे घेर लिया। चन्द्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त हुए। सरकार ने यशपाल को पकड़कर 14 वर्ष जेल की सजा दी। 13 मार्च, 1940 को क्रांतिकारी उद्यमसिंह ने लंदन में पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने तत्कालीन गवर्नर ओ डायर के इशारे पर किया था।

क्रांतिकारी आंदोलन के असफलता के कारण (Reasons for failure of Revolutionary Movement)

1. **संगठन का अभाव**— विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों में एकता का अभाव था। अलग—अलग क्षेत्रों में वे अपनी कार्यवाहियां कर रहे थे, दुर्भाग्यवश भारत में क्रांतिकारी संगठित न हो सके।
2. **जन—सहयोग का अभाव**— क्रांतिकारियों की हिंसावादी नीति के कारण क्रांतिकारियों को भारत के मध्यम तथा उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त न हो सका। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिये जन समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, किंतु क्रांतिकारी इसे प्राप्त न कर सके।
3. **सीमित साधन**— क्रांतिकारियों के पास अत्यंत सीमित साधन थे। अस्त्र—शस्त्रों की पूर्ति भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। ब्रिटिश सरकार के पास असीमित साधन थे।
4. **ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति**— क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिये ब्रिटिश सरकार ने कठोर नीति का पालन किया। 1907 में एक कानून द्वारा सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजद्रोहात्मक सजा अधिनियम द्वारा क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिये गये ताकि भयभीत होकर जनता क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान न करें।
5. **महात्मा गांधीजी का जनता पर प्रभाव**— महात्मा गांधी जी अहिंसात्मक तरीकों से ही भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। कांग्रेस की सहानुभूति क्रांतिकारी आंदोलनो के प्रति नहीं थी। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गये अहिंसात्मक आंदोलनो की सफलता के कारण क्रांतिकारी आंदोलनों का समुचित विकास नहीं हो सका।

क्रांतिकारी आंदोलनों का योगदान (Contribution of Revolutionary Movements)

भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलनों का अपना विशिष्ट स्थान है। क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप देश में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। देश प्रेम और भारत की स्वतंत्रता के लिये क्रांतिकारियों ने जनता के समक्ष त्याग और बालिदान का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। जब किसी क्रांतिकारी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता था, सारे देश में उत्तेजना की लहर फैल जाती थी। क्रांतिकारियों ने अपने खून से देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का संचार भारतवासियों में किया।

भारत को स्वतंत्र कराने में आजाद हिंद फौज और भारतीय नौसेना विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के विद्रोह को नकारा नहीं जा सकता। मातृभूमि को ब्रिटिश पराधीनता से मुक्त करने के लिये इन वीरों ने स्वयं को मौत के द्वार पर ला खड़ा किया। कुछ क्रांतिकारियों ने हंसते—हंसते भारतमाता के लिये मौत को गले लगाया।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. निम्नलिखित में से उदारवादी नेता कौन था?

(अ) बाल गंगाधर तिलक (ब) व्योमेश चन्द्र बनर्जी

(स) बिपिन चन्द्र पाल (द) लाला लाजपत राय

8. उदारवादियों के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है?

(अ) ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास

(ब) पाश्चात्य शिक्षा की उपयोगिता में विश्वास

(स) हिंसात्मक आंदोलनों में विश्वास

(द) स्वदेशी का प्रचार

2.5 भारत सरकार अधिनियम, 1909 (Government of India Act, 1909)

1909 ई. में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। इसे मार्ले–मिण्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड मिण्टो भारत के तत्कालीन वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे।

2.5.1 अधिनियम पारित होने के कारण (Reasons for Passage of the Act)

1. **1892 ई. के अधिनियम के प्रति असंतोष**– 1892 ई. का अधिनियम भारतीयों की आशाओं और मांगो के अनुरूप नहीं था। भारतीयों का असंतोष सरकार के विरूद्ध अनेक जन आंदोलन के रूप मे प्रकट हुआ।
2. **उग्रवादी आंदोलनों का प्रभाव**– 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय काँग्रेस पर उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार उग्रवादी राष्ट्रवादीता के उदय से चिंतित होकर सुधारों द्वारा उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने का प्रभाव किया।
3. **क्रांतिकारी आंदोलन**– लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। चापेकर बंधुओं ने पूना में मि. रॅण्ड और उसके सहयोगी की हत्या कर दी। नासिक के कलेक्टर को गोली मार दी गयी। पूर्वी बंगाल के गवर्नर फ्रेजर की हत्या का प्रयास किया गया। इन सब घटनाओं से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। उसने प्रशासकीय सुधारों के द्वारा भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया।
4. **मुस्लिम सांप्रदायिकता**– मुस्लिम लीग पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। वायसराय मिण्टो पृथक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर

टिप्पणी

चुका था। अब समय था कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में सुधार किया जाये।

5. **इंग्लैन्ड में उदारवादियों की विजय**– दिसंबर 1905 में इंग्लैन्ड में उदारवादी दल की विजय हुई और वह सत्ता में आ गई। वह संवैधानिक सुधारों द्वारा भारत के लोगों की समस्या का समाधान करना चाहती थी।
6. **लॉर्ड कर्जन का शासनकाल**– लॉर्ड कर्जन की निरंकुशतावादी नीतियों ने भारत की स्थिति को और बिगाड़ दिया। अकाल के कारण भारत में जनता भुखमरी का सामना कर रही थी, उस समय कर्जन ने कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक बनवाने में लाखों रूपया खर्च किया 1905 में बंगाल विभाजन कर भारतीयों को बहुत असंतुष्ट कर दिया इस असंतोष को शांत करना आवश्यक था।

2.5.2 1909 के अधिनियम की प्रमुख धाराएँ (Major Sections of the Act of 1909)

इस अधिनियम में अनेक धाराएँ थी, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित थी–

1. **सर्वोच्च विधान परिषद केन्द्रीय व्यवस्थापिका**– इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी के 6 सदस्य, सेनाध्यक्ष एवं एक प्रांतीय गवर्नर को मिलाकर इस परिषद की कुल संख्या 69 हो गई।
2. **प्रांतीय विधान परिषद**– 1909 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों की कुल सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई। मद्रास व बम्बई में 1909 के पहले 24–24 सदस्य थे। इस अधिनियम द्वारा 46–46 कर दिये गये। बंगाल में 21 से 52 और पंजाब में 10 से 24 सदस्य संख्या हो गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 47 कर दी गई।
3. **विधान परिषदों के कार्यो में वृद्धि**– केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यो एवं अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, प्रस्ताव रखने, पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हित के विषयों पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया।
4. **अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति प्रारंभ**– 1909 के अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति शुरू की गई। परिषदों के निर्वाचन के लिये तीन प्रकार के मंडलों का प्रावधान था। साधारण वर्ग, विशेष तथा विशेष निर्वाचन मंडल।
5. **इंग्लैन्ड स्थित भारत परिषद तथा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति**– इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैन्ड स्थित भारत सचिव की परिषद एवं भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
6. **प्रांतीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या में वृद्धि**– 1909 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी की सदस्य संख्या में वृद्धि

की गई। बंगाल, मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की परिषद में अब दो के स्थान पर चार सदस्य रखे गये।

2.5.3 1909 के अधिनियम का मूल्यांकन (Evaluation of the 1909 Act)

इस अधिनियम द्वारा सभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि की गयी तथा प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस दृष्टि से 1909 के अधिनियम द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे–

1. संसदीय प्रणाली स्थापित करने का दिखावा किया गया, जिससे सरकारी कार्यो में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। निर्वाचन प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे–
    - (i) मतदाताओं की संख्या को नहीं बढ़ाया गया।
    - (ii) स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया।
    - (iii) सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम का सबसे प्रमुख दोष पृथक सांप्रदायिक प्रणाली को स्थापित करना था। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार मिल गया। इस व्यवस्था ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया।
2. इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ। केन्द्रीय सरकार पर भारत सचिव और उसकी परिषद का नियंत्रण बना रहा।
3. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अनेक नियम एवं विनियमों के द्वारा सीमित कर दिया गया, अनेक राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया गया।

2.6 कृषक तथा आदिवासी आंदोलन (Peasants and Tribals Movement)

भारत के अनेक वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में कई जनजातियां बसी हुई है जिन्हें प्रायः अदिवासी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बड़ी संख्या में बाहरी लोग, साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार और इसाई मिशनरी आदि आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचने लगे।

2.6.1 ब्रिटिश काल में जन–जातियों द्वारा किये गये प्रमुख आंदोलन (Main Agitations of Tribals during British Period)

1. खासी आंदोलन– पूर्वी क्षेत्र में सर्वप्रथम खासी जाति ने विद्रोह किया। यह जाति असम की जैन्तिया और गारो पर्वतों के बीच अतिप्राचीन काल से रह रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिये सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। सड़क निर्माण के लिये अनेक अंग्रेज और बंगाली इस क्षेत्र में आये। विदेशीयों की उपस्थिति खासियों को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1829 ई. में उन्होंने नवलोच पर आक्रमण किया और अनेक विदेशियों का वध कर दिया। अंग्रेज लेफ्टीनेण्ट बेंडिगफील्ड मारा गया। अंग्रेजों ने अनेक खासी गांव जला दिया। 1833 में तीरथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया।

2. कोलो का विद्रोह– प्राचीन काल से ही छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति निवास करती थी। बाहरी हस्तक्षेप के विरूद्ध 1831 में कोलों ने आंदोलन कर दिया 1831 में कोलों ने बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह आंदोलन शीघ्र ही रांची, पलामू, सोनपूर, तमार, हजारीबाग क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेजों ने कठोरता पूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया।

3. संथाल विद्रोह– बंगाल और बिहार की सीमा पर सबसे प्रमुख संथाल जनजाति के लोग निवास करते थे। संथाल आदिवासी स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से संथालो नें आंदोलन कर दिया। 1855 में संथालों का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया। विद्रोह इतना भयानक था कि, ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया। विद्रोह का दमन करने के लिये सैनिक भेजे गये। 1856 तक संथालों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चलता रहा। सरकार ने विद्रोह का दमन कर दिया।

4. भीलों का आंदोलन– भील राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश में निवास करते थे। भीलों ने समय–समय पर ब्रिटिश कानूनों के विरूद्ध आंदोलन किये। 1828 में खान देश के भीलों ने आंदोलन किया। 1846 ई. में मालवा में भी भीलों ने आंदोलन किया, अनेक बार गुजरात में भी भीलों ने आंदोलन किया। ब्रिटिश शक्ति के सामने भील ठहर नही पाये और अंग्रेजों ने प्रत्येक आंदोलन का दमन कर दिया।

5. मुण्डा विद्रोह– मुण्डा जनजाति दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के क्षेत्र में जंगलों में निवास करती थी। यह जनजाति सदियों से अपनी परंपराएँ और रीति रिवाजों का पालन करती हुई स्वतंत्रतापूर्वक जंगलों में रहती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में नवीन न्याय और भू–राजस्व प्रणाली को लागू किया। मुण्डा जनजाति ने इसका घोर विरोध किया। उन्होंने अपने नेता बिरसा मुण्डा 1874–1900 के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। कोल जन जाति ने भी बिरसा मुण्डा का समर्थन किया। बिरसा को मुण्डा जनजाति के लोग भगवान

टिप्पणी

मानते थे, उनका विचार था कि बिरसा को भगवान ने दर्शन दिये है। अतः हजारो मुण्डा जनजाति के लोग उसके अनुयायी बन गये। ब्रिटिश सरकार बिरसा के बढ़ते प्रभाव से घबरा कर बिरसा मुण्डा और उसके अनुयायियों को जेल में डाल दिया। 1898 मे वह जेल से मुक्त हुआ इसके बाद उसने अपने अनुयायियों को तलवार और धनुषबाण चलाने की शिक्षा दी। 1890 में बिरसा के नेतृत्व में मुण्डाओं ने विद्रोह कर दिया। परंतु ब्रिटिश सरकार की शक्ति के सामने मुण्डाओ की हार हुई। 200 मुण्डा बंदी मारे गये बिरसा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। आज भी मुण्डा जनजाति के लोग बिरसा की भगवान के रूप में पूजा करते है।

जनजातियों द्वारा किये गये आंदोलन असफल थे। इन आंदोलनों के असफलता का प्रमुख कारण संगठन एवं योजना का अभाव था। ब्रिटिश सेना जनजातियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी।

2.7 होमरुल आंदोलन (Home Rule Movement)

1907 में काँग्रेस के विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में शिथिलता आ गई थी। 1914 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को रिहा किया गया। काँग्रेस में उदारवादियों का प्रभुत्व था।

2.7.1 होमरूल लीग की स्थापना (Establishment of Home Rule League)

23 अप्रैल, 1916 को पूना में तिलक ने ''इंडियन होमरूल लीग'' की स्थापना की घोषणा कर दी। 1 सितम्बर 1916 को एनी बेसेन्ट ने भी मद्रास में ''होमरूल लीग'' की स्थापना की घोषणा की। एनीबेसेन्ट ने मद्रास से प्रकाशित होने वाले पत्रो ''कामन बिल'', ''न्यू इंण्डिया'' और ''यंग इंडिया'' (बम्बई) के माध्यम से होमरूल (स्वशासन) के बारे में लोगो को समझाना प्रारंभ किया। तिलक जी ने ''केसरी'' और ''मराठा'' समाचार पत्र के माध्यम से ''होमरूल लीग'' का समर्थन किया। एनी बेसेन्ट 1847 ई. में लंदन में जन्मी एक आयरिश महिला थीं। उन्होने भारत को स्वायत शासन दिलाने के लिये अथक प्रयास किये। ऐनी बेसेन्ट ने 'होमरूल लीग' की शाखाए बंबई, इलाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, बनारस, मथुरा आदि प्रमुख स्थानों में खोली। अनेक महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता जैसे पं. मोतीलाल नेहरू एवं तेजबहादूर सप्रू ने उनकी होमरूल लीग की सदस्यता ग्रहण की।

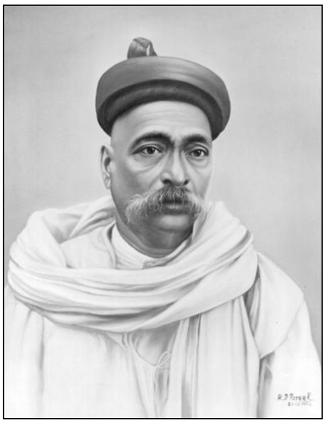

चित्र क्र. 2.13: लोकमान्य तिलक

2.7.2 होमरूल आंदोलन का उद्देश्य (Objectives of Home-Rule Movement)

होमरूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 'स्वशासन' प्राप्त करना था। होमरूल आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ऐनी बेसेन्ट ने 'कॉमन वील' में लिखा था ''राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम सभाओं, जिलों, बोर्डो, प्रांतीय असेम्बली से होते हुए राष्ट्रीय संसद तक जिन्हें स्वशासित उपनिवेशों के लेजिस्लेटिव सभाओं के समान अधिकार हों, संगठन स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि भी इम्पीरियल संसद में भेजे जाए। इस आंदोलन का उद्देश्य ''सोये हुए भारतीयों को जगाना'' तथा उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना भी था।

होमरूल आंदोलन का प्रचार एवं दमन (Campaign & Oppression of Home Rule Movement)

तिलक जी एवं एनी बेसेन्ट ने अपने–अपने तरीकों से होमरूल आंदोलन का खूब प्रचार किया। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को होमरूल के साथ जोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने तिलक के कुछ भाषणों को राजद्रोहात्मक बताते हुए उन्हें मुकदमे का नोटिस थमाया। जिलाधिकारी के इस निर्देश के विरूद्ध तिलक ने उच्च न्यायालय में अपील की। तिलक की और से बैरिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना ने अपील की कार्यवाही की। उच्च न्यायालय में तिलक के भाषणों को आपत्तिजनक नहीं माना और सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इससे तिलक की लोकप्रियता और भी बढ़ गयी। सरकार ने दमन चक्र बंद नहीं किया एनी बेसेन्ट को बम्बई में तथा तिलक और बिपिन चन्द्र पाल को दिल्ली व पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पश्चात एनी बेसेन्ट और उनके दो सहयोगियों को 15 जून, 1917 ई. को नजरबंद कर दिया गया। 1 अगस्त 1920 ई. को तिलक की मृत्यु हुई, तब तक स्वायत्त शासन के लिये आंदोलन चलता रहा।

टिप्पणी

चित्र क्र. 2.14: एनी बेसेन्ट

महत्व (Importance)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में होमरूल आंदोलन का विशेष स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन में जनसाधारण ने भी खुलकर भाग लिया था। अतः इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन के लिये एक आधार का कार्य किया। होमरूल आंदोलन के परिणामस्वरूप 1917 में भारत सचिव मांटेग्यू की घोषणा आयी जिसके आधार पर 1919 ई. का अधिनियम पारित कर प्रांतों में शासन प्रणाली की स्थापना की गई।

2.8 लखनऊ समझौता (Lucknow Pact)

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का दिसंबर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होना तय था। अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की विभाजित कांग्रेस के दोनों खेमों ने अलगाववाद को त्याग दिया है, और एकता के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है।

लखनऊ अधिवेशन का महत्व इसलिये भी है क्योंकि इस अधिवेशन में काँग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है।

2.8.1 लखनऊ समझौते के उपबंध (Provisions of Lucknow Pact)

1914 में महात्मा गांधी जी और जिन्ना के प्रभाव के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना अपना अधिवेशन एक ही दिन बंबई में आयोजित किया। मुस्लिम लीग ने काँग्रेस के नेताओं को सम्मेलन में आमंत्रित भी किया। काँग्रेसी नेताओं ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया। काँग्रेस और लीग की एक संयुक्त कमेठी गठित की गई। जिसमें दोनों दलो के बीच सौहार्द और सहयोग

उत्पन्न करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की, जिसे ''काँग्रेस लीग योजना'' कहते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस योजना को स्वीकार कर लिया गया इसलिये यह ''लखनऊ समझौता'' भी कहलाता है। लखनऊ समझौता मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित था–

- **प्रथम–** मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के संबंध में काँग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एवं अधिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया।
- **द्वितीय–** भारतीय प्रशासन में सुधारों के संबंध मे।

प्रथम भाग (First part)

1. मुसलमानों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या पंजाब में 50 प्रतिशत, बंगाल में 40 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में प्रतिशत में 30 प्रतिशत, बंबई में 33 प्रतिशत, मध्य प्रांत में 15 प्रतिशत और बिहार में 25 प्रतिशत सुरक्षित कर दिया गया।
2. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के लिये निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग निश्चित कर दिया गया।
3. यह भी व्यवस्था की गई कि समस्त निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचित क्षेत्रों के आधार पर होंगे।

द्वितीय भाग (Second Part)

द्वितीय भाग में निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों का वर्णन था–

1. ब्रिटिश सरकार भारत को शीघ्र ही अधिराज्य का दर्जा देने की घोषणा करे।
2. केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को कम से कम 1/2 सदस्य अपनी–अपनी व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित होना चाहिये।
3. केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित एवं 20 प्रतिशत सदस्य मनोनीत होने चाहिये।
4. प्रशासन और वित्त का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।
5. भारतीय सेवा पर भारतीयों की नियुक्ती होनी चाहिये।
6. कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथ्क्कीकरण होना चाहिए।
7. भारत की सचिव परिषद समाप्त कर दी जानी चाहिये और उसका वेतन भारतीय कोष से नही दिया जाना चाहिये। भारत सरकार पर उसका नियंत्रण समाप्त कर देना चाहिये।

मूल्यांकन (Evaluation)

लखनऊ समझौते ने राष्ट्रीय आंदोलन को दृढ़ता प्रदान की। सुरेंन्द्रनाथ ने इसे ''भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन'' निरुपित किया लखनऊ समझौते में तिलक और एनी बेसेन्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदन मोहन मालवीय इस समझौते के विरोध में थे। उनका विचार था कि इस समझौते के द्वारा मुसलमानों को बहुत

अधिक सुविधाएं दी गयी है, किंतु उस समय हिंदु एवं मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से सरकार का विरोध करना आवश्यक था।

2.9 रौलेट एक्ट (Rowlatt Act)

ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान क्रांतिकारी तथा आतंकवादी गतिविधियों के दमन के लिये ''भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम'' पारित किया था। यह अधिनियम शांतिकाल में बनाये रखना संभव नहीं था। अतः ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाने का संकल्प किया जो इस अधिनियम का स्थान ले सके। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिये 1917 ई. को न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में सेडीशन कमेटी की नियुक्ती की। इस कमेटी ने अप्रैल, 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रौलेट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने दो विधेयक बनाये, इसलिये इसे रौलेट एक्ट कहा जाता था। इस बिल के अनुसार क्रांतिकारियों के मुकदमों का फैसला शीघ्रता से करने के लिये एक विशेष न्यायालय संगठित किया गया। इसके निर्णयों की अप्रील नहीं हो सकती थी, सरकार किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर, बिना दोष साबित किये जेल में बंद कर सकती थी।

ब्रिटिश सरकार के इस बिल का भारत में सर्वत्र विरोध हुआ, क्योंकि इसका स्पष्ट उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था। भारतीय जनता ने इसे ''काला विधेयक'' कहा। पं. मोतीलाल नेहरु के शब्दों में विधेयक का सारांश था ''न वकील, न अपील और न दलील।'' मुहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध करते हुए, ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी ''अगर यह विधेयक स्वीकार कर लिये गये, तो आप देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक असंतोष और आंदोलन की ऐसी ज्वाला भडका देंगे जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी''।

महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मुहम्मद अली जिन्ना, विठ्ठल भाई पटेल, श्री निवास शास्त्री आदि नेताओं ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया कि इन बिलों का पारित करने से पहले पुर्नविचार कर ले, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। किंतु समस्त भारतीय नेताओं के विरोध के पश्चात भी 17 मार्च 1919 ई. को रौलट अधिनियम पारित कर दिया गया। अधिनियम के पारित होने पर भारतीयों द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ''रौलेट अधिनियमों से सारे देश में रोष की लहर दौड़ गयी और सभी भारतीयों ने उसका विरोध किया।'' कलकता से प्रकाशित समाचार–पत्र 'अमृत बाजार पत्रिका' ने इसे ''भारी भूल'', न्यू इण्डिया ने इसे ''पैशाचिक'', लाहौर से प्रकाशित पंजाबी ने इसे ''नौकरशाही का निर्लज्ज प्रयास'' बताया। समाचार–पत्र 'हिंदू' एवं 'बाम्बे क्रानिकल,' ने भी इसकी कड़ी निंदा की। इस अधिनियम के पारित होने के दूरगामी परिणाम हुए। इस अधिनियम ने महात्मा गांधी जी को उदार राजनीति को त्यागकर सीधे ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिये विवश किया। उन्होंने कहा ''मुझे पहला धक्का रौलेट अधिनियम से लगा जो जनता की स्वतंत्रता छीनने के उद्देश्य से बनाया

टिप्पणी

गया। मुझे मेरी अंतरआत्मा से प्रेरणा मिली थी कि इसके विरुद्ध तीव्र आंदोलन करना चाहिये''।

2.10 जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwalla Bagh Massacre)

पंजाब के अमृतसर में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था। पंजाब के लोकप्रिय काँग्रेसी नेता डॉ. सत्यपाल किचलू उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अमृतसर आने को आमन्त्रित किया। महात्मा गांधी जी इस समय बम्बई में थे। उन्होने पंजाब जाने का निश्चय किया। ब्रिटिश शासन ने उन्हें नगर न छोड़ने का आदेश दिया। महात्मा गांधी जी ने शासन की उपेक्षा कर दी और 7 अप्रैल की रात को गांधी जी दिल्ली एवं अमृतसर के लिये रवाना हुए। पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी को पुलिस ने रेलगाड़ी से उतार लिया। 10 अप्रैल को उन्हे बम्बई भेज दिया गया था। उनके बंदी बनाये जाने के विरोध में बंबई में 17 अप्रैल तक हड़ताल रही।

चित्र क्र. 2.15: जलियांवाला बाग हत्याकांड

10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमीशनर ने डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. किचलू को प्रातः बंदी बनाकर धर्मशाला नगर में नजरबंद कर दिया था दोनों नेताओं के बंदी बनाएं जाने का समाचार नगर में आग की भाँति फैल गया। जनता ने शहर में हड़ताल कर दी। जनता के जुलूस ने मुख्य मार्गों से होते हुए डिप्टी कमीश्नर के निवास स्थान की तरफ नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिये प्रस्थान किया था।

अमृतसर में वैशाखी का मेला भी लगा हुआ था। जुलूस बिल्कुल शांत था। लेकिन रेलवे पुल के पास जनता तथा पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। पुलिस की चेतावनी पर जुलूस तितर–बितर नहीं हुआ तो पुलिस ने गोली चला दी। इस पर जनता उत्तेजित हो गयी और बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने तोड़–फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। मार्ग

में जो भी यूरोपियन मिला जनता ने उस पर हमला किया। नेशनल बैंक एवं एलाइन्स बैंक को जनता ने नष्ट कर दिया। श्रीमती शेरवुड नामक मिशनरी महिला पर भीड़ ने आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप सेना बुलायी गयी और सेना ने निहत्थी जनता पर गोली चलायी। 10 व्यक्ति मारे गये एवं बहुत से व्यक्ति घायल हुए। जनता ब्रिटिश शासन के इस अन्याय एवं अत्याचार की कार्यवाही से उत्तेजित हो गयी।

11 अप्रैल को अमृतसर को नगर सेना के नियंत्रण में कर दिया गया था। जनरल डायर के हाथ में सेना का नियंत्रण था, 12 अप्रैल को धारा 144 लागू कर दी गयी तथा सभी सभ़ाओं एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे, लेकिन इस प्रतिबंध की पूरी तरह घोषणा नहीं की गयी थी। इस दमनपूर्ण नीती के विरोध में हड़ताल आयोजित की गयी एवं जुलूस निकाला गया। नगर काँग्रेस समिति के आव्हान पर 13 अप्रैल को संध्या के 4.30 बजे पुलिस के अत्याचार की निंदा करने तथा पुलिस की गोलियों से मृत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिये सभा में भाग लेने के लिये लोग एकत्रित होने लगे।

जलियांवाला बाग में अनुमान यह है कि सभा में 10 हजार से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए थे। जनरल डायर अपने 50 अंग्रेज एवं 100 भारतीय सैनिकों के साथ आयोजन के निर्धारित समय पर सभा स्थल पर पहुंच गया था। उसने सभा को भंग करने के आदेश दिये बिना ही गोली चलाने का आदेश दे दिया। 100 गज रेंज से भीड़ पर 10 मिनट तक निर्दयतापूर्वक गोलियां बरसाई जाती रही। जिन स्थानों पर भीड़ अधिक थी उन्हें निशाना बनाकर विशेष रूप से गोलियां चलायी गयी। गोली चलाना तभी बंद किया गया जब गोलियां समाप्त हो गई थीं। इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गये तथा 1200 व्यक्ति घायल हुए थे। ये सरकारी आंकड़ा था। डायर के आदेशानुसार घायलों को बाग में ही रोते एवं बिलखते हुए पड़ा रहने दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी गिरधारी लाल के अनुसार मृतकों की संख्या 1000 से अधिक थी।

जलियांवाला बाग की अमानुषिक घटना के दो दिन पश्चात पंजाब के पाँच जिलों–लाहौर कसूर, गुजरांवाला, वजीराबाद एवं शेखपुरा में सैनिक शासन लागू किया गया। जनता को अनेको तरीकों से तंग किया गया।

पंजाब में इस निर्दयतापूर्ण अत्याचार के लिये पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध रोष फैल गया और उसकी निंदा की जाने लगी। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 'सर' की उपाधि लौटा दी।

काँग्रेस द्वारा जांच समिति की नियुक्ति की घोषणा करने के बाद ही वायसराय ने हण्टर समिति नियुक्त किया। जलियांवाला हत्याकाण्ड एवं सैनिक कानून द्वारा दमन ने राष्ट्रीय जनमानस को उत्तेजित कर दिया। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार एक हजार से भी अधिक व्यक्ति मारे गये थे। डायर को अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं था।

काँग्रेस कमेटी को भी जुलाई 1919 मे पहले तक इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी नहीं लग पायी थी। इसके बाद देश भर में जलियांवाला बाग हत्याकांड

की निंदा की गई, विरोध किया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पंजाब के अत्याचारों के विरोध में 'नाईटहुड' की उपाधि त्याग दी। 21 वर्ष बाद, 13 मार्च 1940, को एक क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वही पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के आक्रोश को दबाने के लिये पुनः बर्बरता का सहारा लिया। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिये गये। संपादकों को तो निर्वासित कर दिया गया और जेल मे डाल दिया गया। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का सबसे ज्यादा खून–खराबे वाला नरसंहार कहा। सी. एफ. सेन्ड्रज ने डायर के कार्य को निर्दयतापूर्वक एव नृशंसतापूर्वक हत्याकांड की संज्ञा दी। उनके अनुसार यह कुकृत्य अकथनीय, अपमानजनक एवं अक्षम्य था।

2.10.1 हण्टर कमेटी (Hunter Committee)

19 अक्टूबर, 1919 ई. में ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड की जांच करने के लिये हण्टर कमेटी की नियुक्ती की। इस कमेटी में चार अंग्रेज और तीन भारतीय सदस्य थे। कॉंग्रेस ने इस समिति का बहिष्कार किया। इस समिति के अंग्रेज सदस्यों ने 28 मई, 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। अंग्रेज सदस्यों ने पंजाब के अधिकारियों के कार्य को निष्कपट कर्तव्य कहा तथा इन्हे निर्णय की भूल सिध्द किया। भारतीय सदस्यों ने इसे अमानुषिक कार्य बताते हुए इसकी कटु निंदा की। जनरल डायर को केवल नौकरी से अलग किया गया। लेकिन इंग्लैन्ड के समाचार पत्रों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित किया और उसे सम्मानित किया गया।

2.10.2 कॉंग्रेस कमेटी (Congress Committee)

जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिये कॉंग्रेस ने एक कमेटी की नियुक्ती की जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी एवं अन्य सदस्य थे– चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और डॉ. एम.आर. जयकर। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जलियांवाला बाग में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकारी रिपोर्ट से कहीं अधिक थी। कॉंग्रेस ने पंजाब में अत्याचारों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने तथा मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को अधिक सहायता देने की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया। अनाधिकारिक आँकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गये और 2000 से अधिक घायल हुए।

यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह यह जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था। इसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को नयी दिशा दी। कॉंग्रेस और गांधीजी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन का निश्चय किया। यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरूआत बनी। इंग्लैन्ड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने इसे अमानवीय तथा ब्रिटिश इतिहास के लिये धब्बा निरुपित किया।

2.11 1919 का भारत सरकार अधिनियम तथा द्वैध शासन (Government of India Act, 1919 and Diarchy)

ब्रिटिश सरकार ने इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

2.11.1 भारत शासन अधिनियम, 1919 के पारित होने के कारण (Reasons of Passing of Government of India Act, 1919)

1. **मार्ले–मिण्टो अधिनियम के प्रति असंतोष–** 1909 का मार्ले–मिन्टो अधिनियम ने भारत के अधिकांश लोगों को निराश किया। इससे भारतीयो में गहरा असंतोष था। भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे। किंतु इस अधिनियम द्वारा स्वशासन नहीं मिला जिसकी वे मांग कर रहे थे। अतः भारतीयों में व्यापक असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था।
2. **प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव–** भारतीय राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार से मतभेद होने के बावजूद, भारतीयों ने इस युद्ध में अंग्रेजो की सहायता की। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से ब्रिटेन का साथ दिया, उससे उन्हें विश्वास होने लगा था कि युद्ध के समाप्त होने पर भारत को स्वायत्त शासन दे दिया जायेगा।

   प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों के विरूद्ध हो गये। हिंदु एवं मुसलमानों में पारम्परिक सहयोग बढ़ गया था। अतः 1919 ई. का अधिनियम पारित करके अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया।
3. **क्रांतिकारी आंदोलन–** 1909 के अधिनियम के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से महाराष्ट्र और बंगाल में गतिविधियाँ तेज हो गयी थी। रासबिहारी बोस के द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेका गया। विदेशों में भी क्रांतिकारियों ने अपने केन्द्र स्थापित किये। इससे अंग्रेज भयभीत होने लगे। उन्होने भारतीयों को संतुष्ट करने हेतु 1919 का अधिनियम पारित किया।
4. **उदारवादी व उग्रवादीयों में समझौता–** 1907 के सूरत अधिवेशन में काँग्रेस का विभाजन हो गया था। उग्रवादी तथा उदारवादी विचारधारा में काँग्रेस के विभाजन का ब्रिटिश सरकार ने लाभ उठाया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट के प्रयासों से 1916 में काँग्रेस पुनः एक हो गयी। पुनः सशक्त काँग्रेस ने इस बार फिर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया।
5. **लखनऊ समझौता–** काँग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में लखनऊ समझौता होने के कारण सरकार पर दबाव बढ़ गया। मुस्लिमों ने कांग्रेस से समझौता करके स्वशासन की मांग का समर्थन किया। अब ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों को शांत करने के लिए यह सुधार अधिनियम आवश्यक था। अतः ब्रिटिश सरकार को 1919 का अधिनियम पारित करना पडा।

2.11.2 अधिनियम, 1919 की प्रमुख धाराएँ (Majror Sections of the Act of 1919)

1919 का अधिनियम भारतमंत्री माण्टेग्यू की 20 अगस्त 1919 की घोषणा पर आधारित था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे 18 दिसंबर 1919 को पारित किया और 23 दिसंबर को सम्राट ने इसे स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासनिक ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये–

1. प्रस्तावना– इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि–

(i) भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा।

(ii) भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी।

(iii) प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिक से अधिक समावेशित किया जायेगा।

(iv) स्वशासित संस्थाओं का विकास होगा।

2. गृह सरकार से संबंधित संविधान– गृह सरकार में भारत मंत्री और इंडिया कौंसिल थी। इस अधिनियम ने कौंसिल के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी। अब कौंसिल के सदस्य कम से कम 5 और अधिक से अधिक 12 हो सकते थे।

इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय हुआ। इंग्लैन्ड में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक नवीन पद बनाया गया।

भारतीय शासन से संबंधित कुछ कार्यों जैसे भारतीयों की शिक्षा आदि के लिये भारतीय हाई कमिश्नर का नया पद स्थापित किया गया। उसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। प्रांतों मे हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण बना रहा।

3. केन्द्र तथा प्रांतों के मध्य विषयों का विभाजन– अधिनियम ने विकेन्द्रीकरण के कार्य को प्रारंभ किया, इसलिये केन्द्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया। जो विषय पूरे भारत के महत्व के थे उन्हे केन्द्र के पास रखा गया था। केन्द्रीय विषय इस प्रकार के थे–सुरक्षा, विदेश तथा राजनीतिक संबंध तथा संचार यातायात के साधन, मुद्रा तथा सिक्के, सार्वजनिक ऋण, विदेशों से व्यापार, दीवानी तथा फौजदारी भारत आदि।

4. प्रांतों में द्वैध शासन– प्रांतीय विषयों को दो भागों मे विभाजित किया गया आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी को आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण था। आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधानमंडल के प्रति नहीं, अपितु गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था–

(i) आरक्षित विषय– पुलिस, शांति व्यवस्था स्थापित रखना, न्याय एवं जेल, सिंचाई, वन (बंबई व बर्मा को छोडकर) भू राजस्व शासन इत्यादि।

टिप्पणी

(ii) स्थानीय स्वायत्त शासन, शिक्षा (युरोपिय शिक्षा) सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण कृषी, आबकारी इत्यादि, (हस्तांतरित विषय) गवर्नर तथा मंत्रियों को सौंपे गये। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता को गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी (आरक्षित विषय) तथा गवर्नर और मंत्रियों (हस्तांतरित विषय) के बीच विमुक्त किये जाने को द्वैध शासन कहा जाता है।

5. प्रांतीय व्यवस्थापिका– 1919 के अधिनियम के द्वारा विधान मंडलों को अब विधानपरिषद कहा गया। शेष सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। मनोनीत सदस्यों में कुछ सरकारी और कुछ गैर–सरकारी होते थे। मुसलमानों के अतिरिक्त सिक्खो, भारतीय इसाईयों, युरोपीयनों, अँग्लो इंडियनों को पृथक निर्वाचनों का अधिकार दिया गया। उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये।

6. गवर्नर के विशेष अधिकार–

(i) आरक्षित विषय पर गवर्नर किसी विधेयक को स्वयं पारित कर सकता था।

(ii) किसी विधेयक पर वाद–विवाद बंद करा सकता था।

(iii) किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिये भेज सकता था।

(iv) कुछ विधेयकों के लिये गवर्नर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

उत्तर प्रदेश के मंत्री चिंतामणी के अनुसार ''वास्तविक शक्ति मंत्रियों के हाथ में नहीं, भारत गवर्नर के हाथ में थी।

7. आई. सी. एस. परीक्षा– अधिनियम में आई. सी. एस. परीक्षा को भारत में भी साथ साथ कराने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा एक लोकसेवा आयोग की भी स्थापना की गई।

8. 1 अप्रैल, 1921 ई. में द्वैध शासन– बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उडीसा, मध्यप्रदेश और असम में प्रारंभ किया गया। यह 1 अप्रैल 1937 ई. तक प्रांतों में द्वैध शासन लागू रहा। यद्यपि यह बंगाल में 1925 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926, तक यह कार्य नहीं कर सकी। इसके दोष निम्नलिखित थे–

(i) विषयों का त्रुटिपूर्ण विभाजन– प्रांतीय विषयों का त्रुटिपूर्ण विभाजन किया गया था। आरक्षित विभाग कार्यकारिणी को दिये गये जो मात्र गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे और हस्तान्तरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिये गये, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। सरकार के दोनो अंग एक साथ मिलकर कार्य करने की स्थिति में नहीं थे।

(ii) गवर्नरों की शक्तियां– गवर्नर वैधानिक प्रमुख न होकर बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने मंत्रियों के कार्यो में हस्तक्षेप किया। भारतीय मंत्रियों को विधानमंडल के साथ–साथ गवर्नर तथा उसकी परिषद को भी संतुष्ट रखना पडता था।

(iii) मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव– मंत्रियों में सामूहिक रूप से कार्य करने तथा संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था।

(iv) मंत्रियों का वित्त एवं अधिकारियों पर नियंत्रण– धन पर वित्त विभाग का पूर्ण नियंत्रण था अतः भारतीय मंत्रियों को धन के लिये हमेशा गवर्नर तथा वित्त सचिव की कृपा पर निर्भर रहना पडता था। मंत्रियों का अधिकारियों पर भी नियंत्रण नहीं था। क्योंकि इनका स्थानान्तरण हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत था।

(v) 1919 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास वास्तविक विशेषाधिकार थे। यदि गवर्नर जनरल के आदेश पर विधान मंडल किसी विधेयक को पारित नही करता तो गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति से उसे पारित कर सकती थी। वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। कई कारणों से प्रांतों में उत्तरदायी शासन का विकास नहीं हो सका।

प्रो. कूपलैण्ड ने लिखा है ''द्वैध शासन अपने निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहा। इसने उत्तरदायी शासन की कोई वास्तविक शिक्षा प्रदान नहीं की।'' यद्यपि द्वैध शासन जटिल और भ्रमपूर्ण था। उसका असफल होना निश्चित था परंतु इसी शासन में लोकप्रिय मंत्रियों ने स्थानीय निकायों शिक्षा तथा समाज सुधारों की ओर ध्यान दिया। 1919 ई. के अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

1919 के अधिनियम के गुण (Merits of the Act of 1919)

इस अधिनियम के निम्नलिखित गुण थे–

1. इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया, इससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ।
2. पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया।
3. प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की भारतीयों की मांग इस अधिनियम द्वारा स्वीकार कर ली गयी।
4. इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की गई।

दोष (Demerits)

इस अधिनियम में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक थे–

1. केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई थी।
2. इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया।
3. द्वैध शासन के अंतर्गत विषयों का विभाजन अतार्किक एवं अव्यवहारिक था।
4. गवर्नर को अत्याधिक शक्ति प्रदान की गयी थी।

उपर्युक्त कारणों से 1919 का अधिनियम भारतीयों की अपेक्षाओं को शांत करने में असफल रहा था।

टिप्पणी

2.12 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answer to Check Your Progress)

1. (द)	5. (ब)
2. (अ)	6. (अ)
3. (ब)	7. (अ)
4. (अ)	8. (अ)

2.13 सारांश (Summary)

इस इकाई में लॉर्ड कर्जन के भारत में सुधारों के साथ ही बंगाल विभाजन का वर्णन किया गया है। बंगाल विभाजन के परिणामस्वरुप स्वदेशी आंदोलन 1906 में प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। 1885 से 1905 का समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के इतिहास में उदारवाद या नरमदल का काल माना जाता है। काँग्रेस के अनेक नेता भारत को ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण एवं प्रशासनिक उत्पिडनों से मुक्त करना चाहते थे। ये उग्रवादी एवं गरमदल कहलाये।

1907 में काँग्रेस का विभाजन हो गया। 19 वीं शताब्दी में अनेक क्रांतिकारी देशभक्तों ने हिंसात्मक उपायों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के प्रयास किये। ये क्रांतिकारी कहलाये। विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद तथा भगतसिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोडने पर विचार करने के लिए विवश किया। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मार्ले–मिन्टो सुधार अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश काल में अनेक जन–जातियों द्वारा अंग्रजों के विरुद्ध आंदोलन किये गये। संथाल एवं मुण्डा विद्रोह आदि। इन आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होमरुल आंदोलन प्रारंभ किया। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने रौलेट एक्ट पारित किया जिसका भारत में सर्वत्र विरोध हुआ। परिणामस्वरुप पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इनमें 1000 से अधिक भारतीयों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गयी। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया तथा द्वैध शासन स्थापित किया।

2.14 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **द्वैध शासन:** जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन कहते हैं।
- **मार्ले–मिन्टो सुधार:** भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले–मिन्टो सुधारों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिन्टो वायसराय थे।

2.15 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. लॉर्ड कर्जन के आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिये।
2. कर्जन के कृषि संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिये।
3. कर्जन के अकाल संबंधी सुधारों पर प्रकाश डालिये।
4. बंगाल के विभाजन पर प्रकाश डालिये।
5. बंगाल के विभाजन के पीछे कर्जन का क्या उद्देश्य था?
6. स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं?
7. स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम बताइए।
8. स्वदेशी आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिये।
9. स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिये।
10. कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिये।
2. लॉर्ड कर्जन के सुधारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।
3. लॉर्ड कर्जन द्वारा किये गये सुधारों का वर्णन कीजिये। उसके काल में भारतीयों में असंतोष के मुख्य कारण क्या थे?
4. स्वदेशी आंदोलन के कारणों एवं प्रगति की विवेचना कीजिये।
5. स्वदेशी आंदोलन की कार्यपद्धती तथा उद्देश्यों की समीक्षा कीजिये।
6. ''स्वदेशी आंदोलन भावी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नीव थी'' इस कथन की विवेचना कीजिये।
7. स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? इसका महत्व स्पष्ट कीजिये।

8. 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे?
9. उदारवादियों के कार्यक्रम तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिये। इनकी असफलता के क्या कारण थे?
10. उदारवादी आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिये।
11. उग्रवादी आंदोलन क्या था? इसके कारणों पर प्रकाश डालिये।
12. उग्रवादी की असफलता के कारण लिखिये।

2.16 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. ग्रोवर बी.एल. मेहता, अलका यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन
2. डॉ. ए.के. मित्तल– भारत का इतिहास साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
3. भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण 1947 से 1977 तक– डॉ. मंजु मारिया सोलमन, होराइजन बुक न्यु दिल्ली 2017
4. बिपिन चन्द्र आधुनिक भारत का इतिहास

टिप्पणी

इकाई 3 गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, लाहौर काँग्रेस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता, भारत छोडो आंदोलन

संरचना (Structure)

3.0 परिचय
3.1 उद्देश्य
3.2 गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन
- 3.2.1 खिलाफत आंदोलन
- 3.2.2 खिलाफत आंदोलन की 3 मांगें
- 3.2.3 असहयोग आंदोलन
- 3.2.4 असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम
- 3.2.5 आंदोलन के परिणाम

3.3 स्वराज दल
- 3.3.1 भूमिका
- 3.3.2 स्वराज दल की स्थापना
- 3.3.3 स्वराज दल का पतन एवं मूल्यांकन

3.4 साइमन कमीशन
- 3.4.1 साइमन कमीशन नियुक्ती के कारण
- 3.4.2 नेहरू रिपोर्ट

3.5 लाहौर काँग्रेस
- 3.5.1 पूर्ण स्वाधीनता की मांग

3.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन
- 3.6.1 कारण
- 3.6.2 ग्यारह सूत्री योजना
- 3.6.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ

3.7 गोलमेज सम्मेलन
- 3.7.1 गांधी–इरविन समझौता
- 3.7.2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
- 3.7.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन– द्वितीय चरण, 1932–34
- 3.7.4 तृतीय गोलमेज सम्मेलन
- 3.7.5 सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत
- 3.7.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम या महत्व

3.8 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता
- 3.8.1 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि
- 3.8.2 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ
- 3.8.3 अधिनियम के गुण
- 3.8.4 अधिनियम के दोष

3.9 भारत छोड़ो आंदोलन
- 3.9.1 आंदोलन के कारण
- 3.9.2 भारत छोड़ो प्रस्ताव

3.9.3 आंदोलन का प्रारंभ
3.9.4 आंदोलन का महत्व तथा परिणाम
3.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
3.11 सारांश
3.12 मुख्य शब्दावली
3.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
3.14 सहायक पाठ्य सामग्री

3.0 परिचय (Introduction)

महात्मा गांधीजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम योगदान रहा है।

महात्मा गांधीजी 1914 ई. में भारत आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह या शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिये प्रसिद्ध हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति का विरोध करने एवं भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने में वे सफल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु, भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरू बनाया था। गांधीजी का मानना था कि ब्रिटिश के हाथों से उचित न्याय मिलना असंभव है इसलिये उन्होने ब्रिटिश सरकार से सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई।

शीघ्र ही गांधीजी के दृष्टिकोण में परिवर्तन यह हुआ कि गांधी जी का ब्रिटिश सरकार पर से विश्वास उठ गया और उन्हें असहयोग आंदोलन चलाने के लिये बाध्य होना पड़ा। गांधी जी के अंग्रेजों से असहयोग करने के तीन कारण थे– रौलट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन।

महात्मा गांधीजी भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। भारतीय इतिहास में 1919 से 1947 ई. काल वस्तुतः गांधी युग है। इस युग में गांधी जी राजनीती व भारतीयों के ह्रदयों में छाए रहे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करके उसे व्यापक जन आधार प्रदान किया।

3.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को निम्न घटनाओं से अवगत कराना है–

- 1919 से 1947 ई. का काल वस्तुतः गांधी युग है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आंदोलन के आदेशों एवं मुल्यों से अवगत कराना।
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक विश्लेषण से विद्यार्थी सही अर्थों में परिचित हो सके की असंख्य लोगों के त्याग व बलिदान और गांधीजी के नेतृत्व से भारत को अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।

3.2 गांधी युग– खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन (Gandhi Era- Khilafat and Non-Cooperation Movement)

महात्मा गांधी जी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 ई. से 1948 तक छाए रहे। गांधीजी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में ''गांधीयुग'' के नाम से जाना जाता है।

3.2.1 खिलाफत आंदोलन (Khilafat Movement)

आंदोलन की पृष्ठभूमि– महात्मा गांधी जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक भारतीय मतभेद भूलकर एकता स्थापित नहीं करते, भारतीयों को किसी भी प्रकार के अधिकार अथवा स्वतंत्रता मिलना असंभव है। गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों की बीच की दूरी को समाप्त करना चाहते थे। खिलाफत की समस्या ने उनको यह अवसर प्रदान किया।

भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुस्लिमों के समक्ष यह समस्या थी कि, वह अंग्रेजों का साथ दे या जर्मनी का। इस युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। यदि वे अंग्रेजों का साथ देते तो उन्हें खलीफा के विरूद्ध लडना पडता और यदि खलीफा का साथ देते तो अंग्रेजो से लड़ना पडता अतः मुस्लिमों के लिये एक ओर धार्मिक निष्ठा और दूसरी ओर राजनीतिक निष्ठा का प्रश्न था।

खिलाफत आंदोलन के नेताओं में प्रमुख मुहम्मद अली और शौकत अली, मो. अबुल कलाम आजाद, डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी, अजमल खां आदि थे। इन नेताओं ने तुर्की का समर्थन किया। अब ब्रिटिश सरकार के सामने यह समस्या थी कि युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये। इंग्लैन्ड के प्रधानमंत्री लायड जार्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि, यदि भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो युद्ध के पश्चात अंग्रेज तुर्की की अखंडता को बनाये रखेंगे व धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। अंग्रेजों के इस आश्वासन के बाद भारतीय मुस्लिमों ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। युद्ध के बाद सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने जब इस संदर्भ में वायसराय से बात की तो उन्हें उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष किया। इसी संघर्ष को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है।

खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 तक बंबई के प्रमुख व्यापारियों के हाथ में था। 21 सितम्बर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉंग्रेस की एक बैठक लखनऊ में बुलायी गयी। इस बैठक में 17 अक्टूबर 1919 को ''खिलाफत दिवस'' मनाने का निर्णय लिया गया। 1920 ई. में लीग का अधिवेशन दिल्ली में किया गया।

इलाहाबाद में काँग्रेस और खिलाफत कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया गया। गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू–मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर समझा।

3.2.2 खिलाफत आंदोलन की 3 मांगे (Three Demands of Khilafat Movement)

1. तुर्की सुल्तान का खलीफा पद यथावत रखा जाये।
2. जजीरतुल अरब, जो इस्लाम का धार्मिक केन्द्र था, मुस्लिम शासन के अंतर्गत रखा जाये।
3. खिलाफत द्वारा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की रक्षा की जाये। इस आंदोलन के तीन चरण थे–
   (i) दिसंबर 1919 तक इसमें मौलाना मुहमद अली और मौ. शौकत अली ने घोषणा की कि मुसलमान रौलट एक्ट के विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होंगे। एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैन्ड भेजा गया। संपूर्ण भारत में 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवम्बर को दिल्ली में खिलाफत की सभा में प्रथम बार असहयोग शब्द का प्रयोग किया।
   (ii) दिसंबर 1919 से, मई 1920 ई. तक आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। कई स्थानों पर प्रदर्शन और सभाएं आयोजित किए गए। अंत में 7 मार्च 1920 को गांधी जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में अहिंसात्मक तरीके से 19 मार्च को खिलाफत दिवस मनाना तथा इसके बाद ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना था।
   (iii) मई 1920 ई. से अगस्त, 1920 ई. तक खिलाफत आंदोलन का तीसरा चरण था। इस समय खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन का एक भाग बन गया।

फरवरी 1922 में गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन से खिलाफत समर्थकों कों बहुत निराशा हुई। मार्च 1922 के सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी में गांधी के निर्णय की आलोचना की गई। 1922 ई. में तुर्की में खलीफा पद मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया तब खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया।

3.2.3 असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement)

गांधीजी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार का अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की।

टिप्पणी

1920 में गांधीजी का ब्रिटिश सरकार की अनैतिक, अत्याचारपूर्ण नीतियों का सहयोग करना संभव नहीं था। इसलिये उन्होंने सरकार से असहयोग करने का निर्णय किया। इसी वर्ष असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ।

असहयोग आंदोलन के कारण (Reasons for the Non-Cooperation Movement)

1. प्रथम विश्व युद्ध– प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वे यह युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिये लड रहे हैं और प्रत्येक देश को आत्म–निर्णय का अधिकार दिलाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत के संबंध में यह घोषणा की गयी कि भारत को अधिक स्वायत्तता दी जायेगी और स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जायेगा। इस नाजुक अवसर पर भारतीयों ने इंग्लैन्ड की तन, मन और धन से भरपूर सहायती की। किंतु युद्ध के बाद सरकार अपने वायदे पूरे करने से मुकर गयी। युद्ध के कारण भारत की जनता की स्थिति अत्यंत खराब हो गयी। करों में बेतहाशा वृद्धि की गई। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी। भारतीय नेताओं व जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। भारतीयों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने विशेष प्रयत्न नहीं किये, अतः भारतीयों में रोष फैलना स्वाभाविक ही था। गांधीजी का विश्वास टूट गया। यह असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना।

2. 1917 की रूसी क्रांति– भारत पर रूस की साम्यवादी क्रांति का भी व्यापक प्रभाव पडा था। इस क्रांति से स्पष्ट हो गया कि जनता संगठित होकर निरंकुश सत्ता से संघर्ष कर सकती थी। इस क्रांति ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। साम्राज्यवादी शक्तियां इस क्रांती से डरने लगीं और यह सोचने लगीं कि यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो उपनिवेशों का उनके हाथों से निकलना प्रारंभ हो जायेगा। इसी कारण भारत सरकार ने 1919 ई. का अधिनियम पारित किया।

3. रौलट एक्ट– असहयोग आंदोलन आरंभ किये जाने का एक प्रमुख कारण रौलट अधिनियम का पारित किया जाना था। इस एक्ट को 21 मार्च 1919 ई. लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। शांतिकाल में ऐसा विधेयक बर्बरता पूर्ण था। इस विधेयक का सारे देश में तीव्र विरोध किया गया। भारतीय जनता ने इसे **''काला विधेयक''** कहा ''पंजाबी'' ने इसके विषय में लिखा ''यह उस नौकरशाही का जिसका दिमाग लोगों की स्वतंत्रता देने के निरंकुष अधिकार से फिर गया है, एक निर्लज्ज प्रयास है''। इस अधिनियम ने गांधीजी को राष्ट्रीय आंदोलन के मोर्चे की अगली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने भी इस एक्ट की कटु आलोचना की। गांधीजी ने कहा कि इस विधेयक के विरूद्ध तीव्र आंदोलन करना होगा।

4. जलियांवाला बाग हत्याकांड– 13 अप्रैल 1919 ई. को जलियांवाला बाग में रौलट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उस समय जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर कारतूस खत्म होने तक गोलियां चलवाई जिसमे सैकड़ों लोग मारे गये तथा हजारों घायल हुए। इस घटना की संपूर्ण देश

में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी को जलियांवाला बाग की घटना ने झकझोर दिया। इस कांड ने देश में क्रोध की ज्वाला को जला दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने विरोध स्वरूप "नाइटहुड" की उपाधि वापिस कर दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र देकर विरोध प्रकट किया। गांधीजी ने डायर के इस नरसंहार के कृत्य से दुखी होकर असहयोग आंदोलन का निश्चय किया।

5. खिलाफत आंदोलन— ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के प्रति जिस प्रकार की नीति अपनायी, उसमे भारतीय मुसलमानों को बड़ा आघात लगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिये खिलाफत आंदोलन चलाया। काँग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया। इस प्रकार इस आंदोलन से हिंदु–मुस्लिम एकता बढ़ी व दोनो को स्पष्ट हो गया कि उनके हित परस्पर सहयोग में ही निहित हैं। खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने भी काँग्रेस का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारणों के परिणामस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ।

3.2.4 असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम (Programme of Non-Cooperation Movement)

1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन के उद्देश्य के दो स्वरूप थे– रचनात्मक एवं नकारात्मक। पहले इस की प्राप्ति के लिये ''तिलक स्वराज कोष'' के नाम पर एक करोड़ रूपया इकठ्ठा किया जाये जिससे असहयोग कार्यक्रम का व्यय चलाया जा सके। एक करोड स्वयंसेवक भर्ती किये जायें, जो बहिष्कार आदि कार्यों में सहायता दे सकें, और बीस लाख चरखे वितरित किये जायें जिससे बेरोजगारों को धंधा मिल सके और स्वदेशी का प्रचार हो सके।

नकारात्मक कार्यक्रम (Negative Programmes)

1. वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार और न्याय के लिये लोक न्यायालयों की स्थापना
2. सरकारी अथवा सरकारी मान्यता, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
3. विधान सभा तथा प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार
4. सम्मान तथा उपाधियों का परित्याग और राजकीय कार्यक्रमों का बहिष्कार
5. अंग्रेजी माल का बहिष्कार
6. मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध

गांधीजी का देशव्यापी दौरा (Gandhiji's Tour Across the Country)

गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का स्वरूप समझाने के लिये पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने आंदोलन को अहिंसात्मक बनाये रखने पर जोर दिया। उन्होंने

टिप्पणी

जनता को समझाया सरकार के पशुबल का सामना अहिंसा के आत्मबल से किया जाये। स्थान स्थान पर सभाएं हुई।

1921 ई. के प्रारंभ से ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर अमल आरंभ हो गया। गांधीजी ने अपने कैसर–ए–हिन्द, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटा दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने रायबहादुर की उपाधि वापिस कर दी। लगभग 90,000 छात्रों ने पहले से ही स्कूलों एवं कॉलेजो का बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रीय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एम.आर. जयकर, किचलू, वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी, टी. प्रकाशन, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, आसफअली आदि ने वकालत के पेशे का बहिष्कार किया। मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, जिन्होंने गांधीजी के साथ देशव्यापी दौरा किया था, आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे। हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी शासन के विरूद्ध संघर्ष किया। यही इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। हिंदु–मुस्लिम एकता का यह युग था।

अनेक प्रांतों में विशेषकर बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में लोक न्यायालयों और न्याय पंचायतों की स्थापना हुई। इस आंदोलन ने बंगाल, पंजाब और गुजरात में विशेष जोर पकड़ा। सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गयी। जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया (जिसे बाद में दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया), अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ।

विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार स्पष्ट से अधिक सफल कार्यक्रम था। विदेशी कपड़ों की होली स्थान–स्थान पर जलाई गई। बहिष्कार की सफलता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि विदेशी कपड़ों का आयात जो 1920 में 102 करोड़ रूपये का था वह 1921 में 57 करोड़ रूपये का रह गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार किया गया। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। तिलक स्वराज फंड में लक्ष्य से भी अधिक, एक करोड़ रूपये इकठ्ठे किये गये। लगभग 50 लाख स्वयंसेवक भर्ती हो गये और लाखों चरखे वितरित किये गये।

सरकार का दमन (Government Repression)

आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने दमन करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अली बंधुओं को बंदी बनाया गया। 1 नवंबर 1921 में इंग्लैन्ड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। वह जहां भी गये जनता ने हड़ताल करके उनका स्वागत किया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिये सारे देश में गिरफ्तारियां की। राजद्रोही सभा कानून लाहौर में लागू किया गया। पुलिस ने ननकान साहब गुरूद्वारे में अचानक गोली चला दी, जिसमें 195 व्यक्ति मारे गये। उत्तर प्रदेश में हजारों स्वयं सेवक को जेलों में भर दिया गया।

मारवाड में भी पुलिस ने गोली चलायी। वेल्स का राजकुमार नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आये। नवम्बर 17 को राजकुमार बंबई में उतरा। उस दिन सारे देश में हड़ताल हुई। राजकुमार की यात्रा के बहिष्कार से सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। अतः उसने दमनचक्र तेज कर दिया। युवराज के बम्बई पहुंचने पर

उपद्रव हुआ पुलिस ने गोली चलायी 530 व्यक्ति मारे गये, 400 से अधिक घायल हुए। ब्रिटिश सरकार ने मोतीलाल नेहरू, जवाहलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को गिरफ्तार कर लिया। वायसराय एवं गांधी जी की वार्ता में गांधी जी ने मांग की कि सभी बंदी छोड़ दिये जायें। किंतु सरकार अली बंधुओं को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हुई अतः समझौता वार्ता असफल हो गई।

चौरी–चौरा की घटना (Chauri-Chaura Incidence)

दिसंबर 1921 ई. में काँग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। काँग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया, जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज प्राप्त नहीं होता। बारडोली में गांधीजी ने सामूहिक सत्याग्रह का आव्हान किया, परंतु इसी समय एक दुर्घटना ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। 5 फरवरी 1921 को गोरखपुर जिले के चौरी–चौरा नामक स्थान में काँग्रेस का एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर गोली चलायी। इस पर जुलूस अनियंत्रित हो गया और उसने पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दी। 22 सिपाही मारे गये।

गांधीजी अत्यंत दुखी हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अभी जनता अहिंसात्मक आंदोलन के लिये तैयार नहीं थी। उनके परामर्श पर 12 फरवरी 1922 ई. को काँग्रेस कार्य समिती ने आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधीजी को आपत्तिजनक लेख लिखने के आरोप में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको 4 वर्ष की सजा दी गई। परंतु उन्हें दो वर्षो के अंदर ही रिहा कर दिया गया।

आंदोलन स्थगन की आलोचना (Criticism of Postponing the Movement)

आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, अचानक उसको स्थगित कर देने से राष्ट्रवादी नेता बड़े निराश हुए। यद्यपि गांधी जी के आदेश का पालन हुआ, परंतु देश के अनेक नेताओं ने गांधी जी का विरोध किया। चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने बंदीगृह से ही स्थगन का विरोध किया। एक वर्ग ऐसा था जिसनें गांधीजी की आलोचना की थी। उनका कहना था एक हिंसक घटना के आधार पर एक देशव्यापी जनआंदोलन को स्थगित करना कहाँ तक उचित था।

3.2.5 आंदोलन के परिणाम (Results of the Movements)

इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम भी हुए–

1. काँग्रेस का आंदोलन शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहकर किसानों, मजदूरों तथा आम जनता तक पहुंच गया। जनता निडर हो गयी। सरकार की आलोचना तथा जेल जाना एक आम बात हो गयी। जनता ने पहली बार सरकार से जन आंदोलन के माध्यम से संघर्ष किया।
2. इससे भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। उत्तर भारतीयों का ब्रिटिश प्रशासन तंत्र पर से विश्वास उठ गया।

3. स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से चरखे, खादी ने आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न की।
4. संवैधानिक उपायों की रूढ़िवादिता समाप्त हो गई, और जनता संघर्ष के लिये तैयार हो गई।
5. काँग्रेस संपूर्ण देश की पार्टी बन गई। काँग्रेस के प्रति लोगों की आस्था और निष्ठा में वृद्धि हुई। काँग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी बन गई।
6. जनता का उद्देश्य ही स्वतंत्रता प्राप्त करना बन गया।
7. राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ–साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी संस्थाओं एवं हिन्दी की लोकप्रियता बढ गई।

3.3 स्वराज दल (Swaraj Party)

3.3.1 भूमिका (Introduction)

गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने तथा सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लेने से 1922 ई. में काँग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी। काँग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे। काँग्रेस के पास भविष्य के कार्यक्रम की कोई निश्चित रूपरेखा भी नहीं थी ब्रिटिश सरकार ने कुछ नेताओं को मुक्त कर दिया था, उनका ये दायित्व था कि वे भविष्य के लिये कार्यक्रम तैयार कर उसे लागू करें। इन नेताओं में प्रमुख पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास, राजगोपालचारी, अब्दुल कलाम आजाद तथा जवाहर लाल नेहरू थे।

3.3.2 स्वराज दल की स्थापना (Establishment of Swaraj Party)

दिसम्बर 1922 ई. में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। चित्तरंजनदास उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषदों में प्रवेश करने की जोरदार वकालत की। उनका कहना था कि अब तक हमने परिषदों का बाहर से बहिष्कार किया है, इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है, किंतु अब हमें उनमें प्रवेश करके उनको भीतर से छिन्न–भिन्न करना चाहिए।

इस अधिवेशन में इस प्रश्न पर गंभीर वाद–विवाद हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने चित्तरंजनदास के दृष्टिकोण का समर्थन किया, किंतु राजगोपालचारी, राजेन्द्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि ने उसका विरोध किया। अतः काँग्रेस में फूट पड़ गयी। चित्तरंजनदास ने काँग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया।

इसके तुरंत बाद चित्तरंजनदास और उनके समर्थकों ने एक नया दल बना लिया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। चित्तरंजनदास जी इस दल के नेता और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। अन्य अनेक बड़े नेता भी स्वराज दल में

शामिल हो गये। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने बंगाल, मद्रास बम्बई तथा उत्तर भारत में जोरदार प्रचार प्रारंभ कर दिया और मार्च 1923 ई. में इलाहाबाद में एक सम्मेलन का आयोजन भी कर डाला। स्वराज पार्टी की सफलता ने काँग्रेस के दूसरे पक्ष में जो परिवर्तन–विरोधी कहलाने लगा था, खलबली मचा दी। 15 सितम्बर 1923 ई. को दिल्ली में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। उन्होंने परिषदो में प्रवेश के विचार का समर्थन किया, किंतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना ने निभायी। वे दो वर्ष जेल की सजा काटने के बाद रिहा होकर आये थे। उनके प्रभाव के फलस्वरूप काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया यद्यपि काँग्रेस असहयोग के सिद्धांत पर अटल है तथापि जो काँग्रेस के सदस्य विधान परिषदो में प्रवेश करना चाहते हैं, वे वोट देने तथा चुनाव में खड़े होने के लिये स्वतंत्र हैं, और काँग्रेस परिषदों में प्रवेश के विरूद्ध प्रचार को स्थगित करती है। काँग्रेस की फूट इस प्रकार टल गयी। फरवरी 1924 को गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने काँग्रेस की एकता को बनाये रखने के लिये स्वराज्यवादियों को कार्यक्रम को गांधी–दास समझौता के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी। यद्यपि मन से वे उसके पक्ष में नहीं थे।

स्वराज दल एवं चुनाव (Swaraj Party and Election)

विधान परिषदों के चुनाव नवंबर 1923 ई. में होने वाले थे। स्वराजदल ने अक्टूबर में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्वराज पार्टी काँग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांतों पर अटल रहेगी। उसने यह भी घोषणा की कि दल विधान सभा तथा परिषदों में प्रवेश करके वहां से असहयोग आंदोलन चलायेगी और उनके लिये कार्य करना असंभव बना देगी। चुनावो में स्वराज दल को बड़ी सफलता मिली। बंगाल तथा मध्य प्रांत में प्रांतीय विधान मंडलों में उन्हे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। अन्य प्रांतों में यद्यपि स्वराज दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में सामने आये।

केन्द्रीय विधान सभा में 105 निर्वाचित सदस्य थे, स्वराज दल को 58 सीटे मिल गयी। सभा में एक अन्य समूह जिसमें 24 सदस्य थे उनका नेता मुहम्मद अली जिन्ना था। यह समूह अपने को निर्दलीय (इंडिपेंण्डेण्ट) कहता था।

स्वराज दल के कार्य एवं उपलब्धियां (Works of Swaraj Party and Its Achievements)

केन्द्रीय विधानसभा में स्वराज दल ने जिन्ना के स्वतंत्र दल के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पार्टी (नेशनल पार्टी) बना कर एक संयुक्त कार्यकम भी निर्धारित कर लिया। राष्ट्रीय पार्टी ने सरकार के समक्ष राष्ट्रीय मांगें प्रस्तुत करने और सरकारी कार्यों में अडंगे डालने की नीति अपनायी। कुछ समय बाद जिन्ना के स्वतंत्र दल ने स्वराज दल की नीतियों का समर्थन करना बंद कर दिया। इसके बावजूद स्वराज पार्टी को कई उपलब्धियाँ प्राप्त हुई

केन्द्रीय विधान मंडल में कार्य (Work in Central Legislative Board)

फरवरी 1924 ई. में स्वराज पार्टी के नेता पं. मोतीलाल नेहरू ने विधान सभा में पहले से विचाराधीन एक प्रस्ताव में संशोधन करके देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया जाये। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग की गई। कई दिनों के वाद–विवाद के बाद यह संशोधन पारित हुआ।

मार्च 1924 ई. में केन्द्रीय विधान मंडल ने अनुदान की कुछ मांगों को रद्द कर दिया।

सितम्बर 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव गृह सदस्य ने रखा। मोतीलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव के संबंध में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि लोक सेवाओं की भर्ती इंग्लैन्ड में न हो तथा यह शक्ति भारत मंत्री से लेकर भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार को सौंपी जाये। भारत में लोक सेवा आयोग स्थापित हो। विधान मंडल ने मोतीलाल नेहरू का यह संशोधन विधान मंडल मे स्वीकृत किया।

स्वराजवादियों ने केन्द्रीय परिषद में 1924–25 ई. से 1926–27 ई. तक के बजट की मांगों को प्रत्येक वर्ष अस्वीकार कर उसका विरोध किया।

प्रांतो में कार्य (Works in Provinces)

मध्य प्रांत में स्वराज दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद भी मंत्रिमंडल नहीं बनाया और गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया। स्वराज दल ने वित्त विधेयक को भी अस्वीकार किया।

बंगाल में स्वराज दल ने सबसे बड़ा दल होने के बावजूद मंत्रिमंडल नहीं बनाया। दल ने बंगाल के सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने का प्रस्ताव पारित किया।

3.3.3 स्वराज दल का पतन एवं मूल्यांकन (Fall of Swaraj Party and Its Evaluation)

16 जून 1925 ई. में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। कलहग्रस्त स्वराज दल को चित्तरंजन दास की मृत्यु से गहरी चोट पहुंची, तथा शीघ्र ही उसका पतन होने लगा। यद्यपि पं. मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल को सम्भालने की कोशिश की, किंतु कुछ सदस्यों के सरकारी सम्मान व प्रतिष्ठा के प्रति अपने मोह को रोक न सकने के कारण, वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सका।

चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल के नेताओं ने सरकारी पदों को स्वीकार किया। एस.पी. ताम्बो ने कार्यकारी परिषद में मंत्रीपद को स्वीकार कर लिया। 1926 ई. चुनावो में मद्रास के अतिरिक्त सभी स्थानों पर स्वराज दल की हार हुई।

सुरेंन्द्रनाथ बनर्जी के अनुसार ''स्वराज दल की अवरोध नीति''– बेकार और अर्थहीन थी। उपर्युक्त आलोचना न्यायपूर्ण नहीं थी। स्वराजवादियों ने उस समय देश को जाग्रत रखा। जब असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से लोगों के

मन में निराशा भर गयी थी। स्वराज्यवादियों ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1919 ई का अधिनियम दोषपूर्ण था। स्वराजवादियों के कार्यों एवं परिणामों के फलस्वरूप सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति व गोलमेज सम्मेलन तथा कुछ समय पश्चात द्वैध शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वराज देने के लिये विवश होना पड़ा।

3.4 साइमन कमीशन (Simon Commission)

8 नवम्बर 1927 ई. को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम की धारा (84 क) के अंतर्गत भारतीय विधान कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इस धारा के अनुसार प्रत्येक दस वर्ष बाद, भारत की राजनीतिक स्थिति की जाँच के लिये एक कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कमीशन की नियुक्ति 1927 ई. में ही करने का निर्णय किया। समय पूर्व–कमीशन की नियुक्ति के राजनीतिक कारण थे–

3.4.1 साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण (Reasons for the Appointment of Simon Commission)

1. इंग्लैन्ड में आम चुनाव होने वाले थे। लेबर पार्टी के जीतने की आशा थी। तत्कालीन टोरी सरकार यह नहीं चाहती थी कि इस आयोग की नियुक्ति मजदूर दल के द्वारा की जाये क्योंकि मजदूर दल की सहानुभूति भारत के साथ थी।
2. भारतीय 1919 के भारतीय सुधार अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे, और सुधारों की मांग कर रहे थे।
3. 1926 से देश सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण अशांत था। सरकार इस स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी।
4. असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात गांधीजी का प्रभाव कम हो गया था और स्वराज की मांग कमजोर पड़ गयी थी।
5. सरकार द्वैध शासन प्रणाली के दोषों को दूर करना चाहती थी, परंतु सरकार कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की इच्छुक नहीं थी।

8 नवंबर 1927 ई. को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इस कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, उन्ही के नाम से इसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन में सात सदस्य थे। जिसमे सभी ब्रिटिश सदस्य थे एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण भारतीयों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन के उद्देश्यों की भी आलोचना हुई क्योंकि इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन किस मात्रा तक स्थापित किया जाये।

टिप्पणी

1927 ई. के महाल अधिवेशन में डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। काँग्रेस ने इस संबंध में तीन कार्य निश्चित किये–

1. जिस दिन कमीशन भारत की भूमि पर पैर रखे, उसी दिन उसके विरोध में सारे देश में सामूहिक प्रदर्शन किये जायें।
2. विधायिकाएँ कमीशन को सहयोग देने के लिये कोई समितियां नियुक्त न करे और न जांच कार्य में कोई सहायता करे।
3. कमीशन के व्यय के लिये अनुदान की मांगों को अस्वीकृत कर दे और कमीशन के सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार किया जाये।

3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 30 दिन पूरे भारत में हड़ताल हुए। बंबई में कम्युनिस्टों ने कमीशन के विरुद्ध हड़ताल आयोजित की। मद्रास में पुलिस ने गोलियां चलाई। कमीशन बंबई से सीधा दिल्ली आया यहां भी ''साइमन वापस जाओ'' के नारों से स्वागत हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बडा़ भारी जन समूह विरोध प्रदर्शन के लिये एकत्र हुआ। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चलायी। लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए, इसी के दो सप्ताह बाद उनकी असामायिक दुखद मृत्यु हुई। इससे पूरे देश में शोक की लहर फैल गयी। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था ''मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिये कफन की कील प्रमाणित होगा।'' लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने वालों की अत्यंत पिटाई की गई जिसमे पं. जवाहरलाल नेहरू, पं. गोविन्द वल्लभ पंत भी थे। किंतु सरकार के इस दमन से भारतवासी भयभीत नहीं हुए। लखनऊ में ही एक भोज में साइमन कमीशन को आमंत्रित किया गया। भोज के समय अचानक सैकड़ों काली पतंगें और गुब्बारे आकाश में दिखे जिनमें ''भारत भारतवासियों का है'', ''साइमन वापस जाओ'' 'Simon go back' के नारे लिखे थे। कलकत्ता में सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 से 31 मार्च, 1928 तक भारत में रहा। इस दौरान भारत में जहाँ भी इसके सदस्य गये, उनका विरोध किया गया।

समस्त विरोधों के बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की जो मई 1930 ई. में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित थे–

1. द्वैध शासन की समाप्ति
2. प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना
3. प्रांतीय गवर्नरों को विशेषाधिकार
4. केन्द्र में संघीय शासन की स्थापना की संभावना
5. जातीय प्रतिनिधित्व पूर्ववत
6. सेना का भारतीयकरण आवश्यक
7. बर्मा को भारत से व सिंध को बंबई प्रांत से पृथक करना।

मूल्यांकन (Evaluation)

साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं भी उल्लेख नहीं था। केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश नहीं की गयी थी। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन से देश में पैदा हुए परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा की। कमीशन की रिपोर्ट की देश भर में कटु आलोचना हुई। शिव स्वामी अय्यर ने कहा ''साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिये।''

कमीशन की रिपोर्ट ने मुसलमानों के विशेष अधिकारों से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किये और इस प्रकार भारत के विभाजन का आधार प्रस्तुत किया। '1935 का अधिनियम बनाते समय इसकी कई सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं।'

3.4.2 नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report)

भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध हो रहे प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए। भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहैड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति से एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैन्ड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। कॉँग्रेस ने इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। इस हेतु 28 फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसके पश्चात 19 मई, 1928 ई. को बंबई में डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में 9 व्यक्तियों की एक कमेटी बनायी गयी। श्री मोतीलाल नेहरूजी इस कमेटी के अध्यक्ष थे।

कमेटी के अन्य सदस्य के सर तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्री. एम. एस. बणे, श्री. कुरैशी, श्री. आर. प्रधान, जयकर, एम. एन. जोशी, सरदार मंगल सिंह व सुभाषचन्द्र बोस थे। इस समिति को जुलाई, 1928 ई. से पहले ही इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कहा गया। पं. नेहरू क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष थे, अतः इस रिपोर्ट को ''नेहरू–रिपोर्ट'' कहा गया। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी–

1. रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गयी थी। अधिराज्य (डोमिनियन स्टेटस) को भविष्य की नहीं अपितु तात्कालिक आवश्यकता कहा गया।
2. केन्द्र एवं प्रांतों के लिये पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग की।
3. रिपोर्ट ने केन्द्र तथा प्रांतों में शक्तियों के विभाजन की योजना बनायी तथा अवशेष शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार को देने की सलाह दी।
4. रिपोर्ट में अल्पसंख्यक दलों के लिये जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की सलाह दी गयी।
5. नये प्रांतों के निर्माण की रिपोर्ट में सिफारिश की गयी।
6. रिपोर्ट में नागरिकों के सैनिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया जिन्हें कानून का रूप दिया जाना था।
7. संसद सर्वोपरि होगी। उसमें दो सदन होंगे– सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा।

टिप्पणी

8. औपनिवेशिक स्वराज के बाद केन्द्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो इसमें पहले ब्रिटिश सरकार के थे।
9. भारत की कार्यपालिका शक्ति इंग्लैन्ड के सम्राट के पास रहेगी। गवर्नर जनरल उसके प्रतिनिधि के रूप में वैधानिक प्रमुख की तरह कार्य करेगा। केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।
10. प्रतिनिधी सभा को सेना के बजट पर बहस करने एवं मत देने का अधिकार होगा।

मूल्यांकन एवं महत्व (Evaluation and Importance)

जी. आर. प्रधान के शब्दों में, ''यह शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक वर्गों के उचित हितों में समन्वय करने की एक सर्वश्रेष्ठ योजना है।'' नेहरू रिपोर्ट का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है।

यह भी उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन ने भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में दो वर्ष का समय लगाया, मोतीलाल नेहरू व उनके साथियों ने वही कार्य दो माह से भी कम समय में कर दिखाया। इसी कारण अनेक इतिहासकारों ने नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ''ब्लू प्रिंट'' माना है।

नेहरू रिपोर्ट की न केवल अंग्रेज सरकार बल्कि अनेक दलों व संप्रदायों ने इसका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी इसका विरोध किया क्योंकि इसमे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गयी थी। के. एस. मुन्शी के शब्दो में– ''मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका आदि अध्यायों से स्पष्ट है कि नेहरू रिपोर्ट अत्यधिक महत्व की है''।

3.5 लाहौर कॉंग्रेस (Lahore Congress)

दिसंबर 1929 में लाहौर में कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे, जो एक युवा नेता थे। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि, ''हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। उन्होंने आव्हान किया कि ''विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त करने के लिये अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और देश के सभी लोग इसमे हाथ बंटाने के लिये सादर आमन्त्रित हैं।'' उन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। तथा अल्पसंख्यक जातियों, देशी राज्यों, किसानों, मजदूरों, कौंसिलों के बहिष्कार, कॉंग्रेस संगठन को सुव्यवस्थित रुप देने के संबंध में भी विचार व्यक्त किये।

3.5.1 पूर्ण स्वाधीनता की मांग (Demand for Full Independence)

टिप्पणी

लाहौर काँग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये–

1. लाहौर अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव ''पूर्ण स्वाधीनता'' से संबंधित था। प्रस्ताव में कहा गया कि 'स्वराज' का अर्थ ''पूर्ण स्वाधीनता'' है।
2. काँग्रेस ने पूर्वी अफ्रीका के भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को बनाए रखा तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को जिन्होने वहाँ जाकर कार्य किया, बधाई दी।
3. ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रवासी भारतीयों को भारत आने की अनुमति नहीं दी। उसके प्रति काँग्रेस ने निंदा का प्रस्ताव पारित किया।
4. काँग्रेस ने देश पर लादे जाने वाले आर्थिक भार की भी आलोचना की।

इस सम्मेलन में गांधीजी ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे–

काँग्रेस घोषणा करती है कि, ''इसके संविधान की धारा 1 में दिये हुए स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है''। यह भी घोषणा की जाती है कि, ''नेहरू समिति की रिपोर्ट की समस्त योजना अब समाप्त हो गयी है''। काँग्रेस आशा करती है कि इसके समस्त सदस्य अब से अपना सारा ध्यान भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर लगा देंगे। काँग्रेस निश्चय करती है कि सरकार द्वारा निर्मित केन्द्रीय और प्रांतीय सभाओं और समितियों का जिनमें गोलमेज सम्मेलन भी है, बहिष्कार किया जायेगा। काँग्रेस अखिल भारतीय काँग्रेस समिति को अधिकार देती है कि वह जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू कर दे। इसमें करों की अदायगी न करना भी सम्मिलित है।

31 दिसंबर, 1929 ई. को ठीक 12 बजे आधी रात को रावी नदी के तट पर काँग्रेस अध्यक्ष ने एक विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक तिरंगा ध्वज लहराया।

1930 ई. का वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में स्मरणीय वर्ष था। 2 जनवरी 1930 ई. को काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 ई. को देशभर में स्वाधीनता दिवस मनाया जाये।''

25 जनवरी को वाइसराय ने लाहौर अधिवेशन पारित प्रस्तावों को मानने अर्थात पूर्ण स्वाधीनता की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अतः 26 जनवरी, 1930 को देशभर में 'स्वाधीनता दिवस' अपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया।

इसी समय एक प्रतिज्ञा पत्र भी तैयार किया गया, जिसमें कहा गया था ''भारत में अंग्रेजी सरकार ने केवल देश की प्रजा को पराधीन ही नहीं बनाया है वरन् इसका आधार ही भारत का शोषण है. अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये''। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

3.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement)

1930 ई. की लाहौर कॉंग्रेस में गांधी जी को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें।

3.6.1 कारण (Reasons)

1. गांधीजी द्वारा 1920 ई. से अर्थात असहयोग आंदोलन स्थगित करने के समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। आंदोलन के स्थगन के बाद से अनेक देशभक्त पुनः आंदोलन की मांग कर रहे थे। सरकार की दमन नीतियों से भारतीयों का असंतोष बढ़ता जा रहा था।
2. देश की आर्थिक दशा 1930 में अत्यंत खराब थी। विश्वव्यापी भयंकर मंदी से भारत के कृषि व्यापार, उद्योग, सभी नष्ट हो गये थे। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग में व्यापक असंतोष था।
3. नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। वह स्वराज्य देने को किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थी। कॉंग्रेस अपना लक्ष्य पूर्णस्वराज्य घोषित कर चुकी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण भी हिंसा बढ़ रही थी। सरकार के दमन से हिंसा बढ़ रही थी। गांधीजी ने हिंसा को रोकने के लिये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।

गांधीजी ने 30 जनवरी 1930 को, लॉर्ड इरविन के समक्ष ग्यारह सूत्री मांगें प्रस्तुत की तथा घोषित किया कि इन मांगों को पूर्ण न किये जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जायेगा।

3.6.2 ग्यारह सूत्री योजना (Eleven Point Plan)

1. भू राजस्व पचास प्रतिशत कम किया जाये।
2. पूर्ण नशाबंदी लागू की जाये।
3. मुद्रा विनिमय की दर घटा कर एक शिलिंग चार पेंस की जाये।
4. मालगुजारी कम की जाये।
5. नमक कर समाप्त किया जाये।
6. सैनिक व्यय में कम से कम 50ः कमी की जाये।
7. विदेशी कपड़े के आयात पर पृथक कर लगाया जाये।
8. प्रशासकिय व्यय में कमी की जाये और अधिकारियों के वेतन को कम से कम आधे कर दिया जाये।
9. तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया जाये।
10. हत्या या हत्या के प्रयास को छोड़ कर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाये।
11. गुप्तचर विभाग बंद हो या उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाये।

वायसराय ने ये सभी मांगें अस्वीकार कर दी। 2 मार्च 1930 ई. को गांधीजी ने वायसराय को एक पत्र लिखा। उन्होने अंग्रेजी शासन को एक अभिशाप घोषित किया और गोलमेज सम्मेलन की निंदा की। उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन भारत के लोगों का राजनीतिक, आर्थिक और अध्यात्मिक शोषण कर रहा है अतः ऐसे शासन को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश सरकार ग्यारह सूत्री मांगों को स्वीकार कर लेती है तो वे आंदोलन नहीं करेंगे अन्यथा व नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे।

वायसराय इरविन ने कार्यक्रम का विरोध किया और कहा कि इससे सार्वजनिक शांति को खतरा उत्पन्न होगा। अब गांधीजी ने आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया।

3.6.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ (Beginning of Civil Disobedience Movement)

दाण्डी यात्रा (Dandi March)

गांधीजी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। गांधीजी ने 79 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च, 1930 ई. को साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दाण्डी पहुँचने की योजना बनायी। वल्लभभाई पटेल पहले ही गाँव में पहुँच चुके थे। सरकार ने मार्च के प्रथम सप्ताह में वल्लभभाई पटेल को गिरफ्तार कर चार माह की सजा दी। इस घटना से लोगों में रोष और उग्र हो गया।

12 मार्च, 1930 ई. को गांधीजी अपने साथियों के साथ दो सौ मील दूर की पैदल यात्रा पर निकले। यह दाण्डी यात्रा ऐतिहासिक घटना हो गई। ताराचन्द ने लिखा है कि यह एक ऐसा प्रयास था जो मानव इतिहास में बेजोड़ था। राष्ट्रीय आंदोलन के इस अनूठे पहल में जन समूह द्वारा गांधीजी का अद्भुत स्वागत किया गया। ''गांधीजी की जय'' के नारों का उद्घोष किया गया। रास्ते में गांधी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर कितने ही लोग कॉंग्रेस के सदस्य बन गए व सरकारी कर्मचारी त्याग–पत्र देने लगे। 24 दिनों में यात्रा पूरी करके महात्मा गांधी व उनके सहयोगी 5 अप्रैल को डाण्डी पहुंचे व 6 अप्रैल को प्रातःकाल में गांधीजी समुद्र तट पर पहुंचे तो सरोजिनी नायडू ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ''विधिभंजक! (कानून तोड़ने वाले) तुम्हारा स्वागत है।''

गांधीजी ने 6 अप्रैल को नमक उठाकर कानून तोड़ा। सारे देश के समक्ष उन्होने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया–

(i) गांव–गाव को नमक बनाने के लिये निकल पड़ना चाहिये।
(ii) बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिये।
(iii) विदेशी वस्त्रों को जलाया जाये।
(iv) सरकार को कर न दिया जाये।
(v) छात्र सरकारी विद्यालयों व कर्मचारी दफ्तर को छोड़ दें।

टिप्पणी

चित्र क्र. 3.1ः दाण्डी यात्रा

आंदोलन का विस्तार (Extension of the Movement)

सारे देश में आंदोलन फैल गया। नमक कानून जगह जगह तोड़ा गया। सी. राज गोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर नमक यात्रा की। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों और माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर महिलाओं ने धरने दिये। मजदूरों व किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर आंदोलन को सशक्त बनाया।

उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती दल ने कॉंग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किये।

नेताओं की गिरफ्तारी के लिये ब़ख्तरबंद गाड़ियां भेजी गयीं, जिन्हें जनता ने अग्नि को समर्पित कर दिया, अतः जनता पर पुलिस द्वारा गोलियां चलायी गयीं जिससे सैकडों लोग मारे गये। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों ने अवज्ञा आंदोलन में ऐसी स्थिती में भाग लिया था, जबकि भारत में अन्य मुसलमान इसके सहयोगी न थे। पश्चिमी सीमा प्रान्त की स्थिति को देखते हुए वहां 18 वी रायल गढ़वाल राइफल को भेजा गया, किंतु 25 अप्रैल, 1930 ई. को पेशावर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को, चन्द्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सेना ने मना कर दिया। इन देश प्रेमी सिपाहियों को कड़ी सजाएं दी गयी।

सरकार का दमन चक्र (Repressive Cycle of the Government)

आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया। कॉंग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन ने शीघ्र ही इतना भीषण और व्यापक रूप धारण कर लिया कि अंग्रेज सरकार भौंचक्की रह गयी। इसका दमन करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने, पुलिस ने स्थान स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां चलाई। पंजाब, यूपी, बंगाल में आंदोलन

अत्यंत तीव्र हो गया। सोलापुर में मजदूरों व पुलिस के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें सैकड़ों मजदूर घायल हुए। इस दौरान एक लाख व्यक्तियों को जेलों में ठूसा गया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद धरासाना में सरोजनी नायडू व इमाम साहब के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। गांधीजी के पुत्र मणिलाल गांधी भी थे। बंबई में भारी प्रदर्शन और हड़तालें हुई। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के मध्य टकराव हुए। शराब की दुकाने जला दी गई, सरकारी भवनों पर आक्रमण किये गये। अनेक स्थानों पर हिंसा हुई। सरकार ने काँग्रेस को अवैध घोषित कर दिया।

भारत का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं था, जहाँ इस आंदोलन का प्रभाव न हो। इस आंदोलन के परिणामस्वरुप विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ। इस आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट दल ने भी महत्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने एक आम राजनीति हड़ताल आयोजित की। मजदूरों एवं किन्नरों का भी इस आंदोलन मे सराहनीय योगदान रहा। इस आंदोलन की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। प्रो. अयोध्या सिंह ने लिखा है– घोर दमन के बावजूद जन आंदोलन की व्यापकता और उग्रता को देखकर एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शिविर में तथा दूसरी तरफ भारत के निहित स्वार्थों के शिविर में घबराहट फैल गयी। इस आंदोलन में भारतीय मुसलमानों ने कोई भाग नहीं लिया। दाण्डी यात्रा की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस घटना के चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को अहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा।

3.7 गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference)

3.7.1 गांधी–इरविन समझौता (Gandhi Irvin Pact)

सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरी तेजी पर था, तब 12 नवंबर, 1930 ई. को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ जो बिना किसी निर्णय के 19 जनवरी, 1931 ई. को समाप्त हो गया। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि काँग्रेस के भाग न लेने से कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जा सकता था। लॉर्ड इरविन ने काँग्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया और गांधीजी तथा अन्य नेताओं को छोड़ दिया। गांधीजी भी लॉर्ड इरविन से संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना चाहते थे। अंत में 5 मार्च, 1931 ई. को समझौता हो गया। गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना स्वीकार कर लिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति दे दी।

समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी–

1. सरकार सभी अध्यादेशों तथा चालु मुकदमों को वापस ले लेगी।
2. सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियो की रिहाई करेंगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था तथा जब्त की गई संपत्ति उनके मालिकों को वापस दे दी जायेगी।
3. विदेशी कपड़ा, शराब, अफीम की दुकानों पर सरकार शांतिपूर्ण धरना करने देगी।
4. समुद्र तट पर रहने वालों को बिना कर दिये नमक बनाने का अधिकार होगा।

गांधीजी ने स्वीकार किया कि काँग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देगी, वह पुलिस ज्यादितियों की जांच की मांग नहीं करेंगे। काँग्रेस सभी बहिष्कार बंद कर देगी। काँग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।

समझौते की समीक्षा (Analysis of the Pact)

इस समझौते से नरम प्रवृति के नेता तो संतुष्ट थे, गरम प्रवृति के युवा नेता असंतुष्ट थे। इस समझौते के द्वारा काँग्रेस ने जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संघर्ष किया था उनकी पूर्ति नहीं हई थी। यहां तक कि नमक कर भी हटाया नहीं गया था। सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों की नजर में यह ''भारतीय राष्ट्रवाद का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समक्ष समर्पण था।'' युवा वर्ग इसलिये खुश नहीं थे कि गांधीजी ने सरदार भगतसिंह और उनके दो साथियों की फांसी की सजा माफ करने के लिये इस शर्त के रूप में नहीं रखा। गांधीजी इरविन समझौते की पुष्टि एकमत से करने के लिये कराची में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। परंतु समझौते की पुष्टि एक मत से नहीं हो सकी। निःसंदेह नेहरूजी व सुभाषचंद्र बोस ने उस समय खुलकर विरोध न करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता व दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया अन्यथा काँग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इस समझौते से यद्यपि ब्रिटिश सरकार को ही ज्यादा लाभ हुआ था, किंतु इसके कारण वायसराय की इंग्लैन्ड में आलोचना की गई। यह राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति की विजय थी, जिसने उस सरकार को जो काँग्रेस को समाप्त करने पर तुली थी, काँग्रेस के नेता के साथ समानता का व्यवहार करने के लिये विवश किया।

3.7.2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (Second Round-Table Conference)

7 सितम्बर, 1931 ई. को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, किंतु इसके प्रारंभ होने से पहले राजनीतिक परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो चुके थे। नए भारत सचिव सर सेमुएल होर अनुदार थे। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के स्थान पर विलिंगटन बन गये थे। वह गांधी–इरविन समझौते से सहमत नहीं थे। अतः भारत आते ही उसने इसका उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था तथा उसका उद्देश्य काँग्रेस की शक्ति को कुचलना था।

गांधी–इरविन समझौते में वायसराय वेलिंगटन को रूचि नहीं थी। गांधी सम्मेलन प्रारंभ होने के पांच दिन बाद 12 सितम्बर 1931 ई. को लंदन पहुंचे। गांधीजी इंग्लैन्ड में अपनी विशिष्ट वेशभूषा में मिलते थे, इंग्लैन्ड की जनता उनसे बहुत प्रभावित थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लगभग तीन माह तक चलता रहा। गांधीजी ने भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इस सम्मेलन में गांधीजी ने काँग्रेस को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया। गांधीजी ने इस सम्मेलन में सांप्रदायिक एकता बनाये रखने के लिये सराहनीय प्रयास किये। किंतु अंग्रेजों की सांप्रदायिकता बढाने की चालों के आगे उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त अन्य वर्ग– हरिजन, हिंदू महासभा, सिक्ख आदिमी राष्ट्रीय हितों पर ज्यादा जोर दे रहे थे। इस समय भारत के कुछ भागों में बिगड़ती स्थिति की खबर सुनकर गांधीजी दिसंबर 1931 ई. में भारत वापस आ गये।

3.7.3 सविनय अवज्ञा आंदोलन– द्वितीय चरण, 1932–34 (Civil Disobedience-Second Stage 1932-34)

गांधीजी के भारत लौटने से पहले ब्रिटिश सरकार ने गांधी–इरविन समझौते को एक प्रकार से रद्द करते हुए दमन कार्य प्रारंभ कर दिया था। अप्रैल 1931 में लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन वायसराय नियुक्त होकर आये। उसने भारत में आते ही काँग्रेस को कुचल देने का संकल्प कर लिया। संयुक्त प्रांत में सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया और खान अब्दुल गफ्फार खान को बंदी बना लिया गया। बंगाल, संयुक्त प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में दमनकारी अध्यादेश लागू किये गये।

गांधीजी ने वायसराय के साथ पत्र–व्यवहार किया जो 4 जनवरी 1932 ई. तक चला। उन्होंने वायसराय से मिलने की आज्ञा मांगी किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 4 फरवरी 1932 को सरकार ने कई अध्यादेश जैसे इमरजेन्सी पावर्स आर्डिनेंस आदि पारित किये। काँग्रेस के सभी संगठनों को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया। काँग्रेस के नेता, हजारों कार्यकर्ता जेलों में डाल दिये गये और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया। गांधीजी और वल्लभभाई पटेल पहले ही दिन पकड़ लिये गये, जवाहरलाल नेहरू पहले से ही जेल में थे। पहले ही दिन बंगाल से 272 संस्थाएं गैर कानूनी घोषित की गई।

आंदोलन के कार्य (Functions of the Movement)

सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कार्य निम्नलिखित है–

1. पुलिस के आदेशों और निषेधाज्ञाओं के विरुद्ध धरना करना और जुलूस निकालना।
2. अंग्रेजी, माल, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि का बहिष्कार करना।
3. राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करना।
4. लगान न देना।
5. नमक बनाना आदि।

देश के कुछ भागों में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। बंबई में व्यवसायियों ने बहिष्कार किया। संयुक्त प्रांत के अनेक जिलों में लगानबंदी आंदोलन चलाया गया। कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रांत में वन कानून व्यापक रूप से तोड़े गये।

सरकार का दमन एवं अत्याचार (Repression and Torture by the Government)

ब्रिटिश सरकार के अत्याचार पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्ण थे। लगभग 1,20,000 सत्याग्रही जेलों में ठूंस दिये गये। कई जगह गोलियां चलायी गयी। खेतों में पट्टेदारों की जमीन हड़प ली गयी और उन्हें नंगा करके कोड़ें लगाये गये, बिजली के करंट लगाये गये। जेलों में बंदियों को अमानवीय यातनाएं दी गयी। उन्हे बंद अंधेरी, कोठरियों में हथकड़ी और बेड़ी डालकर रखा गया। पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। 100 से भी अधिक प्रेसों तथा समाचार पत्रों से जमानतें मांगी गयी।

3.7.4 तृतीय गोलमेज सम्मेलन (Third Round-Table Conference)

गांधीजी द्वारा सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में अनशन किये जाने व पूना समझौता के बाद हरिजनोद्धार के कार्यों के प्रचार के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में शिथिलता आ गयी।

भारत सचिव सेमुएल होर ने भारतीयों की समस्या पर विचार करने के लिये तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ई. से 24 दिसंबर 1932 ई. तक चला। इसमें सरकार के समर्थक 46 सदस्यों को आमंत्रित किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण काँग्रेस के अधिकांश नेता जेलों में थे। अतः काँग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नही किया गया। इस सम्मेलन में प्रथम व द्वितीय सम्मेलनों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया।

मार्च 1933 ई. में सरकार ने ''श्वेत पत्र'' की घोषणा की जिसमें 1935 के अधिनियम (जो 1935 में पारित हुआ) की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेताओं ने इस ''श्वेत पत्र'' को अस्वीकार कर दिया।

3.7.5 सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत (End of Civil Disobedience Movement)

16 अगस्त 1932 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मॅक्डोनल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। और हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। गांधीजी ने इसके विरोध में 20 सितम्बर को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया किंतु पूना में एक समझौता हुआ और अब हिंदुओं को संशोधित रूप में संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया।

8 मई, 1935 ई. को गांधीजी ने आत्मशुद्धि के लिये 12 दिन का उपवास प्रारंभ किया। सरकार ने उसी दिन उन्हे रिहा कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले तो स्थगित किया, फिर कुछ महीने उपरांत उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। अंत में 1934 ई. के प्रांरभ में उसका भी अंत हो गया।

3.7.6 सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम या महत्व (Outcome or Importance of Civil Disobedience Movement)

यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा किंतु इसके दूरगामी प्रभाव हुए। इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया जिसमें मजदूरों, किसानों से लेकर उच्चवर्गीय लोग तक थे। आंदोलनकारियों की विशेषता यह थी कि सरकार के समस्त अत्याचारों के बाद भी अहिंसा को नही त्यागा गया। किसानो ने अनेक स्थानों पर लगान देना बंद कर दिया था। इसमें ब्रिटिश सरकार को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार पूर्ण रूप से सफल रहा। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई।

इस आंदोलन ने काँग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया था। काँग्रेस के पास आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम न होने के कारण वह भारतीय जनता के रोष का पूर्णतया उपयोग न कर सकी।

3.8 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा प्रांतीय स्वायत्तता (Government of India Act, 1935 and Provincial Autonomy)

3.8.1 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि (Background of 1935 Act)

ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया था। जिसे काँग्रेस ने अपर्याप्त, असंतोष जनक तथा निराशापूर्ण बतलाया था। इसके परिणाम स्वरूप 1921 ई. में असहयोग आंदोलन हुआ।

1919 ई. का अधिनियम पारित करते समय यह घोषणा की गयी थी कि इसके दस वर्ष बाद, एक कमीशन की नियुक्ती की जायेगी जो 1919 के सुधार कानूनों की समीक्षा करेगी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने समय के पहले 1927 ई. में सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त कर दिया।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा उसके पश्चात् लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1933 ई. में एक श्वेत–पत्र प्रकाशित किया। इस श्वेत–पत्र को संसद की एक संयुक्त पवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति ने 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का भारतीय अधिनियम पारित कराया गया।

3.8.2 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the 1935 Act)

टिप्पणी

यह अधिनियम सबसे विशाल विस्तृत एवं जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 खंड थे और 10 अनुसूचियां थी। इसमे कुल मिलाकर 451 धाराएँ थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी–

अखिल भारतीय संघ (All India Federation)

1935 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि पहली बार भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया जाना था। सभी भारतीय प्रांतों व राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। ब्रिटिश गवर्नरों तथा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को परिसंघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था। संघ की इकाइयों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्रस्थापित थी। विवाद की स्थिति में निर्णय के लिये एक संघ न्यायालय की स्थापना का उपबंध था।

केन्द्र में शासन की स्थापना (Establishment of Government in Center)

अधिनियम द्वारा प्रांतो में द्वैध शासन पद्धति स्थापना और असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ई. के अधिनियम द्वारा केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गयी क्योंकि वे भारतीयों को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं देना चाहते थे, 1935 के अधिनियम के द्वारा केन्द्र के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया–

1. आरक्षित विषय तथा
2. हस्तांतरित विषय।

1. आरक्षित विषय– आरक्षित विषयों में सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक विषय तथा आदिवासी क्षेत्र थे। इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी कौंसिल की सदस्यों के परामर्श में करता था। इन विषयों के लिये गवर्नर जनरल अधिक से अधिक तीन परामर्श दाताओं की नियुक्ति कर सकता था।

2. हस्तांतरित विषय– हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत शेष सभी विषय थे। मंत्रिपरिषद के परामर्श से गवर्नर जनरल इन विषयों की प्रशासनिक व्यवस्था करता था। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका सभी के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद के निर्णय व सुझावों को मानने के लिये बाध्य न था। गवर्नर जनरल को अपार शक्तियाँ प्रदान की गयी थी। अतः वास्तविक शासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही केन्द्रित था। उसे अध्यादेश जारी करने तथा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था।

शक्तियों का विभाजन (Divisions of Powers)

1935 के अधिनियम द्वारा केन्द्र तथा प्रांतीय सरकारों में विषयों का बंटवारा किया गया–

टिप्पणी

1. तीन सूचियां–

   (a) **केन्द्रीय या संघ सूची**– संघ सूची में 59 विषय रखे गये। सभी विषय अखिल भारतीय हित के थे– जैसे, सेनाएं, मुद्रा, डाक और तार, विदेशी मामले, रेल, केन्द्रीय सेवाएं इत्यादि। इन पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका कानून बना सकती थी।

   (b) **प्रांतीय सूची**– इस सूची में 54 विषय थे– जैसे, स्वास्थ, कृषि, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन, भू–राजस्व आदि। इन विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल ही कानून बना सकता था।

   (c) **समवर्ती सूची**– इस सूची में 37 विषय रखे गये। इन विषयों पर केन्द्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। परंतु केन्द्र और प्रांत के बनाये कानूनों में विरोध होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा बनाये कानूनों को मान्यता दी जाती थी।

2. **अवशिष्ट शक्तियाँ**– गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गयी थी। उसे अधिकार था कि किसी सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन अवशिष्ट विषयों को केन्द्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिये सौंप दे।

3. **प्रांतीय स्वायत्तता**– 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गयी थी। प्रांतों को नवीन संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये। प्रशासन का कार्य गवर्नर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता था। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नरों को इतनी शक्तियाँ दी गयी थी कि स्वायत्तता नाममात्र की रह गयी।

4. **संघीय कार्यपालिका**– इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल संघीय कार्यपालिका का प्रधान था। गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल का गठन कर सकता था जो कार्यपालिका कार्यो में उसे परामर्श दे सकती थी। गवर्नर जनरल के पास अनेक विवेकाधिकार शक्तियाँ थी।

5. **केन्द्रीय (संघीय) विधायिका गठन**– संघीय विधायिका द्विसदनात्मक थी, उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन संघीय सभा कहलाता था। संघीय सभा में 375 सदस्य थे, जिनमें से 250 ब्रिटिश भारत के तथा 125 रिसायतो के प्रतीनिधी होते थे। प्रांतो के 250 सदस्यो में से 105 सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से तथा शेष संख्या विभिन्न संप्रदायों और संगठनो में विभाजित की गयी। इनमे सिक्ख, ईसाई, मुसलमान, युरोपियन, व्यवसायी व उद्यमी, जमीनदार, श्रमिक वर्ग तथा महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित किये गये। मुसलमानों को उनकी संख्या के आधार पर 86 स्थान दिये गये।

   राज्य परिषद अर्थात् उच्च सदन में 260 सदस्य थे जिनमें से 104 का अर्थात 2/5 का चयन राज्यों के शासक करते थे। 155 सदस्यों में से जो ब्रिटिश भारत के लिये निर्धारित किये गये थे, 6 को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था और शेष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रो द्वारा किया जाता था।

संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, किंतु गवर्नर जनरल उसे पहले भी भंग कर सकता था। राज्य परिषद स्थायी सदन थी, वह कभी भंग नही होती थी। हर सदस्य 9 वर्ष के लिये चुना जाता था और एक तिहाई सदस्य हर तीन वर्ष बाद रिटायर होते थे।

संघीय विधायिका की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers of the Union Legislature and Functions)

संघीय विधायिका को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार था। दोनों सदनों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ समान नहीं थी। मंत्रिपरिषद केवल संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी थी। दोनो सदनों की वित्तीय मामलो में शक्तियाँ बराबर थी, परंतु बजट पहले–पहल केवल संघीय सभा में ही पेश किया जा सकता था।

संघीय न्यायालय– 1935 ई. के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश तक नियुक्त किये जा सकते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ती इंग्लैन्ड के सम्राट के द्वारा की जाती थी। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते थे। उसे प्रांतों तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का भी अधिकार था। इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में इंग्लैन्ड की कौंसिल में अपील की जा सकती थी।

भारतीय कौंसिल की समाप्ति– भारत में भारतीय कौंसिल के विरोध को देखते हुए भारतीय कौंसिल को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान भारत सचिव के सलाहकारों ने ले लिया। भारत सचिव की सलाहकार समिति में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे।

1935 के अधिनियम का मूल्यांकन (Evaluation of the act of 1935)

ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम भारतीयों के बढ़ते असंतोष को कम करने के लिये बनाया था। इस अधिनियम में भारतीयों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गयी थीं। निःसंदेह यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की तुलना में बेहतर था–

3.8.3 अधिनियम के गुण (Merits of the Act)

1. **प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली**– चुनावों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू करने के लिये भारतीय लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गयी।
2. **प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त**– 1919 ई. के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गयी थी। दोषपूर्ण होने के कारण इस प्रणाली का भारतीयों ने घोर विरोध किया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विद्यमान इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।

3. **विधायिका में सदस्यों की वृद्धि–** 1935 के अधिनियम के द्वारा विधायिका में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी। संघीय विधायिका द्वि–सदनात्मक थी। संघीय सभा में 375 सदस्य तथा राज्य परिषद (उच्च सदन) में 260 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ।
4. **मतदाताओं की संख्या में वृद्धि–** 1935 ई. के अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करके अधिक से अधिक भारतीयों को संवैधानिक प्रक्रिया (चुनाव) में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

3.8.4 अधिनियम के दोष (Demerits of the Act)

1935 ई. के अधिनियम में उपर्युक्त विशेषताएँ थी। किंतु इससे गुणों की अपेक्षा कही अधिक दोष थे। भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करना तो दूर, औपनिवेशिक स्वराज्य भी प्रदान नही किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे–

1. **भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं–** भारतीय काफी समय से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करते आ रहे थे। किंतु 1935 ई. के अधिनियम के द्वारा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। इससे भारतीयों को निराशा हुई।
2. **केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली–** 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गयी जो पूरी तरह असफल रही थी। भारतीयों के विरोध के बावजूद 1935 ई. के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था को केन्द्र में लागू किया गया। इससे स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी प्रकार की सुविधा देने के पक्ष में नहीं थी।
3. **सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व–** भारतीय सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विरोध कर रहे थे तथा उसे समाप्त किये जाने की मांग कर रहे थे क्योंकि इससे राष्ट्रवादी भावनाएँ आहत होती थी। अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करो की थी। अतः उन्होने इसे समाप्त नहीं किया। इस अधिनियम की आलोचना करते हुए फजल–उल–हक ने कहा था, ''यह (1935 ई. का अधिनियम) न हिंदू राज्य था न मुसलमानी राज्य, यह केवल अंग्रेजी राज्य था''।
4. **देशी रियासतों को महत्व–** 1935 के अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को विधायिका में अधिक स्थान दिये गये। उनको व्यवस्थापिका सभा में अधिक स्थान देकर उनके महत्व को बढ़ाया गया था। रियासतों के प्रतिनिधी भी राजाओं के द्वारा मनोनीत किये जाते थे। रियासतों की जनता को अपने प्रतिनिधी चुनने का अधिकार न था।
5. **ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण–** इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल व गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गयी थी। इस प्रकार भारतीय प्रशासन पर इंग्लैन्ड का पूर्ण नियंत्रण था। सरकार के समस्त उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे और भारतीय सचिव के प्रति उत्तरदायी थे।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के विषय में कहा था, ''यह अधिनियम एक ऐसी मोटर के समान है जिसमे अवरोध तो सब उपस्थित हैं, किंतु इंजन है ही नहीं।''

6. **जनतांत्रिक शासन पद्धति की उपेक्षा–** इस अधिनियम के द्वारा जनतांत्रिक शक्तियों की उपेक्षा की गयी। विश्व के प्रत्येक संघ में निचले सदन में सदस्य जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, किंतु इस अधिनियम द्वारा निचले सदन में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनायी गयी थी। सीमित मताधिकार रखा गया और मत देने की योग्यता का आधार संपत्ति को रखा गया था। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इस अधिनियम द्वारा निचले सदन को अधिकार नहीं दिये गये थे। पं. मदन मोहन मालवीय ने इसकी आलोचना करते हुए कहा ''नया अधिकर हम पर थोपा गया है। बाहर से यह जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, किंतु भीतर से पूर्णतया खोखला है।''
7. **संघीय न्यायालय के सीमित अधिकार–** संघीय शासन प्रणाली में संघीय न्यायालय को अधिक शक्तियां दी जाती है, किंतु 1935 ई. के अधिनियम में संघीय न्यायालय के अधिकार सीमित कर दिये गये। इससे न्याय की सर्वोच्च संस्था संघीय न्यायालय न होकर ब्रिटेन की संसद थी।
8. **प्रांतीय प्रशासन में दोष–** 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत शासन की व्यवस्था की गयी थी, किंतु गवर्नरों को अत्याधिक अधिकार दिये जाने के कारण उसका महत्व ही समाप्त हो गया था।

1935 के अधिनियम की कटु आलोचना करते हुए जिन्ना ने कहा ''1935 ई. का अधिनियम पूर्णतया सड़ा हुआ, मौलिक रूप में खराब तथा पूर्णतया अस्वीकरणीय है''।

3.9 भारत छोड़ो आंदोलन (Quit-India Movement)

अगस्त 1942 को भारत में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित थे–

3.9.1 आंदोलन के कारण (Reasons for the Movement)

1. **क्रिप्स मिशन की असफलता–** ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स को भारत की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से नहीं भेजा था। क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था। उसे वापस इंग्लैन्ड बुला लिया गया था। इससे भारतीयों को यह स्पष्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार की एक चाल थी जिसके द्वारा भारतीयों को भ्रमित करके युद्ध में उनका सहयोग लेना चाहती थी, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिये ''भारत छोड़ो आंदोलन'' चलाना आवश्यक था।
2. **जापानी आक्रमण भय–** द्वितीय विश्व युध्द में जापान की सेनाएं रंगून तक आ पहुंची थी। अंग्रेजों की लगातार पराजय हो रही थी। भारतीयों को भय

था कि जापान किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। उन्हें यह भी विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा नहीं कर सकते। जापान की दुश्मनी इंग्लैण्ड से है। भारत की सुरक्षा तभी हो सकती है जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएँ।

3. **शोषण तथा अत्याचार–** ब्रिटिश सरकार एक ओर मिशन भेजकर भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास करती थी, दूसरी और उसके अत्याचार और शोषण बढ़ते जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे थे, आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। पूर्वी बंगाल में भय व आतंक का शासन था इस कारण जनता में गहरा असंतोष था।
4. **गांधीजी का अहिंसक संघर्ष का दृढ़ निश्चय–** गांधीजी इस समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रिटिश साम्राज्य की तुरंत अंत होना आवश्यक है। उन्होंने कॉंग्रेस को चेतावनी दी कि यदि कॉंग्रेस ने उनका संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वे स्वयं आंदोलन आरंभ कर देंगे। गांधी जी ने ब्रिटेन के नागरिकों से अनुरोध किया कि ''वह मेरी अपील का समर्थन करें कि अंग्रेज एशिया, अफ्रीका के हर हिस्से से इसी क्षण हट जाये''।

इस प्रकार भारत में एक नये तथा महान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी।

3.9.2 भारत छोड़ो प्रस्ताव (Quit India Proposal)

जुलाई 1942 ई. में वर्धा में कॉंग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि ''भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र होना चाहिये''। वर्धा में हुई कार्य समिति की बैठक की सिफारिशों पर 7 और 8 अगस्त 1942 ई. को बंबई में अखिल भारतीय कॉंग्रेस महासमिति ने 'भारत छोड़ो' का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था, ''भारत में ब्रिटिश सत्ता का तुरंत अंत होना चाहिये। यह भारत ओर मित्र देशों की सफलता के लिये आवश्यक है। इस प्रस्ताव मे यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिये अत्यंत जरूरी हो गयी है।

इस शासन के जारी रहने से भारत का निरंतर पतन हो रहा है और अपनी रक्षा के लिये कमजोर होता जा रहा है। फासीवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्दश्यों, नीतियों व उपायों से चिपके रहने से नहीं हो सकती। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों को आंका जा सकता है। इस लंबे प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के अधिपत्य को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कर देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस प्रस्ताव में स्वतंत्रता पश्चात की भावी योजनाओं की भी घोषणा की गई। कॉंग्रेस कार्य समिति ने गांधीजी को आंदोलन कमान सौंप दी। ''गांधीजी ने अपने भाषण मे कहा ''इस क्षण से तुम में से प्रत्येक को अपने को स्वतंत्र पुरूष अथवा स्त्री समझना चाहिये और ऐसे आचरण करना चाहिये, मानो स्वतंत्र हों। मैं पूरी स्वतंत्रता से कम किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम

करेंगे अथवा मरेंगे। या तो हम भारत को स्वतंत्र कराके रहेंगे, या उसके लिये प्रयत्न करते हुए प्राण दे देंगे।''

3.9.3 आंदोलन का प्रारंभ (Beginning of the Movement)

आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने पूरे देश को ''करो या मरो'' का संदेश दिया। उन्होने कहा ''एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मै आपको देता हूँ। उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते है और अपनी सांस–सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है 'करो या मरो', या तो हम भारत को आजाद करायेंगे या इस कोशिष में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिये हम जिंदा नहीं रहेंगे।

7 अगस्त, 1942 ई. को अपने कार्यनिदेश गांधीजी ने कार्यसमिति को दिये थे। काँग्रेस द्वारा आंदोलन आरंभ किया जाता, सरकार ने कठोर कार्यवाही आरंभ कर दी। सरकार ने 09 आगस्त को प्रातः ही महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरु, सरोजिनी नायडू तथा कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया। सरकार ने काँग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया और उसके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। काँग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गयी। प्रदर्शनों एवं सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिये गये। भारत छोड़ो आंदोलन के अहिंसक स्वरुप के बावजूद हजारों कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। नेताओं के बंदी बनाए जाने के कारण आंदोलनकारी नेतृत्व विहिन हो गये। समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। फलस्वरुप अनेक पत्रों का प्रकाशन बंद करना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम चरण में यह अत्यंत व्यापक एवं हिंसक रहा तथा बड़े शहरों में केन्द्रित रहा। 9 से 14 अगस्त तक बंबई आंदोलन का मुख्य केन्द्र रहा। कलकत्ता में 10 से 14 अगस्त तक हड़तालें हुई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद आदि स्थानों पर हड़तालें एवं प्रदर्शन हुए। 11 अगस्त से देशभर में हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों एवं विरोध सभाओं का तांता लग गया। सरकार तुरंत इस आंदोलन को कुचल देना चाहती थी। ब्रिटिश पुलिस ने गोली तथा लाठी का खुलकर प्रयोग किया, लोगों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया, बूटों की ठोकरें लगायी गयी तथा अन्य तरीकों से उन्हे उत्पीड़ित एवं अपमानित किया गया। देश के बड़े भाग में हिंसात्मक दंगे हुए। इस आंदोलन में कम्युनिस्टों ने भाग नहीं लिया।

जनता ने रेल, तार तथा डाक व्यवस्था, पुलिस तथा प्रशासन, सरकारी संपत्ति का विशेष रुप से हिंसात्मक कार्यवाहियों का लक्ष्य बनाया। पुलिस थानों, रेल्वे स्टेशनों तथा गोदामों को लूटा व जलाया गया। अनेक स्थानों पर रेल की पटरियों को उखाड़ कर रेलवे यातायात बंद कर दिया गया। रेलवे की सबसे बड़ी हानी बिहार में हुई। सैकड़ों स्थानो पर टेलीफोन तथा टेलीग्राम के तार काट डाले गये। व्यापक हड़तालों में स्कूलों तथा कॉलेज के छात्रों ने धरना देने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अलीगढ़ को छोड़कर ढ़ाका से दिल्ली और लाहौर से मद्रास तक शिक्षा संस्थाएं और विश्वविद्यालय खाली हो गये। बनारस विश्वविद्यालय को ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन प्रारंभ होते ही अधिकार में कर लिया था।

टिप्पणी

चित्र क्र. 3.2: भारत छोड़ो आंदोलन

बिहार, मिदनापुर, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, कर्नाटक व महाराष्ट्र इस आंदोलन के प्रमुख केन्द्र थे। आंदोलनकारियों ने ''अंग्रेजो भारत छोड़ो'' के नारों के साथ सरकारी इमारतों, डाकखानों व रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किये। उत्तरी और केन्द्रीय बिहार के सभी दस जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक थानो पर कुछ समय तक जनता का अधिकार हो गया। कई स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर ली गयी। विप्लव को दबाने के लिये सरकार को बड़े पैमाने पर सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी जिसमें 1,500 से अधिक व्यक्ति मारे गये। बलिया के सभी दस थानों पर जनता का अधिकार हो गया। चीतु पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार कायम हो गयी।

ब्रिटिश सरकार ने विप्लव को कुचलने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सरकार के पाश्विक दमन के परिणामस्वरुप छह–सात सप्ताहों के भीतर जन आंदोलन धीमा पड़ गया। इस समय आंदोलनकारियों का पथ प्रदर्शन के लिये कई नेता भूमिगत हुए। भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे– राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, आर. पी. गोयनका, बीजू पटनायक तथा जय प्रकाश नारायण आदि। भूमिगत आंदोलन बंबई, पूना, सतारा, गुजरात के कई भागों, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली में सक्रिय रहा। भूमिगत आंदोलनकारियों ने संचार व्यवस्था तथा परिवहन को अस्त–व्यस्त करके कार्य किये। समाचार पत्रो पर प्रतिबंध लग गये थे अतः समाचारों को प्रसारित करने के लिये गुप्त रेडियो प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। काँग्रेस के गुप्त रेड़ियों से नवम्बर 1942 तक प्रसारण होता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन काँग्रेस का आंदोलन था, परंतु मुस्लिम लीग को छोड़कर अन्य किसी भी दल ने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली।

टिप्पणी

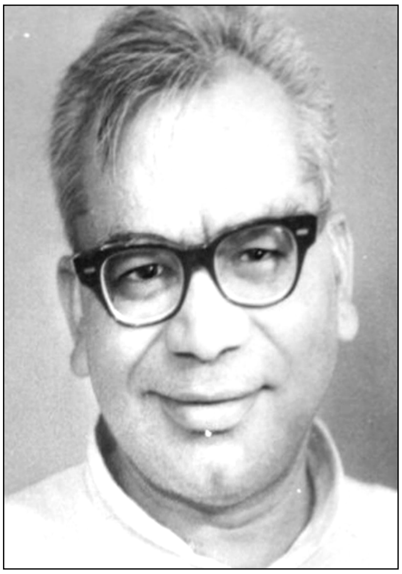

चित्र क्र. 3.3: राम मनोहर लोहिया

गांधीजी ने आंदोलन हिंसात्मक होने का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से 10 फरवरी, 1943 ई. से 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। मुस्लिम लीग के अतिरिक्त सभी दलों ने सरकार से गांधीजी के रिहाई की मांग की किंतु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में सरकार ने गांधीजी को मई 1944 ई. में उनकी अस्वस्थता को देखते हुए छोड़ दिया। गांधीजी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह आंदोलन समाप्त कर दिया।

3.9.4 आंदोलन का महत्व तथा परिणाम (Importance and Outcome of the Movement)

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा; परंतु इस महान आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया था कि भारत की स्वतंत्रता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस आंदोलन ने कॉंग्रेस के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा को स्पष्ट कर दिया था। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है ''यह अगस्त क्रांति निरंकुशता तथा अत्याचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह था, इसकी तुलना फ्रांस के बैस्टील के पतन तथा रुस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता में उत्पन्न एक नवीन विश्वास का द्योतक थी''।

परिणाम

इस आंदोलन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं–

1. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरुप ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को गहरी चोट पहुंची थी।

टिप्पणी

2. 1942 ई. के आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अब अंग्रेजो को यह विश्वास हो गया था कि भारत में उनकी सत्ता अधिक दिनों तक नहीं रह सकती।
3. इस आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। हजारों लोग बंदी बना लिये गये। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1942 ई. के अंत तक 538 बार फायरिंग की गयी जिसमें 940 व्यक्ति मारे गये और 1,640 घायल हुए, किंतु जवाहरलाल नेहरु के अनुसार कम से कम 10,000 व्यक्ति मारे गये।
4. इस आंदोलन ने जनता में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की। बिपिन चन्द्र लिखते हैं ''आजादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गयी। भारत छोड़ो'' के बाद अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। ब्रिटिश सरकार से जो भी बातचीत होनी थी, उसमें सत्ता के हस्तांतरण का सवाल आना ही था। इस सवाल पर कोई मोलभाव नहीं किया जा सकता था, जैसा कि युद्ध के बाद स्पष्ट भी हो गया।
5. भारत छोड़ो आंदोलन एक सफल जन आंदोलन था, आम जनता का आंदोलन था। किसानों, मजदूरों, जमींदारों, युवाओं और महिलाओं ने उल्लेखनीय सहभागिता की थी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया?

   (अ) वर्धा (ब) बम्बई

   (स) नागपूर (द) पूना

2. 1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामस्वरुप क्या हुआ?

   (अ) ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति अवश्यमयी हो गयी

   (ब) धर्म की हानी हुई

   (स) भारत का निर्यात बढ़ा

   (द) आर्थिक बर्बादी हुई

3. भारत छोड़ो आंदोलन के कारण गांधीजी को कब बंदी बनाया गया?

   (अ) 7 अगस्त (ब) 8 अगस्त

   (स) 9 अगस्त (द) 10 अगस्त

3.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answer to Check Your Progress)

1. (ब)
2. (अ)
3. (स)

3.11 सारांश (Summary)

गांधीजी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद का बीजरोपण हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन पहले–पहले केवल कुछ मध्यमवर्गीय शिक्षित जनों तक ही सीमित था। गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस आंदोलन एक सार्वजनिक आंदोलन बन गया। असहयोग आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया की जनता अब और अत्याचार सहन नही करेंगी। असहयोग आंदोलन हिंसात्मक चौराचौरी कांड के कारण स्थगित हो गया। गांधीजी की नीतियों से असंतुष्ट होकर, श्री चित्तरंजन दास और पं. मोतीलाल नेहरु ने अलग एक स्वराज दल का गठन किया।

1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। पूरे भारत में साइमन कमीशन का घोर विरोध किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने दांडी मार्च के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुवात की। 6 अप्रैल 1930 को गांधीजी ने नमक कानून तोडा। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने 1935 ई. का भारतीय अधिनियम पारित किया जो सबसे विशाल एवं जटिल दस्तावेज था। अगस्त 1942 को गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोडो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिला दिया कि, भारत के स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नही की जा सकती।

3.12 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **विप्लवः** आंदोलन
- **द्वैधः** दोहरा
- **विधिभंजकः** कानून तोड़ने वाले अवशिष्ट शक्तियाँ

3.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखिये।
2. लाहौर कॉंग्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
3. नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
4. स्वराज दल के बारे में आप क्या जानते हैं?
5. स्वराज दल के महत्व पर प्रकाश डालिये।
6. गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था?
7. असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिये।
8. असहयोग आंदोलन के परिणामों का वर्णन कीजिये।
9. असहयोग आंदोलन के असफल रहने के कारणों पर प्रकाश डालिये।
10. गांधीजी की दांडी यात्रा का परिचय दीजिए।
11. गांधी इरविन समझौते की शर्ते लिखिये।
12. भारत छोड़ो प्रस्ताव के विषय में आप क्या जानते हैं?
13. भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरुप एवं महत्व की समीक्षा कीजिये।
14. भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों की विवेचना कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. खिलाफत आंदोलन क्या था? इसकी उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये
2. खिलाफत से आप क्या समझते है? खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिये
3. असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिये
4. भारत में असहयोग आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये
5. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज दल के योगदान का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
6. स्वराज दल की नीतियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिये।
7. 1935 के भारतीय अधिनियम की मुख्य धाराओं का वर्णन कीजिये।
8. 1935 के अधिनियम के गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालिये।
9. 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन कीजिये।
10. 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
11. साइमन कमीशन के प्रस्तावों एवं उसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिये।

12. साइमन कमीशन को भारत क्यो भेजा गया? इसके क्या परिणाम हुए।
13. लाहौर कॉंग्रेस के प्रस्तावों की समीक्षा कीजिये।
14. सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिये।
15. सविनय अवज्ञा के आंदोलन के स्वरूप तथा महत्व की विवेचना कीजिये।
16. गोलमेज सम्मेलनों की विवेचना कीजिये।
17. भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिये।
18. भारत छोड़ो आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान था, समीक्षा कीजिये।
19. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान की विवेचना कीजिये।

3.14 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. डॉ. ताराचन्द्र, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खण्ड IV
2. भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषन (1947 से 1977 तक)– डॉ. मंजु सालोमन होराइजन पब्लिकेशन दिल्ली 2017
3. डॉ. एस.के. मित्तल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
4. डॉ. ए.जी. दहिभाते भारत का इतिहास, रामप्रसाद ॲण्ड सन्स भोपाल
5. बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी ''आजादी के बाद का भारत'' दिल्ली 2000

इकाई 4 क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, एवं आजाद हिंद फौज, सांप्रदायिक राजनीति, एवं भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलीनीकरण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

संरचना (Structure)

4.0 परिचय
4.1 उद्देश्य
4.2 क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 ई.
- 4.2.1 क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के कारण
- 4.2.2 क्रिप्स का भारत आगमन
- 4.2.3 क्रिप्स प्रस्तावों के दोष
- 4.2.4 मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण
- 4.2.5 क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण

4.3 शिमला सम्मेलन
- 4.3.1 शिमला सम्मेलन वेवेल योजना
- 4.3.2 वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान
- 4.3.3 शिमला सम्मेलन– जून 1945
- 4.3.4 शिमला सम्मेलन का उद्देश्य
- 4.3.5 शिमला सम्मेलन के निर्णय

4.4 कैबिनेट मिशन
- 4.4.1 कैबिनेट मिशन, 1946
- 4.4.2 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा
- 4.4.3 कैबिनेट मिशन के कार्य
- 4.4.4 कैबिनेट मिशन की सिफारिशें
- 4.4.5 मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना

4.5 सुभाषचन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज
- 4.5.1 सुभाषचन्द्र बोस
- 4.5.2 फारवर्ड ब्लाक के सिद्धांत
- 4.5.3 द्वितीय विश्व युद्ध और सुभाषचन्द्र बोस
- 4.5.4 आजाद हिंद फौज तथा सुभाषचन्द्र बोस

4.6 सांप्रदायिक राजनीति
- 4.6.1 सांप्रदायिक राजनीति
- 4.6.2 भारत का विभाजन

4.7 भारतीय स्वाधीनता
- 4.7.1 भूमिका
- 4.7.2 सीमा आयोग

4.8 रियासतों का विलीनीकरण
- 4.8.1 रियासतों का विलीनीकरण
- 4.8.2 वल्लभभाई पटेल तथा राज्यों का भारत में प्रवेश

4.9 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
4.9.1 प्रस्तावना
4.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
4.11 सारांश
4.12 मुख्य शब्दावली
4.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
4.14 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय (Introduction)

1942 के विश्व युद्ध में जापान ने सिंगापुर, रंगून और अण्डमान द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार युद्ध भारतीय सीमाओं में आ गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर विश्व के प्रभावशाली नेताओं का दबाव भी पड़ रहा था। ऐसी स्थिती में चर्चिल ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने तथा गतिरोध दूर करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की। क्रिप्स के प्रस्तावों को काँग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया।

लॉर्ड वेवेल अक्टुबर 1943 में भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होकर भारत आये। लॉर्ड वेवेल ने 1945 को एक नई योजना भारत की जनता के समक्ष रखी। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया। भारतीय जनता को समझ में आ गया कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग और आगे बढ़ेगी। शिमला सम्मेलन विफल हो गया। इंग्लैन्ड में सत्ता परिवर्तन के बाद श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली बने।

केबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचा। इस मिशन ने अपनी योजना से काँग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनो को संतुष्ट करने की कोशीश की थी।

केबिनट मिशन असफल हुआ। सुभाषचन्द्र बोस का प्रमुख स्वप्न आजाद भारत था। 1939 में काँग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गये। गांधीजी के विचारों से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना एक नया दल फारवर्ड ब्लाक बनाया। सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में सम्भाली। सुभाषचन्द्र बोस विश्व के अन्य देशों की सहायता से भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना चाहते थे।

अंग्रेज भारत में ''फूट डालो और शासन करो'' की नीति के द्वारा भारत में हिंदु और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता की आग को बढ़ाने का कार्य कर रहे थें। पाकिस्तान की मांग के साथ सांप्रदायिकता का परिणाम यह हुआ कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ।

माउण्टबेटेन योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जिसमे कुल 20 धाराएँ तथा 2 परिशिष्ट थे। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलिनीकरण का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य प्रथम

प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल एवं मेनन के सहयोग से पूर्ण हुआ। जुनागढ, हैदराबाद एवं काश्मीर में सेना का प्रयोग किया गया और विलय का कार्य पूर्ण हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया। प्रारुप समिती के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान विश्व का लिखित, निर्मित एवं विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती है।

4.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के माध्यम से निम्न घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है–

- ब्रिटिश काल में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन की योजनाओं से विद्यार्थीयों को अवगत कराना।
- सुभाषचन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की जानकारी प्रदान करना।
- सांप्रदायिक राजनीति के कारण भारत के विभाजन पर प्रकाश डालना।
- भारतीय संविधान की विशेषताओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना।

4.2 क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 ई. (Cripps Mission, March 1942)

ब्रिटिश सरकार ने 1939 से आरंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। इसके बाद विभिन्न प्रांतों के काँग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से

चित्र क्र. 4.1: सर स्टेफर्ड क्रिप्स

स्वतंत्रता एवं संविधान की मांग की। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बदल रही थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को यह स्पष्ट होने लगा कि भारतीयों के सहयोग के बिना युद्ध जीतना कठिन है। दूसरी ओर चर्चिल पर विश्व के प्रभावशाली नेताओं का दबाव भी पड़ रहा था। इन परिस्थितियों में चर्चिल ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने तथा गतिरोध दूर करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1943 में एक मिशन भारत भेजा था। जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था।

4.2.1 क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के कारण (Reasons for Sending Cripps Mission to India)

1. **युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना–** ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयो का सहयोग चाहती थी। भारतीय चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनकी ''स्वराज्य'' संबंधी मांग को स्वीकार कर ले। ब्रिटिश सरकार के अस्वीकार करने पर गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने संविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये क्रिप्स को नवीन प्रस्तावों के साथ भारत भेजने का निर्णय किया।
2. **राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव–** ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 1941 में एटलांटिक चार्टर को भारत में लागू करने से मना कर दिया था। इस चार्टर का यह अभिप्राय था कि युद्ध की समाप्ति के बाद प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपती रूजवेल्ट ने चर्चिल पर भारत से समझौता करने के लिये दबाव डाला, इसके बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह घोषणा की कि, एटलाण्टिक चार्टर सारे संसार पर लागू होगा।
3. **ऑस्ट्रेलिया का दबाव–** ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवाट ने पार्लियामेंट में कहा कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के साथ समझौता कर लेना चाहिये।
4. **जापान का तत्कालिक खतरा–** जापान ने सिंगापुर, मलाया और इण्डोनेशिया को विजय करके अण्डमान तथा निकोबार द्वीप को जीत लिया था। 8 मार्च 1949 में जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गयी। रंगून में जापानियों के घुसने के तीन दिन बाद चर्चिल ने यह घोषणा भी कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने एक योजना तैयार की है और इस हेतु क्रिप्स को भारत भेजा जायेगा।

4.2.2 क्रिप्स का भारत आगमन (Arrival of Cripps to India)

सर स्टैफर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचे। भारत में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भेट की। क्रिप्स कुछ निश्चित प्रस्ताव लेकर आये थे उनके प्रस्तावों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. युद्ध के उपरांत लागू होने वाले सुझाव–

(i) एक नये भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित होंगे। भारतीय संघ एक गणराज्य बनेगा जिसका

इंग्लैन्ड व अन्य डोमिनियनो से संबंध रहेगा। भारतीय संघ को अपनी आंतरिक और विदेशनीति में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

(ii) युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जायेगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होगे।

(iii) संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार होगा– प्रांतीय विधानमंडलों के सभी सदस्य मिलकर एक निर्वाचन मंडल का निर्माण करेंगे। निर्वाचक मंडल अपने में से 1/10 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से करेंगे। ये 1/10 सदस्य संविधान सभा के सदस्य होंगे। देशी राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में नियुक्त होंगे।

संविधान सभा द्वारा तैयार किये गये नवीन संविधान को ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेंगी जबकि निम्नलिखित शर्ते पूरी होगी–

(i) ब्रिटिश भारत के प्रांत या देशी रियासतों को संघ से अलग रहने का अधिकार होगा।

(ii) सम्राट की सरकार और संविधान सभा के मध्य एक संधि होगी। संधि में जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का भी प्रबंध होगा।

2. **युद्ध के समय लागू होने वाले सुझाव**– तत्काल लागू होने वाले इस प्रस्ताव में कहा गया कि ''सम्राट की सरकार भारत की रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन का उत्तरदायित्व संपूर्ण विश्व युद्ध के प्रयत्नों के एक अंग के रूप में अपने हाथ में रखेगी।

क्रिप्स ने भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के नेताओं से युद्ध के मामले में रचनात्मक तथा सक्रिय सहायता प्रदान करने की अपील की।

4.2.3 क्रिप्स प्रस्तावों के दोष (Defects of Cripps Proposals)

काँग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के कारण–

1. भारत को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गयी थी जबकि काँग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी।
2. संविधान सभा के गठन में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार राजा–महाराजाओं को था, जनता को यह अधिकार नहीं दिया गया।
3. प्रांतों और देशी रियासतों को संघ से पृथक रहने या पृथक संघ निर्माण का अधिकार दिया गया था। इससे देश की एकता को आघात होता।
4. ब्रिटिश सरकार ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण देने से मना कर दिया था।

4.2.4 मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण (Reasons for Rejecting Cripps Proposals by Muslim League)

1. प्रस्तावों में पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।
2. लीग मुसलमानों के लिये अलग संविधान सभा चाहती थी।
3. संविधान सभा के गठन के लिये निश्चित निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी।

सिक्खों ने भी प्रस्तावों से असहमति प्रकट की। हिंदू महासभा, दलितों तथा उदारवादी नेता भी क्रिप्स के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थे। सिक्ख पाकिस्तान का निर्माण करने के विरोधी थे। वे पंजाब को भारत से अलग नहीं होने देना चाहते थे। अतः सिक्खों ने भी क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध किया।

4.2.5 क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण (Reasons for Failure of Cripps Mission)

1. **असंतोषजनक सुझाव**– क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता का मुख्य कारण यह था कि यह भारतीय परिस्थितियों में किसी भी समस्या को हल करने के लिये पर्याप्त नहीं था। इन सुझावों का सबसे बड़ा दोष यह था कि प्रांतों को केन्द्र से पृथक रहने और अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा दे दी गयी थी। इससे भारत की एकता पूर्णतया समाप्त हो जाती। भारत दो टुकड़ों में नही अपितु कई टुकड़ों में बंट जाता। इसके अतिरिक्त इन सुझावों में वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिये कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई थी।
2. **अंग्रेजों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार**– अंग्रेज अधिकारी भारत को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। क्रिप्स ने भारत में अपनी बातचीत के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कई बार परामर्श किया किंतु चर्चिल भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देने के पक्ष में नहीं था।
3. **निर्णय लेने में अक्षम**– क्रिप्स स्वयं कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं था।
4. **भारतीयों का अंग्रेजों पर अविश्वास**– भारत में अंग्रेजों के प्रति भारी अविश्वास था। मौलाना अब्दुल कलाम ने पं. नेहरू से कहा था कि, ''युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये अवसर दिया है। इसे केवल अंग्रेजों के वचनों पर विश्वास करके नहीं खोना चाहिये। यदि अंग्रेज अपने वचनों से फिर गये तो फिर दुबारा आंदोलन करने के लिये भी उचित कारण नहीं दिखाई देता''।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. क्रिप्स मिशन भारत कब आया?

    (अ) 30 मार्च 1941 (ब) 22 मार्च 1942

    (स) 23 मार्च 1943 (द) 23 मार्च, 1944 में

4.3 शिमला सम्मेलन (Shimla Conference)

4.3.1 शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना (Shimla Conference, Wavell Scheme)

1943 ई. में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल की समाप्ति पर लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय बने। उन्होंने मई 1944 में महात्मा गांधी को रिहा किये जाने के आदेश दिये। भारतीयों में व्याप्त जन आक्रोश, अमरीका आदि देशों के राजनीतिक दबाव तथा जापान के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में भारतीयों का सहयोग आवश्यक है आदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड वेवेल 14 जून 1945 को वेवेल योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। लॉर्ड वेवेल ने 25 जून, 1945 को एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, जिसमें काँग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अकाली नेता मास्टर तारासिंह भी थे। लॉर्ड वेवेल ने सभी काँग्रेसी नेताओं को रिहा करने के आदेश दिये। शिमला सम्मेलन 14 जुलाई 1945 तक चला।

4.3.2 वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान (Main Provisions of Wavell Scheme)

1. ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके उसे स्वशासन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना चाहती है।
2. नई कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे।
3. भारत सरकार भारत के प्रमुख संप्रदायों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यदि भारतीय पहले जापान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने के लिये तथा इसके बाद भारत के पुनर्निर्माण के लिये राजी हों तो, सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिये तैयार है।
4. वायसराय की कार्यकारिणी में सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद में सर्वत्र हिंदुओं तथा मुसलमानों की संख्या बराबर होगी।
5. सेना के अतिरिक्त शासन के सभी विभाग यहाँ तक कि विदेशी मामले भी भारतीयों के हाथों में होंगे।

6. वायसराय अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। भारत के हित में ही शक्तियों का उपयोग होगा।
7. इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपने देश के लिये संविधान का निर्माण करेंगे।
8. प्रांतों में गर्वनर का शासन समाप्त होगा। वेवेल ने कहा था ''यह घोषणा ब्रिटेन की ओर से भारत की जनता का एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय उपहार है।''

4.3.3 शिमला सम्मेलन– जून 1945 (Shimla Conference-June 1945)

25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यह सम्मेलन वेवेल योजना पर विचार करने के लिये आयोजित किया गया था। वायसराय वेवेल ने काँग्रेस के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया जिससे कार्यकारिणी के सदस्य शिमला सम्मेलन में भाग ले सकें। शिमला सम्मेलन में प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, काँग्रेस, मुस्लिम लीग, अछूतों, सिक्खों, युरोपियनों के प्रमुख प्रतिनिधियों तथा निमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया।

4.3.4 शिमला सम्मेलन का उद्देश्य (Objectives of Shimla Conference)

शिमला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था–

1. सांप्रदायिक समस्या को हल करना था, भारत की संवैधानिक प्रगति में मुख्य बाधा थी।
2. गवर्नर जनरल की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना जिसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हो। परिषद में मुसलमानो और हरिजनों को छोड़कर हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था। परिषद का कार्य युद्ध संचालन, प्रशासन तथा नए संविधान की निर्माण पद्धति का निर्णय कराना होगा।

वायसराय ने अपने भाषण में कहा कि, सम्मेलन में सम्मिलित किसी दल को दुराग्रह के कारण समझौते में व्यवधान नही बनने दिया जायेगा।'' काँग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने भाषण में काँग्रेस को राष्ट्रीय संस्था मानने पर जोर दिया तथा ऐसे किसी निर्णय में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने लीग को काँग्रेस के समकक्ष मानने तथा पाकिस्तान की मांग को तुरंत स्वीकार कर लेने पर जोर दिया।

4.3.5 शिमला सम्मेलन के निर्णय (Decisions of Shimla Conference)

टिप्पणी

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल मिला जुला होगा तथा उसमें 14 मंत्री होंगे। विभाजन इस प्रकार था– पाँच काँग्रेस, पाँच लीग तथा चार वायसराय द्वारा मनोनीत होगे। मनोनीत सदस्य इस प्रकार रहेंगे– एक सिक्ख, दो अछूत तथा एक स्थान पंजाब की युनियनिस्ट पार्टी का था।
2. वायसराय ने काँग्रेस तथा लीग को 8 से लेकर 12 नाम देने को कहा। इस सूची में से वायसराय को मंत्रिमंडल के नाम निश्चित करने थे।

काँग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने वायसराय को नाम भेज दिये। इनमें से दो सदस्य मुसलमान थे। लेकिन जिन्ना ने इन नामों का विरोध किया। जिन्ना गैर लीग के सदस्यों को मुसलमानों का नेता नहीं मानते थे। काँग्रेस और युनियनिस्ट पार्टी के नेता खिज्र हयात खां ने जिन्ना की मांग को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना की मांग को स्वीकार कर लेने का अर्थ यह होता कि काँग्रेस एक हिंदू संस्था है और वह केवल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी है। जब जिन्ना ने मुसलमानों के नामों की सूची नहीं दी तो वायसराय ने स्वयं मुसलमानों की सूची तैयार की। जिन्ना ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।

शिमला सम्मेलन में गतिरोध आया। सांप्रदायिकता के कारण वायसराय ने घोषणा की कि लीग के असहयोगात्मक रवैये के कारण सारी योजना स्थगित कर दी गई है। इस प्रकार मुस्लिम लीग तथा जिन्ना के हठ के कारण शिमला सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

2. शिमला सम्मेलन कब आरंभ हुआ?

(अ) 21 मार्च 1945 (ब) 14 जून 1945

(स) 25 जून 1945 (द) 10 सितम्बर 1945

4.4 कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission)

4.4.1 कैबिनेट मिशन, 1946 (Cabbinet Mission, 1946)

भारत में शिमला सम्मेलन की असफलता से बहुत निराशा हुई। शीघ्र ही आशा की एक किरण भी दिखाई दी। 1945–46 की शीत ऋतु में इंग्लैन्ड में चुनाव हुए वहाँ श्रमिक दल की सरकार बनी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने तथा भारत सचिव लॉड पेथिक लॉरेंस बने। नयी सरकार का भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था।

भारतीय परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच के लिये ब्रिटेन की सरकार ने एक शिष्ट मंडल की रिपोर्ट के आधार पर 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पेथिक लारेंस ने एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की।

ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाये।

4.4.2 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा (British Prime Minister Atlee's Declaration)

15 मार्च, 1946 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की सम्राट की सरकार ने भारत को स्वतंत्रता दिये जाने का निर्णय लिया है। भारत को भी यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह राष्ट्रमंडल से पृथक होना चाहता है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीन मंत्रियों को भारत भेज रहे हैं जो समस्या का अध्ययन करेंगे और समाधान निकालेंगे। इसी घोषणा के आधार पर कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली आ पहुँचा। उसमें तीन सदस्य थे– भारत मंत्री पैथिक लारेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलैक्जेण्डर। भारत मंत्री ने उनके दो प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया था– स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिये मशीनरी की स्थापना करना और केन्द्र में अंतरिम शासन की स्थापना करना।

4.4.3 कैबिनेट मिशन के कार्य (Functions of Cabinet Mission)

मिशन ने दिल्ली में वायसराय तथा गवर्नरों का सम्मेलन बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। उसने काँग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों से वार्ता की। इसके बाद उन्होंने रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मुस्लिम लीग इस समय देश के विभाजन की मांग कर रही थी और काँग्रेस विभाजन के विरुद्ध थी। मिशन ने जिन्ना की समग्र पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया, इसके कारण निम्नलिखित थे–

1. उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 37.93 प्रतिशत और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। असम तथा बंगाल में 48.31 प्रतिशत गैर मुसलमान थे।
2. आसाम हिंदु बाहुल राज्य को पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता था।
3. पाकिस्तान से बंगाल और पंजाब के हिंदू क्षेत्रों को निकाल देने से छोटा–सा राज्य रह जायेगा।
4. पाकिस्तान मुस्लिम समस्या का कोई हल नहीं था, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रह जायेंगे।
5. सेना को बांटने से हानि होगी।
6. डाक, तार, रेल संचार साधनों के बंटवारे से कोई लाभ नहीं होगा।
7. इनमें रियासतों का सम्मिलित होना कठिन होगा।
8. पाकिस्तान के दोनों हिस्से 700 मील दूर अलग रहेंगे।

4.4.4 कैबिनेट मिशन की सिफारिशे (Recommendations of Cabinet Mission)

टिप्पणी

1. भारत के लिये एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासते दोनों शामिल होंगे। सभा के पास 1 प्रतिरक्षा विदेशी मामले तथा संचार साधन रहेंगे तथा व शेष विषयों में प्रांतों को स्वायत्तता रहेगी।
2. संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका होगी जिनमें ब्रिटिश शर्तो तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
3. प्रांतों को अलग–अलग समूह बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक समूह की अलग अलग कार्यपालिका तथा विधानमंडल होंगे। मिशन ने प्रांतों के तीन समूह बनाये–
   (अ) मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत उड़ीसा
   (ब) पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिन्ध
   (स) बंगाल तथा असाम
4. किसी बड़े सांप्रदायिक मामले के हल के लिये विधानसभा में दोनों बड़े दल के अलग–अलग 2/3 प्रतिनिधियों का बहुमत तथा साथ ही सदन के सारे सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।
5. जिन विषयों को देशी रियासतें संघ को नही सौंपेगी, उन सभी विषयों पर देशी रियासतों का ही अधिकार रहेगा।
6. तीनों समूहों के प्रतिनिधि अपने–अपने ग्रुप तथा अपने प्रांत के लिये संविधान बनायेंगे। यदि कोई एक प्रांत एक ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप में जाना चाहे तो नये संविधान के अंतर्गत हुए निर्वाचनों के पश्चात ऐसा कर सकेगा। प्रांतों को दस वर्ष के पश्चात् संविधान को पुनः संशोधित करने का अवसर होगा।

4.4.5 मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना (Plan Presented by Mission)

1. भारतीय संविधान के निर्माण के लिये प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जायेगा। इसमें कुल 389 सदस्य होंगे। 298 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे।
2. प्रांतों के लिये निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर विभिन्न संप्रदायों में बांटे जायेगे।
3. मतदाताओं को तीन वर्गों में बांटा गया–
   - सामान्य
   - मुसलमान
   - सिक्ख

सामान्य वर्ग में हिंदू, भारतीय इसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय आदि सम्मिलित थे।

4. तीनों समूहों को अलग अलग बैठकर यह निर्णय करना था कि प्रांतों का संविधान कैसा हो, कौन से विषय समूह के पास रहें तथा कौनसे विषय प्रांतीय विधानमंडल के पास रहें।

सारणी क्र. 4.1

ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के संविधान सभा के प्रतिनिधि				
समूह	**सामान्य**	**मुस्लिम**	**सिक्ख**	**कुल**
अ	167	20	—	187
ब	9	22	4	35
स	34	36	—	70
कुल	210	78	4	292

5. **ब्रिटेन और भारत के बीच संधि शासन**– सत्ता के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये ब्रिटेन और भारत के बीच एक संधि होगी। भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे या उसकी सदस्यता छोड़ना चाहे उसे स्वतंत्रता होगी।
6. **अंतरिम सरकार**– केन्द्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जायेगी। जिसमे सभी विभाग भारतीय नेताओं के अधीन होंगे।
7. **कैबिनट मिशन योजना**– कैबिनेट मिशन की इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण गुण थे। इसका भारत के अधिकांश नेताओं एवं दलों ने स्वागत किया। गांधीजी के अनुसार ''तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था''।

योजना के गुण (Merits of the Plan)

1. भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखकर पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया।
2. भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार का यह सच्चा और ईमानदार प्रयास था।
3. इस योजना का एक गुण यह था कि संविधान की रचना का प्रस्ताव लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था।
4. संविधान सभा के समस्त सदस्य भारतीय ही थे। युरोपियन और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया।
5. देशी रियासतों की जनता को अपने राजनीतिक भाग्य के निर्माण का अधिकार दिया गया।
6. योजना में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था।

7. संविधान सभा को प्रमुख सत्ताधारी बनाया गया था।
8. राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ऐच्छिक बनाया गया था।
9. इसमें मुसलमानों के अधिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया था।
10. देश में संघीय ढांचा बनाया गया।

योजना के दोष (Demerits of the Plan)

1. समूहों के निर्माण से पाकिस्तान को व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था।
2. केन्द्र को कम विषयों पर नियंत्रण देकर कमजोर बनाया गया तथा प्रांतो को अपने समूह बनाने तथा अधिक विषयों पर अधिकार देकर मनमानी का अधिकार दिया गया।
3. समूह वैकल्पिक थे या अनिवार्य यह स्पष्ट नहीं किया गया था।
4. पंजाब में सिक्ख अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था।
5. देशी रियासतों को अपना भविष्य निश्चित करने तथा संघ के संविधान को मानने न मानने की स्वतंत्रता दी गई।
6. अंतरिम सरकार के प्रस्तावित गठन के उपबंध त्रुटिपूर्ण थे।

कैबिनेट मिशन योजना को कार्यन्वित करना (Implementing the Cabinet Mission Plan)

योजना के भाग (Divisions of the Plan)

इस योजना के दो प्रमुख भाग थे–

1. तात्कालिक योजना– अंतरिम सरकार की स्थापना करना।
2. दीर्घकालीन योजना– संविधान का निर्माण करना।

कॉंग्रेस चाहती थी कि अंतरिम सरकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रधान के समान कार्य करे। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि अंतरिम सरकार में कॉंग्रेस तथा लीग के सदस्य समान संख्या में रहे, और कॉंग्रेस केवल सवर्ण जातियों में से ही प्रतिनिधियों को चुने। कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो पाया। 16 जून 1946 ई. को वायसराय ने ''सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अंतरिम सरकार की स्थापना का आव्हान किया।''

25 जून 1946 में कॉंग्रेस ने संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया, लेकिन अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। 16 जून की घोषणा के अनुसार मुस्लिम लीग ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार दोनों में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार की स्थापना

का कार्य कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया। वायसराय ने शासन तथा संविधान परिषद के चुनाव के कार्य के लिये कामचलाऊ सरकार बना ली। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। काँग्रेस को सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त हुए। लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में 73 स्थान प्राप्त हुए। जिन्ना को इससे घोर निराशा हुई।

वायसराय ने 22 जुलाई, 1946 को पुनः एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में 14 सदस्य रहेंगे जिसमें से 6 सदस्य काँग्रेस के तथा 5 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 3 सदस्य वायसराय द्वारा नियुक्त होंगे। वायसराय नियुक्त 3 सदस्यों में से एक सिक्ख होगा। दोनों दलो को एक–दूसरे के नामों पर आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन बराबर–बराबर होगा।

लीग ने मिशन की तात्कालिक अंतरिम सरकार की और दीर्घकालिक संविधान निर्माण की दोनों योजना को अस्वीकार कर दिया। लीग ने भारत और पाकिस्तान के लिये क्रमशः पृथक संविधान सभाओं की अपनी मांग फिर से दोहरायी। काँग्रेस ने मिशन की दोनों योजनाओं को स्वीकार कर लिया। 6 अगस्त 1946 ई. को वायसराय ने काँग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिये अनुरोध किया। लॉर्ड वेवेल एवं जवाहरलाल नेहरू ने लीग से अंतरिम सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन जिन्ना ने इस अपील पर ध्यान नहीं दिया।

सीधी कार्यवाही (Direct Action)

27 से 29 जुलाई को लीग ने एक प्रस्ताव के रूप में कहा कि ''स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिये सीधी कार्यवाही की जायेगी''।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त को अंतरिम सरकार बनाने कर फैसला किया। अतः जिन्ना ने उसी दिन अर्थात 16 अगस्त, 1946 को ''सीधी कार्यवाही'' करने की घोषणा की। देशभर में हिंदु मुस्लिम दंगे हुए। परिणामस्वरूप पंजाब और बंगाल में अपार जन–धन की हानि हुई। 16 अगस्त की स्थिति का वर्णन करते हुए मौलाना आजाद ने ''इंडिया विन्स फ्रीडम'' में लिखा है 16 अगस्त भारत के इतिहास का एक काला दिन था। आकस्मिक रूप से उत्पन्न आतंक, हत्या और खून खराबों में पूरा शहर (कलकत्ता) डूब गया, सैकड़ों लोगों की जाने गयीं, हजारों व्यक्ति घायल हुए तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गयी। नगर में गुण्डों का राज था। कलकत्ता और नोआखाली में लीग समर्थकों ने भयंकर मारकाट की। देखते देखते यह दंगे पूरे भारत में फैल गये।

अंतरिम सरकार की स्थापना (Establishment of Interim Government)

2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। सरकार को सुचारू रूप से कार्य करते देख मुस्लिम लीग ने 15 अक्टूबर, 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। अंतरिम सरकार में लीग के शामिल होने का उद्देश्य सरकारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना तथा अपनी स्थिति को दृढ करना था। अतः काँग्रेस और लीग में मतभेद उत्पन्न हो गये। भारत

सचिव द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करवाने के लिये नवम्बर, 1946 में एक सम्मेलन लंदन में बुलवाया। इसके बाद ही 20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. कैबिनेट मिशन भेजने के समय इंग्लैन्ड का प्रधानमंत्री कौन था?
   (अ) मैक्डोनोल्ड (ब) विस्टन चर्चिल
   (स) एटली (द) माउण्टबेटन
4. भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे?
   (अ) जवाहरलाल नेहरू (ब) मुहम्मद अली जिन्ना
   (स) महात्मा गांधी (द) मौलाना आजाद

4.5 सुभाषचन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज (Subhashchandra Bose and Indian National Army)

4.5.1 सुभाषचन्द्र बोस (Subhashchandra Bose)

सुभाषचन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ और माता प्रभावती थी। सुभाषचन्द्र बोस जिस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन ने उन्हें प्रभावित किया। सुभाषचंन्द्र बोस पर विवेकानंद का भी अत्याधिक प्रभाव था।

1913 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधी प्राप्त करने के पश्चात 1920 में उन्होंने इंग्लैन्ड से आई.सी.एस की परीक्षा पास की। बोस ने अंग्रेजो की भेदभावपूर्ण नीति एवं देशप्रेम की भावना के कारण अंगेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार न किया। भारत लौटकर मात्र 25 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति में वे भाग लेने लगे। उनके राजनीतिक गुरू देशबंधु चित्तरंजन दास थे।

ब्रिटिश सरकार ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर एक अध्यादेश जारी किया तथा अन्य काँग्रेसी नेताओं के साथ 1925 में सुभाषचन्द्र बोस को नजर बंद कर मांडले (बर्मा) भेज दिया गया। स्वास्थ खराब होने पर ब्रिटिश सरकार ने 26 मई 1927 का सरकार ने उन्हें बिनाशर्त छोड़ दिया।

सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस को शक्तिशाली बनाना चाहते थे; परंतु महात्मा गांधी के विचारों से वे कभी सहमत न हो सके। फिर भी गांधीजी के अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने

नमक कानून तोड़ा, तो सुभाषचन्द्र बोस ने भी नमक कानून तोड़ा और वे गिरफ्तार हुए, किंतु 1935 में महात्मा गांधी द्वारा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया तो उन्होंने महात्मा गांधी की कटु आलोचना की।

चित्र क्र. 4.2: सुभाषचन्द्र बोस

1938 में काँग्रेस की अधिवेशन हरिपूरा में हुआ। इसमें अध्यक्षपद के लिये सुभाषचन्द्र बोस ने गांधी जी की इच्छा के विरूद्ध अपना नामांकन कराया। सीतारम्मैया को हरा कर काँग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद को देखते हुए उन्होंने अप्रेल 1939 में काँग्रेस से त्यागपत्र दे दिया व ''फारवर्ड ब्लाक'' नामक एक नया राजनीतिक दल बनाया।

4.5.2 फारवर्ड ब्लाक के सिद्धांत (Principles of Forward Block)

1. पूर्ण स्वतंत्रता के लिये निरंतर साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष करना।
2. भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना।
3. देश की उन्नति के लिये उत्पादन को बढ़ाना।
4. प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
5. भाषा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता

4.5.3 द्वितीय विश्व युद्ध और सुभाषचन्द्र बोस (Second World War and Subhashchandra Bose)

सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, वे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिये विदेशियों की सहायता प्राप्त कर, सशस्त्र संघर्ष आरंभ करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार सुभाषचन्द्र बोस के गतिविधियों व क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन पर कड़ी नजर रखती थी। उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। 17 जनवरी 1941 की रात को सुभाष बाबू पुलिस को धोखा देकर पठ़ान के वेष में बाहर निकले। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए मास्को पहुँचे। वहाँ से वे बर्लिन गये और हिटलर से भी मिले। बर्लिन रेडियो से उन्होंने अंग्रेजी विरोधी भाषण प्रसारित किये। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी दासता से मुक्त होने के लिये विद्रोह

करने का सुझाव दिया। दिसंबर 1941 में जापान अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ। सुभाषचन्द्र बोस जापान चले गये।

टिप्पणी

4.5.4 आजाद हिंद फौज तथा सुभाषचन्द्र बोस (Indian National Army and Subhashchandra Bose)

जापान में कैप्टन मोहन सिंह ने फरवरी 1942 में आजाद हिन्द फौज की स्थापना कर ली थी। कैप्टन मोहन सिंह मलाया में ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। मोहन सिंह ने जापानी सरकार से भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिये सहायता मांगी। जापान ने 1941 में मलाया तथा सिंगापुर में अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। जापान के पास 45,000 युद्ध बंदी थे। सिंगापुर में बंदी बनाये गये भारतीय सैनिकों को जापान ने कप्तान मोहन सिंह को सौप दिया था। जापानीयों के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनायी थी। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत की मुक्ति के लिये संघर्ष करना था।

आजाद हिंद फौज को प्रारंभ मे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अतः रास बिहारी बोस ने सुभाषचन्द्र बोस को उसके संचालन करने का कार्य सौपने का निर्णय किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सम्भाला तत्पश्चात उन्हें 'इण्डिया 'इंडिपेण्डेन्स लीग' का अध्यक्ष बनाया गया तथा उन्हें ''नेताजी'' कहा गया।

सुभाषचन्द्र बोस ने घोषणा की, ''ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराउंगा और मै इस पवित्र युद्ध को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जारी रखूंगा''।

5 जुलाई, 1943 को उन्होंने सिंगापुर टाउन हॉल के सामने विशाल मैदान में पहली बार आजाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति के रूप में सलामी ली। जब सुभाषचन्द्र बोस प्रधान सेनापति बने थे, सुभाष ने निर्जीव प्राय इस सेना को नये सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया। गांधीजी के अहिंसक आंदोलन में उन्हें विश्वास नहीं था इसलिये वे आंदोलन को शस्त्र की लड़ाई में परिवर्तित करना चाहते थे। उन्होंने कहा ''मेरे वीरों तुम्हारा युद्धघोष होना चाहिये दिल्ली चलो! दिल्ली चलो''!

21 अक्टूबर, 1943 को सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में ''स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार'' सिंगापुर में बनाई तथा देश को स्वतंत्र करने के लिये अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देने की शपथ ली। सुभाषचन्द्र बोस की अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, बर्मा, कोरिया, फिलीपिन, इटली, चीन और आयरलैण्ड सरकार ने मान्यता दी। जापान ने 06 नवम्बर 1943 को अंदमान और निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया नेताजी स्वयं वहाँ गये और इन द्वीपों के नाम ''शहीद द्वीप'' तथा ''स्वराज द्वीप'' रखे तथा स्वतंत्र भारत का झण्डा फहराया।

अंग्रेजों पर आक्रमण (Attack on Britishers)

सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिंद फौज की बटालियन गांधी, मौलाना आजाद, नेहरू के नाम से गठित किया। महिलाओं की सैनिकों के एक दल का निर्माण भी किया, जिसका नाम रानी झांसी रेजीमेंट रखा गया था। कैप्टन लक्ष्मीबाई सहगल को इसकी कमान दी गई थी।

सुभाषचन्द्र बोस ने ''दिल्ली चलो'' के नारे के साथ आजाद हिंद फौज के साथ 4 फरवरी 1944 को रंगून से प्रस्थान किया, बर्मा में अंग्रेजों को हराने के पश्चात भारत में प्रवेश किया। ब्रिटिश सेना को परास्त कर कोहिमा पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद आजाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुँच गयी तथा 7 अप्रैल, 1944 को वहाँ आक्रमण की योजना बनायी गयी, किंतु भारी वर्षा के कारण आक्रमण नहीं हो सका। 22 सितम्बर को 1944 को सुभाषचन्द्र बोस ने ''शहीद दिवस'' मनाया तथा घोषणा की ''हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में हैं"। "तुम मुझे अपना खून दो, मै तुम्हे आजादी दूंगा"। किंतु दुर्भाग्यवश उनका यह सपना पूरा न हो सका। विश्वयुद्ध में तेजी से परिस्थितीयाँ बदल रही थी।

7 मई 1945 को जर्मनी हार गया। अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु गिराये। इसके बाद जापान ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने खोए स्थानों पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी समय सुभाषचन्द्र बोस ने सैगोन से टोक्यो के लिये प्रस्थान किया, किंतु दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1945 को थाई होकू हवाई अड्डे के पास दिन में लगभग 2.40 बजे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में आजाद हिंद फौज ने एक नया अध्याय जोड़ा।

सुभाषचन्द्र बोस की आकस्मिक मृत्यू ने संपूर्ण विश्व को शोक के सागर में डूबो दिया था। सुभाषचन्द्र बोस महान क्रांतिकारी एवं भारत के सच्चे सपूत थे। आजाद हिंद फौज ने उनके नेतृत्व में विश्व को यह दिखा दिया कि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिये भारतीय सशस्त्र संघर्ष करने की क्षमता रखतें हैं।

आजाद हिंद फौज में राजनीतिक रुप से राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंक दी। यह सेना भारत में लोकप्रिय थी इसका अनुमान आजाद हिंद फौज के तीन अधिकारियों पर चलाये गये मुकदमें के दौरान राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है।

ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के कर्नल शाहनवाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल तथा लेफ्टिनेन्ट गुरूबक्शसिंह ढिल्लन को बंदी बनाकर उन पर लाल किले, दिल्ली में एक विशेष अदालत मे मुकदमा चलाया। भारत के सभी राजनैतिक दलों एवं जनता की सहानुभूति आजाद हिंद फौज के सेनानियों के साथ थी। सुभाषबाबू व आजाद हिंद फौज ने भारत छोड़ो आंदोलन के असफल हो जाने पर भारतीयों को आशा की किरण दिखाई थी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

5. सुभाषचन्द्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध काल में जापान कब पहुंचे?

   (अ) 1939 (ब) 1940

   (स) 1942 (द) 1943

6. 1938 में सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गये?

   (अ) हरिपुर (ब) लखनऊ

   (स) बंबई (द) नागपुर

7. सुभाषचन्द्र किस नेता से सबसे अधिक प्रभावित थे?

   (अ) महात्मा गांधी (ब) जवाहरलाल नेहरू

   (स) चित्तरंजनदास (द) मोतीलाल नेहरु

4.6 सांप्रदायिक राजनीति एवं भारत का विभाजन (Communal Politics and The Partition of India)

4.6.1 सांप्रदायिक राजनीति (Communal Politics)

भारत में सांप्रदायिक समस्या आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में अंग्रेज हिंदू–मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिकता को बढ़ाने में लगे थे। 1857 के विद्रोह में हिंदू–मुस्लिम सहयोग ने अंग्रेजों को सतर्क कर दिया। उन्होंने सेना का गठन जाति, वर्ग एवं संप्रदाय के आधार पर किया एवं सांप्रदायिकता का जहर फैलाना शुरू कर दिया। भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ 19 वी शताब्दी के अंत में हुआ।

अंग्रेजों की मुसलमानों को उपेक्षित करने की नीति से मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना का जन्म होने लगा। अल्पसंख्यक होने के कारण उनमें असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगी।

सर सैयद अहमद खां (Sir Syed Ahmed Khan)

सर सैयद अहमद खां एक महान शिक्षा शास्त्री तथा समाज सुधारक थे। प्रारंभ में वे राष्ट्रवादी थे तथा हिंदू–मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण रूढिवादिता एवं विचारों की संकीर्णता है। अतः कमियों को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। अतः उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन ऐंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। 1898 में सर सैयद अहमद की मृत्यु हो गयी।

बंगाल का विभाजन 1905– हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के लिये 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन का हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों ने भी विरोध किया था। किंतु ब्रिटिश नौकरशाही ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिये कटुता का प्रयास किया।

1809 में ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेस के समय ढाका में मुसलमानों के अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना तथा मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। इसके द्वारा वे कॉंग्रेस के निरंतर बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते थे। मुसलमान युवाओं को राजनीति में प्रवेश के लिये आधार प्रदान करना चाहते थे। नवाब सलीमुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

30 दिसम्बर 1906 को नवाब बकर–उल–मुल्क की अध्यक्षता में ''मुस्लिम लीग'' की स्थापना का निर्णय लिया गया। वायसराय लॉर्ड मिण्टो के समय एक प्रतिनिधिमंडल आगा खाँ के नेतृत्व में वायसराय से अक्टूबर, 1906 ई. में मिला उनकी निम्नलिखित मांगें थी–

1. मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन
2. विधानमंडलों में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अधिक स्थान
3. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान
4. मुस्लिम विश्व विद्यालय की स्थापना में सरकारी अनुदान
5. गर्वनर जनरल की कौंसिल में यदि भारतीयों को रखा जाये तो मुसलमानो का भी ध्यान रखा जाये।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है, ''पाकिस्तान के वास्तविक संस्थापक जिन्ना अथवा रहीमतुल्ला नहीं वरन् लॉर्ड मिण्टो थे''।

मुस्लिम लीग को सारे मुसलमानों का समर्थन कभी प्राप्त न हो सका। राष्ट्रवादी मुसलमान सदैव कॉंग्रेस के समर्थक रहे। यहाँ तक कि जिन्ना भी प्रारंभ में मुस्लिम लीग के घोर विरोधी थे।

जिन्ना ने कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग को निकट लाने का प्रयास किया, जिस के परिणामस्वरूप ''लखनऊ समझौता'' हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग साथ–साथ काम करते रहे तथा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन दोनो के सहयोग से चलाये गये। किंतु दुर्भाग्यवश यह हिंदू मुस्लिम एकता अधिक समय तक कायम न रह सकी।

कॉंग्रेस की नीतियों से असहमत होने के कारण जिन्ना ने स्वयं को कॉंग्रेस से अलग कर लिया। 1928 में नेहरू समिति ने भारत के भावी संविधान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की उसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। 1930 और 1931 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें लीग ने भाग लिया और मुसलमानों के लिये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की। इंग्लैन्ड के प्रधानमंत्री रैम्जे

मेक्डोनाल्ड ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए 1932 के अपने सांप्रदायिक निर्णय में घोषणा कर दी।

टिप्पणी

1937 में काँग्रेस–लीग वार्ता के असफल होने से लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना के अहंकार को धक्का लगा। अतः उसने काँग्रेस के विरुद्ध भयंकर प्रचार युद्ध आरंभ कर दिया। पाकिस्तान के लिये संघर्ष इसी समय से आरंभ हुआ।

गोलमेज सम्मेलनों में भी मुस्लिम लीग ने पृथकतावादी रूख अपनाया। 1937 में चुनाव में काँग्रेस को भारी सफलता मिली। मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नही मिली, किंतु अल्पसंख्यक प्रांतों में वह सफल रही। जिन्ना ने मुस्लिम दलों व संगठनों को मुस्लिम लीग में मिलाने का प्रयास किया जिसमे मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की प्रमुख संस्था का रूप ले सके।

1930 में इकबाल द्वारा मुसलमानों के लिये पृथक राज्य, के विचार पर जिन्ना विचार कर रहे थे। 1939 में काँग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर जिन्ना ने 22 दिसम्बर, 1939 को मुक्ति दिवस मनाया।

23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव (पाकिस्तान बनाने का) पारित किया गया। वास्तव में मुसलमानों के लिये पृथक राज्य की स्थापना कोई नवीन नहीं थी। 1933 में कवि इकबाल ने कैम्ब्रिज विश्व विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों के साथ इसे प्रस्तुत किया था।

1940–46 के मध्य काँग्रेस से समझौते के लिये केन्द्रीय सरकार में हिंदू–मुस्लिम समानता की मांग करना प्रजातंत्र विरोधी होता, क्योंकि जनसंख्या में वे मुश्किल से एक चौथाई थे।

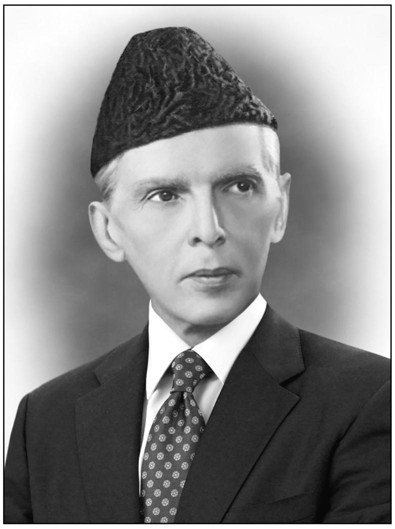

चित्र क्र. 4.3: मोहम्मद अली जिन्ना

ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि देश का विभाजन ही भारतीय संवैधानिक समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका है। पाकिस्तान की योजना बनाने में यद्यपि जिन्ना का विशेष योगदान नही था किंतु इस योजना को व्यावहारिक रूप प्रदान करने में उनका प्रमुख हाथ था। रजनी पामदत के अनुसार

जिन्ना को जिस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित करने में मुसलमानों का समर्थन मिला उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक हद तक जनता की सच्ची भावनाओं व आकांक्षाओं को व्यक्त करता था।

1946 के चुनावों से स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वास्तविक संस्था मुस्लिम लीग ही है। अतः जिन्ना ने घोषणा की भारत का गतिरोध भारत और अंग्रेजों के मध्य नहीं, वरन् काँग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच है। जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जायेगा तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती। एक नहीं वरन् दो विधान सभाएं बनानी होगी, जिनमे से एक भारत का व दूसरा पाकिस्तान का संविधान बनाये।

4.6.2 भारत का विभाजन (Partition of India)

माउण्टबेटन योजना (Mountbatten Plan)

लॉर्ड माउण्टबेटन ने 23 मार्च, 1947 को भारत के अंतिम गर्वनर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर समस्या का समाधान करने के लिये विस्तृत शक्तियों के साथ भारत भेजा गया था। उन्हें यह भी कहा गया था कि वे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को सत्ता सौंप सके। परन्तु यदि संभव नहीं हुआ तो ब्रिटिश सम्राट को सूचित करें कि जून 1948 ई. से पूर्व भारत की सत्ता हस्तांतरित की जाये।

चित्र क्र. 4.4: 1947 के पहले का अविभाजित भारत

लॉर्ड माउण्टबेटन को भारत में कार्यभार सम्भालते ही पता चल गया कि कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होना अत्यंत कठिन है। लॉर्ड माउण्टबेटन ने भारत के विभिन्न दलों के नेताओं, प्रांतीय गवर्नरों से विचार विमर्ष किया। सांप्रदायिक दंगो को ध्यान में रखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शक्ति हस्तांतरण को जून 1948 तक नहीं रोका जा सकता बल्कि यह कार्य 1947 के अंत तक हो जाना चाहिये। माउण्टबेटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की भौगोलिक एकता को कायम रखना संभव नहीं है।

कॉंग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार (Congress Accepts the Partition)

कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीग के 'सीधी कार्यवाही' एवं असंख्य लोगों की हत्या से दुखी होकर इस हल को स्वीकार किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा, ''सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हत्या की बजाय पृथक पाकिस्तान बन जाना ही अच्छा है''। पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। गांधीजी विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। गांधीजी ने कहा था, ''यदि कॉंग्रेस पाकिस्तान की स्वीकृति देती है, तो उसका निर्माण मेरे शव पर होगा''। भारत में निरंतर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वी.पी. मेनन ने भी पं. नेहरू व सरदार पटेल को समझाया कि, गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन स्वीकार कर लेना अच्छा है। बाद में गांधीजी को भी भारत विभाजन की सहमती देनी पडी। कॉंग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं के समक्ष विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह गया था, क्योंकि वे सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार के सामने विवश थे।

जिन्ना भी पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी बात को मानने को तैयार न थे। मौलाना आजाद, सरदार पटेल व अन्य नेताओं ने गांधीजी को जिन्ना से बार–बार मिलने से रोका भी था, किंतु गांधी ने सदैव यह कहकर इस बात को टाल दिया कि उनका संघर्ष जिन्ना से नहीं वरन् अंग्रेजों से है। जिन्ना को यह भ्रम हो गया था कि उसे संतुष्ट किये बिना कॉंग्रेस को सफलता मिलना कठिन है। अतः सरदार पटेल व पं. नेहरू समझ गए कि जिन्ना अपनी मांग से हटने वाला नहीं है तथा भारत की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिये माउण्टबेटन की बात मान लेना ही ठीक है। मौलाना आजाद व गांधीजी भारत के विभाजन के लिये किसी भी मूल्य पर तैयार न थे किंतु पं. नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी. पी. मेनन व माउण्टबेटन के समझाने पर दुखी मन से विभाजन के लिये तैयार हो गये।

माउण्टबेटन योजना की घोषणा (Declaration of Mountbatten Plan)

माउण्टबेटन ने कॉंग्रेस और लीग के विचारों को जानने के बाद भारत को दो डोमीनियनों में बांटने की एक योजना बनायी और उसे ब्रिटिश संसद से पारित कराने लंदन गये। ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के अनुमोदन के पश्चात माउण्टबेटन भारत आये। 3 जून, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में इस योजना की घोषणा की। यह योजना ''माउण्टबेटन योजना'' कहलायी।

लॉर्ड माउण्टबेटन 31 मई, 1947 ई. को भारत वापस आये। 2 जून, 1947 ई. को उन्होंने पं. नेहरू, पटेल, आचार्य कृपलानी, जिन्ना, लियाकत अली खां, अब्दुल निश्तर तथा बलदेव सिंह से विचार–विमर्श किया। पं. नेहरू व कॉंग्रेस कार्यसमिति ने

स्वीकृति प्रदान की। कम्युनिस्ट व अन्य वामपंथी दलों ने इस योजना की कटु आलोचना की क्योंकि इसके द्वारा भारत का विभाजन किया जाना था। 3 जून, 1947 को इस नयी योजना के विषय में माउण्टबेटन, नेहरू, जिन्ना व बलदेव सिंह ने आकाशवाणी से घोषणा की। इस योजना की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी–

1. संविधान सभा द्वारा पारित 'संविधान' भारत के उन भागों पर लागू नहीं होगा, जो इसे मानने को तैयार नही होंगे।
2. पंजाब व बंगाल की विधान सभाएं मुस्लिम व गैर मुस्लिम जिलों के आधार पर दो भागों में विभाजित की जायेगी।
3. उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत द्वारा यह ज्ञात किया जायेगा कि वह भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं।
4. असम के सिलहट जिले में भी इसी प्रकार के जनमत के द्वारा निर्णय किया जायेगा।
5. सर्वश्रेष्ठता की शक्ति भारतीय राजाओं को पुनः दे दी जायेगी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
   (अ) 1885 (ब) 1900
   (स) 1906 (द) 1904
9. मुक्ति दिवस कब मनाया गया?
   (अ) 1935 (ब) 1937
   (स) 1939 (द) 1941
10. गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई थी?
    (अ) सितम्बर, 1944 में (ब) सितम्बर, 1945 मे
    (स) सितम्बर, 1946 में (द) सितम्बर, 1947 में

4.7 भारतीय स्वाधीनता (Indian Independence)

4.7.1 भूमिका (Introduction)

माउण्टबेटन योजना के अनुसार सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रारूप पर काँग्रेस और मुस्लिम लीग की स्वीकृति के बाद विधेयक को 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 16 जुलाई तक इसे संसद के दोनों सदनो ने पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 ई. को इस अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट का अनुमोदन प्राप्त हो गया। प्रो. नार्मन डी पामर

लिखते है ''ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम समय और कम वाद–विवाद में पारित हुआ है।

टिप्पणी

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ई. में कुल 20 धाराएं तथा 2 परिशिष्ट थे। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे–

1. **दो अधिराज्यों की स्थापना**– इस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई। यह निश्चय किया गया कि दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को राजसत्ता दे दी जायेगी।
2. **संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना**– यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सरकार दोनो अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। उनको अपनी इच्छानुसार संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी, इस प्रकार संविधान सभाएँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी।
3. **दोनों के लिये अलग–अलग गवर्नर जनरल**– भारत और पाकिस्तान दोनो अधिराज्यों में एक–एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ती उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जायेगी। गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर भविष्य में केवल वैधानिक शासक होंगे।
4. **संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना**– जिस समय तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, उस समय तक वे विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती रहेगी और उनकी विधायकी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा।
5. **प्रांतीय विधानमंडल**– जिस समय तक नवीन विधान के अनुसार प्रांतों में निर्वाचन नहीं होते हैं, उस समय तक प्रांतों में विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे।
6. **भारत मंत्री के पद का अंत**– भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जायेगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के उपरांत ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नही रहेगा।
7. **1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन**– जब तक वर्तमान संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 1947 के अधिनियम द्वारा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को इस प्रकार संशोधित कर दिया गया था कि अंतरिम काल में इन दोनों राज्यों का शासन प्रजातंत्रात्मक पद्धति के आधार पर किया जा सके।
8. **देशी रियासतों पर ''सर्वोपरिता'' का अंत**– जहाँ तक देशी रियासतो का प्रश्न है, उन पर ब्रिटेन की सर्वोकारिता का अंत कर दिया गया और उनको किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने व अपने भावी संबंधो का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वास्तव में अंग्रेजों को एक भव्य और गौरवपूर्ण विदाई थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था, ''भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व काल आज समाप्त होता है और अब से ब्रिटेन के साथ हमारा अपना संबंध समानता, पारस्परिक सद्भावना और पारस्परिक लाभ के आधार पर रहेगा''।

15 अगस्त, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारतीय महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आये।

माइकल ब्रेचर के अनुसार ''भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था कि इसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया की राजनीतिक संस्थाओं, वैधानिक तथा न्यायिक पद्धति और संवैधानिक ढांचे को काफी सीमा तक कायम रखा गया''।

4.7.2 सीमा आयोग (Border Commission)

दोनों अधिराज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिये दो आयोग नियुक्त किये गये– एक बंगाल के विभाजन तथा सिलहट को असम से पृथक करने के लिये और दूसरा पंजाब के बंटवारे के लिये। सिरिल रॅडक्लिफ को दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया।

15 अगस्त, 1947 ई. का पवित्र ऐतिहासिक दिन ठीक आधी रात के समय लॉर्ड माउण्टबेटन ने विधानसभा भवन में प्रवेश किया और ब्रिटेन के राजा की ओर से शुभकामनाओं का संदेश दिया। उस समय से ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट नही रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उल्लास और भावुकता के वातावरण में राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रस्ताव पढ़ा।

''अनेक वर्ष पूर्व हमने नियति से मिलने की प्रतिज्ञा की थी, अब वह समय आ गया है जबकि हम अपने वचन को पूरा करेंगे, पूर्ण रूप से अथवा समग्र अंशों में नहीं, किंतु बहुत अंशों में ठीक आधी रात के समय जबकि संसार सो रहा है, भारत जागकर जीवन और स्वाधीनता का आलिंगन करेगा। इतिहास में एक क्षण आता है, यद्यपि वह बहुत ही कम आता है, जबकि हम पुरातन से निकलकर नूतन में प्रवेश करते हैं। जब एक युग समाप्त होता है, और जब एक राष्ट्र की युगों से दबी हुई आत्मा मुखरित होने लगती है। यह उचित ही है कि इस बेला में हम अपने को भारत की, उनकी जनता की और उससे भी अधिक मानवता की सेवा के लिये समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें''।

इस प्रतिज्ञा के बाद एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा लॉर्ड माउण्टबेटन को भारत का गर्वनर जनरल नियुक्त किया। देशभर में जनता ने उल्लास के साथ स्वाधीनता का स्वागत किया। किंतु दूसरी ओर पंजाब में स्वाधीनता की रात काल रात्रि बनकर आयी। वहाँ उसके बाद के सप्ताहों तक हत्या, लूटमार, आगजनी और बलात्कार का ताण्डव हुआ। एक अनुमान के अनुसार लगभग 6,00,000 लोग मारे गये और डेढ़ करोड़ के लगभग बेघरबार हुए। 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत

स्वतंत्र हो गया। यह भारतीय इतिहास के एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ था।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

11. माउण्टबेटन योजना की घोषणा कब की गयी?

(अ) 3 जून, 1947 को (ब) 10 जुलाई, 1947 को

(स) 2 अगस्त 1947 को (द) 10 अगस्त, 1947 को

4.8 रियासतों का विलीनीकरण (Merging of Princely States)

4.8.1 रियासतों का विलीनीकरण (Merging of Princely Stages)

ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ था– अंग्रेज प्रशासित प्रांत और देशी रियासतों के अधीन राज्य। भारत में कुल 565 राज्य (रियासते) थे। 1858 ई. के बाद इन राज्यों के अंग्रेजी सरकार से जो संबंध थे उन्हे ''सर्वोच्चत्ता'' कहा जाता है।

1946 ई. में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यह घोषणा की गयी कि ''सर्वोच्चता'' समाप्त कर दी जायेगी तथा यह अधिकार भारतीय सरकार को नहीं दिया जायेगा। इस घोषणा के कारण रियासतें पूर्ण स्वतंत्र होने का सपना देखने लगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिये जटिल समस्या उत्पन्न कर दी।

4.8.2 वल्लभभाई पटेल तथा राज्यों का भारत में प्रवेश (Vallabhbhai Patel and Entry of Princely States in India)

जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक ''स्टेट विभाग'' की स्थापना की। वी.पी. मेनन इस विभाग के सचिव थे। 15 अगस्त 1947 से पहले केवल जूनागढ़, कश्मीर व हैदराबाद को छोड़कर सभी राज्य सभी रियासतें भारत में शामिल हो गयी थीं।

रियासतों का भारत में विलय करना सरल कार्य नहीं था। किंतु सरदार पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय दिया। लंदन टाइम्स ने लिखा था कि ''भारतीय रियासतों के एकीकरण का कार्य इन्हे बिस्मार्क और संभवतः उनसे भी ऊँचा स्थान प्रदान करता है''।

रियासतों के भारतीय संघ में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड माउण्टबेटन की भी थी। माउण्टबेटन की देशी रियासतों से कोई सहानुभूति नहीं थी अतः उन्होंने रियासतों के शासकों को इसके लिये राजी किया। सबसे पहले बीकानेर तथा उसके पश्चात बड़ौदा ने ''प्रवेश लिखित'' पर हस्ताक्षर किये और उसके बाद

विलय का क्रम प्रारंभ हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल, माउण्टबेटन और वी. पी. मेनन के सहयोग से इस बड़ी समस्या को सुलझाया गया।

टिप्पणी

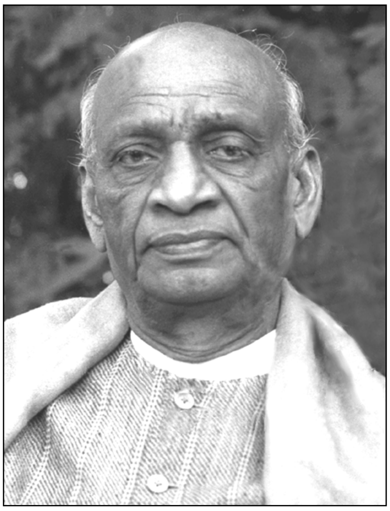

चित्र क्र 4.5: सरदार वल्लभभाई पटेल

जूनागढ़

जूनागढ़ काठियावाड़ (सौराष्ट्र) की एक छोटी सी रियासत थी। यह रियासत चारों ओर से भारतीय भू–भाग से घिरी हुयी थी। रियासत की 85 प्रतिशत जनता हिंदू थी और इसका नवाब मुसलमान था। बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा करते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जिसका वहाँ की जनता ने विरोध किया। समस्त क्षेत्र अशांत हो गया। जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो (जुल्फीकार अली भुट्टो के पिता) ने रियासत में कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिये भारत सरकार को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने भारतीय सेना को भेजा। नवाब अपने निजी वायुयान में बैठकर पाकिस्तान को भाग गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया।

हैदराबाद

हैदराबाद भी 15 अगस्त 1947 ई. से पहले भारत में शामिल नहीं हुआ। वहाँ का शासक निजाम भी भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में नहीं था। हैदराबाद की जनता भारत में मिलना चाहती थी। अतः जनता ने निजाम के विरुद्ध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। जब तक माउण्टबेटन भारत में रहे निजाम के साथ बातचीत चलती रही। कासिम रिजवी के नेतृत्व में नवाब के रजाकारों ने सारी रियासत में आतंक फैला दिया तथा लूट मार की। अतः जनता की रक्षा के लिये सरदार पटेल ने 13 सितम्बर, 1948 ई. को भारतीय सेना हैदराबाद भेजी 18 दिसम्बर को हैदराबाद की सेना ने भारतीय सेना के कमाण्डर मेजर जनरल चौधरी के सामने समर्पण कर दिया। 1948 ई. को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया।

कश्मीर

जूनागढ़ व हैदराबाद की समस्या से कहीं अधिक जटिल कश्मीर विलय की समस्या थी। कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी और राजा हरिसिंह हिंदू था। कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से मिलती थी। कश्मीर 15 अगस्त तक न तो भारत में शामिल हुआ न पाकिस्तान में। माउण्टबेटन स्वयं श्रीनगर गये और महाराजा और उसके मंत्री पंडित काक से मिले। कश्मीर प्रदेश भारत और पाकिस्तान दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। अतः उसने दोनों राज्यो से यथास्थिति बनाये रखने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की जिससे उसे विचार करने का पर्याप्त अवसर मिल जाये। यथा स्थिति समझौते के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने अपनी सहमति दे दी, परंतु भारत इसके लिये तैयार नहीं था। पाकिस्तान यह भी चाहता था कि कश्मीर प्रदेश विलय के संबंध में शीघ्र निर्णय ले परंतु महाराजा ने विलम्ब किया। कश्मीर की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता शेख अब्दुला कश्मीर का विलय भारत के साथ करना चाहते थे। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर, 1947 ई. को काबाइली लुटेरों के रूप में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर भेजा। शीघ्र ही उरी, बारामूला आदि पाकिस्तान के अधिकार में चले गये। कश्मीर के राजा ने 24 अक्टूबर 1947 ई. को भारत से मदद मांगी।

चित्र 4.6: वी. पी. मेनन

26 अक्टूबर 1947 ई. को महाराजा हरिसिंह ने विलय के 'प्रवेश लिखित' पर हस्ताक्षर कर दिये। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुला ने इसका समर्थन किया। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर, 1947 ई. को वायुयानों द्वारा सैनिक और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया, और कश्मीर के अधिकांश हिस्से से आक्रांताओं को निकाल बाहर किया। कश्मीर में अपनी सेना भेजते समय सरकार ने घोषणा कर दी थी कि सरकार ने कश्मीर के विलय को अस्थायी रूप से स्वीकार किया है और अंतिम निर्णय विलय पर जनमत संग्रह के बाद ही होगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। इस परिस्थिति में लॉर्ड माउण्टबेटन ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रखने की सलाह दी। माउण्टबेटन के सुझाव पर भारत ने मामला सुरक्षा परिषद में रखा एवं सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमित कश्मीरी भू भागों को खाली कराने की मांग

की। भारत की यह भारी भूल थी। काश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और कश्मीर में 31 दिसम्बर, 1948 ई. को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया।

इन परिस्थितियों में कश्मीर में जनमत संग्रह तभी संभव था जब पाकिस्तान कब्जा किये हुए क्षेत्रों को खाली कर देता। चूंकि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों को खाली नहीं किया अतः भारत सरकार ने घोषणा कर दी कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

4.9 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Special Features of Indian Constitution)

भारतीय संविधान पर विचार करने के लिये 9 दिसंबर 1946 ई. को सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे। डॉ. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप, संविधान सभा के विचार के लिये प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1949 ई. को संविधान सभा ने पारित किया। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ, जिसमे यह निर्णय लिया गया कि भारत में नवीन संविधान 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया जाये।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी–

4.9.1 प्रस्तावना (Preamble)

संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है– प्रस्तावना इस प्रकार है ''हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।''

संविधान के 42 वे संशोधन (1976 ई.) द्वारा प्रस्तावना में ''समाजवाद'' एवं ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्दों को जोड़ दिया गया। अब प्रस्तावना इस प्रकार हैं–

1. **संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना**– प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत पर किसी भी विदेशी शक्ति या बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।

2. **लोकतंत्रात्मक गणराज्य**– लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय है कि शासन की संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है, और जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करेगी। गणराज्य का तात्पर्य है कि लोकतंत्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होगा।

3. **'धर्मनिरपेक्ष' और समाजवादी'**– संविधान के 42 वे संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ''धर्मनिरपेक्ष'' और ''समाजवादी'' शब्दों को जोडा गया। भारत सरकार न तो किसी धर्म विशेष को मान्यता प्रदान करती है और न ही किसी धर्म विशेष के प्रचार और प्रसार के लिये राजशक्ति का उपयोग करेगी। धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक करना ही संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य था। समाजवादी राज्य का तात्पर्य है कि, उत्पादन तथा वितरण के साधनों का प्रयोग संपूर्ण देश और समाज के कल्याण के लिये हो सके। ''समाजवादी'' शब्द जोड़ने का उद्देश्य न्यायपूर्ण राष्ट्रीयकरण है।

4. **लिखित तथा निर्मित संविधान**– भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग तथा 9 अनुसूचियां है। सर आवर जेनिंग्स ने लिखा है ''यह विश्व का सबसे अधिक लेख एवं सबसे ब्यौरेवार संविधान है।'' भारत का संविधान लिखित संविधान है। संविधान सभा ने निर्धारित समय में योजनानुसार इसका प्रारूप तैयार किया है। इसकी समस्त व्यवस्थायें लिखित हैं।

5. **एक ही नागरिकता**– भारत के संविधान की यह बड़ी विशेषता है कि इसमें एकल नागरिकता के आदर्शों को अपनाया गया है। अमेरिका के समान भारत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है।

6. **वयस्क अधिकार**– भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यदि 21 वर्ष की आयु का हो चुका है तो उसे मत (वोट) देने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन के बाद मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है।

7. **समानता का अधिकार**– संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता दी गई है। नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

8. **मूल अधिकार**– मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक हैं जिसको छीना नहीं जा सकता। कार्यपालिका और विधायिका भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इनका उल्लंघन होने की दशा में न्यायपालिका इनकी रक्षा करती है। संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल या मौलिक अधिकार है–

   (i) समानता का अधिकार

   (ii) स्वतंत्रता का अधिकार

(iii) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(iv) संस्कृति व शिक्षा का अधिकार

(v) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

9. **राज्य के नीति निर्देशक तत्व–** कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ये निर्देशक सिद्धांत राज्यों के लिये नैतिक आदेशों के रूप में हैं, निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। सरकार द्वारा स्वतः ही इसका पालन किया जाता है।

10. **संसदीय सरकार की स्थापना–** भारतीय संविधान के द्वारा केन्द्र व राज्यों में संसदीय सरकारो की व्यवस्था की गयी है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था ''इस पद्धति में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का दैनिक एवं निश्चित अवधि के उपरांत मूल्यांकन होता रहता है।'' संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है तथा वह अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में अर्थात मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

11. **संघीय शासन की स्थापना–** भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसका संघीय स्वरूप है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में केन्द्र में संघीय सरकार का शासन है तथा राज्यों में राज्य सरकारों का। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के निर्देश मानने के लिये बाध्य है। केन्द्र में केन्द्रीय संसद, राज्य में राज्य की विधानसभा तथा समवर्ती सूची के विषयों में केन्द्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं।

12. **स्वतंत्र न्यायपालिका–** भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय देश के समस्त न्यायालयों के लिये बाह्य है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच झगड़ों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। इसी कारण न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास किया गया तथा संपूर्ण भारत में समान कानून लागू किये गये।

13. **एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था–** संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु अन्य भाषाओं के विकास का भी पूरा–पूरा ध्यान रखा गया है।

14. **अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये विशेष व्यवस्था–** संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष सुविधायें दी गई हैं। संसद तथा विधानमंडल में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये है। अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

12. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
    (अ) भीमराव अंबेडकर (ब) के. एम. मुंशी
    (स) मोहम्मद सादुला (द) कृष्णस्वामी अय्यर
13. भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद रखे गये हैं?
    (अ) 380 (ब) 385
    (स) 390 (द) 395

4.10 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answer to Check Your Progress)

1. (ब)	6. (अ)	11. (अ)
2. (स)	7. (स)	12. (अ)
3. (स)	8. (स)	13. (द)
4. (अ)	9. (स)	
5. (द)	10. (अ)	

4.11 सारांश (Summary)

क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों असंतुष्ट होने के कारण उसके प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवल ने 1945 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की संविधानिक प्रगती में मुख्य बाधा सांप्रदायिक समस्या पर विचार करना था। मुस्लिम लीग के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ। 1946 में भारत में कैबीनेट मिशन भारत आया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनायी। मुस्लिम लीग भी 15 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधाानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोडने की घोषणा की।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाषचन्द्र बोस एवं उनकी आजाद हिंद फौज ने मातृभूमी को स्वतंत्र कराने के लिए पूरे विश्व को दिखाया दिया कि, भारतीय सशस्त्र संघर्ष करने की क्षमता भी रखते हैं। भारत छोडो आंदोलन की असफलता के बाद सुभाषचन्द्र बोस व आजाद हिंद फौज में भारतीयों को आशा की किरण

दिखाई दी। सांप्रदायिक राजनीति के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो राज्यों की स्थापना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरु, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं सरदार वल्लभभाई पटेल प्रथम गृहमंत्री के कर्मठ योगदान से भारतीय रियासतों का विलीनीकरण हुआ। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ जो विश्व का विशालतम संविधान है, जो 1950 से भारत में लागू हुआ।

4.12 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **सांप्रदायिक राजनीतिः** धर्म पर आधारित राजनीति।
- **सीधि कार्यवाहीः** मुस्लीम लीग द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम।
- **भारतीय रियासतो का विलीनीकरणः** रियासतों को भारतीय संघ मे मिलाना।

4.13 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. आजाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखिए।
2. राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाषचन्द्र बोस के योगदान का वर्णन कीजिए।
3. माउण्टबेटन योजना क्या थी?
4. सीमा आयेाग क्या था? उसने क्या किया?
5. भारत विभाजन के दो कारण लिखिये।
6. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएँ बताइये।
7. भारतीय संविधान के मूल अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
8. भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाषचन्द्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
2. सुभाषचन्द्र बोस तथा आजाद हिंद फौज की सफलताओं का वर्णन किजिए।
3. भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास का वर्णन कीजिये।
4. मुस्लिम लीग की स्थापना किन कारणों से हुई?

5. पाकिस्तान की मांग के क्या कारण थे? क्या यह मुस्लिम सांप्रदायिकता का स्वाभाविक परिणाम था?
6. 1906 से 1947 ई. तक मुस्लिम लीग की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये।
7. भारत विभाजन के क्या कारण थे? स्पष्ट कीजिये।
8. भारत विभाजन के लिये सांप्रदायिक राजनीति किस सीमा तक उत्तरदायी थी?
9. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिये।
10. भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

4.14 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. ए.बी दहिभाते, भारत का इतिहास
2. चतुर्वेदी ए. के. भारत का इतिहास
3. दुबे सत्यनारायण, भारत का इतिहास
4. मित्तल ए.के. भारत का इतिहास 1858 ते 1950 ई.
5. डॉ. मंजू सालोमन, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण (1947 से 1977 तक), होराइजन पब्लिकेशन नई दिल्ली 2017

टिप्पणी

इकाई 5 भारतीय कृषि– ब्रिटिश अकाल नीति, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप, ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण, आधुनिक उद्योगों का उदय, व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार, सामाजिक धार्मिक आंदोलन– सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसायटी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा का विकास, भारतीय प्रेस का विकास

संरचना (Structure)

5.0 परिचय
5.1 उद्देश्य
5.2 भारतीय कृषि
5.2.1 कृषि का व्यवसायीकरण
5.2.2 कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव
5.2.3 भारत में अकाल
5.2.4 भारत के प्रमुख अकाल
5.2.5 ब्रिटिश अकालनीति
5.2.6 अकालों के परिणाम
5.3 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप
5.4 ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण
5.5 आधुनिक उद्योगों का उदय
5.5.1 कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों का विनाश
5.5.2 कृषि
5.5.3 रेलवे का निर्माण
5.5.4 आधुनिक उद्योगों का विकास
5.6 व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार
5.6.1 धन का निष्कासन
5.6.2 धन–निष्कासन के परिणाम
5.7 सामाजिक धार्मिक आंदोलन
5.7.1 सत्य शोधक समाज
5.7.2 स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज
5.7.3 आर्य समाज एवं उसके सिद्धान्त
5.7.4 रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद
5.7.5 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, 1893
5.7.6 प्रार्थना समाज

टिप्पणी

5.8 थियोसॉफिकल सोसायटी
5.8.1 थियोसॉफिकल सोसायटी के उद्देश्य
5.9 मुस्लिम सुधार आंदोलन
5.9.1 अलीगढ़ आंदोलन
5.9.2 वहाबी आंदोलन
5.10 महिलाओं का उत्थान
5.10.1 औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की स्थिति
5.10.2 स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कारण
5.10.3 समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं का उत्थान
5.10.4 ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं के उत्थान के कार्य
5.11 शिक्षा का विकास
5.11.1 वुड का घोषणा पत्र
5.11.2 वुड्स डिस्पैच की प्रमुख धाराएँ
5.11.3 हण्टर कमीशन, 1882 (प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग)
5.11.4 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति
5.11.5 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917–19
5.11.6 अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना, 1925
5.12 भारतीय प्रेस का विकास
5.12.1 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम
5.12.2 समाचार पत्र जाँच समिती, 1947
5.12.3 1947 में स्वतंत्र भारतीय प्रेस की स्थापना
5.12.4 भारतीय प्रेस का विकास 1920 से 1950 तक
5.13 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
5.14 सारांश
5.15 मुख्य शब्दावली
5.16 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
5.17 सहायक पाठ्य सामग्री

5.0 परिचय (Introduction)

भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था कृषि, लघु उद्योग, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। भारतीय संस्कृति में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है, इसे चार पुरूषार्थ में गिना जाता है। अर्थ ही वह महत्वपूर्ण पहलू है जो कि किसी भी देश या राष्ट्र की समृद्धि व वैभव का द्योतक है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मध्य काल में संपूर्ण आर्थिक ढांचा कृषि पर आधारित था। आत्मनिर्भरता गावों की प्रमुख विशेषता थी। मध्यकाल में भी आर्थिक संपन्नता थी, कृषि ही अधिकांश लोगों का प्रमुख व्यवसाय था और जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता था। मध्ययुगीन समाज में अत्याधिक विषमता थी परंतु आमतौर पर लोग खुशहाल थे। किसानों, मजदूरों और कारीगरों को भोजन, वस्त्र उपलब्ध हो जाता था। 16 वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आये। 1757 के पश्चात ईस्ट इंण्डिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता का दुरूपयोग व्यावसायिक लाभ के लिये किया। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसानों को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस इकाई को दो भागों में बांटा जा सकता हैं। प्रथम भाग में अंग्रेजों ने गांव की भूमि पर ग्राम पंचायत और भूमि जोतने वाले किसानों के

परंपरागत स्वामित्व को अस्वीकार कर दिया। जटिल न्याय व्यवस्था और भूमि प्रणालियों ने किसानों के लिये काफी मुश्किलें उत्पन्न कर दीं। ब्रिटिश अकाल नीति, कृषि के व्यवसायीकरण का प्रभाव, किसान आंदोलन, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भारत के प्रमुख अकाल और ब्रिटिश अकालनीति, भारत का आर्थिक शोषण भारत में से धन की निकासी आदि का वर्णन किया जायेगा।

द्वितीय भाग में 19 वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक, आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसायटी, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन का भारत पर प्रभाव, महिलाओं की औपनिवेशिक काल में कैसी स्थिती थी। महिलाओं की उन्नति के लिये ब्रिटिश सरकार ने क्या कार्य किये, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ एवं प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का भारत पर प्रभाव और भारतीय प्रेस का क्रमिक विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

भारत में 19 वीं शताब्दी के आरंभ तक मध्ययुगीन देशी शिक्षा पद्धती प्रचलित थी। कंपनी प्रशासन के अंतर्गत देशी शिक्षा पद्धती के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धती का विकास हुआ। नई पाश्चात्य शिक्षा पद्धती का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम के पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। ब्रिटिश प्रशासन को इससे दो लाभ प्राप्त हुए – प्रथम कंपनी का कार्य करने के लिये बाबू वर्ग प्राप्त हुआ, द्वितीय भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, जिसने मानसिक रुप से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रबल समर्थन किया।

5.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप–

- भारतीय कृषि एवं ब्रिटिश अकालनीति का परिचय प्राप्त करेंगे।
- भारत में औपनिवेशिक काल में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण, भारत का किस प्रकार अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया, ऐसे कारणों से अवगत हो पायेंगे।
- सामाजिक, धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत, पुनर्जागरण के कारण, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की देन, थियोसॉफिकल सोसायटी का परिचय प्राप्त करेंगे
- रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद एवं भारतीय संस्कृति के लिये उनका योगदान को अतीत एवं वर्तमान के परिदृश्य को समझ पायेंगे।
- पाश्चात्य शिक्षा एवं भारतीय प्रेस का विकास एवं उसके महत्व से छात्र अवगत हो पायेंगे।

5.2 भारतीय कृषि (Indian Agriculture)

टिप्पणी

ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्नभिन्न कर दिया था। 19 वीं सदी के मध्य में भारतीय परंपरागत कृषि में जो परिवर्तन हुए उस पर टिप्पणी करते हुए डी. आर. गाडगिल लिखते है ''जो परिवर्तन हो रहे थे उन में पहला स्थान कृषि के वाणिज्यीकरण का है, जो स्वतः लाभदायक प्रक्रिया है। इसके चलते गल्ले का पहले से अच्छा वितरण संभव हुआ और कृषिजन्य लाभ में वृद्धि हुई''

ब्रिटिश सरकार भारतीय कृषि का प्रयोग इंग्लैन्ड के उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये करना चाहती थी अतः वह भारतीय भूमि पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पैदा करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने कृषि का व्यवसायीकरण किया। व्यावसायिक कृषि का अभिप्राय है कि कृषि को एक अर्थ–परक व्यवसाय के रूप में अपनाएँ जिससे किसान अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रकार, कृषि उत्पादन, बाजार के लिये होने लगा।

5.2.1 कृषि का व्यवसायीकरण (Commercialisation of Agriculture)

कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नगदी फसलों को उगाना था। नगदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है, जिनको बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता था। इन फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपभोक्ता के लिये नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मण्डियों के लिये किया जाने लगा और अब गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, नील, अफीम, तंबाकू, फल, आलू, सब्जी आदि नकदी फसले कहलाती थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिये ग्रामीणीकरण को बढ़ावा दिया। सरकार ने भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनायी। दूसरी ओर सरकार की आय का मुख्य स्त्रोत भू राजस्व था।

कृषि के व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति थी। सरकार ने भू राजस्व की जो प्रणालियां लागू की, उनका उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना तथा अपने समर्थक जमींदारों को प्रसन्न करना था।

कृषि उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिये सरकार ने रेलों का जाल बिछा दिया। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिये कच्चे कपास को भारत के विभिन्न क्षेत्रों सें रेलों द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। वहां से ब्रिटेन भेजा जाता था। इस प्रकार उन्नीसवी शताब्दी में भारत का ब्रिटेन के एक कृषि उपनिवेष के रूप में उदय हुआ।

भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का एक और मुख्य कारण अमेरिका का गृहयुद्ध था। इंग्लैन्ड अपने उद्योगों के लिये कपास अमेरिका से मंगवाता था।

गृहयुद्ध के कारण कपास मिलने में कमी हुई। अतः ऐसी परिस्थिति में भारत से कपास की मांग में वृद्धि हुई।

कृषि के व्यवसायीकरण की इस प्रक्रिया में सरकार ने उन्हीं फसलों के विकास में योगदान दिया, जिनकी विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। उदाहरण के लिये बंगाल में सरकार ने नील तथा जूट के उत्पादन को बढाने पर बल दिया। नकदी फसलों को किसान किस सीमा तथा किस–किस्म को पैदा करेगा, इसका निर्णय स्वयं सरकार करती थी। निर्यात के लिये सरकार को कितने माल की आवश्यकता है, तथा उसे राजस्व जितना मिलेगा? उसी हिसाब से वह उत्पादन को बढ़ावा देती थी।

5.2.2 कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव (Impact of Commercialization of Agriculture on Indian Life)

1. किसान तथा श्रमिकों का शोषण– नील तथा चाय की खेती पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। वे कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे। बागानों के मालिक किसानों से नील के उत्पादन के लिये संविदा कर लिया करते थे। उपज बागान मालिकों को कम कीमत पर बेचनी पडती थी। किसानों को नील का जो मूल्य मिलता था वह लागत से भी कम होता था। यदि नील के स्थान पर किसान चावल की खेती करता तो उसे अधिक लाभ होता, किंतु वह ऐसा नहीं कर सकता था। किसानों को खेती के लिये बागान मालिकों से ऋण लेना पडता था। किसान अनपढ़ थे और ऋण का हिसाब बागान मालिकों के पास रहता था, जिसमें वे बहुत घोटाला करते थे। फलस्वरूप किसान ऋण कभी नहीं चुका पाते थे। चाय बागानों की भी यही दशा थी।

2. जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारियों को लाभ– कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप जमींदार तथा ऋणदाता, साहूकार, व्यापारी ज्यादा शक्तिशाली हो गये। इस प्रणाली का मुख्य आधार अग्रिम ऋण प्रदान करना था। ऋण देने के लिये छोटे किसानों को फसल आते ही उसे बेचना पड़ता था, फसल पर उसे कम कीमत मिलती थी, उससे वह ऋण भी नहीं चुका, पाता था। कर्ज के कारण उसकी स्थिति अर्धदास की हो जाती थी।

3. आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हुआ– संयुक्त प्रांत में व्यावसायिक खेती ने कुछ असंतुलनों को जन्म दिया किसानों पर लगान की दर बहुत बढ़ा दी और उसको कठोरता से लागू किया। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ी। महाराष्ट्र में नयी भू राजस्व प्रणाली लागू करने से अव्यवस्था पैदा हुई इसके कारण आर्थिक विषमता बढ़ी और दलित वर्गों की हालत बदतर हो गयी। इसमें जमींदारों, व्यापारियों तथा अंग्रेजों के विरूद्ध किसानों मे भयंकर रोष उत्पन्न हुआ।

4. कृषि उपज के व्यापार का लाभ किसानों को नहीं– पंजाब में सिंचाई के विस्तार से 40 लाख एकड़ जमीन पर खेती होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज का व्यापार बहुत बढ़ गया किंतु कपास और अच्छी किस्म का

टिप्पणी

गेंहू, करांची के रास्ते विदेशों को चला जाता था, जिस का लाभ भारत के किसानों को नहीं मिल पाता था।

5. प्रति व्यक्ति उत्पादन, खाद्यान्न में कमी तथा अकाल– व्यावसायिक कृषि के अन्तर्गत किसानों ने औद्योगिक फसलों जैसे– नील, अफीम, चाय आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया। जिनसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गिरावट आई। जिनका कटु अनुभव भारतीयों को झेलना पड़ा। जब 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध मे भयंकर अकाल पड़ा। 1886 में उड़ीसा के एक जमींदार ने बताया –जिले की सर्वोत्तम भूमि पर नील की खेती की जाने लगी और पिछले 5 वर्षो में नील के कृषि क्षेत्र में जहां उत्तरोत्तर वृद्धि हुई वहीं खाद्यान्न के कृषि क्षेत्र में कमी आई। प्रतिव्यक्ति उत्पादन कम हो गया। कई बार अकाल पड़े जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गयी। अकाल के समय भी सरकार विदेशों को अनाज निर्यात करती थी। सरकार की उंची राजस्व की मांग, यह किसानों पर अत्याचार तथा शोषण की पराकाष्ठा थी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक खेती से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ इससे किसान ऋणग्रस्तता के कारण अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गये। सरकार की इस नीति ने किसानों को बर्बाद कर दिया।

5.2.3 भारत में अकाल (Famine in India)

भारत में प्राचीन काल से ही अकाल और सूखे पड़ते रहें हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ''अर्थशास्त्र'' में इस बात का उल्लेख किया है कि अकालों का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिये। इसमें यह स्पष्ट होता हैं कि मौर्यकाल में भी जनता को समय समय पर अकालों का सामना करना पड़ता था। मध्यकाल में भी विभिन्न साहित्यिक स्त्रोतों में अकालों के विषय में उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश काल में भी कुछ भयंकर अकाल पड़े। प्रत्येक अकाल में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। भारत में 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध एवं 20 वीं सदी के प्रारंभिक वर्षो में भारत में अनेक भीषण अकाल पड़े। इन अकालों के निम्नलिखित कारण थे–

1. प्राकृतिक कारण– प्राकृतिक कारणों में अतिवृद्धि, अनावृष्टि, बाढ़, तूफान, ओले अथवा टिड्डियों के हमले के कारण फसलों का बरबाद हो जाना आदि प्रमुख हैं। भारत में अकाल का प्रमुख कारण मानसून का अनिश्चित होना भी है।

2. आर्थिक कारण– भारत में अकाल पड़ने का दूसरा प्रमुख कारण आर्थिक था। इनमें निन्मलिखित प्रमुख थे–

1. सिंचाई के साधनों का अभाव
2. कृषि की ऋणग्रस्तता
3. कृषि का पिछड़ापन
4. कृषि का वाणिज्यीकरण

ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधनों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया था, परिणामस्वरूप सूखा पड़ने की स्थिति में अकाल पड़ जाता था। यातायात के

साधनों के अभाव के कारण खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से नहीं पहुचाया जा सकता था।

3. भारतीय उद्योगों तथा दस्तकारियों का नाश– भारत के उद्योग तथा दस्तकारियों को नष्ट करने की ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण लोग बेरोजगार हो गये और भूखों मरने की स्थिति में आ गये। ब्रिटिश सरकार ने रेशमी तथा सूती कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दस्तकारों पर अनेक अत्याचार किये जाते थे। कच्चे माल पर नियंत्रण लगाया, भारतीय बाजार पर विदेशी वस्तुओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गये। वे भूखे मरने की स्थिति में आ गये।

4. राजनीतिक कारण– भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, जिस पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सरकार का मूल उद्देश्य भारत का अधिक से अधिक शोषण करना था। इसी कारण अंग्रेजों ने अकालों से जनता को बचाने के लिये कभी कोई ठोस कार्य नहीं किया। उदाहरण के लिये सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, अन्न का भण्डारण करने, तालाब तथा कुएं खोदना, झीले बनवाना आदि। इसके अतिरिक्त अकाल के समय तक में खाद्यानों का निर्यात बंद नहीं किया गया।

5. भारतीयों की गरीबी– भारत में अकाल पड़ने का एक प्रमुख कारण भारतीयों का अत्याधिक गरीब होना था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। तथा वे अधिकतर भुखमरी के कगार पर ही रहते थे। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, घरेलु उद्योग धंधों का पतन, करों की उंची दरें, भारत से धन–निष्कासन तथा भारतीय किसानों का जमींदारों व सरकार द्वारा शोषण किये जाने से भारतीय निरंतर गरीब होते जा रहे थे।

5.2.4 भारत के प्रमुख अकाल (India's Major Famines)

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक अकाल पड़े। इन्हें दो भाग में विभाजित कर सकते है–

(अ) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के काल में

(ब) ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान

(अ) ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में– ईस्ट इंडिया के शासन काल के दौरान भारत में अनेक अकाल पड़े। 1901 में प्रकाशित अकाल आयोग की रिर्पोट से पता चलता है कि 1706 ई. से 1857 ई. तक भारत में 19 भयंकर अकाल व 4 दुर्भिक्ष पड़े थे। सबसे प्रमुख 1770 ई. में पूर्वी भारत में अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 33 लाख लोग मारे गये थे। 1784 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब तथा अवध में निरंतर दो वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भीषण अकाल पड़ा था। इसी तरह 1792 में हैदराबाद, बंबई तथा दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। 1832 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कुछ भागों में पुनः भीषण अकाल पड़ा था। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग मरे थे, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारतीयों की सहायता के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया।

(ब) ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान अकाल– भारत में ब्रिटिश ताज का शासन 1858 ई. से 1947 ई. तक रहा था। इस काल में भारत में अनेक भीषण अकाल पड़े। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे–

1. **उत्तर–पश्चिम का अकाल (1860–61 ई)**– भारत में 1860–61 ई. में उत्तर–पश्चिमी भारत में वर्षा अत्यंत सीमित हुई। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली व निकटवर्ती का था। इस अकाल में लगभग 2 लाख लोग मारे गये।
2. **उड़ीसा का अकाल (1866–67)**– वर्षा न होने के कारण 1866–67 ई. में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा। अकाल की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने निकटवर्ती क्षेत्रों से अनाज मंगवाने का प्रयास किया। किंतु यातायात के उचित साधन के अभाव के कारण यह संभव न हो सका। इस अकाल में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गयी।
3. **राजपूताना का अकाल (1868–69)– राजपूताना क्षेत्र में 1868–69 ई.**– डॉ. मैक्किल ने 1870 में लंदन स्थित भारत सचिव को एक पत्र में लिखा ''राजपूताना में खाद्यान्न की कमी का एक कारण मालवा से खाद्यान्नों की आपूर्ति की समाप्ति है, क्योंकि यहां पर अब अफीम और नील की खेती होने लगी है।'' इस अकाल में मारवाड़ बीकानेर और अजमेर के क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित थे। उसी समय इस क्षेत्र में टिड्डियों का आक्रमण हो गया जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गयी।
4. **बिहार एवं बंगाल का अकाल (1873–74)**– वर्षा न होने के कारण बिहार एवं बंगाल में 1873–74 में भीषण अकाल पड़ा, किंतु इस अवसर पर सरकार ने उचित कदम उठाए तथा लोग बड़ी संख्या में मरने से बच गये।
5. **दक्षिण भारत का अकाल (1876–77)**– दक्षिण भारत मे मद्रास, मैसूर व हैदराबाद तथा बंबई प्रेसीडेंसी के कुछ क्षेत्रों में 1876–77 ई. भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए जिसमें से 55 लाख व्यक्ति मौत के ग्रास बन गये। तत्पश्चात इस क्षेत्र में चेचक व प्लेग की महामारी भी फैल गयी थी।
6. **1899–1900 ई. का अकाल**– भारत के राजस्थान, गुजरात, काठ़ियावाड़ मध्य भारत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, हैदराबाद व बंबई प्रांत में अकाल पड़ा। इस अकाल में लगभग 25 लाख लोग मारे गये।
7. **बंगाल में अकाल 1943**– बंगाल में 1943 में पुनः भीषण अकाल पड़ा। 1942 में उडीसा तथा बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भीषण समुद्री तूफान आया जिससे फसलें नष्ट हो गयी। इसके परिणामस्वरूप लगभग 35 लाख व्यक्ति मारे गये।

इस प्रकार संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अकालों का शिकार हुए। विलियम डिग्वी ने लिखा है, **"1854 से 1901 ई. तक विभिन्न अकालों के कारण लगभग तीन करोड़ व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बन गये थे।** अकाल के वर्षो में खाद्यान्नो की कमी का एक कारण यह भी था कि कृषि क्षेत्र

ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में लग गये थे।

टिप्पणी

5.2.5 ब्रिटिश अकालनीति (British Famine Policy)

1. प्रथम अकाल आयेाग 1880 ई.– भारत में प्राचीन काल और मध्यकाल में भी अकाल पड़ते थे। अकालों के समय किसानों और जनता की मदद के लिये शासन विशेष रूप से धन और अनाज एकत्रित करके रखता था और लगान भी माफ करता था। भारत में निरंतर पड़ रहे अकालों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सर रिचर्ड स्ट्रेची को नियुक्त किया गया इस आयोग के निम्नलिखित सुझाव थे–

(i) अकाल पड़ने पर, राज्य सरकार को सहायता का दायित्व स्वयं पर लेना चाहिए।

(ii) काम करने में अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

(iii) अकाल के समय फसलों की हानि के अनुपात मे, भूमि कर में कमी की जानी चाहिए।

(iv) भारत में तथा प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना की जाये।

भारतीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया व प्रत्येक वर्ष बजट में अकालों के लिये 1.15 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया।

2. द्वितीय अकाल आयोग (1898)– संपूर्ण ब्रिटिश शासन के समय 1857 से 1900 तक लगभग तीन करोड़ भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अकालों के निवारण के लिये निम्नलिखित कार्य किये। सर जेम्स की अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना की गयी इस आयोग के सुझाव इस प्रकार थे–

(i) अकाल सहायता कोष की स्थापना की जाये।

(ii) अकाल के समय पीड़ित जनता की निःशुल्क सहायता की जाये।

(iii) जुलाहों, आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों के लोगों की सहायता की जाये।

3. तृतीय अकाल आयोग 1901– 1899 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा सरकार ने तुरंत तृतीय अकाल आयोग सर एथेंनी मैक्डोनेल्ड की अध्यक्षता में स्थापित किया। इस आयोग के सुझाव निम्नलिखित थे–

(i) कृषि बैंको की स्थापना की जाये।

(ii) सिंचाई व्यवस्था का समुचित विकास किया जाये।

(iii) पशुओं के चारे की समुचित व्यवस्था की जाये।

(iv) अकाल पीड़ितों को ऋण प्रदान की जाये।

4. चतुर्थ अकाल आयोग 1943– सरकार ने 1943 ई. में चतुर्थ अकाल आयोग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। इसके सुझाव निम्नलिखित थे–

(i) राशनिंग व्यवस्था लागू की जाये।

(ii) अखिल भारतीय खाद्य परिषद की स्थापना की जाये।

(iii) अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाए।

(iv) अनाज का आयात किया जाये।

(v) कृषि एवं सिंचाई के साधनों का विकास किया जाये।

5.2.6 अकालों के परिणाम (Results of Famines)

भारत में अकाल के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मनुष्य एवं पशु मारे गये। इनसे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गयी। घरेलु उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए परिणामस्वरूप गांवों से लोगों ने शहरों की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया।

अकालों के परिणाम स्वरूप जनता एवं सरकार में आत्मविश्वास की कमी हो गयी। भूख से व्याकुल मां–बाप द्वारा अपने ही बच्चों को बेच देने के विभिन्न स्त्रोतों से उल्लेख मिलते है। अकाल आयोग की रिर्पोट से ज्ञात होता है कि अनेक मां–बाप ने अपनी पुत्रियों को मात्र 15 रू में बेच दिया। इससे जनता का नैतिक पतन हुआ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अकाल देश की कृषि, उद्योग व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

5.3 उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का स्वरुप (Nature of Colonial Economy)

उपनिवेशवाद वास्तव में साम्राज्यवाद को विकसित करने का एक तरीका है। उपनिवेशवाद का मूलतत्व आर्थिक शोषण है और यह कुछ विशिष्ट तरीकों से संपन्न होता है।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप– औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मूलतः शोषण पर आधारित होती है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूलतः चार आधार होते है, जिनमें उसके स्वरूप का प्रकटीकरण होता है–

1. कच्चे माल के प्रदायक– उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में उपनिवेश विकसित साम्राज्यवादी देश के लिये, यह कच्चा माल और अनाज जुटाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिये भारत से इंग्लैन्ड को औद्योगिक क्रांति के लिये, जिसका उदय अठारहवीं शताब्दी में हो चुका था, इन चीजों की जरूरत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के दौरान कच्चे माल और अनाज

की पूर्ती के स्त्रोत के रूप में भारत का और अधिक शोषण किया गया। कृषि पदार्थों के अंग्रेज निर्यातकों को माल–भाड़ा आदि के संबंध में अनेक प्रकार की छूट की व्यवस्था की गई थी। चाय, काफी, रबड़ आदि बागान–फसलों में अधिक निवेश किये गये। अनाज निर्यात के संबंध में भारतीय हितों की उपेक्षा करके ब्रिटिश हितों को महत्त्व दिया गया।

2. निर्मित माल के लिये बाजार– उपनिवेशों को निर्मित माल की बिक्री के लिये बाजार बना दिया जाता है। भारत के लघु और कुटीर उद्योग जो विश्व विख्यात थे, जान बूझ कर नष्ट कर दिये गये। इंग्लैन्ड में भारत में निर्मित माल के आयात पर भारी सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई। मशीन से बना ब्रिटिश माल शीघ्रता से भारतीय बाजारों में आने लगा। इसे बढ़ावा देने के लिये ब्रिटिश वस्तुओं पर शुल्क या तो हटा दिये गये या उनकी दरें बहुत कम कर दी गयी। रेल–भाड़े में भी छूट देने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी वस्तुओं के उद्योग नष्ट होने तथा आवश्यक सुविधाओं के अभाव से यूरोप में भारत का निर्मित माल का निर्यात लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत निर्मित मालके निर्यातक के स्थान पर ऐसे माल का आयातक देश बन गया। औपनिवेशिक देश की एक प्रमुख विशेषता होती है।

3. आर्थिक गतिहीनता– ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत की आर्थिक दशा अच्छी थी। अनाज के संबंध में देश आत्मनिर्भर था। छोटे उद्योग और दस्तकारी के बाजार विदेशों में भी फैले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासन के स्थापित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी ठेंस लगी। इसका भीतरी संतुलन जाता रहा और विकास रूक गया। देश की अर्थव्यवस्था एक निम्न स्तर पर टिक गई। इस समय जब पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे, अमेरिका, सोवियत संघ और जापान आदि ने बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति की और अन्ततः वे विकसित देशों की कोटि में गिने जाने लगे। इसके विपरीत इस काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अवस्था में रही। फलस्वरूप देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी और तुलनात्मक दृष्टि से देश आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया।

5.4 ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण (British Economic Policy and Economic Exploitation of India)

भारत की आर्थिक दुर्दशा का कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां थी। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेषिक अर्थव्यवस्था का रूप देना था। ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिये इसका प्रत्येक प्रकार से शोषण किया जा सके–

1. मुक्त व्यापार नीति– ब्रिटिश शासन ने भारत में भी मुक्त व्यापार नीतियो को लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के दो प्रमुख आवश्यकता थी।

प्रथम, उद्योगों के लिये कच्चा माल व जनसंख्या के लिये अनाज व द्वितिय, निर्मित माल को बेचने के लिये बाजार चाहिये था। उनकी यह आवश्यकताएं भारत में मुक्त व्यापार की निती लागू करके ही पूरी हो सकती थी। इस नीति के परिणामस्वरूप इंग्लैन्ड में मशीनों का बना सस्ता माल यहाँ आने लगा और यहाँ के उद्योग उनके सामने प्रतियोगिता में टिक न सके और नष्ट हो गये।

2. भू व्यवस्था– अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत राजकीय सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटिश सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना की। इसके अंतर्गत लगान वसूलने का कार्य जमींदारों को दिया गया। उँची बोली लगाने वाले जमींदार को लगान वसूल कर ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने का कार्य दिया जाता था। जमींदार किसानों से ऊँचा लगान वसूल करते थे चाहे फसल कैसी भी हुई हो। लगान की दर पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार किसानों का शोषण किया जाता था। उँचा लगान व जुर्मानों के कारण किसान महाजनों व जमींदारों के ऋणी हो गये और उनकी भूमि इनके पास पहुंच गयी।

3. कृषि का व्यवसायी करण– ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। कृषि का व्यवसायीकरण आशय कृषि में किसान द्वारा अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकता वाली फसल के स्थान पर उन फसलों को प्राथमिकता दिये जाने से हैं जिनका देशी और विदेशी बाजारों के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य होता है।

कृषि के व्यवसायीकरण के कारण किसान खाद्यान्न फसलो, गेंहू, ज्वार, बाजरा आदि के स्थान पर नकदी फसलों चाय, नील, कपास, गन्ना आदि का उत्पादन करने लगे। ब्रिटिश सरकार की नीति के अंतर्गत भारत में कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन कराना था जिन की आवश्यकता ब्रिटिश मिलों व व्यक्तियों को थी। नकद फसलों के लिये अब किसानों को रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। इस कारण किसान महाजनों और साहूकारों से ऋण लेने लगे।

कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप गरीबी व ऋणग्रस्तता बढ़ गयी। जातों का विभाजन प्रारंभ हो गयी, अकाल के कारण भी खाद्यान्न की कमी होने लगी। साहूकार, महाजन व व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, तथा खेतीपर मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. स्ट्रेची आयोग का गठन कब किया गया था?

   (अ) 1878 (ब) 1880

   (स) 1881 (द) 1882

2. निम्न में से कौनसा कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था?

   (अ) कुटीर उद्योगों का पतन (ब) कृष की दुर्दशा

   (स) भारतीय सैनिकों का विद्रोह (द) रेल का विस्तार

5.5 आधुनिक उद्योग का उदय (Rise of Modern Industries)

5.5.1 कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों का विनाश (Destruction of Cottage and Handicrafts Industries)

18 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक भारतीय उद्योग धंधे और शिल्प कला उद्योग काफी विकसित थे। भारत में निर्मित उत्कृष्ट, कलात्मक वस्तुएं विश्वविख्यात थीं और उनकी मांग संपूर्ण विश्व में थी। औद्योगिक कमीशन ने 1918 में अपनी रिर्पोट में लिखा ''इस देश का औद्योगिक विकास यदि यूरोप से अधिक उन्नत देशों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं तो घटिया भी न था।''

भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप के बाजार में अत्याधिक होने के कारण यूरोप के व्यापारी भारत की ओर आकर्षित हुए। भारत के साथ व्यापारियों की अधिक धन प्राप्त करने की लालसा ने भारतीय कुटीर उद्योग–धंधो पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला। भारतीय उद्योग धंधों के विनाश की प्रक्रिया वस्त्र उद्योग से प्रारंभ होती है। धीरे–धीरे अन्य उद्योग–धंधो के नष्ट होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे –

1. भारतीय कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध– इंग्लैन्ड में, भारत में निर्मित बढ़िया और महीन किस्म के कपड़ों की बहुत अधिक मांग थी। परिणामस्वरूप इंग्लैन्ड के वस्त्रोद्योग को अपार हानि हो रही थी, दुसरी ओर भारतीय वस्त्रों के आयात के कारण कंपनी के व्यापार संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था।

18 वी शताब्दी में इंग्लैन्ड की संसद ने अनेक कानून पारित किये जिनके द्वारा भारतीय वस्त्रों के उपयोग और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

2. यूरोप के बाजार का बंद होना– 18 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के कारण यूरोप का बाजार भी भारतीय वस्त्रों के लिये बंद हो गया। इसका भारत के वस्त्रोद्योग पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

3. कंपनी द्वारा भारतवर्ष के आंतरिक और बाह्य व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना– ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिये अनेक नैतिक और अनैतिक साधनों को प्रयोग किया कंपनी के व्यापारियों को ''दस्तक'' की विशेष सुविधा प्राप्त थी। कंपनी के कर्मचारी इस सुविधा का दुरूपयोग निजी व्यापार के लिये करते थे। कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक प्रथा के कारण शुल्क मुफ्त व्यापार करते थे, परंतु भारतीय व्यापारियों को शुल्क देना पडता था। चुंगी से मुक्त होने के कारण कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया।

4. कच्चे माल की पूर्ति पर एकाधिकार– कंपनी ने भारत में उत्पन्न कच्चे माल के उत्पादन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। शीरा, नील, तंबाकू और सुपारी के व्यापार पर कंपनी को एकाधिकार था। कच्चे रेशम, कपास आदि पर भी उसका नियंत्रण था। अंग्रेज व्यापारियों के कारण

भारतीय उत्पाद को और कारीगरों को अधिक मूल्य पर कच्चा माल मिलता था। कंपनी के कर्मचारी भारतीय मंडियों से संपूर्ण कच्चा माल खरीद लेते थे और उसे उंचे दाम पर भारतीयों को बेचते थे। फलस्वरूप भारत में निर्मित वस्तुओं का मूल्य अपने आप बढ़ गया और कंपनी के कर्मचारियों को भी अत्याधिक लाभ हुआ परंतु भारतीय वस्त्रोद्योग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा।

5. भारतीय कारीगर और शिल्पकारों का शोषण– कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों का निर्मम शोषण किया। कारीगरों के काम करने की स्वतंत्रता नष्ट हो गयी। अंग्रेज व्यापारी यह चाहते थे कि वे सिर्फ कंपनी को उसके निर्धारित मूल्य पर माल बेचे।

इसके लिये वे भारतीय कारीगरों को पेशगी या अग्रिम राशि लेने के लिये विवष करते थे। जो जुलाहा या कारीगर अग्रिम राशि लेने से इंकार करता था, उसे कोड़े लगवाये जाते थे। उसे जबर्दस्ती अग्रिम राशि लेनी पडती थी और एक शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने पडते थे। इसके अनुसार उसे निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा में निर्धारित तिथि को कंपनी को कपड़ा बेचना पडता था। अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचारों से पीड़ित होकर अनेक कारीगरों ने अपनी पुश्तैनी धन्धों को छोड़ दिया, इससे भारतीय उद्योग–धंधों को बहुत हानि हुई।

6. इंग्लैन्ड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव– औद्यांगिक क्रांति के साथ ही साथ भारतीय कुटीर उद्योग–धंधों के विनाश की कहानी प्रारंभ होती है। भारतीय उद्योग–धंधों का बलिदान करके ही इंग्लैन्ड के उद्योगों का विकास हो सका।

औद्योगीकरण के कारण इंग्लैन्ड में मशीनों से बने कपड़ भारतीय कपड़ों से सस्ते पड़ने लगे। अतएवं विदेशी मंडियाँ में भारतीय कपड़ें प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं सके। भारतीय वस्त्रोंद्योग को गहरा धक्का लगा क्योंकि हाथ से विदेशी और देशी दोनो मंडियाँ निकल गयी। असंख्य लोगों को जीविका देने वाली कताई और बुनाई की कला भारत में मृतप्राय हो गयी। हजारों कुशल कारीगर जीविका के लिये कृषि करने लगे। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे उद्योगप्रधान नगर बर्बाद हो गये। इससे निर्धनता, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ी। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया।

7. ब्रिटिश सरकार की वाणिज्य और कर नीति का प्रभाव– ब्रिटिश सरकार की वाणिज्य और कर नीति भी उद्योग के पतन के लिये जिम्मेदार बनी। 1813 में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा ''मुक्त व्यापार'' की नीति का अनुसरण किया गया। भारतीय बाजार खोल दिया गया। इंग्लैन्ड में बना सामान गांव–गांव और शहर–शहर पहूँचने लगा। इंग्लैन्ड में निर्मित वस्तुओं को या तो निःशुल्क भारत आने दिया जाता था या पर बहुत कम आयात कर लगाया जाता था।

8. परिवहन के आधुनिक साधनों का प्रभाव– लॉर्ड डलहौजी ने परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास करके ब्रिटिश माल भारतीय मंडियों में निर्बाध प्रवेश का मार्ग खोल दिया। परिवहन के साधनों का विकास इस दृष्टिकोन से किया गया कि इंग्लैन्ड में बने हुए माल की खपत भारत के गांव–गांव और शहर–शहर में हो सके तथा भारत का कच्चा माल तेजी से इंग्लैन्ड पहुँच सके।

9. अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव– अंग्रेजों के आगमन के पश्चात 19 वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत के अभिजात वर्ग में विदेशी माल का उपयोग बढ़ने लगा। भारतीय पाश्चात्य शैली का जीवन व्यतीत करने में गर्व का अनुभव करने लगे फलस्वरूप विदेशी माल की मांग बढ़ने लगी और स्वदेशी माल का उपयोग कम होने लगा। इसका भारत के स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

10. निरंतर युद्धों का प्रभाव– ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंगर्तत विजय, विलय और विस्तार प्रमुख अंग था। इंग्लैन्ड की ओर से युद्ध में लड़ने के लिये भारतीय सैनिकों को बाहर भेजा गया। इन युद्धों का व्यय भारतीयों को वहन करना पडता था। इन विनाशकारी युद्धों का भारतीय अर्थतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परोक्ष रूप से इसका भारतीय उद्योग धंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

5.5.2 कृषि (Agriculture)

भारतीय शिल्प और कुटीर उद्योगों के नष्ट कर दिये जाने से जनसंख्या कृषि की ओर उन्मुख हुई। आर. सी. दत्त ने जनगणना परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित आँकड़े उपलब्ध कराये, उससे भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है–

सारणी क्र. 5.1

वर्ष	कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर
1891	61.1%
1901	61.1%
1911	61.1%
1921	73%

परंतु इससे कृषि का आधुनिकीकरण न हो सका। अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया। 1833 ई. में चार्टर ऐक्ट के तहत यूरोपियनों को भारत जाकर बसने एवं मुख्य व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई।

1859 के ऐक्ट XIII एवं इंग्लैन्ड इमीग्रेशन ऐक्ट, 1882 के तहत भगोड़े मजदूरों को बिना वारंट के पकड़ने का विशेषाधिकार बागान मालिको को दे दिया गया, कृषि के क्षेत्र में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई। कृषि पर अधिक दबाव ने आर्थिक विपन्नता एवं विकृति को जन्म दे दिया। महालवाड़ी एवं रैयत वाड़ी व्यवस्था ने सरकार एवं किसानों के बीच बिचौलियों को प्रकट कर दिया। जिन्होंने किसानों का शोषण किया। 1880 ई. में दुर्भिक्ष आयोग की रिर्पोट के आधार पर विभिन्न प्रांतो में कृषि विभाग खोले गये। 1905 ई. में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन हुआ। 1929 ई. में लिनलिथगो आयोग की रिर्पोट के आधार पर ''इम्पीरियल कौंसिल'' ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई।

सिंचाई के लिये कई नहरों का निर्माण किया जैसे 1874 ई. में आगरा नहर, 1890 से 1899 के बीच निचली चिनाब नहर। 1933 में सतलज घाटी परियोजना पूर्ण हुई।

5.5.3 रेलवे का निर्माण (Construction of Railways)

ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के अंतर्गत रेलवे का निर्माण भी एक पहलू था। 1853 में भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका मूल उद्देश्य ब्रिटिश माल को बंदरगाहों से देश के कोने कोने मे ले जाना ओर देश के कोने कोने से कच्चे माल को भारत के बंदरगाहों तक पहुँचाना था।

रेलवे के निर्माण के उद्देश्य जो भी रहे हों इसके आर्थिक दृष्टि से अच्छे एवं बुरे दोनों प्रभाव हुए। अब ग्रामों एवं शहरो की दूरी रेलवे के निर्माण ने काफी कम कर दी। रेलवे के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रभाव डाक एवं संचार साधनों पर भी पड़ा। समाचार पत्र, पत्रिका एवं डाक कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी। रेलवे निर्माण से ब्रिटिश शासन को लाभ हुआ सामान्य जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। रेलवे के निर्माण मे रूपया पानी की तरह बहाया गया। 1900 ई. तक रेलवे के निर्माण में 21.5 करोड पौण्ड़ तक का खर्च आ गया।

इस प्रकार रेलवे के निर्माण ने आर्थिक क्षेत्र मे जहाँ अपने अच्छे प्रभावों से भारत को प्रभावित किया वहीं इसके दुष्परिणामों ने भी भारत पर आर्थिक बोझ को बढ़ाया।

5.5.4 आधुनिक उद्योगों का विकास (Development of Modern Industries)

रेलवे का निर्माण भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी भी रहा। वास्तव में रेलवे स्वयं में एक बहुत बडा उद्योग था। 1853 को डेली ट्रिब्यून में लिखा था, ''एक बड़े देश में जहाँ लोहा और कोयला हो, रेल का जाल बनाये बिना उसके उद्योग को बढ़ने का अवसर बनाये रखना असंभव है, इसलिये रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जायेंगी''। रेलवे के निर्माण के बाद गरीबी निवारण हेतु, अपूर्ण उत्पादन को पूर्णता प्रदान करने के लिये आधुनिक उद्योगों के विकास पर बल दिया जाने लगा।

भारत में उद्योगों का उद्भव 19 वीं सदी के मध्य से आरंभ हो गया था 20 वीं शताब्दी में इन उद्योगों का विकास हुआ। उसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कोयला**– कोयले के उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई। 1878 तक कोयले के उत्पादन में दुगनी वृद्धि हुई। रानीगंज की खाने कोयले के लिये विख्यात थीं। बिहार, बंगाल और उडीसा में कोयला उद्योग को विकसित किया गया। फलस्वरूप 1899–95 ई. में कोयला खानों की संख्या 123 पहूँच गई।
2. **कपड़ा उद्योग**– क्राउन काल में कपड़ा उद्योग का भी विकास हुआ। 1854 ई. मे पहली आधुनिक मिल बंबई मे बनी। 1876 ई. से 1903 ई. तक कपडा मिलों की प्रगति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है–

टिप्पणी

सारणी क्र. 5.2

वर्ष	मिलो की संख्या	करघो की संख्या	कुओं की संख्या	मजदूरों की औसत दैनिक	रूई की खपत लाख हंडर में
1876	47	9,139	11.00	—	—
1883	67	15,373	17.90	53,476	16
1893	147	28,164	35.76	1,21,500	41
1903	192	44,092	50.40	1,81,399	61

3. **चीनी उद्योग**– भारत में चीनी उद्योग का विकास प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात से ही प्रारंभ हो गया था। 1931 ई. में भारत में स्थित 30 चीनी मिलों ने लगभग 1,58,000 टन चीनी का उत्पादन किया। 1936 ई. में 135 चीनी मिलों ने 9 लाख 19 हजार टन चीनी का उत्पादन किया। 1990 ई. तक भारत में 161 चीनी मिलें स्थापित हो गई थी।

4. **लौह एवं इस्पात उद्योग**– लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास बड़ी तेजी से हुआ। 1873 ई. में बिहार के झरिया में बाराकाट आयरन वर्क्स, 1907 ई. जमशेदपुर में ''टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी,'' 1918 में हीरापुर में ''इंडियन आयरन स्टील कंपनी,'' एवं 1923 ई. में भद्रावती में ''मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स'' नामक कारखानों की स्थापना की गई। 1939 ई. तक भारत अच्छी किस्म का 10 लाख टन से भी अधिक कच्चा लोहा तैयार करने लगा। 1947 ई. तक भारत ने 25 लाख टन से उपर इस्पात का उत्पादन किया।

5. **कागज उद्योग**– ब्रिटिश शासन काल में कागज के उत्पादन के लिये 1879 ई. में लखनऊ में, 1882 ई. में टीटागढ़ में, 1885 ई. में पूना में, 1889 में रानी गंज मे, 1939 में मैसूर में तथा 1942 ई. में हैदराबाद में कागज मिलें खुलीं।

6. **चमड़ा उद्योग**– चर्म उद्योग के विकास के लिये 1860 ई. में कानपूर में हार्नेज एंड सैडलरी फैक्टरी का निर्माण हुआ। उद्योग के विकास हेतु 1930 हाईड्रम से हाईड्स सेस इन्क्वायरी कमेटी गठित की गई।

7. **सीमेंट उद्योग**– ब्रिटिश काल में सीमेंट उद्योग का विकास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1914 तक भारत में पोरबंदर स्थित ''इंडियन सीमेंट कंपनी'', कटनी स्थित ''कटनी सीमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल कंपनी'' बूंदी स्थित पोंटलैण्ड सीमेंट कंपनी स्थापित हो गयी थीं। सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट हो जाती है।

टिप्पणी

सारणी क्र. 5.3

वर्ष	प्रतिवर्ष सीमेण्ट का उत्पादन टन में
1914	लगभग 1,000 टन
1925	लगभग 2,50,000 टन
1939	लगभग 12,00,000 टन

8. **ऐल्यूमिनियम उद्योग–** 1937 में कलकत्ता के पास ऐल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं ऐल्युमिनियम प्रोडक्शन ने रोलिंग मिलों की स्थापना की

9. **अन्य उद्योग–** उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त शीशा, जहाज एवं दवा से संबंधित उद्योगों का भी विकास हुआ। 1947 तक भारत में 100 शीशा मिलों की स्थापना हुई। विशाखापट्टनम जहाजों के निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। कलकत्ता, मद्रास, बिहार एवं बंगलौर में दवा बनाने की कंपनियों का खुलना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उद्योगों के विकास ने भारत में जहाँ एक ओर श्रमिक समस्याएँ उत्पन्न कर दी वहीं पूँजीवादी वर्ग का भी विकास कर दिया।

5.6 व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार (Expansion of Trade and Commerce)

1717 में अंग्रेजों को मुगल सम्राट से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था। 1757 ई. में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त की। 1751 के पूर्व व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।

1757 से 1772 मे कंपनी ने भ्रष्ट तरीकों के द्वारा भारतीय व्यापारियों को कम मूल्य पर वस्तुएं बेचने तथा अधिक मूल्य पर माल खरीदने के लिए बाध्य किया। कंपनी ने संपूर्ण बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त कर ली। कंपनी ने शीरा, कच्चा रेशम, सूती कपड़ा आदि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

इंग्लैन्ड की सरकार ने 1813 में एक्ट पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार वाणिज्य को समाप्त कर दिया। 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।

1857 सें 1947 इस काल में परिवहन के साधनों के निर्माण तथा विकास ने देशी व्यापार की प्रगति की सडकों नदियों, नहरों तथा रेलमार्गों द्वारा माल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुचाना सरल हो गया। देशी व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ, परंतु इसके अधिकतम लाभ ब्रिटेन को ही हुए।

5.6.1 धन का निष्कासन (Expulsion of Money)

टिप्पणी

भारत से धन की निकासी (Exit of Money from India)

भारत का ब्रिटिश काल में आर्थिक शोषण किया गया। इसके अतिरिक्त भारत से अधिक से अधिक धन वसूलना तथा उसे इंग्लैन्ड ले जाना अंग्रेजों की नीति थी। ब्रिटिश शासन के कारण भारत निरंतर आर्थिक रूप से विपन्न होता गया। भारत से धन के निष्कासन पर जॉन स्लीवन ने कहा, **''हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान कार्य करती है जो गंगा तट से सारी अच्छी चीजों को सोखकर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है''**

सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निरंतर आर्थिक शोषण के विषय पर प्रकाश डाला था।

दादाभाई नौरोजी ने लिखा है, **''भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था और वही धन भारत को ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसके लिये उसे और धन व्याज के रूप में जुटाना पड़ता और यह एक ऐसा दुष्चक्र था, जिसे तोडना कठिन था''** अंग्रेजों की धन प्रवाह की नीती अत्यंत घातक थी, क्योंकि जनता से वसूल किया जाने वाला धन जो कि भारत के विकास व भारतीयों की समस्याओं के समाधान पर खर्च होना चाहिये था, अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा था।

धन के निष्कासन पर दादाभाई नौरोजी आर. सी. दत्त, दिनशा वाचा, महादेव गोंविंद रानाडे जैसे अर्थशास्त्रियों ने पर्याप्त प्रकाश डाला था। दादाभाई नौरोजी ने लिखा है कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, अंग्रेजी सेना के लिये दिया जाने वाला धन, इंग्लैन्ड में भारतीय शासन पर खर्च होने तथा व्यापारियों द्वारा भारत से इंग्लैंन्ड भेजने वाली राशि से निरंतर धन का प्रवाह हो रहा था।

धन प्रवाह के विषय में दादाभाई नौरोजी का निम्न कथन उल्लेखनीय है, ''यह निष्कासन दो प्रकार से होता है–

प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैन्ड भेजने से भारत तथा यूरोप में होने वाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु तथा इंग्लैन्ड में होने वाले व्यय हेतु वे इस धन को भेजते थे। इंग्लैन्ड में दिया जाने वाला वेतन तथा पेंशन भी इसका कारण होता है।

द्वितीय, निष्कासन उन यूरोपवासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश शासनतंत्र के अधिकारी नहीं है, धन भारत को बाहर, भेजने से होता है। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है। अंग्रेज इस पूंजी को जिसका निष्कासन उन्होंने भारत से किया है, पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार एवं महत्वपूर्ण उद्योगों पर अपना एकछत्र अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।

बैंक, बीमा और नौपरिवहन (शिपिंग चार्जेज) इंग्लैन्ड की कंपनियों के हाथों में था। इससे करोड़ों रूपयों का धन कमाकर ये कंपनिया भारत का धन इंग्लैन्ड ले जाती थी। 1921–22 ई. में इस प्रकार 37 लाख पौण्ड ये कंपनियां भारत का धन इंग्लैन्ड ले गयी थी।

विलियम डिग्वी का अनुमान था कि, 1757 इ. से 1815 ई. के मध्य धन का निष्कासन की रकम 50 करोड से 100 करोड पौण्ड के मध्य थी। **दिनशा वाचा** का अनुमान है कि, 1860 ई. से 1900 ई. तक प्रति वर्ष औसतन 30–40 करोड़ पौण्ड धन भारत से इंग्लैन्ड जाता था।

5.6.2 धन–निष्कासन के परिणाम (Consequences of Money Expulsion)

उसके परिणाम निम्नलिखित थे–

1. **भारत का निर्धन होना**– दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारत की निर्धनता का मुख्य कारण कहा था उनके अनुसार यह अनिष्टों का अनिष्ट था प्रति वर्ष धन की बड़ी राशि भारत के बाहर चली जाती थी। इससे लगातार भारत के सकल उत्पादन में कमी हो रही थी। जिससे भारत की निर्धनता बढ़ रही थी।
2. **भारत में बेकारी बढ़ना**– धन–निष्कासन से भारत में बेरोजगारी में वृद्धि होती गयी। औद्योगिकरण न होने के कारण रोजगार के अवसरों का निर्माण नही हो सका। इसका भारतीय व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ा था। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने कारण भारतीय सामाजिक व राजनीतिक रूप से भी दुर्बल होते गये जिससे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा मिला।

5.7 सामाजिक धार्मिक आंदोलन (Socio-Religious Movement)

भारतीय इतिहास में 19 वीं शताब्दी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का युग था। इस युग में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिये जो आंदोलन हुए उसे ही ''पुनः जागरण'' कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन आंदोलनों ने भारतीय जीवन के सभी पक्षों– समाज, धर्म, साहित्य और राजनीति को प्रभावित किया। 12 वी शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन सभी प्रयत्नों से समाज में एक नयी चेतना तथा स्फूर्ति का संचार हुआ।

5.7.1 सत्य शोधक समाज (Satyashodhak Samaj)

महाराष्ट्र में ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने निम्न जातियों को समानता के अवसर प्राप्त हो इसके लिये आंदोलन चलाया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले अशिक्षित थी। ज्योतिबा ब्राम्हण वर्ग की प्रभुता एवं उनके अशिष्ट व्यवहार से दुखी थे। सामाजिक रूप से शोषित (शूद्र) समाज तथा अस्पृश्य जातियों की शोषण एवं दमन से रक्षा करने के लिये उन्होंने 24 सितम्बर 1873 को, ''सत्य शोधक समाज'' की स्थापन की।

उन्होंने अपने लेखन में जाति प्रथा की निंदा की तथा पुजारी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। उन्होंने उस समय का अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी प्रथाओं का डटकर विरोध किया।

''सत्य शोधक समाज'' की स्थापना करने का उनका मुख्य उद्देश्य मानववाद की स्थापना करना था। ज्योतिबा का कार्यक्षेत्र शिक्षा, कृषि, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री एवं विधवाओ का उत्थान और अस्पृश्यता की समाप्ति को समर्पित रहा। सत्य शोधक समाज का लक्ष्य सामाजिक क्रांति था। उन्होंने ब्राम्हणवाद का विरोध किया और सामाजिक गुलामी के विरूद्ध आवाज उठायी तथा शुद्र–अतिशुद्र जनता के लिये सामाजिक न्याय दिलाने की मांग की। शिक्षा की उन्नति के लिये उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और पूना के पास हडपसर मे एक पाठशाला की स्थापना की। ब्राम्हणों को यह अच्छा नहीं लगा कि ज्योतिबा स्त्रियों तथा निम्न जातियों के लिये पाठशाला चला रहे हैं, अतः उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद ब्राम्हणों के दबाव में उनके पिता गोविंदराव ने ज्योतिबा उनकी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। 1874 में उन्होंने बंबई में अनेक सभाओं में भाषण दिये तथा लोगों से ब्राम्हणवाद की गुलामी से मुक्त होने का अनुरोध किया। बंबई के सामाजिक सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हे ''महात्मा'' कहा।

ज्योतिबा फुले की मृत्यु (1890) के बाद उनके कार्यों को शाहू महाराज, क्रांती सिंह नाना पाटिल, खांडेकर तथा ए. एच. सालुंके ने आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की हिंदुओं में स्वाभिमान एवं देश–प्रेम की भावना को जागृत किया।

5.7.2 स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज (Swami Dayanand Saraswati and Arya Samaj)

19 वीं शताब्दी के सामाजिक–धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती (1824–1883) थे। उनका जन्म गुजरात के काठ़ियावाड़ के टंकारा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। वे संन्यासी और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म और संस्कृति को पुर्नजिवित किया। ''वेदों की ओर लौटो'' तथा ''भारत भारतीयों के लिए है'' का नारा उन्होंने दिया था। 1874 ई. में इलाहाबाद में उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' को पूरा किया। उन्होंने मूर्तिपूजा, जाति प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक आडम्बर और पुराण मत का विरोध किया। जनभाषा अपनाने के कारण वे बहुत अधिक लोकप्रिय हो गये। 1875 में बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1883 में 59 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार (Religious Thoughts of Swami Dayanand)

उनके विचार इस प्रकार थे–

1. **वेदों मे आस्था**– स्वामी जी वेदों को आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते थे। वेद स्वयं प्रमाण है। इसी आधार पर उन्होंने मंत्रपाठ हवन यज्ञ आदि पर विशेष जोर दिया। स्वामी दयानंद का कहना था कि वेद ईश्वरीय है।
2. **ईश्वर, जीव तथा प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास**– स्वामी ने ईश्वर, जीव तथा प्रकृति तीनों को शाश्वत सत्य रुप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि, ईश्वर अर्थात परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। वह सत्चित आनंद स्वरूप है। सृष्टि की रचना करके परमात्मा अपनी स्वाभाविक रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है।
3. **एकेश्वरवाद मे विश्वास**– स्वामी जी पक्के एकेश्वरवादी थे। उन्हे हिंदुओं कें अनेक देवी–देवताओ के 'भक्तिमार्गियों' के व्यक्ति रूप ईश्वर में विश्वास नहीं था। आडंम्बर के सिद्धांत को नहीं मानते थे।
4. **कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष मे विश्वास**– स्वामी दयानंद का कर्म और पुर्नजन्म के सिद्धांतों मे विश्वास था। कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। और उसके अनुसार ही मनुष्य का पुर्नजन्म होता है जन्म मरण के बंधन और दुखों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है।
5. **यज्ञ हवन और संस्कारों में विश्वास**– स्वामीजी वैदिक यज्ञ और हवन को आवश्यक मानते थे। उनका मत था कि संस्कारों के द्वारा शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है।
6. **मूर्तिपूजा तथा अन्य कर्मकांडों का विरोध**– स्वामीजी ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। इसे वे हिंदुओं के पतन का कारण मानते थे।

राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की। हिंदुओ में स्वाभिमान एवं देश प्रेम की भावना को जागृत किया। आर्य समाज ने साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किये। हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखकर हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। वे नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे।

स्वामी दयानंद के सामाजिक विचार (Social Thoughts of Swami Dayanand)

उन्होंने छूआछूत की भावना का घोर विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका विचार था कि बिना अच्छी माताओं के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। बालविवाह, बहुविवाह और दहेज प्रथा का घोर विरोध किया और विधवा–विवाह का समर्थन किया। स्त्री शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।

स्वामी दयानंद ने ''भारत भारतीयों के लिये है'' का नारा दिया। भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना उत्पन्न की।

टिप्पणी

5.7.3 आर्य समाज एवं उसके सिद्धान्त (Arya Samaj and Its Principles)

स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना और अपनी पुस्तक ''सत्यार्थ प्रकाश'' में आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया है।

सिद्धांत (Principles)

1. ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है। सब सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सबका मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सत्य, शिवं, सुंदर, शाश्वत, असीमित, दयावान, अजन्या, सर्वशक्तिमान, अजर और अमर है। अतः उसकी उपासना करनी चाहिये।
3. सत्य को ग्रहण करना और असत्य त्याग देना चाहिये।
4. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
5. वेद सब सत्य विधाओं का ग्रंथ है अतः प्रत्येक आर्य को वेदों का अध्ययन करना चाहिये।
6. सबसे प्रेमपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये।
7. संसार मे भलाई का कार्य करना समाज का मुख्य उद्देश्य है।
8. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिये। सब की उन्नति अपनी उन्नति समझना चाहिये

आर्य समाज की देन (Arya Samaj's Contribution)

स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र मे सराहनीय कार्य किये। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछुत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। शिक्षा के क्षेत्र में गुरूकुल और डी. ए. बी. कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया।

5.7.4 रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद (Ramkrishna Mission and Swami Vivekanand)

रामकृष्ण का प्रारंभिक जीवन (Initial Life of Ramkrishna)

रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 ई. में बंगाल के हुगली जिले के कामापुकुर ग्राम में एक ब्राम्हण परिवार में हुआ था। शक्तिभाव में लीन होकर उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित किया।

रामकृष्ण परमहंस ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसकी प्रमुख बाते निम्नलिखित थी–

1. ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है।
2. ईश्वर को आस्था एवं समर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता।
3. सत्य विश्वव्यापी है, ईश्वर एक ही है और सदाचार ही जीवन का सच्चा मूल्य है। 1886 ई. में उनका निधन हो गया। उनके अनुयायी स्वामी विवेकानंद थे।

रामकृष्ण मिशन और उसका योगदान

19 वी शताब्दी का एक और धार्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन था। इसने भी हिन्दू धर्म की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना (Establishment of Ramkrishna Mission)

रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के समीप ''बारानगर'' में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था–हिन्दू महर्षियों द्वारा सैकड़ो शताब्दियों में स्थापित आदर्शो तथा विशाल एवं गौरवपूर्ण परंपरा की महत्ता को जनसाधारण तक पहुंचाना।

रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य (Objectives of Ramkrishna Mission)

1. वेदांत का प्रचार
2. विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना
3. गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा

रामकृष्ण परमहंस एवं उनका योगदान (Ramkrishna Paramhans and His Contribution)

पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों को मुक्त कराने के लिये ब्रम्ह समाज एवं आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक भावना को संतुष्ट करने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने ही किया और भारत की आत्मा को जागृत किया।

रामकृष्ण की प्रमुख शिक्षाएं एवं प्रमुख देन (Principal Teachings and Contribution of Ramkrishna)

1. **अध्यात्मवाद**– रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है, अपने सरल उपदेशों एवं जीवन के यथार्थ उदाहरणों से वेदों और उपनिषदो के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के निकट कर दिया। वे हिंदू अध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे। उनका कहना था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिये जो अध्यात्मवाद द्वारा ही संभव है। वे ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर जोर देते थे।

2. **सभी धर्मो में एकता का विश्वास जागृत करना**– रामकृष्ण की महत्वपूर्ण देन सभी धर्मों की एकता में विश्वास को जागृत करना था। उन्होने स्पष्ट किया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग है। उनका कहना था कि ''ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप है जैसे एक घर का मालिक एक के लिये पिता, दूसरे के लिये कोई और तिसरे के लिये पति है और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न नामों द्वारा पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को उन विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जिस–जिस प्रकार उसका भक्त उसे देखता है।
3. **मानव मात्र की सेवा ओर सेवा ही धर्म** – रामकृष्ण की तीसरी प्रमुख देन मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बनाना था। उनका मानना था कि मनुष्य मात्र की सेवा दया भाव से करनी चाहिये। वे प्रत्येक मनुष्य को भगवान का स्वरूप और मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना मानते थे।

स्वामी विवेकानंद (1863–1902) (Swam Vivkanand, 1863-1902)

स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी, 1863 ई. को कलकत्ता में हुआ था। वे जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेन्सर और रूसो आदि दार्शनिकों के विचारों से काफी प्रभावित थे। 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरू रामकृष्ण के आध्यात्मवाद के सिद्धांत, सभी धर्मो की एकता तथा मानव मात्र की सेवा जैसे विचारों को विश्व में फैलाने का कार्य किया। विवेकानंद ने काशीपुर के पारा बारनगर 1887 ई. में ''रामकृष्ण मठ'' की स्थापना की।

5.7.5 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, 1893 (Chicago All-Religion Conference, 1893)

स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसके पश्चात वे अमेरिका के शिकागो मे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु गये। वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे, कि समुद्र यात्रा करना पाप है। साथ ही वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर विश्व के सभी धर्मों मे एकता स्थापित करना चाहते थे। शिकागो धर्म सम्मेलन के प्रथम भाषण का आरंभ उन्होंने, ''मेरे अमरीकन भाइयों और बहनों से किया और सारी जनता का दिल जीत लिया''। न्यूयार्क हेराल्ड ने उन्हे धार्मिक पार्लियामेंट का सबसे महान व्यक्ति कहा और लिखा कि, ''उनको सुनने के पश्चात हमे यह पता लगा कि इस विद्वान देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता है''। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर हिंदू धर्म और वेदान्त पर भाषण देते रहे। सितम्बर 1895 ई. वे पेरिस होते हुए लंदन गये और वहाँ पर भी उन्होंने धर्म प्रचार किया। 1897 ई. में भारत वापस आ गये और 5 मई 1897 ई. को ''रामकृष्ण मिशन'' की स्थापना की। 1899 में अपने प्राचीन मठ को वेलूर में स्थापित किया। इस मिशन ने अनेक चिकित्सालय,

अनाथालय, विद्यालय एवं विधवा आश्रम खोले तथा गरीबों की सहायता हेतु भी सेवाश्रम खोले।

स्वामी विवेकानंद सभी धर्मो की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया।

स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा करने का उपदेश दिया। वे स्त्री पुनरूद्धार शिक्षा और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। मानव सेवा को वे धर्म का ही एक अंग मानते थे। उन्होंने भारतीयों को यह बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से महान है। इससे हिंदुओं का अपने धर्म और संस्कृति में फिर से विश्वास जागृत हुआ और वे उस पर गौरव करने लगे। निःसंदेह स्वामी विवेकानंद का हिंदुओं में जागृति, पुनरूद्धार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्र और सभ्यता के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

5.7.6 प्रार्थना समाज (Prarthana Samaj)

प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉ. आत्माराम पांडुरंग थे। बाद में आर.जी. भण्डारकर तथा महादेव गोविंन्द रानाडे भी इसके सदस्य बन गये। प्रार्थना समाज का उद्देश्य भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। इसके सदस्य एक ईश्वर की उपासना पर बल देते थे तथा निरंकार की उपासना करते थे। प्रार्थना समाज ने भी जाती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह आदी बुराइयों का विरोध किया। नारी शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। इस समाज ने महाराष्ट्र में अनाथालयों, विधवा आश्रमों तथा रात्रि पाठशालाओं की भी स्थापना की। अतः ब्रम्ह समाज की तरह प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में समाज सुधार के लिये कार्य किये। उन्होंने श्राद्ध और तीर्थयात्रा का भी निषेध किया।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress

3. भारत की दयनीय आर्थिक अवस्था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?

   (अ) दादाभाई नौरोजी (ब) आर. सी. दत्त

   (स) रानाडे (द) महात्मा गांधी

5.8 थियोसॉफिकल सोयायटी (Theosophical Society)

थियोसॉफि शब्द ग्रीक भाषा के Thoes (God) और सोफिया Wisdom शब्दों से मिलकर बना है जिससे इसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान है। आधुनिक समय में इस शब्द का प्रयोग 'थियोसॉफिकल सोसायटी' ने किया जिसकी स्थापना 1875 ई. में मॅडम हैलन ब्लेवत्सकी तथा एच. एस अल्काट ने की। 1886 ई. में मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसायटी का केन्द्र स्थापित किया गया।

श्रीमती एनी बेसेन्ट 1880 ई. में इसकी सदस्य बनीं। 1893 में भारत आयी 1907 ई. में अल्काट की मृत्यु के बाद यह इसकी अध्यक्ष नियुक्त हुई।

5.8.1 थियोसॉफिकल सोसायटी के उद्देश्य (Objectives of Theosophical Society)

1. नस्ल, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के बिना विश्व बंधुत्व का केन्द्र स्थापित करना।
2. धर्मों तथा दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देना।
3. प्रकृति के रहस्यो तथा मनुष्यों की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। थियोसॉफी के अनुयायियों की धारणा है कि सभी धर्म सच्चे है और सभी में आधारभूत एकता है।

धर्म परिवर्तन में उनका विश्वास नहीं है। किसी भी धर्म के अनुयायी थियोसॉफीकल सोसायटी के सदस्य हो सकते है। वे कर्म और पुर्नजन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते है। उनके अनुसार सभी आत्माएँ ईश्वर का अंश हैं और इसलिये समान है।

ऐनी बेसेन्ट ने हिंदुत्व का गौरवगान कर हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था तथा सम्मान की भावना जागृत की उस समय हिंदुओं की दशा बहुत शोचनीय थी। शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की ओर आकर्षित हो जा रहे थे। ऐसे समय में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने प्राचीन आदर्शों, हिंदु धर्म की महानता तथा गौरव का भी हिंदुओं को ज्ञान कराया। कुछ लोग तो इस बात से प्रभावित हुए कि एक अंग्रेज महिला धर्म पर भाषण दे रही है। ऐनी बेसेन्ट ने उदासीन एवं सोती, भारतीय जनता को जगाकर उनमें आत्म–सम्मान और गौरव को पुनर्जागृत कर दिया।

ऐनी बेसेन्ट ने थियोसॉफिकल सोसायटी के माध्यम से शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किये। अनेक स्थानों पर कॉलेज, स्कूल एवं छात्रावास खुलवाए, इसके अतिरिक्त इस संस्था ने समाज में व्याप्त बाल–विवाह, कन्या वध, कन्या वर विक्रय और छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया।

एनी बेसेन्ट ने 1914 ई. में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अपने विचारों के प्रचार हेतु ''कॉमनवील'' तथा ''न्यू इंण्डिया'' नामक दो समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। वे भारतीय स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक थीं। इसी कारण 1916 ई. में उन्होंने लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गये होमरूल आंदोलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में गिरफ्तार भी किया। इसी समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गयीं। उन्होंने कहा था, ''मैं तो एक नगाडा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिये कार्यरत हो सके। विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण सेवाएँ की। 20 सितबंर 1933 ई. में अड्यार में उनकी मृत्यु हो गयी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress

4. थियोसॉफिकल सोसायटी के संस्थापक कौन थे?
   (अ) हेलेना बलावत्सकी (ब) एनी बेसेन्ट
   (स) स्वामी दयानंद (द) बाल गंगाधर तिलक

5.9 मुस्लिम सुधार आंदोलन (Muslim Reforms Movement)

भारत के मुस्लिम समाज में भी इस युग में सुधार आंदोलन की लहर फैल गयी। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम धर्म और समाज की बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया।

5.9.1 अलीगढ़ आंदोलन (Aligarh Movement)

इस आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का कार्य किया और उनका ''अलीगढ़'' आंदोलन इसका केन्द्र था। सर सैयद खां के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था– मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हे पश्चिमी सभ्यता के अधिक से अधिक संपर्क में लाना। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है और अंग्रेजों से कहा कि मुसलमान, अंग्रेजों के विरूद्ध नहीं है। उन्होंने 1864 में गाजीपुर में एक अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया। एक वर्ष बाद ही 'विज्ञान समाज' की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद करना था। 1870 ई. में अलीगढ में उन्होंने तहजीब–उल–अख–लाख समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। 1875 में उन्होंने ''मोहम्मदल ओरियण्टल कॉलेज'' की स्थापना की जो आगे चलकर 1920 ई. में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। इसमें मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्रथम प्रिसिंपल थियोडोर बैक था।

सर सैयद अहमद खा का अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में काफी योगदान दिया लेकिन आगे चलकर सांप्रदायिकता को बढ़ाने में यह बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

5.9.2 वहाबी आंदोलन (Wahabi Movement)

वहाबी आंदोलन पुनर्जागरण आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह (1707–1762) ई. अठारहवीं शताब्दी मे भारतीय–मुसलमानों के प्रथम नेता थे, जिन्होंने मुसलमानों की रीति रिवाजों और मान्यताओं में आई कु–रीतियों की ओर मुस्लिम समाज का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस्लाम धर्म के चार प्रमुख न्याय शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिये तथा जहाँ कुरान और हदीस के

शब्दों की व्याख्या को लेकर मतभेद हो तो व्यक्ति को अपनी विवेचना तथा अंतचेतना के अनुसार निर्णय लेना चाहिये।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress

5. अलीगढ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?

(अ) सर सैयद अहमद खां (ब) मोहम्मद कासिम

(स) सैयद अहमद बरेलवी (द) मोहम्मद इकबाल

5.10 महिलाओं का उत्थान (Upliftment of Women)

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक समाज में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आता रहा है। प्राचीन भारत का आदर्श 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' मध्य युग में लोग भूल चुके थे। सामाजिक कठोरता और असंगत सामाजिक प्रथाओं ने महिलाओं को दुर्दशा की स्थिति में पहुँचा दिया था।

5.10.1 औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की स्थिति (Condition of Women in the Colonial Period)

18 वीं शताब्दी में नारियों की अवस्था शोचनीय थी। महिलाओं का सामाजिक जीवन पुरूषों की तुलना में अधिक जड़ और निष्क्रिय बन गया था। उन्हें पुरूषों की अपेक्षा निम्न समझा जाता था, उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा, बालविवाह, जाति प्रथा प्रचलित थी। पुरूष एक से अधिक विवाह कर लेते थे, जिस कारण स्त्रियों पर कई प्रकार के अत्याचार होते थे। दहेज प्रथा के कारण लडकियों को बोझ समझा जाता था। राजस्थान तथा कई अन्य प्रदेशों में तो कन्या वध की प्रथा भी प्रचलित थी।

औपनिवेशिक काल में स्त्रियों की खराब दशा का एक कारण भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार की हस्तक्षेप की नीति थी।

भारतीय समाज प्रारंभ की तरह पुरूष प्रधान समाज बना रहा। ब्रिटिश काल में भी समाज में स्त्रियों को निम्न स्थान प्राप्त था, वे शिक्षा में पुरूषों से काफी पीछे थीं। उनकी शिक्षा के लिये कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया था, पर्दा प्रथा और बाल विवाह प्रचलित थे।

19 वीं शताब्दी में 6 या 7 वर्ष की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा और समाज में बाल– विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। चूंकि विधवाएं दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। बहु–विवाह के कारण भी विधवाओं की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी।

स्त्रियों को घर से निकलकर बाहर शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में सामाजिक बंधन बाधक थे। राजघरानो, जमींदार आदि धनी वर्ग घर पर ही –स्त्रियों की शिक्षा

का प्रबंध किया करते थे। किंतु आम लोग न तो स्त्रियों को पढ़ाना उचित समझते थे और न उसकी कोई व्यवस्था थी। धार्मिक, आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में पीछे रहने के कारण स्त्रियां राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय नहीं हो सकी। पर्दा प्रथा एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकल सकती थीं। इन परिस्थितियों में गांधीजी के प्रयासों से गांधीजी के आंदोलनों में धीरे–धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी।

5.10.2 स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कारण (Reasons for Miserable Condition of Women)

प्राचीन उत्तर वैदिक काल के अंत के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक स्त्रियों की निम्न स्थिति के निम्नलिखित कारण थे–

1. शिक्षा का अभाव– भारतीय समाज में शिक्षा की ओर, विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा की ओर, ध्यान नहीं दिया गया। स्त्रियों को शिक्षा इसलिये नहीं उपलब्ध करायी गई कि उनसे नौकरी नहीं करानी है। पति को देवता समझते हुए घर की चारदिवारी के बीच रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, जीवन बिताना, यही एकमात्र आदर्श कार्य समझा जाता था। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की दशा निरंतर निम्न होती गयी।

2. बाल–विवाह– प्राचीन व्यवस्था में मुख्यतः मनु ने बाल विवाह पर काफी जोर दिया जिससे कि कन्याओं का विवाह 7–8 वर्ष में कर दिया जाता था। अतः महिलाओं को अपनी उन्नति के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। स्त्रियों को बहुत ही छोटी उम्र में गृहस्थ आश्रम में ढकेल दिया जाता था तथा वह पत्नी, माता और बहु बनकर रह जाती थी।

3. कन्यादान की परंपरा– प्रारंभ से ही हिंदू विवाह में कन्यादान के आदर्श को स्वीकार किया गया था। कन्या के पिता को अपनी इच्छानुसार कन्या के लिये वर ढूंढकर अपनी कन्या को दान करना होता था। पिता द्वारा कन्या दान इस बात का द्योतक है, कि पत्नी पर पति की प्रभुता होगी।

4. विवाह–प्रथा में व्याप्त बुराइयाँ– वैवाहिक कुरीतियों ने भी स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधवा पुनर्विवाह पर रोक, अंतर्जातीय विवाह पर रोक, दहेज प्रथा आदि प्रमुख कारक रहे जिन्होंने स्त्रियों की सामाजिक दशा को प्रभावित किया। विधवा पुनर्विवाह पर रोक के कारण जो कन्याएँ छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी उनका जीवन नरक बन गया। उन्हें कठोर सांसारिक नियमों की बेड़ी में जकड दिया गया। उच्च वर्ग में अपनी लड़कियों का विवाह उच्च से उच्च हैसियत वाले परिवारों में करना शुरू कर दिया, जिससे कि मन चाहा वर प्राप्त करने की होड़ ने दहेज प्रथा को जन्म दे दिया। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। लड़कियों को उनकी इच्छा के विरूद्ध जुआरी, शराबी या दुष्टचरित्र और अपने से 10–20 वर्ष अधिक आयु वाले पुरूष के साथ विवाह कर दिया जाता था। अपमान के बोझ तले दबी नारी सिसकती रह जाती। उसे पति से यातनाएँ मिलती फिर भी वह पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा

करने के लिये विवश थी। समाज में बहुपत्नी प्रथा के कारण समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत खराब थी।

5. संयुक्त परिवार व्यवस्था– संयुक्त परिवार व्यवस्था ने भी स्त्रियों की दशा को निम्न बनाने में अपना योगदान दिया। पुरूष प्रधान समाज के संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार का वयोवृद्ध पुरूष ही मुखिया होता था। उसकी वयोवृद्ध पत्नि ही सभी स्त्रियों की संरक्षक होती थी। अतः अन्य बाकी स्त्रियों की स्थिति बदतर होती चली गयी। उन्हें पुरूषों की आज्ञा माननी ही पड़ती थी। घर के सारे काम करने पडते थे। पणिकर ने स्त्रियों की कमजोर स्थिति के लिये परिवार की इस संयुक्त व्यवस्था को ही दोषी माना है। संयुक्त परिवारीक व्यवस्था में स्त्रियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे।

6. आर्थिक कारण– महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी उन्हे आर्थिक क्षेत्र में भी पंगु बना दिया गया। भाई, पति, पिता जीवन भर नारी इन पर आश्रित रहती थी। एक–एक पैसे के लिये पुरूषों की मोहताज होती थी स्त्रियाँ। इस प्रकार पुरूष को ही स्त्रियों का भरण–पोषण करने वाला बना दिया गया। उत्तर वैदिक काल के बाद संपत्ति पर से स्त्रियों के अधिकारों की समाप्ति ने स्त्रियों को पराश्रित बनाने का कार्य किया। वह अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे आर्थिक या अन्य अधिकार नहीं थे। इसी कारण स्त्रियों की स्थिति निम्न बनाने का कार्य इस पराहित व्यवस्था ने किया।

7. विदेशी आक्रान्ताओं का भय– भारत में मुस्लिमों के आक्रमण और राज्य स्थापना का सबसे अधिक प्रभाव स्त्रियों की दशा पर पड़ा। मुस्लिमों के हिंदू स्त्रियों पर अधिकार करने या उनसे जबरन विवाह कर लेने के डर से उनका विवाह छोटी उम्र में कर दिया जाता अर्थात बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। उन पर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्त्रियों के लिये पर्दे में रहना अनिवार्य कर दिया गया। उसे एक तरह से घर की चार दिवारी में कैद करके रखा गया। इन सारी व्यवस्थाओं ने स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था को उध्वस्त करने का कार्य किया और अशिक्षा के कारण स्त्रियों की स्थिति समाज में निम्न होती चली गई।

अतः स्पष्ट है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति के लिये एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे।

5.10.3 समाज सुधारकों तथा धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं का उत्थान (Women's Upliftment by Social Reformes and Religious Leaders)

राजा राम मोहन राय– राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम स्त्रियों के उद्धार के लिये एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने सती प्रथा का तीव्र विरोध किया। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में विधवाओं को जीवित रहने का अधिकार है। उनके सती प्रथा के विरोध में एक सशक्त आंदोलन चलाया गया। फलस्वरूप 1829 ई. में लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने एक अधिनियम पारित कर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने बहु–विवाह की प्रथा का भी विरोध–किया, वे

टिप्पणी

विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे उन्होंने बाल–विवाह और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, ब्रम्ह समाज की स्थापना की, स्त्री शिक्षा के लिये कलकत्ता में ''हिंदू कॉलेज की स्थापना की।''

विद्यासागर– ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्री–उद्धार के लिये बंगाल में जबरदस्त आंदोलन चलाया। विधवा विवाह पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा पुर्नविवाह के लिये एक सशक्त आंदोलन चलाया। बहु–विवाह का भी उन्होंने विरोध किया। वे आजीवन स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्न करते रहे।

स्वामी दयानंद सरस्वती– स्वामी दयानंद तथा आर्य समाज ने स्त्री उद्धार के लिये अनेक कार्य किये। उन्होंने पर्दा प्रथा को स्त्रियों के मानसिक विकास और स्वतंत्र चिन्तन में सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा देने पर बल दिया। विवाह के संबंध में दयानंद ने स्त्री पुरूष की आयु का भी निर्धारण किया हैं लड़की की उम्र कम से कम 16 तथा पुरूष भी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिये। उन्होंने बहु विवाह एवं दहेज प्रथा का भी डटकर विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया।

प्रार्थना समाज– प्रार्थना समाज ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने की मांग की। महाराष्ट्र में महादेव गोंविद रानाडे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अन्तरजातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने पंढरपुर में विधवाश्रम की स्थापना की। बालविवाह का विरोध किया। प्रार्थना समाज ने ''विधवा विवाह'' संघ की स्थापना की।

विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन– स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन ने भी स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया। मिशन ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। समाज की कुनीतियों का विरोध किया। मिशन ने समाज सेवा द्वारा स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया।

महात्मा गांधी– महात्मा गांधी ने स्त्रियों की समस्या के प्रत्येक पहलू पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरूष समान हैं। प्रकृति ने पुरूषों के समान ही स्त्रियों को मानसिक क्षमता प्रदान की है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। वे बाल विवाह, बहू–विवाह और देवदासी प्रथा के प्रबल विरोधी थे।

स्त्रियों के उद्धार के अन्य प्रयास 1886 में स्वर्ण कुमारी देवी ने ''महिला समुदाय'' संस्था की स्थापना की। 1907 में भारतीय स्त्री एसोसिऐशन की स्थापना की। 1919 के बाद स्त्रियों ने बड़ी संख्या में राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई।

केशवचन्द्र सेन ने स्त्रियों के उद्धार के लिये 1866 में ''संगत दया'' संगठन की स्थापना की उन्होंने अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया उनके प्रभावस्वरूप 1872 का सिविल मैरिज एक्ट बना।

5.10.4 ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं के उत्थान के कार्य (Work of Upliftment of Women during British Rule)

ब्रिटिश शासन काल में समाज सुधार आंदोलनों को देखते हुए कुछ अधिनियमों को बनाया जिनमें कुछ निम्नलिखित थे–

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829– भारत में सन् 1829 से पूर्व सती प्रथा प्रचलित थी। एक तरफ हिंदुओं में बाल–विवाह की परंपरा थी और दूसरी विधवा हो जाने पर स्त्रियों को पति के साथ जीवित चिता में जलाने की अमानुषिक प्रथा थी। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिये राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने कठोर परिश्रम तथा आंदोलन किया और उनके प्रयासों से 1829 ई. में सती प्रथा निषेध अधिनियम बना। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष–रुप कोई किसी विधवा स्त्री को सती होने में सहायता करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा।

2. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856– विधवाओं की स्थिती पारिवारिक संरचना में सबसे निम्न तो थी ही, उन पर इतने प्रतिबंध थे कि उनका जीवन बड़ा दुखमय था। राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के प्रयासों के परिणामस्वरुप 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह करने का कानूनी अधिकार मिल गया।

3. बाल विवाह निरोघक अधिनियम, 1929– यह अधिनियम 1929 में बाल विवाह रोकने हेतु पारित किया गया। यह अधिनियम हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था इसलिये इसे 'शारदा एक्ट' भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार–

(i) विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिये।

(ii) जो व्यक्ति बाल विवाह करने में सहयोग करेगें उन्हं तीन माह की सजा और जुर्माना हो सकता है।

(iii) ऐसे मुकदमों की सुनवाई केवल प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है।

(iv) विवाह के पूर्व सूचना मिल जाने पर वह ऐसे विवाह रोकने का आदेश दे सकती है।

(v) किसी भी स्त्री को कारावास का दंड नहीं दिया जायेगा।

परंतु यह अधिनियम बाल–विवाह को रोकने में सफल नहीं है। सन 1978 में इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। यह अधिनियम अब बाल–विवाह निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1978 के नाम से जाना जाता है।

4. हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937– इस अधिनियम के पहले हिंदू विधवा स्त्रियों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। मृत

पति की संपत्ति में हिंदू विधवा के अधिकारों की निर्योग्यता को दूर करने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया।

5. मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1939– यह मुस्लिम विवाह से संबंधित एक क्रांतिकारी अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम के पारित हो जाने से कुछ परिस्थितियों में पति से अलग रहने पर भरण–पोषण न करने की स्थिती में सात वर्ष की कैद हो जाने पर, पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने पर तथा व्यभिचारी अथवा कटुता होने पर विवाह विच्छेद का अधिकार मिल गया है। इस व्यवस्था में लिखित रुप से तलाक होता है।

6. अलग रहने और भरण–पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम, 1946– इस अधिनियम के अनुसार हिंदू स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में पति से अलग रहने पर भरण पोषण का अधिकार तभी मिलेगा जब–

(i) पति निर्दयता का व्यवहार करता है अथवा पत्नी, पति के साथ रहना खतरनाक समझती है।

(ii) पत्नी को उसके पति ने छोड रखा हो।

(iii) पति ने दूसरा विवाह कर लिया।

(iv) पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है।

स्त्री को भरण–पोषण के लिये कितनी राशि दी जायेगी, यह न्यायालय पति की आय व आर्थिक स्थिती को देखकर भी तय करता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

6. विधवा विवाह विधेयक कब पारित किया गया?

   (अ) 1829   (ब) 1856

   (स) 1857   (द) 1858

7. महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा संघ की स्थापना कब की थी?

   (अ) 1856   (ब) 1860

   (स) 1861   (द) 1870

8. सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना था?

   (अ) 1829   (ब) 1830

   (स) 1831   (द) 1832

5.11 शिक्षा का विकास (Development of Education)

भारत की नियमित शिक्षा की स्थापना के लिए 1813 ई. के चार्टर में एक लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद कई वर्षों तक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। इसी बीच बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरी भारत आये, बंगाल में उनके द्वारा अनेक स्कूलों की स्थापना की गई।

शिक्षा का विकास 1833–1854 (Development of Education] 1833-1854)

लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से कि जाये, इसके संबंध में दो मत थे। विल्सन के नेतृत्व में एक वर्ग प्राच्य शिक्षा का समर्थक था दूसरा वर्ग मेकॉले के नेतृत्व में पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मेकॉले के मत को स्वीकार करके अग्रेंजी माध्यम को शिक्षा का आधार बनाया। सरकार ने पाश्चात्य प्रणाली पर अंग्रेजी माध्यम के स्कुलों को अनुदान देने की घोषणा की। 1835 में रुडकी में इंजिनियरिंग कॉलेज तथा कलकत्ता में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई।

5.11.1 वुड का घोषणा पत्र (Wood's Declaration)

चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। 19 जुलाई, 1854 ई. को उसने कंपनी के संचालकों के माध्यम से एक घोषणा–पत्र जारी किया। यह वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, यह सौ अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था वुड्स डिस्पैच में शिक्षा के उद्देश्यों, माध्यम, सुधारों की योजनाओं आदी के विषय में विस्तार से वर्णन था।

5.11.2 वुड्स डिस्पैच की प्रमुख धाराएँ (Major Sections of Wood's Despatch)

1. शिक्षा पद्धती के तीन उद्देश्य–
   (अ) पाश्चात्य संस्कृती का प्रचार
   (ब) प्रशासन के लिये सुप्रशिक्षित जन सेवक तैयार करना
   (स) भारतीय प्रजा को राजा के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की योग्यता प्रदान करना
2. शिक्षा का माध्यम–
   (अ) कालेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी का प्रयोग हो।
   (ब) माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी एवं भारतीय दोनों भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिये।
   (स) आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे कालान्तर में वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रुप में प्रयुक्त हो सके।

3. शिक्षा नीति पूर्णतः धार्मिक स्थर पर निर्धारित की जाये।
4. स्त्री शिक्षा पर भी समुचित ध्यान दिया जाये।
5. शिक्षकों के लिये प्रांतों में ट्रेनिंग कालेज खोले जायें।
6. शिक्षा पद्धती के संचालन के लिये प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोला जाये।
7. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कालेजों में सामान्य शिक्षा दी जाये। इसके अतिरिक्त कानून, चिकित्सा, इंजीनियरींग, कला एवं कृषि की शिक्षा के लिये संस्थाएँ खोली जाएं।
8. इस शिक्षा पद्धती के संचालन के लिये प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोला जाये। जिसमें एक संचालक एवं अनेक निरीक्षक नियुक्त किये जायें प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।

इस प्रकार वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग खोला गया तथा विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं को सीखना अनिवार्य हो गया।

1857 ई. में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर में की गयी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया। स्कूलों, कॉलेजों एवं विद्यालय की संख्या बढ़ने लगी।

5.11.3 हण्टर कमीशन, 1882 (प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग) Hunter Commission, 1892 (First Indian Education Commission)

लॉर्ड रिपन ने वुड्स डिस्पैच के 28 वर्ष बाद तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का पता लगाने के लिये 1882 में 20 सदस्यों का एक आयोग गठित किया। इस आयोग में 8 भारतीय भी थे। इसके अध्यक्ष सर विलियम हण्टर थे।

आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Commission)

1. आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार तथा उसके स्तर में सुधार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
2. प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। प्राथमिक शिक्षा उपयोगी विषयों में तथा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिये।
3. प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रांतीय सरकार को अपनी आय का एक भाग अलग कर देना चाहिये तथा यह शिक्षा राज्य, जिला बोर्डों तथा नगर पालिकाओं द्वारा दी जानी चाहिये।
4. माध्यमिक शिक्षा स्थानीय अथवा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा दी जानी चाहिये
5. हाईस्कूल में दो प्रकार की शिक्षा का आयोजन होना चाहिये। एक प्रकार में साहित्यिक शिक्षा दी जाये जो विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में सहायक हो तथा दूसरी व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिये।

6. कॉलेजों के लिये सामान्य एवं विशेष वित्तीय सहायता तथा अनुदान निर्धारित करने की सरकार को छूट दी गयी।
7. छात्रवृति देने के संबंध में नये नियम बनाये जाये। बड़े–बड़े कॉलेजो में वैकल्पिक विषयों को रखने की व्यवस्था की जाये।
8. उच्च शिक्षा के संबंध में सरकार को उच्च शिक्षण संस्थाओं के संचालक तथा प्रबंध से हट जाने का अनुरोध किया गया।
9. उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई।
10. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया भारत सरकार ने आयोग की अधिकांश सिफारशों को स्वीकार कर लिया। फलतः आगामी दस वर्षों में विद्यालयों की संख्या में वृद्धी हुई।

5.11.4 लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति (Education Policy of Lord Curzon)

1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का गर्वनर जनरल नियुक्त हो कर आ गया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने शिक्षा विभाग में केन्द्रीकरण की नीति का अनुसरण किया एवं निरीक्षण स्थापित करने की प्रयत्न किया। उसने डायरेक्टर जनरल ऑफ एज्युकेशन की नियुक्ती एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये 1901 में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया जिसमें शिक्षा संबंधी अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। 1902 में उसने थामस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 ई. में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्न सुझाव दिये गये–

1. विश्वविद्यालयों के उत्तरदायित्व मे वृद्धि की गई विश्वविद्यालयों का उच्च शिक्षा के अध्ययन और अनुसंधान की समुचित व्यवस्था करने और योग्य प्रोफेसरों और अध्यापकों की नियुक्ती करने, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थापना का उचित प्रबंध करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।
2. सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 निर्धारित की गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। सरकार द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई परंतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई। बंबई विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई।
3. विश्वविद्यालय के सिंडीकेट में कुलपति/लोकशिक्षा निर्देशक तथा सीनेट एवं विभिन्न विभागों द्वारा निर्वाचित 7 से 15 सदस्य होंगे।
4. महाविद्यालयों की सब शर्तें अधिक कठोर बनाई गई। उन पर विश्वविद्यालयों का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
5. विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार गर्वनर जनरल और उसकी परिषद को सौंपा गया।
6. कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को दिया गया।

टिप्पणी

7. अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि महाविद्यालयों के छात्रों के लिये न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाये।

1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1917 में मैसूर और परता तथा 1918 में हैदराबाद में स्थापना की गईं।

5.11.5 सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917–19 (Sadler University Commission, 1917-1919)

1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में सरकार ने डॉ. माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ती की। सैडलर आयोग ने 1919 में अपनी सिफारिशे प्रस्तुत की थी। उसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखीत थी–

1. इंण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाये और प्रत्येक प्रांत में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाये।
2. बी. ए. की परीक्षा के लिये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाये।
3. हाईस्कूल तथा अधिकांश विषयों का माध्यम भारतीय भाषा रखने का निश्चय किया गया।
4. भारत सरकार का कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ कोई विशेष संबंध नही होना चाहिये और इसका स्थान बंगाल सरकार को प्राप्त होना चाहिये।
5. ढाका में एक अलग एकात्मक विश्वविद्यालय खोलना चाहिये।
6. स्त्री शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये एक बोर्ड बनाने का सुझाव दिया।
7. आवासीय और स्वायत्तशासी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिये।
8. स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिये परंतु उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी भाषा माध्यम होना चाहिये।
9. परीक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन किया जाये।
10. मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

5.11.6 अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना, 1925 (Establishment of Inter University Board, 1925)

1920 ई. के पश्चात नये विश्वविद्यालयों की स्थापना (दिल्ली, कानपुर, आंध्रप्रदेश, आगरा) के बाद भारत सरकार ने उनमे समन्वय और एकरुपता स्थापित करने के उद्देश्य से 1925 ई. मे भारतीय विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 1925 ई. में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड गठित किया गया।

हार्टोग समिती (Hartog Committee)

1929 में भारत की शिक्षा की स्थिती की जांच करने के लिये फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समीति की नियुक्ती। इस समिती के सुझाव निम्नलिखीत थे–

1. प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोध रोकी जाये। सुधार और एकीकरण की नीति अपनायी जाये।
2. माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाये।
3. विश्वविद्यालयों और कॉलेजो मे सिर्फ योग्य विद्यार्थीयों को ही प्रवेश दिया जाये।
4. विश्वविद्यालयो में रोजगार कार्यालय खोले जाये।

वर्धा योजना– बुनयादी शिक्षा (Wardha Scheme of Education-Basic Education)

अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। 1931 ई. में प्रांतों में शिक्षा विभाग मंत्रियों के नियंत्रण में आ गया। आर्थिक मंदी तक वित्तिय संकट जैसी समस्याएँ प्रायः समाप्त हो गई। महात्मा गांधी द्वारा 1937 ई. में ''हरिजन पत्र'' में शिक्षा से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया गया जिसे बुनियादी तथा बेसिक शिक्षा कहा गया। गांधीजी ने 22–23 अक्टूबर, 1937 ई. को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, इस प्रकार बेसिक शिक्षा की योजना तैयार की गई। इस बुनियादी शिक्षा के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे।

1. 7 से 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क, अनिवार्य एवं प्राईमरी शिक्षा दी जाये।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, जो 7 वर्ष तक लागू होगी।
3. इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन के सुझाव दिये।
4. शिल्पकला की प्रशिक्षण वर्धा योजना का मूल सिद्धांत है।

सार्जेण्ट शिक्षा योजना, 1944 (Sargent Education Scheme, 1944)

केन्द्रीय शिक्षण मंत्रिमडल ने सन 1944 में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। समिती के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेण्ट थे, जो भारत सरकार के शिक्षा परामर्शदाता थे। उनके सुझाव–

1. 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा दी जाये।
2. माध्यमिक शिक्षा उन्ही को दी जाये जो इससे लाभ उठा सके।
3. हाईस्कूल दो प्रकार की है– विद्या विषयक तथा व्यावसायिक शिक्षा।
4. इंटरमीडिएट को समाप्त करके बी. ए. का पाठय्क्रम तीन वर्षो का कर दिया जाये।
5. छात्रों को शारीरिक शिक्षा तथा राष्ट्रसेवा की शिक्षा दी जानी चाहिये। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। स्वाधीन भारत की सरकार को ब्रिटिश सरकार की शिक्षा प्रणाली विरासत में मिली।

राधाकृष्णन आयोग, 1949 (Radhakrishnan Commission, 1949)

भारतीय सरकार ने 1948 ई. में डाक्टर सर्वपल्ली–राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा या राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है।

अगस्त 1949 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी मुख्य अनुशंषाएँ निम्नलिखित थी–

1. स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्ष की अवधि का होना चाहिये।
2. वर्ष मे कम से कम 180 दिन कक्षायें होनी चाहिये।
3. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद प्रारंभ होना चाहिये। उसकी अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिये।
4. विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये अधिक छात्रवृत्तियाँ दी जाये।
5. किसी भी कालेज में 1000 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिये।
6. पी. एच. डी. डिग्री के लिये प्रशिक्षण की अवधि कम से कम दो वर्ष होनी चाहिये।
7. विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये।
8. देश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा की देखभाल के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाये।
9. विज्ञान के नये नये विषयों के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिये।
10. उच्च शिक्षण के तीन उद्देश्य होना चाहिये– सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और अभियांत्रिकी तकनिकी, मेडिकल शिक्षा पर अधिक ध्यान दे।

सरकार ने आयोग की अधिकांश अनुशंषाओं को स्वीकार कर लिया। सन 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कि स्थापना की गई।

मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 (Mudliar Commission or Secondary Education Commission, 1952-53)

स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के पुर्नमूल्यांकन की आवश्यकता अनुभव की गई। डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में सन 1952 में एक आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने सन 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी–

1. शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीयहित के लिये कार्य करने का भाव, देश में सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को सफल बनाना है।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम चार वर्षीय है।
3. बहुउद्देशीय स्कूल, टेक्नीकल स्कूल, अप्रैंटिस प्रशिक्षण आदि पर जोर दिया गया।

4. पब्लिक स्कूल, आवासीय विद्यालय एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य की ओर से सहायता मिलनी चाहिये।
5. लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर नही है किंतु गृह विज्ञान की लड़कियों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।
6. माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन होना चाहिये।
7. पाठयक्रम को दो स्तरो पर बांटने की सिफारिश की
   (अ) मिडिल तथा
   (ब) हाईस्कूल

मिडिल में– भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला तथा संगीत, उद्योग, शारीरिक शिक्षा

हाईस्कूल में– मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सामाजिक अध्ययन एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया।

इसके अलावा आयोग ने आर्थिक एवं नैतिक शिक्षा, प्रशासन की समस्या, प्रशिक्षण कौशल्य का विकास, मूल्यांकन, छात्र कल्याण, वित्त व्यवस्था आदि पर भी सिफारिश प्रस्तुत की।

अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन (Evaluation of British Educational System)

1. **पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से संपर्क**– अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।
2. **भारतीय समाज में सुधार**– अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर भारतीयों ने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठायी।
3. **लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास**– अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय पश्चिम की लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से परिचित हुए।

दोष (Demerits)

अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित दोष थे–

1. **भारतीय हितों की उपेक्षा**– अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्लर्क तैयार करना था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगो का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजो के स्वामिभक्त बने रहें।
2. **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली**– अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पूर्णतः दोषपूर्ण और अव्यवहारिक थी। शिक्षित युवक पैतृक व्यवसाय को त्याग कर विद्यार्थी रहकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे।

3. **सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन**– अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये पृथक–पृथक संस्थाओं की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनायी।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress

9. हण्टर आयोग का गठन कब किया गया?

   (अ) 1882 (ब) 1883

   (स) 1884 (द) 1885

10. कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

    (अ) सर टामस रेले (ब) डॉ. जियाउदद्दीन अहमद

    (स) गोपालकृष्ण गोखले (द) डॉ. आशुतोष मुखर्जी

11. सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया?

    (अ) 1919 ई. में (ब) 1917 ई. में

    (स) 1929 ई. में (द) 1913 ई. में

12. शिक्षा की सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई?

    (अ) 1937 (ब) 1942

    (स) 1944 (द) 1948

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बनाया गया?

    (अ) 1948 (ब) 1950

    (स) 1951 (द) 1953

5.12 भारतीय प्रेस का विकास (Development of Indian Press)

भारत में ब्रिटिश काल में 1780 में **जेम्स आगस्टस हिक्की** ने भारत का पहला समाचार पत्र **'बंगाल गजट'** प्रकाशित किया। ''कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर'' के नाम समाचार पत्र द्वारा वारेन हेस्टिंग्ज की नीतियों की आलोचना की। फलतः 14 नवंबर, 1780 ई. को इस पत्र की डाक संबंधी सुविधाएँ समाप्त कर दी गईं। हिक्की ने कंपनी के कार्यों की कटु आलोचना की। 1782 में स्वयं गर्वनर जनरल ने उस पर मानहानी का मुकदमा चलाया और उसे जेल में बंद कर दिया। उसे 5,000 रुपया जुर्माना तथा एक वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई। हिक्की प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था।

1780 ई. तथा 1793 ई. बीच कलकत्ता में छः अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ जिनमें इंडिया गजट 1790 ई. कलकत्ता गजट 1784 ई. तथा हरकारा उल्लेखनीय थे।

मद्रास में 1785 ई. में साप्ताहिक मद्रास कोरियर का तथा 1795 ई. में इंडिया हैराल्ड तथा वीकली मद्रास गजट का प्रकाशन आरंभ हुआ।

इंडिया हैराल्ड ने सरकार की आलोचना की इसलिये उसके संपादक को निर्वासित कर दिया गया। 1799 में मद्रास सरकार ने एक आदेश जारी किए जिसके अनुसार समस्त समाचार पत्रों के लिये प्रकाशन से पहले सरकार की स्वीकृती लेना अनिवार्य कर दिया गया।

बंबई का पहला साप्ताहिक पत्र बॉम्बे हैराल्ड 1789 ई. में शुरु हुआ। इसके बाद 1790 ई. में बॉम्बे कोरियर और 1791 ई. बॉम्बे गजट निकाला गया। ये समाचार पत्र मुख्यतः अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे।

1838 में बाम्बे टाइम्स का जन्म हुआ। 1853 ई. में कलकत्ता में हरिश्चन्द्र मुखर्जी के संपादकत्व में हिंदू पेट्रियर की स्थापना की गयी।

देशी भाषाओं में जिन पत्र पत्रिकाओं का देश से प्रकाशन हुआ, उसमें समाचार दर्पण प्रमुख था। उसका प्रकाशन 1818 ई. में आरंभ हुआ। इसके संपादक श्रीरामपुर का मिशनरी जे. जी. मार्शमैन था।

1821 में ''संवाद कौमुदी'' की स्थापना की गयी। इसके संपादक एवं मालिक दोनों भारतीय थे। राजा राम मोहन राय इसके सर्वेसर्वा थे। इस पत्र में सतीप्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया गया।

उसी वर्ष राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरात–उल–अखबार की स्थापना की। इसके बाद द्वारकानाथ एवं राजा राम मोहन राय एवं अन्य विचारकों ने मिलकर बंग–दूत नाम का साप्ताहिक प्रारंभ किया। 1822 में बॉम्बे समाचार नाम के गुजराती पत्र का जन्म हुआ।

5.12.1 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम (Indian Press Act, 1931)

सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता से ब्रिटीश सरकार चिन्तित थी सरकार ने समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकार ने एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी किया। सरकार ने प्रेस के दमन हेतु सन 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने सरकार को निम्न अधिकार प्रदान किये–

1. आपत्तिजनक प्रकाशन एवं संबंधित प्रेस जब्त की जा सकती थी
2. डाकघरों को अधिकार दिया गया कि वह ऐसे पार्सल एवं पैकेट रोक ले जिनमें आपत्तिजनक सामग्री होने का संदेह हो

3. समाचार पत्रं पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे –
   (i) आंदोलन के समाचार प्रकाशित न करे
   (ii) गिरफ्तार लोगों के संदेश प्रकाशित न करे
   (iii) सजा एवं जुलूसों के समाचार प्रकाशित न करे
   (iv) ऐसा कोई समाचार प्रकाशित न करे जिनसे जनता आक्रोशित हो
4. इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, आनंद बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता की लिबर्टी प्रेयर एवे फ्री प्रेस जनरल के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 1934 ई. में सरकार ने भारतीय राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1934 पारित किया। इसके द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया कि वे देशी रियासतों के प्रशासन की आलोचना न करें।

5.12.2 समाचार पत्र जाँच समिती, 1947 (Press Enquiry Committee, 1947)

मार्च 1947 में सरकार ने एक समाचार पत्र जाँच समिती का गठन किया। इसे समाचार पत्र कानून कर समीक्षा का कार्य सौंपा गया। इसकी सिफारिशे निम्नलिखित थीं–

1. सन 1931 के अधिनियम को रद्द किया जाये।
2. समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम में संशोधन
3. भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124–A एवं 153–A में परिवर्तन किया जाये।
4. सन 1934 के भारतीय राज्य (सुरक्षा) अधिनियम को रद्द किया जाये।

5.12.3 1947 में स्वतंत्र भारतीय प्रेस की स्थापना (Establishment of Free Indian Press in 1947)

अंतरिम सरकार के सन 1946 में गठन के बाद जवाहर लाल नेहरु ने प्रेस कानूनों का प्रयोग बंद कर दिया था। भारत की सन 1947 मे स्वतंत्रता के पश्चात प्रेस भी स्वतंत्र हो गयी। भारत में ''प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया'' गठित की गई। अब समाचार पत्र एकत्रित करने एवं प्रकाशित करने का दायित्व प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का था।

1951 का समाचार पत्र (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार–

1. सरकार को समाचार पत्रों व मुद्रणालयों से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत मांगने का अधिकार दे दिया गया।
2. आपत्तीजनक सामग्री को डाक द्वारा भेजने पर रोक लगाई गई।

अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन एवं भारतीय कार्यकर्ता पत्रकार संघ ने इस अधिनियम का विरोध किया।

सरकार ने जी. एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र आयोग नियुक्त किया। इस आयोग की रिपोर्ट में अनुशंषा की गई कि–

1. अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद गठित की जाये।
2. पन्ना (Page) मूल्य पद्धती अपनाई जाये प्रेस आयोग का दायित्व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बनाये रखना, आचार संहिता का निर्माण करना, सार्वजनिक हितो की रक्षा करना था। आयोग की अनुशंसा पर सरकार किसी भी समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

5.12.4 भारतीय प्रेस का विकास 1920 से 1950 तक (Development of Indian Press, 1920-1950)

भारत में 1920 ई. के बाद भारतीय समाचार पत्रों का प्रकाशन बड़ी तेजी से हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अनेक कानून बनाकर भारतीय प्रेस को कुचलने का प्रयास किया किंतु भारतीय प्रेस ने अंग्रेजों के अत्याचारों की खुलकर निंदा की। इस काल के अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी क्र. 5.4

समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के नाम	संस्थापक का नाम	माध्यम भाषा
1. कॉमन वील	ऐनी बेसेन्ट	अंग्रेजी
2. यंग इंडिया	महात्मा गांधी	-//-
3. इंडिपेन्डेस	मोतीलाल नेहरु	-//-
4. हिंदुस्तान टाइम्स	के. एम. पाणिक्कर	-//-
5. नेशनल हेराल्ड	पं. जवाहरलाल नेहरु	-//-
6. द ट्रिब्यूनल	सर दयाल सिंह मजीठिया	-//-
7. कामरेड	मुहम्मद अली जिन्ना	-//-
8. हिंदूस्तान स्टैण्डर्स	सच्चिदानंद सिन्हा	-//-
9. भारत–मित्र	बाल मुकुन्द गुप्त	हिन्दी
10. हिंदुस्तान	मदन मोहन मालवीय	हिन्दी
11. कवि वचन सुधा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	-//-
12. हरिशचन्द्र मॅगजीन	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	-//-
13. हिन्दी प्रदीप	बलकृष्ण भट्ट	-//-
14. नवजीवन	महात्मा गांधी	हिन्दी, गुजराती
15. आज	शिवप्रसाद गुप्ता	हिन्दी
16. प्रताप पत्र	गणेश शंकर विद्यार्थी	-//-
17. अमृत बाजार पत्रिका	मोतिलाल घोष	बंगाल, अंग्रेजी
18. सोत प्रकाश	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	बंगला
19 बंगवासी	जोगिन्दरनाथ बोस	बंगला

20. बंबई दर्पण	बाल शास्त्री	मराठी
21. केसरी	बाल गंगाधर तिलक	-//-
22. अल हिलाल	मौलाना अबुल कलाम आजाद	उर्दू
.23. हमदर्द	मुहम्मद अली जिन्ना	उर्दू
24. गदर	गदर पार्टी	पंजाबी, अंग्रेजी

उपर्युक्त समाचार पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन इस काल में किया गया। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदी।

1920 ई. से जो पत्र तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की गयीं उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महान योगदान दिया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत गति मिली।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

14. हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक कौन थे?

    (अ) के. एम. पणिक्कर (ब) सच्चिदानन्द सिंहा

    (स) महात्मा गांधी (द) पं. जवाहरलाल नेहरु

15. 'भारत मित्र' का संस्थापक कौन था?

    (अ) मदन मोहन मालवीय (ब) बाल मुकुन्द गुप्ता

    (स) सच्चिदानन्द सिंहा (द) ऐनी बेसेन्ट

16. टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?

    (अ) 1860 (ब) 1861

    (स) 1862 (द) 1863

17. भारतीय समाचार–पत्र (संकटकालीन अधिकार) अधिनियम कब पारित हुआ?

    (अ) 1929 (ब) 1931

    (स) 1934 (द) 1943

5.13 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answer to Check Your Progress)

1. (ब)	6. (ब)	11. (ब)	16. (ब)
2. (स)	7. (स)	12. (स)	17. (अ)
3. (अ)	8. (अ)	13. (द)	
4. (अ)	9. (अ)	14. (अ)	
5 (अ)	10 (अ)	15. (ब)	

5.14 सारांश (Summary)

प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वे आधुनिक भारतीय इतिहास ब्रिटिश शासन काल के शोषण और उत्पीडन से परिचित हो। अतः इस अध्याय में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण की नीति, भारत में ब्रिटिश काल में पड़ने वाले भयंकर अकाल और ब्रिटिश अकाल नीति की विवेचना की गई। कुटीर तथा हस्तकला उद्योगों का विनाश, भारत में गरीबी और धन का निष्कासन की ओर दादा भाई नौरोजी एवं अन्य भारतीय नेताओं ने किस तरह भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने केवल उन्ही उद्योगों की ओर ध्यान दिया जिनके द्वारा उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता था। 19 वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य शोधक समाज, स्वामी विवेकानंद, सभी ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने में मार्गदर्शन किया।

महिलाओं के उत्थान के लिए ब्रिटिश शासन काल में किये गये कार्यों के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा, एवं भारत का विभाजन, भारतीय राजनीति एवं सांप्रदायिकता, स्वाधीनता अधिनियम 1947, रियासतों का विलीनीकरण एवं भारतीय प्रेस के विकास को भी सरलतम ढंग से समझाया गया है।

5.15 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- **उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्थाः** उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है। इसका तात्पर्य है कि किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का उपयोग अपने हित के लिए प्रयोग करना।
- **धन का निष्कासनः** भारत में ब्रिटिश शासन के समय, भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैन्ड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन–निष्कासन (Drain of Wealth) की संज्ञा दी गयी।

5.16 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. ज्योतिबा फुले एवं सत्यशोधक समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
2. स्वामी दयानंद की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखिये।
3. रामकृष्ण मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
4. थियोसोफिकल सोसायटी के बारे में आप क्या जानते है?
5. सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ में योगदान पर टिप्पणी लिखिये।
6. लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
7. सार्जेंट योजना क्या थी?
8. वर्धा योजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   अ. सैडलर आयोग
   ब. हण्टर आयोग
10. भारतीय समाचार पत्रों पर टिप्पणी लिखिये।
11. भारतीय समाचार पत्र (संकट कालीन अधिकार) अधिनियम, 1931 की विवेचना कीजिये
12. 1947 में स्वतंत्र भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिये।
13. हिंदू तथा मुस्लिम स्त्रियों की स्थितीयों की तुलना कीजिये।
14. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्री उद्धार के लिये क्या कार्य किये?
15. राजा राम मोहन राय ने स्त्री उत्थान के लिये क्या कार्य किये?
16. पुनर्जागरण से आप क्या समझते है? पुनर्जागरण के दो कारणों का वर्णन कीजिये।
17. स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये किये गये दो प्रयत्नों का वर्णन कीजिये।
18. प्रार्थना समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
19. माध्यमिक शिक्षा आयोग पर एक टिप्पणी लिखिये।
20. शिकागो धर्म सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते है? इसका भारत पर क्या प्रभाव हुआ?
2. भारत में पड़े विभिन्न अकालों का क्रम से वर्णन कीजिये।
3. अकाल के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिये।

4. ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार के विकास की विवेचना कीजिये।
5. भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिये।
6. आधुनिक उद्योगो के विकास पर प्रकाश डालिये।
7. उपनिवेषवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की विवेचना कीजिये।
8. धन का निष्कासन से क्या अभिप्राय है? भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?
9. भारतीय जागरण में स्वामी दयानंद तथा आर्य समाज के कार्यों की विवेचना कीजिये।
10. समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।
11. आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।
12. थियोसॉफिकल सोसायटी के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन किजीये तथा पुनर्जागरण में इसके योगदान का विवेचन कीजिये।
13. मुस्लिम सुधार आंदोलनों पर प्रकाश डालिये।
14. ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखिए।
15. 1858 के बाद शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखिए।
16. ब्रिटिश शासन काल में प्रेस के विकास तथा भूमिका की विवेचन कीजिये।
17. 1920 ई. से 1950 ई. के बीच भारतीय प्रेस के विकास की विवेचन कीजिये।
18. भारतीय स्त्रियों के उत्थान के लिये ब्रिटिश काल में किये गये कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करिये।
19. 19 वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये किए गये प्रयत्नों की विवेचना कीजिये।
20. ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कुटीर तथा हस्तकला के विनाश के कौन–कौन से कारण थे?
21. कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय जनजीन पर क्या प्रभाव पड़ा?
22. पुनर्जागरण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिये।
23. 1700 ई. से 1857 ई. तक स्वतंत्र प्रेस व पत्रकारिता के क्षेत्र में जो समस्याएं आयी, उनका वर्णन कीजिये।
24. लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिये।
25. अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के उद्देष्यों व प्रभावों का वर्णन कीजिये।

5.17 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. डॉ. मंजू सालोमन, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण (1947 से 1977 तक), होराइजन पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2017
2. ए. के. मित्तल, भारत का इतिहास (1858 से 1950) ई. तक साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
3. बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी आदित्य मुखर्जी, "आजादी के बाद का भारत"
4. बी. एल. ग्रोवर अलका मेहता यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चन्द एण्ड कंपनी, नई दिल्ली